त्रयोदश माला, खंड 17, अंक 7

मंगलवार, 31 जुलाई, 2001

9 श्रावण, 1923 (शक)

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

सातवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

(खण्ड 17 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा.(श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द दत्त
सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय-सूची

त्रयोदश माला, खंड 17, सातवां सत्र, 2001/1923 (शक)
[अंक 7, मंगलवार, 31 जुलाई, 2001/9 श्रावण, 1923 (शक)]

विषय		*कॉलम*
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	121 से 140	1-46
अतारांकित प्रश्न संख्या	1287 से 1464	47-330
सभा पटल पर रखे गए पत्र		332-336
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति अध्ययन दौरे संबंधी प्रतिवेदन		336
मानव संसाधन *विकास संबंधी स्थायी समिति* एक सौ सातवां, एक सौ आठवां, एक सौ नौवां और एक सौ दसवां प्रतिवेदन		336-337
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति की–गई–कार्यवाही संबंधी छठा प्रतिवेदन		337
याचिका का प्रस्तुतीकरण		337-338
मंत्री द्वारा वक्तव्य		338
श्रीमती फूलन देवी, संसद सदस्य की नृशंस हत्या श्री लाल कृष्ण आडवाणी		338-340
नियम 377 के अधीन मामले		340-349
(एक) मनमाड–दौंड–अहमदनगर–मुम्बई के बीच एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी		340-341
(दो) मध्य प्रदेश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को सहायता दिए जाने की आवश्यकता श्री रामानन्द सिंह		341-342

(तीन) उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में और अधिक रेल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री श्याम बिहारी मिश्र 341-342

(चार) बेतूल से अमरावती महाराष्ट्र के बीच के मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री विजय कुमार खण्डेलवाल 342

(पांच) उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री रामपाल सिंह 342

(छह) राज्य व्यापार निगम के माध्यम से गुजरात के लिए पामोलिन के लाने–ले–जाने हेतु सड़क भाड़े की प्रतिपूर्ति दर में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर 342-343

(सात) किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट आफ ऑन्कोलॉजी, कर्नाटक को राष्ट्रीय केंसर संस्थान के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा 343

(आठ) कर्नाटक में अंकोला और हुबली के बीच बड़ी रेल लाइन का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार 343-344

(नौ) असम के धुबरी जिले में गुवाहाटी और बागडोगरा के बीच स्थित रूपशी हवाई अड्डे को पुनः चालू किए जाने की आवश्यकता

श्री अब्दुल हमीद 344

(दस) कोंकण रेलवे को दक्षिण कन्नड के लोगों के लिए और अधिक यात्री सुलभ बनाए जाने की आवश्यकता

श्री विनय कुमार सोराके 344-345

(ग्यारह) पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी में अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती मिनाती सेन 345

विषय कॉलम

(बारह) आन्ध्र प्रदेश सरकार के "सेन्टर फार गुड गवर्नैंस" स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री के. येरननायडू 345-346

(तेरह) किसानों विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के किसानों की दशा में सुधार के लिए सिंचाई प्रणाली को सुदृढ बनाए जाने की आवश्यकता

श्री रामजी लाल सुमन 346

(चौदह) गोरखपुर–हावडा एक्सप्रेस को उत्तर प्रदेश में मऊ रेलवे स्टेशन से होकर चलाए जाने की आवश्यकता

श्री बालकृष्ण चौहान 346-347

(पन्द्रह) हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में रोड़धार में कम शक्ति वाला टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की आवकश्यता

कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य 347

(सोलह) मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिलों में कम शक्ति वाले और अधिक ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय ... 347-348

(सत्रह) पजाब में पटियाला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती प्रेनीत कौर 348

(अठारह) केरल के कन्नूर जिले में तलई में नया मत्स्यन पत्तन स्थापित करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

प्रो. ए. के. प्रेमाजम ... 348-349

लोक सभा

मंगलवार, 31 जुलाई, 2001/ 9 श्रावण, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : माननीय अध्यक्ष जी, कल झांसी, यू.पी. में वरिष्ठ पत्रकार श्री मूल चन्द्र यादव की बुंदेलखंड चौराहे पर हत्या कर दी गई।...*(व्यवधान)* उन्हें उच्च न्यायालय के आदेश पर सुरक्षा प्राप्त थी जिसे वापस ले लिया गया। ...*(व्यवधान)* 25 जून को भी उनके ऊपर हमला हुआ था और कल दिन–दहाड़े उनकी हत्या कर दी गई।...*(व्यवधान)* महत्वपूर्ण लोगों की सुरक्षा वापस लेकर जिस तरह से हत्याएं कराई जा रही हैं, ...*(व्यवधान)* हम चाहते हैं कि सदन की सम्पूर्ण कार्यवाही स्थगित करके इस पर चर्चा कराई जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : महोदय, यू.टी.आई. का मुद्दा काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसने एक नया और खतरनाक आयाम जोड दिया है।...*(व्यवधान)* हमें इस पर तत्काल चर्चा करनी होगी और हम इससे आंखें नहीं मूंद सकते। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपका प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और मैंने इसे अस्वीकार कर दिया है। लेकिन आप इस मुद्दे को शून्य काल में उठा सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : माननीय अध्यक्ष जी, कल दिन दहाड़े यू.पी. में जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार की हत्या कर दी गई। ...*(व्यवधान)* यह बहुत गंभीर मामला है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, आप इसे जीरो ऑवर में रेज करिए। मैडम, आप भी इसे जीरो ऑवर में रेज करिए। आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इस मुद्दे को शून्यकाल के दौरान उठा सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)* *

पूर्वाह्न 11.01 बजे

(इस समय श्री राशिद अलवी, कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहले अपने–अपने स्थान पर वापस जाइये। आप इसे शून्यकाल में उठा सकते हैं।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर वापस चले गए।)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने–अपने स्थान पर वापस जाइये।

...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास योजनाएं

*121. **श्री जी. एस. बसवराज** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण विकास योजनाओं की संख्या कम करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजनाओं की संख्या में कितनी कमी होने की संभावना है और इस कमी का इन योजनाओं के क्रियान्वयन पर क्या प्रभाव पडने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

दिल्ली में नकली दवाओं का उत्पादन/बिक्री

*122. **श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी :**

श्री भीम दाहाल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने हाल ही में राजधानी में नकली दवाइयां बनाने वाली एक इकाई का भंडाफोड़ किया है और भारी मात्रा में नकली दवाइयां बरामद की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है;

(घ) इसमें शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) सरकार ने नकली दवाइयों का उत्पादन रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (घ) जी हां, श्रीमान्। दिल्ली पुलिस ने, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार औषधि नियंत्रण विभाग के साथ मिलकर, 4 जुलाई, 2001 को भगीरथ प्लेस, दिल्ली और उसके आसपास स्थित तीन विभिन्न गोदामों से तथाकथित नकली दवाओं के भारी भंडार को जब्त किया है। मामले से संबंधित अभियुक्त से पूछताछ करने पर मुरथल, हरियाणा में एक उत्पाद यूनिट का पता चला जो बिना वैध लाइसैंस के चल रही थी। दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में अभी तक 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। जांच–पड़ताल चल रही है।

(ङ) दिल्ली में नकली दवाओं के उत्पादन और परिचालन को रोकने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में सम्मिलित हैं : (क) दवा उत्पादक परिसरों और बिक्री केन्द्रों की नियमित जांच; (ख) दवाओं की असलीयत की जांच करने के लिए नकली ग्राहकों के जरिए दवाओं की खरीद; (ग) नकली दवाओं की बिक्री के संबंध में प्राप्त शिकायतों की तत्काल जांच–पड़ताल; (घ) नकली दवाओं के उत्पादन/बिक्री में संलिप्त संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी; (ङ) संदिग्ध गुणवत्ता वाली दवाओं, यदि कोई हो, के चलन के बारे में सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रसिद्ध उत्पादकों और सक्षम प्रर्यतन के लिए जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सलाहकार समिति का गठन करना।

गृह मंत्री का विदेशों का दौरा

*123. **डा. रमेश चंद तोमर :**

श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने जर्मनी और तुर्की का दौरान किया था और सुरक्षा संबंधी विषयों सहित द्विपक्षीय हितों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की थी;

(ख) यदि हां, तो की गई चर्चा का देश–वार ब्यौरा क्या है और इनके क्या–क्या परिणाम निकले; और

(ग) इन देशों, विशेषकर जर्मनी द्वारा सुरक्षा संबंधी मामलों में दी जाने वाली सहायता किस सीमा तक और किस प्रकार हमारे सुरक्षा बलों के लिए उपयोगी सिद्ध होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) जर्मनी (24.6.2001 से 27.6.2001 तक) और तुर्की (28.6.2001 से 30.6.2001 तक) के अपने दौरों के दौरान गृह मंत्री ने अपने प्रतिपक्षों से आन्तरिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों तथा आपसी हित के अन्य मामलों पर विस्तृत बातचीत की। उन्होंने, भारत सरकार की ओर से इन दोनों देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि पर भी हस्ताक्षर किए।

जर्मनी में, अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने संबंधी भारत की चिंता को समझा और सराहा गया। भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में रखे पक्ष पर मिल कर काम करने के संबंध में जर्मनी ने सहमति व्यक्त की।

तुर्की में, अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खतरों पर विचारों में पूर्ण समानता थी और दोनों ही देशों ने आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों की निन्दा की। दोनों देश इस पर सहमत हुए कि आतंकवाद का किसी भी रूप में समर्थन नहीं होना चाहिए और सभी प्रकार के अर्न्तराष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के अपने दृढ़ निश्चय पर बल दिया। दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच आपसी सहयोग बनाने जैसे कुछ व्यावहारिक कदमों पर भी सहमति थी।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

*124. **श्रीमती हेमा गमांग :**

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार को वर्ष 2001–2002 के लिए राज्य–वार और संघ राज्य क्षेत्र–वार प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि के आबंटन की मांग प्राप्त हुई;

(ख) अभी तक इस योजना के अंतर्गत राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी धनराशि आबंटित/जारी की गई है;

(ग) क्या सरकार को 4 जुलाई, 2001 के "दैनिक जागरण" में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार ऐसा कोई समाचार प्राप्त हुआ है कि इस कार्य हेतु आबंटित धनराशि का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस योजना के अंतर्गत जारी किए गए निदेशों/दिशा–निर्देशों में संशोधन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वेंकय्या नायडू) : (क) राज्य योजनाओं के अंतर्गत मंत्रालय के अनुदान में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु वर्ष 2001–2002 के लिए 2500 करोड रुपये की राशि निर्धारित की गई है। राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार आबंटनों को अंतिम रूप देने के लिए लम्बित पड़े मामलों के बारे में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सूचित कर दिया गया है कि इस स्तर पर उपलब्ध निधियां पिछले वर्ष के आंबटन से ज्यादा न होने पाएं।

(ख) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 2000–2001 के दौरान आबंटित/जारी निधियों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) और (च) कार्यक्रम के कारगर कार्यान्वयन को सुविधा–जनक बनाने के लिए समय–समय पर समुचित दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन (करोड़ रुपए में)	जारी राशि (करोड़ रुपए में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	195.00	195.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	41.00	40.95
3.	असम	75.00	75.00
4.	बिहार	150.00	149.90
5.	छत्तीसगढ	92.00	92.41
6.	गोवा	5.00	5.00
7.	गुजरात	60.00	59.81
8.	हरियाणा	20.00	25.18
9.	हिमाचल प्रदेश	60.00	60.00
10.	जम्मू व कश्मीर	20.00	20.00
11.	झारखंड	110.00	110.05
12.	कर्नाटक	95.00	100.57
13.	केरल	20.00	19.71
14.	मध्य प्रदेश	218.00	217.64
15.	महाराष्ट्र	130.00	130.21
16.	मणिपुर	40.00	40.00
17.	मेघालय	35.00	34.95
18.	मिजोरम	20.00	19.93
19.	नागालैंड	20.00	19.75
20.	उड़ीसा	180.00	179.70
21.	पंजाब	25.00	24.66
22.	राजस्थान	140.00	140.09
23.	सिक्किम	20.00	13.16
24.	तमिलनाडु	154.00	99.25
25.	त्रिपुरा	25.00	24.75
26.	उत्तर प्रदेश	320.00	321.11
27.	उत्तरांचल	60.00	60.63
28.	प. बंगाल	135.00	135.00
29.	अंडमान निकोबार	10.00	10.59
30.	दादर व ना. हवेली	5.00	0.00

1	2	3	4
31.	दमन व दीव	5.00	5.00
32.	दिल्ली	5.00	0.00
33.	लक्षद्वीप	5.00	0.00
34.	पांडिचेरी	5.00	5.00
	कुल	2500.00	2435.00

60.00 करोड रुपए की राशि केन्द्रीय सडक निधि को हस्तांतरित कर दी गई है।

कोयले के भंडार

***125. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन :**

श्री उत्तमराव पाटील :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में जोनवार अनुमानतः कोयले का कितना भंडार है;

(ख) देश में प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में कोयले का खनन किया जाता है;

(ग) कोयला भंडारों का दोहन करने के बजाय कोयले का आयात करने के क्या कारण हैं;

(घ) जिन–जिन स्थानों पर कोयला भंडारों की खोज की जा रही है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन स्थानों के अतिरिक्त देश में अधिक कोयला भंडार उपलब्ध होने की कोई संभावना है; और

(च) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या की जा रही है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) (i) भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, 1.1.2001 की स्थिति के अनुसार, देश में 1200 मी. गहराई तक के कुल 213.91 बिलियन टन के भंडार हैं।

(ii) कोयले के भंडार का राज्यवार तथा श्रेणीवार ब्यौरा निम्नानुसार है :

(मिलियन टन में)

राज्य	प्रमाणित	निर्दिष्ट	अनुमानित	कुल
आन्ध्र प्रदेश	7529.41	3363.83	2781.66	13674.90
अरुणाचल प्रदेश	31.23	11.04	47.96	90.23
असम	259.37	26.83	34.01	320.21
बिहार–झारखंड	35147.58	28444.18	5582.83	69174.59
मध्य प्रदेश–छत्तीसगढ	14017.30	22102.07	8199.65	44319.02
महाराष्ट्र	4388.50	1301.65	1605.41	7295.56
मेघालय	117.83	40.89	300.71	459.43
नागालैंड	3.43	1.35	15.16	19.94
उड़ीसा	11307.68	23728.50	16535.11	51571.29
उत्तर प्रदेश	765.98	295.82	0.00	1061.80
पश्चिम बंगाल	10845.62	10925.66	4147.26	25918.54
कुल कोयला	84,413.93	90,241.82	39,249.76	213,905.51

(ख) देश में वर्ष 2000–01 में 309.69 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया गया।

(ग) उपभोक्ता निम्नलिखित कारणों से कोयले का आयात कर रहे हैं :–

– स्टील संयंत्रों के लिए अपेक्षित अच्छी गुणवत्ता वाले कोकिंग कोयले के सीमित भंडार तथा अपर्याप्त उपलब्धता।

– घरेलू स्रोतों से अपर्याप्त उपलब्धता के कारण अच्छी गुणवत्ता वाले नॉन–कोकिंग कोयले का भी आयात किया जा रहा है।

– रेल भाड़े तथा आयात शुल्क के वर्तमान ढांचे से आयातित कोयला तटवर्ती क्षेत्रों से प्रति थर्म आधार पर लागत प्रतिस्पर्द्धी हो जाता है।

(घ) वर्ष 2001–02 के दौरान संवर्धनात्मक अन्वेषण पूर्वी बोकारो (झारखंड), उत्तरी करणपुरा (झारखंड), बीरभूम (पं. बंगाल), तलचर (उड़ीसा), आई.बी. वैली (उड़ीसा), सोहागपुर (म.प्र./छत्तीसगढ़) पेंच वैली (म.प्र.), मंडरायगढ़ (छत्तीसगढ़), कटोल बेसिन (महाराष्ट्र), वर्धा वैली (महाराष्ट्र) तथा गोदावरी वैली (आन्ध्र प्रदेश) में किया जाएगा।

वर्ष 2001–02 के दौरान विस्तृत अन्वेषण रानीगंज (प. बंगाल), उत्तरी करनपुरा (झारखंड), रामगढ़ (झारखंड), वर्धा वैली (महाराष्ट्र), पाथाखेड़ा (म.प्र.), पेंच कन्हान (म.प्र.), काम्पटी (महाराष्ट्र), सोहागपुर (म.प्र./छत्तीसगढ), बिसरामपुर (छत्तीसगढ़), कोरबा (छत्तीसगढ़), हसदेव–अरांड (छत्तीसगढ़), सिंगरौली (उ.प्र./म.प्र.), आई.बी. वैली (उड़ीसा) तथा तलचर (उड़ीसा) में शुरू किया जाएगा।

(ङ) जी, हां।

(च) (i) भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए जाने वाले क्षेत्रीय अन्वेषण का वित्तपोषण खान मंत्रालय द्वारा किया जाता है। कोयला मंत्रालय ने नौवीं योजना के दौरान 147 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर कोयले तथा लिग्नाइट में लगभग 6.5 लाख मीटर की ड्रिलिंग तथा सम्बद्ध अन्वेषण कार्यकलाप हेतु एक संवर्धनात्मक अन्वेषण स्कीम का अनुमोदन किया है। नौवीं योजना के लिए संवर्धनात्मक अन्वेषण का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा तथा 147 करोड़ रु. की राशि का पूरा उपयोग किया जाएगा। यह स्कीम वर्ष 1989 से चल रही है।

(ii) सरकार ने नौवीं योजना के दौरान नॉन–सी. आई.एल. ब्लॉकों में विस्तृत अन्वेषण हेतु 73.18 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर 2.67 लाख मीटर ड्रिलिंग वाली एक योजना को भी स्वीकृति दे दी है। अन्वेषण कार्य सी. एम.पी.डी.आई तथा एम.ई.सी. एल. द्वारा किया जा रहा है तथा नौवीं योजना हेतु नॉन–सी. आई. एल. ब्लॉकों में लक्ष्यों की प्राप्ति कर ली जाएगी तथा निधियों का उपयोग कर लिया जाएगा।

(iii) सी. आई. एल. कमांड क्षेत्रों में विस्तृत अन्वेषण हेतु वर्ष 2000–01 के लिए वार्षिक बजट लगभग 29.51 करोड रु. तथा वर्ष 2001–02 में 37.27 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

आदिम जनजातियां

***126. श्री टी. एम. सेल्वागनपति :**

श्री अनन्त नायक :

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 75 आदिम जनजाति समुदायों के लुप्त होने का खतरा पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उन जनजातियों का ब्यौरा क्या है जिनकी जनसंख्या कम हो रही है;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान आदिम जनजातियों की जनसंख्या का रुख किस ओर रहा है;

(घ) जिन–जिन राज्यों में ये जनजातियां रह रही हैं उनका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह सच है कि ऋणग्रस्तता, उनकी भूमि का स्वामित्व–परिवर्तन, स्वायत्तता, विस्थापन और वनों से उनके जुड़ाव जैसी उनकी चिंताओं का अधिकांशतः समाधान नहीं हुआ है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(छ) इन जनजातियों की जनसंख्या संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, 1981 और 1991 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित आदिम जनजातीय समूहों (पी.टी.जी.) की जनसंख्या में कमी रही है:–

राज्य	समुदाय	जनसंख्या	
		1981	1991
कर्नाटक	जेनुकुरुबा	34747	29371
अंडमान व निकोबार	सोम्पेन्स	223	131
द्वीप समूह	ग्रेट अंडमानी	42	32

(ग) और (घ) अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के आंकडों को जनगणना आंकड़ों के आधार पर समेकित किया जाता है जो प्रत्येक दशक में एक बार उपलब्ध होते हैं। तथापि, 1961 से 1991 तक विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में आदिम जनजातीय समूहों के लिए संकलित आंकड़ों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) आदिम जनजातीय समूहों के कल्याण और विकास के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। ये प्रयास इन समूहों की जनसांख्यिकीय समस्या को हटाने के लिए भी प्रासंगिक हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने भी समस्याओं की विस्तृत जांच और ठोस प्रस्तावों को तैयार करने के लिए चार उप–समूहों का गठन कर लिया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		आदिम जनजातीय समूह का नाम	जनसंख्या			
				1961	1971	1981	1991
1	2		3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	1.	चेंचू	17609	24178	28434	40869
		2.	बोडो गदाबा	21840	25108	27732	33127
		3.	गुटोब गडाबा				
		4.	डोंगिया खोंड	21754	34382	39408	66629
		5.	कटिया खोंड				
		6.	कोलम	16731	26498	21842	41254
		7.	कोंडा रेड्डी	35439	42777	54685	76391
		8.	कोंडसवारा	–	28189	–	–
		9.	बोंडो पोर्जा				
		10.	खोंडा पोर्जा	9350	12347	16479	24154
		11.	पेरेंजीपेरजा				
		12.	थोटी	546	1785	1388	3654
			कुल	123269	195264	189968	286078
2.	बिहार	13.	असुर	5819	7026	7783	9623
		14.	बिरहोर	2438	3464	4377	8083
		15.	बिजजिया	4029	3628	4057	6191
		16.	हिल खारिया	108983	127002	141771	151634
		17.	कोर्वा	21162	18717	21940	24871
		18.	माल पहाड़िया	45423	48636	79322	86790

1	2		3	4	5	6	7
		19.	परहाइया	12268	14651	24012	30421
		20.	सौरिया पहाडियां	55606	59047	39269	48761
		21.	सवार	1561	3548	3014	4264
			कुल	257289	285719	325545	370638
3.	गुजरात	22.	कोल्धा	–	29464	62232	82679
		23.	कठोड़ी	–	2939	2546	4773
		24.	कोटवालिया	–	12902	17759	19569
		25.	पधार	–	4758	10587	15896
		26.	सिडी	–	4482	5429	6336
			कुल	–	54545	98553	129253
4.	कर्नाटक	27.	जेनु	3623	6656	34747	29371
		28.	कोरागा	6382	7620	15146	16322
			कुल	10005	14276	49893	45693
5.	केरल	29.	चोलनायायन	–	306	234	–
		30.	कदर	–	1120	1503	2021
		31.	कट्टनायकन	–	5565	8803	12155
		32.	कोरगा	–	1200	1098	1651
		33.	कुरुम्बा	–	1319	1283	1820
			कुल	–	9510	12921	17647
6.	मध्य प्रदेश	34.	अबुझ मारिया	11115	13000	15500	–
		35.	बैगा	–	6194	248949	317549
		36.	भारिया	–	1589	1614	–
		37.	बिरहोर	513	738	561	2206
		38.	हिल कोरवा	23606	67000	19041	–
		39.	कमर	–	13600	17517	20565
		40.	सहरिया	174320	207174	261816	332748
			कुल	209554	309295	564998	673068
7.	महाराष्ट्र	41.	कटकरी/कठोडी	–	146785	174602	202203

1	2		3	4	5	6	7
		42.	कोलाम	–	56061	118073	147843
		43.	मरिया गोंड	–	53400	66750	–
			कुल	–	256246	359425	350046
8.	मणिपुर	44.	मारम नागा	–	5123	6544	9592
		45.	घुकटिया भुजिया	–	–	–	
		46.	बिरहोर	–	248	142	825
		47.	बोन्डो	–	3870	5895	7315
		48.	दिदायी	–	3055	1978	5471
		49.	धोंग्रिया खोंड	–	2676	6067	–
		50.	ज्वांग	–	3181	30876	35665
		51.	खारिया	–	1259	1259	–
		52.	कुटिया खोंड	–	3016	4735	–
		53.	लजिया सौरा	–	4223	8421	–
		54.	लोधा	–	1598	5100	7458
		55.	मनकिरड़िया	–	133	1005	1491
		56.	पौडी भुयन	–	4424	8872	–
		57.	सौरा	–	2845	2917	–
			कुल		30528	77267	58225
10.	राजस्थान	58.	सेहरिया	23125	26796	40945	59810
11.	तमिलनाडु	59.	इरूला	79835	89025	105757	138827
		60	कट्टूनायकम	6459	5042	26383	42761
		61.	कोटा	833	1188	604	752
		62.	कुरुम्बा	1174	2754	4354	4768
		63.	पानियान	4779	6093	6393	7124
		64.	टोडा	714	930	875	1100
			कुल	93794	105032	144366	195332
12.	त्रिपुरा	65.	रियांग	56597	64722	84004	111606
13.	उत्तर प्रदेश	66.	बुक्सा	–	–	31807	34621

1	2		3	4	5	6	7
		67.	राजी	–	–	1087	1728
			कुल	–	–	32894	36349
14.	पश्चिम बंगाल	68.	बिरहोर	–	–	658	855
		69.	लोधा	–	45906	53718	68095
		70.	टोटो	–	–	675	–
			कुल	–	45906	55051	68950
15.	अंडमान व नि.	71.	ग्रेट अंडमानी	–	–	42	32
		72.	जारवा	–	–	31	89
		73.	ओंगे	–	–	97	101
		74.	सेंटिनेलीज	–	–	–	24
		75.	सोम–पेन	71	212	223	131
			कुल	71	212	393	377
अखिल भारत			कुल योग	773704	1403174	2042767	2412664

स्रोत : भारतीय जनगणना 1961, 1971, 1981 तथा 1991

काम के बदले अनाज योजना

127. डा. जसवंतसिंह यादव :

श्री ए. वैंकटेश नायक :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने काम के बदले अनाज कार्यक्रम को सूखा पीड़ित राज्यों में भी लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत राज्यवार कितना खाद्यान्न दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई संशोधित दिशा–निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इसके परिणामस्वरूप इस योजना के अंतर्गत राज्य–वार कितने लोगों के लाभान्वित होने की संभावना है;

(च) क्या सरकार का विचार इस योजना को सूखे से अप्रभावित, विशेषकर पिछडे और दूर–दराज के क्षेत्रों में भी लागू करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) से (छ) काम के बदले अनाज कार्यक्रम को सूखे से प्रभावित राज्यों नामतः छत्तीसगढ, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तरांचल में सुनिश्चित रोजगार योजना के एक भाग के रूप में 2000–01 में शुरू किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सूखे से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार के जरिए खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। इन राज्यों को, कार्यक्रम के अंतर्गत, आबंटित खाद्यान्नों का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है। इसकी मात्रा राज्यों की मांग पर निर्भर करती है।

अब तक काम के बदले अनाज कार्यक्रम का सूखे, बाढ़, चक्रवात अथवा भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं की अवधि के दौरान राज्य के अधिसूचित जिलों में मजदूरी रोजगार के सृजन हेतु कार्यान्वित की जा रही केन्द्र अथवा राज्य सरकारों की किसी योजना के एक भाग के रूप में विस्तार किया गया है। कार्यक्रम पहले 30 जून, 2001 को समाप्त होना था, अब इसे 30 सितम्बर, 2001 तक बढा दिया गया है। संशोधित दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं जिसके अनुसार काम के बदले अनाज कार्यक्रम एक सामान्य

योजना होगी (जो राज्यों के अधिसूचित प्रभावित जिलों में मजदूरी रोजगार के सृजन के लिए कार्यान्वित की जा रही केन्द्र तथा राज्य सरकार की किसी योजना का एक भाग हो सकती है।) भारत सरकार प्रत्येक प्रभावित राज्य को अतिरिक्त और मुफ्त, खाद्यान्नों की उचित मात्रा उपलब्ध कराती है ताकि प्रभावित राज्य जरूरतमंद ग्रामीण गरीबों को मजदूरी रोजगार के पर्याप्त अवसर मुहैया कराने में सक्षम हो सकें। रोजगार के लिए पात्र मानदंड में रियायत की गई है ताकि बी.पी.एल तथा ए.पी.एल. परिवारों को शामिल किया जा सके। मजदूरी के भुगतान का कुछ अंश वस्तु (प्रति श्रम दिन 5 कि. ग्रा. खाद्यान्नों तक) के रूप में तथा कुछ नगदी के रूप में किया जाएगा। राज्य सरकारें मजदूरी में दिए गए खाद्यान्नों की लागत की गणना को या तो बी पी एल दरों अथवा ए पी एल दरों या इन दोनों दरों के बीच कहीं पर भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। मजदूरी के नगदी घटक तथा सामग्री लागत को उस योजना से वहन किया जाएगा जिसके तहत काम के बदले अनाज कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाता है। एफ.सी.आई. से कार्यस्थल/पी डी एस तक खाद्यान्नों की ढुलाई की लागत और इसका वितरण राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार अब तक लगभग 2300.44 लाख श्रम दिनों का रोजगार सृजित किया गया है (राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं)। इस समय कार्यक्रम केवल उन जिलों में लागू हैं जिन्हें कृषि मंत्रालय द्वारा सूखा प्रभावित के रूप में अधिसूचित किया गया है।

विवरण-I

2000–01 तथा 2001–02 के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित खाद्यान्न

क्र.सं.	राज्यों का नाम	आबंटित खाद्यान्न (मात्रा मीट्रिक टन मे) (2000–01 के दौरान)			आबंटित खाद्यान्न (मात्रा मीट्रिक टन में) (2001–02 के दौरान)			आज तक आबंटित कुल खाद्यान्न (मीट्रिक टन में)	
		गेहूं	चावल	कुल	गेहूं	चावल	*धान	कुल	कालम 5+9
1.	गुजरात	70000	20000	90000	46515	11590	0	58105	148105
2.	छत्तीसगढ़	0	207000	207000	0	100000	298507	398507	605507
3.	मध्य प्रदेश	43000	20079	63079	115965	34035	0	150000	213079
4.	हिमाचल प्रदेश		11549	11549	0	0	0	0	11549
5.	राजस्थान	118145	0	118145	621360	0	0	621360	739505
6.	उड़ीसा	20000	80000	100000	0	50000	0	50000	150000
7.	महाराष्ट्र	8000	2000	10000	32000	8000	0	40000	50000
	कुल	259145	340628	599773	815840	203625	298507	1317972	1917745

* राज्य सरकार के आग्रह पर छत्तीसगढ राज्य को 2,00,000 टन चावल के बदले 298507 टन धान आबंटित किया गया था।

विवरण-II

काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत सृजित राज्यवार श्रमदिन

क्र.सं.	राज्य का नाम	सृजित श्रमदिन
1	2	3
1.	गुजरात	158520179
2.	छत्तीसगढ़*	30026000
3.	मध्य प्रदेश	एन.आर.
4.	हिमाचल प्रदेश	147000
5.	राजस्थान	25063182
6.	उड़ीसा	16288000
7.	महाराष्ट्र	एन. आर.
	कुल	230044361

एन.आर. : असूचित।

कोयला खानों में आग लगने की घटनाएं

128. श्री पी. डी. एलानगोवन :

श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खानों में विशेषकर एन.एल.सी. और सी. सी. एल. की कोयला खानों में वर्ष 2000–2001 के दौरान आज तक राज्य–वार, कंपनी–वार और खान–वार आग लगने की कितनी–कितनी घटनाएं हुईं;

(ख) इनमें मात्रा और मूल्य के अनुसार जानमाल का कितना नुकसान हुआ;

(ग) मृतकों के आश्रितों को दी गई क्षतिपूर्ति/रोजगार का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आग लगने की घटनाओं के कारणों का पता लगाने हेतु जांच कराई गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(च) इन जांच रिपोर्टों के आधार पर क्या कार्यवाही की गई है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) वर्ष 2000–2001 के दौरान तथा आज तक आग लगने की तीन घटनाएं घटित हुईं, विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :

कम्पनी	राज्य	खान
डब्ल्यूसीएल	महाराष्ट्र	इन्दर
ईसीएल	झारखंड	चित्रा ओसीपी
एनसीएल	उत्तर प्रदेश	बीना ओसीपी
एनएलसी	तमिलनाडु	शून्य *

* एनएलसी की लिग्नाइट की खानों में वर्ष 2000–01 के दौरान आग की कोई घटना नहीं हुई थी। बहरहाल, मई 2000 में माइन–II में 700 एल.बीडब्ल्यूई के एक स्लिप–रिंग में इलैक्ट्रीकल फ्लैश की एक घटना हुई जिसे तत्काल बुझा दिया गया।

(ख) इन्दर खान – जानमाल की कोई क्षति नहीं हुई।

चित्रा ओसीपी – जान की कोई क्षति नहीं हुई। एक शावेल क्षतिग्रस्त होने से 40 लाख रुपये की हानि हुई।

बीना ओसीपी – जान की कोई क्षति नहीं हुई। 8.44 लाख रुपये की हानि हुई है।

एनएलसी माइन – यहां जीवन की कोई हानि नहीं हुई। मई, 2000 में इलेक्ट्रीकल फ्लैश के मामले में सामान के नुकसान के लिए बीमा कंपनी में दावा किया गया है और 6.00 लाख रु. पर समझौता हो गया है।

(ग) ऊपर (ख) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(घ) इन्दर खान – जांच की गई है।

चित्रा ओसीपी – जांच प्रारंभ की गई है, जो प्रगति पर है।

बीना सी एच पी – जांच की गई।

एनएलसी माइन – जांच की गई है।

(ङ) इंदर खान – वातायन में गिरे हुए कोयला स्वतः गरम होने के कारण आग लगी।

चित्रा ओसीपी – जांच पूरी होने पर परिणाम का पता चलेगा।

बीना सीएचपी – आग लगने के निश्चित कारण का पता नहीं लगाया जा सका।

एनएलसी माइन – मई, 2000 के इलैक्ट्रीकल फ्लैश के मामले में रिपोर्ट से पता चला है कि फ्लैश बी. डब्ल्यू.ई. के स्लिप रिंग के आसपास जमा किये गये लिग्नाइट डस्ट के कारण हुआ था।

(च) इंदर खान – वातायन से गिरे हुए कोयले को हटाने हेतु कदम उठाए गए हैं।

चित्रा ओसीपी – जांच पूरी होने पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

बीना सीएचपी – निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:

1. इंजीनियरों द्वारा कार्य भार गृहण करने तथा सौंपे जाने का कार्य किया जा रहा है।
2. रबर बेल्टिग के स्थान पर स्टील कॉड बेल्टिंग लगाई गई है।
3. गृह–व्यवस्था को उन्नत किया गया है।
4. गश्त बढाकर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ कर दी गई है।
5. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अग्निशमन कर्मियों द्वारा कर्मचारियों को अग्निशमन यंत्रों तथा हाइड्रेन्टों के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया गया है।

एनएलसी माइन – इन क्षेत्रों में निरीक्षणों की आवर्तिता बढ़ा दी गई है।

अपराध दर

***129. श्री रामानन्द सिंह** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ भागों में उग्रवादी गतिविधियों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) वर्ष 1999–2000 की तुलना में 2000–2001 के दौरान ऐसी गतिविधियों में हुई वृद्धि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार का देश में उग्रवाद की बढ़ती घटनाओं की समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ग) देश में मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्य और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों को उग्रवादी/आतंकवादी हिंसा का खतरा है। इन तीन स्थानों में हिंसा की घटनाओं के बारे में तुलनात्मक ब्यौरा क्रमशः संलग्न I, II और III में दिया गया है।

(घ) सरकार ने, उग्रवादी/आंतकवादियों की गतिविधियों से निपटने के लिए एक सुसमन्वित और बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें सीमा प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण, आसूचना तंत्र को चुस्त–दुरुस्त बनाना, समन्वित कार्रवाई के द्वारा उग्रवादियों/आतंकवादियों की योजनाओं को विफल करना, अधुनातम हथियारों और संचार प्रणालियों आदि के साथ पुलिस बलों का आधुनिकीकरण शामिल है। केन्द्रीय सरकार, विभिन्न आतंकवादी /उग्रवादी गुटों से खतरे की आशंकाओं और गतिविधियों के बारे में भी राज्य सरकारों को सुग्राही रही बनाती है। आवश्यकता पड़ने पर, केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों को तैनात कर सहायता दी जाती है। उग्रवादी/आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा, उग्रवादी/आंतकवादियों की गतिविधियों से निपटने के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति सहित प्रभावित राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

विवरण-I

जम्मू और कश्मीर में हिंसा की घटनाएं

वर्ष	घटनाओं की संख्या
1999	3071
2000	3074
2001	2015

(30 जून की स्थिति के अनुसार)

विवरण-II

पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसा की घटनाएं
(30 जून, 2001)

राज्य का नाम	वर्षवार घटनाओं की संख्या		
	1999	2000	2001
असम	451	536	237
मेघालय	52	73	36
त्रिपुरा	616	826	211
मणिपुर	281	245	131
नागालैंड	294	195	42
मिजोरम	4	14	1
अरुणाचल प्रदेश	45	74	10
कुल	1743	1963	668

विवरण-III

राज्यवार हिंसा की घटनाएं (वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में)

राज्य	हिंसा की घटनाएं		
	1999	2000	2001 (30 जून 2001 तक)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	602	425	211
बिहार	214	278	82

1	2	3	4
झारखंड	267	318	158
मध्य प्रदेश	19	7	10
छत्तीसगढ़	76	79	21
महाराष्ट्र	40	35	13
उड़ीसा	5	15	7
उत्तर प्रदेश	5	4	14
पश्चिम बंगाल	4	4	2
अन्य राज्य	14	14	1
कुल	1246	1179	529

[हिन्दी]

शिक्षा के स्तर में गिरावट

*130. **श्री पुन्नू लाल मोहले** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में शिक्षा के स्तर में गिरावट आने के क्या कारण हैं और इसमें सुधार लाने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को उस समय बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब वे शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहरों में जाते हैं क्योंकि उन्हें प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी भाषा नहीं पढ़ाई जाती है;

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार पहले कक्षा से अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई शुरू करने का है;

(घ) क्या सरकार देश में एक समान शिक्षा प्रणाली सुनिश्चित करेगी जिससे कि अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के विद्यालयों के छात्रों के बीच हीनभावना न पनपे; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ङ) यह सच नहीं है कि विभिन्न राज्यों में शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है। इसके विपरीत 2001 की जनगणना के अनंतिम परिणामों ने इन तथ्यों की पुष्टि की है कि शिक्षा से जुड़े लगभग प्रत्येक मापदंड में प्रगति हुई है। यद्यपि देश को अभी भी बहुत कुछ प्राप्त करना है, फिर भी समग्र परिणामों के प्रति आशावादी होते हुए भी सजग रहने की आवश्यकता है। निम्नवर्णित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और कार्य योजना, 1992 और राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के प्रावधानों से काफी संतोषप्रद परिणाम प्राप्त हुए हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का प्रावधान है जिसका आशय यह है कि एक निश्चित स्तर तक सभी छात्रों की एक तुलनीय स्तर की शिक्षा तक पहुंच होगी चाहे वे किसी भी जाति, संप्रदाय, स्थान व लिंग के हों। इसमें शिक्षा के प्रत्येक स्तर के लिए एक समान शैक्षिक सरचना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा तथा न्यूनतम अध्ययन स्तर शामिल हैं। यह शिक्षा के सभी स्तरों पर गुणात्मक सुधार को प्राथमिकता प्रदान करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा इसकी कार्य योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के लिए एक निश्चित प्राथमिकता की व्यवस्था है। इसके अनुसरण में अनेक योजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों की शैक्षिक जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा उपयुक्त कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता तथा इसमें समानता से जुड़े मुद्दों पर भी निरंतर ध्यान दिया जाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग की बात कही गई है। इस नीति में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है। माध्यमिक स्तर पर राज्य सरकारों को त्रिभाषा सूत्र अपनाकर उसका कडाई से कार्यान्वयन करना चाहिए जिसमें हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा एक आधुनिक भारतीय भाषा, अधिमान्यतः दक्षिण भारतीय भाषाओं में से किसी एक का तथा गैर हिंदी भाषी राज्यों में क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी के साथ हिंदी का अध्ययन शामिल है।

[अनुवाद]

डा. जे. एस. चौहान की गतिविधियां

*131. **श्री जे. एस. बराड़** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डा. जे. एस. चौहान की खालिस्तान के मुद्दे को शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़ाने की टिप्पणी पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या एहतियाती उपाए किए जा रहे हैं कि पंजाब में अस्सी के दशक वाली बुरी स्थिति दुबारा पैदा न हो?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) केन्द्र सरकार और पंजाब की राज्य सरकार, दोनों ही, डा. जे. एस. चौहान के कथनों और गतिविधियों पर निगरानी रख रही है। पंजाब सरकार ने यह भी सूचित किया है कि डा. चौहान के खिलाफ, जब कभी आवश्यक होगा, कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(ग) सरकार ने उग्रवादियों की गतिविधियों से निपटने के लिए एक समन्वित और बहु–आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें गैर–कानूनी रूप से सीमा पार करने की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सीमा प्रबंध को सुदृढ़ करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों के बीच गहन बातचीत, समन्वित कार्रवाई के द्वारा उग्रवादियों और राष्ट्र–विरोधी तत्वों की योजनाओं को निष्फल करना, उन्नत अधुनातम हथियारों और संचार प्रणाली इत्यादि के साथ पुलिस और सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण और उन्नयन, सम्मिलित है।

[हिन्दी]

मिश्रा समिति की रिपोर्ट

***132. श्री राजो सिंह** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोल इंडिया लि. के भ्रष्ट और बदनाम अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु गठित की गई मिश्रा समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) जी हां।

(ख) दिनांक 1.7.2001 की स्थिति के अनुसार, कोयला स्टॉक में कमी और उत्पादन के संबंध में बढाकर रिपोर्ट करने के लिए वैयक्तिक कोयला अधिकारियों के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही नीचे दी गई है :–

	बी.सी.सी.एल. से संबंधित आर. एन. मिश्रा समिति	सी.सी.एल.से संबंधित आर. एन. मिश्रा समिति	ई.सी.एल. से संबंधित आर.एन. मिश्रा समिति
उन मामलों की संख्या जिनमें दंड दिया गया	77	75	62
उन मामलों की संख्या जिनमें प्रशासनिक कार्रवाई की गई।	18	70	21
उन मामलों की संख्या, जिनमें अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने से पूर्व कोयला अधिकारियों की मृत्यु हो गई अथवा वे सेवानिवृत हो गए।	14	39	19
उन मामलों की संख्या, जिनमें ऐसी कोई अनियमितता नहीं पाई गई, जिसके लिए अनुशासनिक कार्यवाही की जाए।	–	26	–
उन मामलों की संख्या जिनमें आरोप–पत्र जारी करने के बाद अनुशासनिक कार्यवाही बंद कर दी गई।	28	2	102
उन मामलों की संख्या, जिनमें आरोप–पत्र प्राप्त अधिकारियों को आरोप मुक्त कर दिया गया।	123	30	34
उन मामलों की संख्या, जिनमें अनुशासन संबंधी मामले अभी भी लंबित हैं।	–	9	2
उन मामलों की कुल संख्या, जिन पर समिति की सिफारिशों के आधार पर संवीक्षा की गई।	260	251	240

महिला साक्षरता

***133. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राष्ट्रीय साक्षरता दर की तुलना में महिला साक्षरता दर बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) 1 जनवरी, 1991 और 1 जनवरी, 1999 की स्थिति के अनुसार, अलग–अलग, महिला साक्षरता दर और राष्ट्रीय साक्षरता दर कितनी–कितनी थी; और

(घ) देश में महिला साक्षरता दर में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) 2001 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर 54.16 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय साक्षरता दर 65.38 प्रतिशत है।

ऐतिहासिक दृष्टि से, कम महिला साक्षरता दर के पीछे निम्नलिखित कारण हैं .

- महिला–पुरुष आधारित असमानता
- सामाजिक भेदभाव
- गरीबी
- घरेलू कामकाज में बालिकाओं का लगा होना
- स्कूलों में बालिकाओं का कम दाखिला
- पढाई में बने रहने की निम्न दर तथा पढ़ाई बीच में छोडने की ऊची दर

1991 की जनगणना, नवम्बर, 2000 में प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (1998–99) तथा 2001 की जनगणना, जिन्हें नीचे दिया गया है, की तुलना करने से यह संकेत मिलता है कि महिला साक्षरता के मामले में उल्लेखनीय प्रगति हुई है :

	जनगणना	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण	जनगणना
	1991	1998–99	2001
व्यक्ति	52.2	63.1	65.38
पुरुष	64.13	74.5	75.85
महिला	39.3	51.4	54.16

इससे यह प्रदर्शित होता है कि :

साक्षरता दर 1991 के 52.2 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 65.38 प्रतिशत हो गई है। 13.17 प्रतिशत बिन्दुओं की यह वृद्धि आजादी के बाद किसी भी दशक में दर्ज की गई वृद्धि की तुलना में सबसे अधिक है।

पुरुष महिला साक्षरता दर में अंतर 1991 के 24.8 प्रतिशत बिन्दुओं से घटकर 2001 में 21.7 प्रतिशत बिन्दुओं हो गया।

महिला साक्षरता में 14.8 प्रतिशत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है अर्थात् यह 39.3 प्रतिशत से बढ़कर 54.16 प्रतिशत हो गई है जबकि पुरुष साक्षरता मे 11.7 प्रतिशत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है अर्थात् यह 64.1 प्रतिशत से बढकर 75.8 प्रतिशत हुई है।

देश में महिला साक्षरता में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(क) प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए जिला पर बल देते हुए मिशन रूप में चलाए जाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान नामक एक नई योजना शुरू की गई है। सर्व शिक्षा अभियान 2010 तक 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी और प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए है। इसके लक्ष्य निम्नवत् हैं:

2003 तक सभी बच्चे स्कूल, शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल, वापस स्कूल शिविर में हों।

2007 तक सभी बच्चे पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करें।

2010 तक सभी बच्चे आठ वर्ष की शिक्षा पूरी करें।

जीवन पर्यन्त शिक्षा को महत्व देते हुए संतोषप्रद गुणवत्ता की प्रारंभिक शिक्षा पर बल।

प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर 2007 तथा प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर 2010 तक सभी महिला–पुरुष भेदभाव और सामाजिक अंतराल को पाटना

2010 तक सभी बच्चों को शिक्षारत बनाए रखना।

सर्व शिक्षा अभियान में बालिकाओं की शिक्षा पर मुख्य बल दिया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान के सभी कार्यकलापों में महिलाओं को विशेष महत्व देते हुए उन्हें मुख्य धारा में लाने के प्रयास किए जाएंगे।

(ख) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उद्देश्य 2005 तक पूर्ण साक्षरता अर्थात् 75 प्रतिशत की पोषणक्षम प्रभावसीमा को प्राप्त करना है। यह मिशन 15–35 आयु वर्ग के निरक्षरों को कार्यसाधक साक्षरता प्रदान करके इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के बीच साक्षरता की बढोतरी करने का है। साक्षरता कार्यक्रमों में सीखने वालों में 60 प्रतिशत महिलाएं हैं तथा लगभग 60 प्रतिशत स्वयंसेवक भी महिलाएं तथा बालिकाएं हैं।

साक्षरता अभियानों के परिणामस्वरूप निम्नलिखित परिदृश्य सृजित हुआ है :

- सामाजिक जागरूकता में वृद्धि हुई है

– प्राथमिक शिक्षा के लिए मांग पैदा हुई है।

– स्कूल दाखिले मे वृद्धि हुई है।

– महिला–पुरुष समानता बढी है तथा महिलाओं का सशक्तीकरण हुआ है।

साक्षरता बढाने, साक्षरता के लिए जागरूकता और मांग सृजित करने की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1999 में प्रतिष्ठित नोमा साक्षरता पुरस्कार प्राप्त कर चुका है। अब यूनेस्को ने वर्ष 2001 के लिए महिला समाख्या कार्यक्रम को नोमा साक्षरता पुरस्कार का सम्मानीय उल्लेख देने का निर्णय लिया है। महिला समाख्या कार्यक्रम महिला समूहों में क्षमता का सृजन करता है तथा ग्रामीण क्षेत्रों खासकर सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित वर्गों की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में योगदान करता है।

[अनुवाद]

योजना बनाने और संसाधन जुटाने के तरीकों में परिवर्तन

***134. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :**

श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का शहरीकरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों संबंधी योजना बनाने और संसाधन जुटाने के तरीकों में आवश्यक परिवर्तन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का सतत् विकास की दिशा में उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सुधारोमुखी कार्य–सूची (एजेंडा) भी तैयार करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शहरी स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या यह सच है कि शहरी क्षेत्रों में 32 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो गरीबी के उन्मूलन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) संविधान 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 ने नगर पालिकाओं को शहरी प्रशासन के लिए स्वशासन संस्थाओं के रूप में संवैधानिक मान्यता देकर शासन प्रणाली में एक तृतीय स्तर शामिल किया है। संविधान 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 के अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के तहत किसी राज्य की विधायिका कानून द्वारा नगर पालिकाओं को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार सौंप सकती हैं जो स्वशासन संस्था के रूप उनके कार्य करने के लिए आवश्यक हों तथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने के बारे में ऐसी शर्तों पर, जो उसमें विनिर्दिष्ट हों, ऐसे कानून में नगर पालिकाओं को शक्तियों और दायित्वों के प्रत्यायोजन के प्रावधान रखे जा सकते हैं। 74वें संशोधन के अनुच्छेद 243 जेड डी और 243 जेड ई में प्रत्येक मेट्रोपोलिटन क्षेत्र के लिए क्रमशः जिला योजना समिति और मेट्रोपोलिटन योजना समिति के गठन की व्यवस्था है।

संविधान की VIIवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची–II की प्रविष्टि 5 के अनुसार नगर निगमों, इम्प्रुवमेंट ट्रस्टों आदि सहित स्थानीय शासन राज्य का विषय है। इसे देखते हुए शहरीकरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए योजना बनाने और संसाधन जुटाने के तरीकों में अपेक्षित परिवर्तन करने तथा शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए भी आवश्यक कदम राज्य सरकारों को उठाने हैं। (संविधान 74वें संशोधन) अधिनियम, 1992 में शहरी स्थानीय निकायों को पर्याप्त कार्यात्मक और वित्तीय शक्तियों के अन्तरण की पहले से व्यवस्था है ताकि वे स्थानीय स्व शासन की प्रभावी संस्था के रूप में कार्य कर सकें। सभी राज्य सरकारों ने शहरी स्थानीय निकायों को कार्यात्मक और वित्तीय शक्तियों के अन्तरण के लिए संबंधित म्यूनिसिपल कानूनों में आवश्यक परिवर्तन किए हैं। राज्य सरकारों द्वारा गठित अनेक राज्य वित्त आयोगों ने शहरी स्थानीय निकायों को पर्याप्त वित्त हस्तातरण करने और मौजूदा कर ढांचे में कुछ परिवर्तन करने की भी सिफारिशें की हैं।

शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :–

1. संपत्ति कर सुधार

संपत्ति कर के सरलीकरण और उसे युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से इस मंत्रालय द्वारा 1998 में सभी राज्य सरकारों को संपत्ति कर सुधारों के दिशानिर्देश जारी किए गए थे। ये उपाय अनेक राज्यों अर्थात् बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में कार्यान्वयन प्रक्रिया में है।

2. कर और प्रयोक्ता प्रभार लगाना

सैंट्रल काउंसिल आफ लोकल गवर्नमैन्ट एण्ड अर्बन डेवलपमेंट द्वारा 18.5.99 को अनेक मुद्दों के साथ–साथ प्रयोक्ता प्रभार और

कर लगाने के मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया था। नगरपालिका राजस्व में करों और प्रयोक्ता प्रभारों के महत्व को देखते हुए परिषद ने सिफारिश की है कि :–

(i) राज्य सरकार कर दरें, प्रयोक्ता प्रभार आदि निर्धारित करने में शहरी स्थानीय निकायों को ज्यादा स्वायत्ता दे।

(ii) कर दरों और प्रयोक्ता प्रभारों में संशोधन कम से कम 3 वर्ष में एक बार आवधिक रूप से किया जाए।

3. शहरी अवस्थापना में निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय रियायत

शहरी अवस्थापना में ज्यादा निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्त अधिनियम, 2000 में अनेक वित्तीय रियायतों की व्यवस्था की गई थी।

4. नगरपालिका एकाउंटिंग सुधार

मौजूदा नगरपालिका एकाउंटिंग सुधारों में वित्तीय निष्पादन और शहरी स्थानीय निकायों की स्थिति को सूचीबद्ध करने के लिए पर्याप्त सूचना की व्यवस्था नहीं है। इसलिए 'डबल एन्ट्री एक्रुअल बेस्ड सिस्टम' शुरू करने की जरूरत महसूस की गई ताकि जांच व संतुलन के साथ विश्वसनीय विस्तृत वित्तीय विवरण तैयार किए जा सकें। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा एकाउंटिंग और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट आफ इंडिया (आईसीएआई) ने अक्टूबर 2000 में तकनीकी दिशानिर्देश जारी किए। चूंकि सभी शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं का उचित रखरखाव और उनके ऑडिट पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड ए जी) को सौंपी गई है जोकि ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में है, इसलिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा तैयार तकनीकी दिशानिर्देशों के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अनुमोदन के लिए अग्रेषित किया गया है। उसके पश्चात् उन्हें सभी शहरी स्थानीय निकायों को परिचालित किया जायेगा।

5. करमुक्त म्युनिसिपल बांड

केन्द्र सरकार ने आय कर अधिनियम 1961 में एक नई उप धारा 10(15) vii जोडी है जिसमें यह व्यवस्था है कि स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी और सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट बाण्डों पर ब्याज के रूप में होने वाली कोई भी आय आयकर से मुक्त होगी। कर–मुक्त म्युनिसिपल बांडों के निर्गम के विनियमन के लिए दिशानिर्देश 8.2.2001 को जारी किए गए थे।

6. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

निर्माण क्षेत्र में ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सरकार की नीतिगत घोषणा 2000 के अनुसार शहरी अवस्थापना सुविधाएं, क्षेत्र विशिष्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार एफआईपीबी और आटोमैटिक रूट, दोनों, के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए खुली हैं।

(घ) और (ङ) योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार वर्ष 1993–94 में शहरी क्षेत्रों में 32.36% लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे थे।

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय, "स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)" नामक केन्द्र प्रवर्तित एक शहरी गरीबी उपशमन स्कीम, 1.12.1997 से राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के जरिए कार्यान्वित कर रहा है। इसके द्वारा शहरी बेरोजगारों अथवा अल्प रोजगार प्राप्त गरीबों को (i) 9वीं कक्षा तक शिक्षित लोगों को स्वरोजगार उद्यम लगाने के लिए प्रोत्साहित करके और (ii) सामाजिक और आर्थिक रूप से उपयोगी सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण में मजदूरी रोजगार के प्रावधान के जरिए लाभप्रद रोजगार मुहैया किया जा रहा है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का वित्त पोषण केन्द्र और राज्यों के बीच 75 : 25 आधार पर होता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1.12.1997 से 31.3.2001 तक राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को 461 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत 344186 व्यक्तियों को अपने लघु उद्यम लगाने के लिए सहायता दी गई है और शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत भी 379.33 लाख मानव श्रम दिवस सृजित किए गए हैं।

[हिन्दी]

सीमा विवाद

***135. श्री गिरधारी लाल भार्गव :**

श्री प्रकाश वी. पाटील :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों की सीमा के संबंध में कोई विवाद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन विवादों को हल करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इन विवादों को, विवादवार और विशेषतौर पर कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच विवाद के मद्देनजर अब तक किस सीमा तक हल किया जा सका है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) भारत सरकार को दिल्ली और राजस्थान से संबंधित कोई भी विवाद सूचित नहीं किया गया है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद, कर्नाटक में मराठी भाषी क्षेत्रों को महाराष्ट्र में हस्तांतरित करने के बारे में महाराष्ट्र के दावे और महाराष्ट्र में कन्नड भाषी क्षेत्रों को कर्नाटक में हस्तांतरित करने के बारे में कर्नाटक के दावों से संबंधित है। उडीसा राज्य का आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा विवाद है। कर्नाटक और केरल के बीच कसारागोड ताल्लुक के उपर सीमा विवाद है। पंजाब और हरियाणा के बीच चंडीगढ को पंजाब को हस्तांतरित करने और पंजाब से कुछ हिन्दी भाषी क्षेत्रों को हरियाणा को हस्तांतरित करने के बारे में सीमा विवाद है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(i) उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा विवाद को हल करने की दृष्टि से, बिहार–उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1968 अधिनियम किया गया था।

(ii) हरियाणा–उत्तर प्रदेश विवाद को हल करने के लिए हरियाणा–उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1979 अधिनियमित किया गया।

(iii) चंडीगढ़ के बदले में हरियाणा को जाने वाले पंजाब के क्षेत्रों को निर्धारित करने के लिए अब तक तीन आयोग नियुक्त किए जा चुके हैं।

(iv) केन्द्र सरकार ने, महाराष्ट्र–कर्नाटक सीमा विवाद को हल करने के लिए अक्तूबर, 1966 में महाजन आयोग की स्थापना की, लेकिन पंचाट को स्वीकार करने के बारे में राज्यों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है।

(v) उड़ीसा की राज्य सरकार ने अपने पडोसी राज्यों के साथ सीमा विवादों को हल करने के लिए केन्द्रीय हस्तक्षेप की मांग नहीं की है।

जबकि हरियाणा–उत्तर प्रदेश और बिहार–उत्तर प्रदेश के बीच सीमा विवाद हल कर लिए गए हैं, अन्य के संबंध में यथापूर्व स्थिति बनी हुई है। केन्द्र सरकार ने इन विवादों को हल करने के लिए, समय–समय पर, प्रयास किए हैं, लेकिन हल तभी संभव है जबकि अपनाए जाने वाले सिद्धांतों तौर तरीकों के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों के बीच सहमति हो।

[अनुवाद]

भुखमरी प्रवण आदिवासी क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना

***136. श्री चिंतामन वनगा** : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भुखमरी प्रवण आदिवासी क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इसके लिए कितनी राशि आबंटित की गई और जारी की गई;

(ग) क्या सरकार ने भुखमरी प्रवण आदिवासी क्षेत्रों की पहचान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) से (घ) पोषण संबंधी मानकों में गिरावट के प्रति रक्षोपाय की व्यवस्था करने के द्वारा जनजातीय लोगों की मृत्यु के विरुद्ध निवारक उपायों के लिए केन्द्रीय योजना समिति (सी पी सी) द्वारा पहचान किए गए क्षेत्रों में से चुने गए क्षेत्रों में 1996–97 के दौरान जनजातीय ग्रामों में अन्न बैंकों की स्थापना के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना आरंभ की गई।

इस योजना में व्यवस्था है कि पहचान किए गए क्षेत्रों में ग्रामवासी गांव में एक समिति बना सकते हैं और अन्न बैंक की स्थापना कर सकते हैं। भारत सरकार प्रति परिवार स्थानीय रूप से उपभोग किए जाने वाले खाद्यान्न के 100 किलोग्राम की दर से अन्न बैंकों की स्थापना करने के लिए 100 प्रतिशत एकमुश्त अनुदान प्रदान करती है। इस बैंक से सदस्य जरूरत के समय ऋण ले सकते हैं और फसल के बाद वस्तु (अन्न) से या मजदूरी के रूप में आय प्राप्त करके उसे वापस लौटा सकते हैं।

इस योजना के अंतर्गत 1998–99 से 2000–01 के दौरान किए गए आबंटन क्रमशः 3.00 करोड़ रुपये, 4.00 करोड़ रुपये तथा 2.00 करोड़ रुपये हैं। राज्यों से पूर्ण प्रस्ताव तथा पहले निर्मुक्त अनुदान के लिए उपयोग प्रमाणपत्रों के साथ प्राप्त होने पर ट्राइफेड द्वारा निधियां निर्मुक्त की जाती हैं। ट्राइफेड द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा निम्नलिखित है :–

(रु. लाख में)

राज्य	1998–99	1999–2000	2000–2001
आंध्र प्रदेश	–	–	11.66
गुजरात	14.72	–	100.00
उड़ीसा	–	100.00	184.96
त्रिपुरा	–	–	18.11

केन्द्रीय योजना समिति ने 13 राज्यों में 52 जिलों के 370 ब्लाकों की पहचान की है। तथापि, यह सूची निर्देशात्मक है और

राज्य सरकारें यदि आवश्यक समझा जाता है तो इन क्षेत्रों से बाहर के गांवों/ब्लाकों का चयन कर सकती हैं।

प्रतिधारण मूल्य निर्धारण प्रणाली

*137. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में यूरिया इकाइयों के लिए समूह–वार प्रतिधारण मूल्य निर्धारण प्रणाली शुरू करने हेतु किसी योजना को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो एकक–वार प्रतिधारण मूल्य निर्धारण प्रणाली की वर्तमान व्यवस्था को कब तक बदले जाने की संभावना है;

(ग) नई व्यवस्था से यूरिया के मूल्यों में किस सीमा तक वृद्धि होने की संभावना है;

(घ) प्रतिधारण मूल्य निर्धारण प्रणाली की नई व्यवस्था के उद्देश्यों का समूहवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा प्रणाली में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (च) व्यय सुधार आयोग (ईआरसी) ने "उर्वरक सब्सिडी का यौक्तिकरण" शीर्षक से अपनी रिपोर्ट सरकार को सितम्बर 2000 में प्रस्तुत की है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यूरिया एककों को फीडस्टाक और पुरानेपन के आधार पर 5 वर्गों में बांटने तथा प्रत्येक वर्ग के लिए रियायत की एक समान दर निर्धारित करने के पश्चात् मौजूदा प्रतिधारण मूल्य सह–सब्सिडी योजना के स्थान पर वर्ग आधारित रियायत योजना लागू करने की सिफारिश की गयी है। सरकार ईआरसी की सिफारिशों की जांच कर रही है ताकि यूरिया एककों के लिए नयी मूल्य निर्धारण नीति तैयार की जा सके जिसका उद्देश्य यूरिया निर्माताओं को सब्सिडी के भुगतान में समानता और पारदर्शिता लाना तथा उन्हें अपनी स्वयं की ओर से लागत कटौती उपाय लागू करने के लिए प्रेरित करना और प्रतिस्पर्धी बनाना होगा।

जहां तक नयी पद्धति से यूरिया के मूल्य में होने वाली सम्भावित वृद्धि का संबंध है, यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के तहत ही निर्धारित किया जाता रहेगा। सरकार यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित करते समय राजकोषीय स्थिरता जैसे तथ्यों और संतुलित पोषक उपयोग की आवश्यकता को सरकार ध्यान में रखती है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित राशि का उपयोग

*138. **श्री रामदास आठवले** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में, विशेष तौर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों और पिछडे क्षेत्रो के लिए केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सी. आर.एस.पी.) के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए आबंटित की गई और उपयोग में लाई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस कार्यक्रम को उपर्युक्त क्षेत्रों में और अधिक प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार को उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई धनराशि के दुर्विनियोग के संबंध में जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है या की जा रही है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सी.आर.एस.पी.) के अंतर्गत आबंटित तथा उपयोग में ली गई निधियों के राज्य वार ब्यौरे महाराष्ट्र सहित संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं। सी.आर.एस.पी. के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से कोई निधियां आबंटित नहीं की जाती हैं। तथापि, सी. आर. एस. पी. के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश जारी किए गए हैं कि केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत अलग–अलग परिवारों के शौचालयों के निर्माण के लिए निर्धारित कुल निधियों में से कम से कम 25 प्रतिशत अनु. जातियों/अनु. जनजातियों के लिए निर्धारित की जाए। इसके अलावा, 1 अप्रैल 1999 से सी. आर. एस. पी. को पुनर्गठित किया जा चुका है तथा अभिज्ञात जिलों में सपूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजनाएं परियोजना मोड में शुरू की गई हैं। इन परियोजनाओं के राज्य वार ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं। महाराष्ट्र में 140.53 करोड़ रुपये की राशि से अमरावती, धुले, नांदेड, रायगढ़, चंद्रपुर, रत्नागिरी, यवतमाल, सांगली और औरंगाबाद जिलों में 9 संपूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गयी है। इन राज्यों के लिए केन्द्रीय सहायता के 23.1 करोड़ रुपये की पहली किस्त पहले ही रिलीज कर दी गई है।

(ख) विगत में कार्यक्रम के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल 1999 से केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सी.आर.एस.पी.) को पुनर्गठित किया गया था। पुनर्गठित केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम गरीबी मानदंड पर मुख्य रूप से आधारित राज्य वार आबंटनों के सिद्धांत से हटकर 'मांग जनित" प्रणाली में बदल जाता है। राज्यों को पता लगाए गए प्रायोगिक जिलों में संपूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजनाएं तैयार करने की जरूरत हैं। इस कार्यक्रम को समुदाय आधारित और जन–केन्द्रित कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित किया गया है। जन जागरूकता निर्माण पर और अधिक जोर देने और वैकल्पिक सुपुर्दगी तंत्रों से मांग को पूरा करने के साथ एक मांग जनित प्रणाली अपनाई जाती है। ग्रामीण लोगो द्वारा स्वच्छता को व्यापक रूप से अपनाएं जाने के लिए ग्रामीण विद्यालय स्वच्छता को एक प्रमुख घटक और प्रवेश बिंदु के रूप में शुरू किया गया है।

(ग) और (घ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत निधियों के दुरुपयोग का कोई भी विशेष मामला ग्रामीण विकास मंत्रालय के ध्यान में नहीं लाया गया है।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों के दौरान आबंटित तथा उपयोग में ली गई निधियों के राज्य–वार ब्यौरे

(लाख रुपए में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998–99		1999–2000		2000–2001*	
	आबंटन	खर्च	आबंटन	खर्च	आबंटन	खर्च
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	642.12	2928.50*	570.77	301.38	203.67	201.76
अरुणाचल प्रदेश	45.00	4.49	30.00	8.65	11.50	0.49
असम	559.00	4.50	792.82	5.00	303.95	35.00
बिहार	564.42	66.53	1585.89	185.98	423.42	0.00
छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	93.93	0.00
गोवा	9.36	0.00	6.48	0.00	2.31	0.00
गुजरात	200.00	610.61	250.00	12.21	126.79	112.49
हरियाणा	104.84	71.63	179.05	6.87	63.87	2.32
हिमाचल प्रदेश	101.09	154.13	70.56	35.28	25.17	12.58
जम्मू एवं कश्मीर	140.40	28.05	87.86	0.00	31.34	0.00
झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	142.18	0.00
कर्नाटक	520.43	769.36	461.14	461.14	164.51	164.51
केरल	400.62	673.96	298.28	275.03	106.41	53.20
मध्य प्रदेश	750.69	519.72	876.21	407.23	218.61	10.81
महाराष्ट्र	821.83	3209.46	804.89	724.40	287.11	143.55
मणिपुर	65.00	31.14	52.98	15.43	20.31	14.28
मेघालय	70.00	8.33	57.48	19.91	22.04	8.11

1	2	3	4	5	6	7
मिजोरम	30.00	20.99	14.79	1.00	5.67	0.89
नागालैंड	48.00	0.00	39.84	0.00	15.27	0.00
उडीसा	451.17	13.88	527.98	6.00	188.31	3.64
पंजाब	106.71	37.11	155.13	0.00	55.36	0.00
राजस्थान	387.52	187.28	478.23	0.00	170.61	189.80
सिक्किम	40.00	25.00	14.70	25.07	5.64	9.50
तमिलनाडु	679.56	571.73	567.17	433.82	202.33	203.25
त्रिपुरा	120.00	32.67	92.92	0.00	35.63	0.00
उत्तर प्रदेश	1594.99	1700.00	1962.33	663.49	667.51	405.47
उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	32.43	0.00
पं. बंगाल	304.21	81.36	852.60	342.25	304.12	142.28
अ. नि. द्वीपसमूह	5.00	0.09	5.00	0.32	4.88	0.00
दा. ना. हवेली	5.00	0.26	5.00	0.08	3.88	0.05
दमन व दीव	5.00	0.19	5.00	0.00	0.77	0.00
दिल्ली	5.00	0.00	5.00	0.00	2.31	0.00
लक्षद्वीप	5.00	0.32	5.00	2.53	0.48	0.00
पांडिचेरी	5.00	4.26	5.00	2.15	2.68	0.21
चंडीगढ़	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

* अनंतिम

विवरण-II

1.4.99 से अब तक संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत आबंटित/मंजूर की गई परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटित परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत कुल परियोजना लागत	रिलीज की गई पहली किस्त (केन्द्रीय अंश का 30%)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	10	10	154.43	18.14
2.	अरुणाचल प्रदेश	4	2	4.95	0.99
3.	असम	11	3	6.60	1.33

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	11	7	140.05	11.24
5.	छत्तीसगढ	3	1	11.48	0
6.	गोवा	1	0	0	0
7.	गुजरात	5	3	18.2	3.59
8.	हरियाणा	2	2	15.31	2.14
9.	हिमाचल प्रदेश	1	1	1.33	0.27
10.	जम्मू एवं कश्मीर	2	2	6.11	1.22
11.	झारखंड	4	2	25.00	4.99
12.	कर्नाटक	6	3	27.54	5.36
13.	केरल	4	2	20.07	3.08
14.	गध्य प्रदेश	7	5	39.01	7.73
15.	महाराष्ट्र	9	9	140.53	23.1
16.	मणिपुर	2	1	3.15	0.48
17.	मेघालय	2	0	0	0
18.	मिजोरम	2	0	0	0
19.	नागालैंड	3	3	5.89	1.18
20.	उडीसा	5	3	61.44	12.14
21.	पंजाब	3	2	8.53	1.68
22.	राजस्थान	6	5	82.18	16.19
23.	सिक्किम	2	2	0.99	0.18
24.	तमिलनाडु	7	7	75.97	13.45
25.	त्रिपुरा	4	1	12.94	2.54
26.	उत्तर प्रदेश	19	12	98.87	18.21
27.	उत्तरांचल	1	0	0	0
28.	पं. बंगाल	9	8	141.54	22.27
29.	अ. नि. द्वीपसमूह	1	0	0	0
30.	दा. ना. हवेली	1	0	0	0
31.	दमन व दीव	1	0	0	0
32.	लक्षद्वीप	1	0	0	0
33.	पांडिचेरी	1	0	0	0

[अनुवाद]

बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा बल के जवानों की हत्या

***139. श्री रमेश चेन्नितला :**

श्री सुरेश रामराव जाधव

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांग्लादेश और भारत की सरकारों ने हाल में हुई सीमा सुरक्षा बल के जवानों की हत्या की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को जांच संबंधी रिपोर्ट प्राप्त हो गई हैं;

(ग) क्या इस संबंध में खुफिया एजेंसियों से गंभीर चुकें हुई हैं जिनके कारण यह हादसा हुआ है;

(घ) यदि हां, तो खुफिया तंत्र की गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ङ) इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृति रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, बांग्लादेश राईफल्स द्वारा सीमा सुरक्षा बल के 16 जवानों की हत्या की गई थी। बांग्लादेश सरकार ने भारत सरकार को सूचित किया है कि घटना के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पूर्ण जांच की जाएगी।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) बांग्लादेश सरकार ने जांच में हुई प्रगति अथवा सीमा सुरक्षा बल के जवानों की हत्या के लिए उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध की गई कार्रवाई की सूचना नहीं दी है।

(च) सीमा सुरक्षा बल को संपूर्ण भारत–बांग्लादेश सीमा पर उच्च चौकसी बरतने के निवेश दिए गए हैं। फील्ड फार्मेशनों को मजबूत किया जा रहा है और उन्हें बेहतर संचार प्रणालियों के साथ और सुसज्जित किया जा रहा है।

मध्याह्न भोजन योजना

***140. श्री राम प्रसाद सिंह :**

श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनीसेफ के साथ मिलकर 'आपरेशन रिसर्च ग्रुप' ने राज्यों में मध्याह्न भोजन योजना की सफलता का आकलन करने हेतु सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हा, तो क्या उक्त ग्रुप ने यह पाया कि राज्यों में इस योजना को उद्देश्य के अनुरूप कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) कितने राज्यों में इस योजना के क्रियान्वयन का निष्पादन बहुत खराब रहा है; और

(ङ) इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) प्राथमिक शिक्षा का राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (जिसे मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता है।) की क्षमता तथा प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए यूनिसेफ की वित्तीय सहायता से आपरेशन रिसर्च ग्रुप, नई दिल्ली नामक एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा मूल्यांकन अध्ययन किया गया था। यह अध्ययन असम, गुजरात, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उडीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में किया गया। इसकी रिपोर्ट सितम्बर, 1999 में प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट के निष्कर्षों से पता चलता है कि इस कार्यक्रम में असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बगाल राज्यों में नामाकन में वृद्धि हुई है तथा अन्य छह राज्यों में इस कार्यक्रम का बच्चों की उपस्थिति और उन्हें स्कूल में बनाए रखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

कार्यक्रम के उत्तरोत्तर सुधार के लिए, मूल्यांकन रिपोर्ट में कई मुद्दे उठाए गए हैं जिनमें पर्याप्त कर्मचारियों से युक्त एक पृथक सैल की आवश्यकता, कार्यक्रम के कार्यान्वयन में संलग्न एजेंसियों में समन्वय की कमी, नामांकन आंकडों के अनुरूप खाद्यान्नों का आबंटन, परिवहन प्रभारों की अदायगी की व्यवस्था को सुचारु बनाने की जरूरत, खाद्यान्न उठाने तथा उनके वितरण की आवधिक मानीटरिंग तथा मध्यावधि समीक्षा तथा पंचायती राज संस्थानों की अधिकाधिक सहभागिता आदि शामिल हैं। इन मुददों पर अनुवर्ती कार्रवाई पहले ही आरंभ की जा चुकी है।

(घ) और (ङ) जिन राज्यों में कम खाद्यान्न उठाए जा रहे हैं, वे है– अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू व कश्मीर, मेघालय और पंजाब। स्थिति में सुधार करने एवं इसके प्रभावी कार्यान्वयन

को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार ने इन राज्यों को कहा है।

विश्वविद्यालयों में रैगिंग

1287. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रैगिंग की बढती बुराई पर काबू पाने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कहा है कि वह अपने नियत्रणाधीन शैक्षिक संस्थाओं से इस बुराई को रोकने के लिए उन आवश्यक कदमों को सूचीबद्ध करने का अन्तिम अवसर दें;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने चूककर्ता विश्वविद्यालयों/शैक्षिक संस्थाओं से उनकी प्रतिक्रिया मांगी है;

(ग) यदि हां, तो उन शैक्षिक संस्थाओं की सूची क्या है जिन्होंने रैगिंग पर काबू पाने के संबंध में कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ऐसी शैक्षिक संस्थाओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचना दी है कि रैगिंग जैसी बुराई को रोकने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश सभी विश्वविद्यालयों को परिचालित कर दिये गये हैं। आयोग ने विश्वविद्यालयों से कहा है कि वे इस संबंध में की गई कार्यवाही से उसे अवगत करायें। इन निर्देशों का पालन नहीं करने का कोई मामला आयोग की जानकारी में नहीं आया है।

आवासों को खाली कराना

1288. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **मानव ससांधन विकास** मंत्री 22.8.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4547 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा शेष आवासों को खाली कराने के लिए क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है; और

(ख) सभी आवासों को सरकार को कब तक सौंप दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, सम्पदा निदेशालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के बीच हुई बैठक के आधार पर इस बात पर सहमति हुई थी कि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के कर्मचारी के सेवानिवृत्त होते ही उनके द्वारा अधिकृत क्वार्टर खाली करा लिये जाएंगे। ये क्वार्टर जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को फिर से आबंटित नहीं किए जाएगे। उपर्युक्त निर्णय के परिणामस्वरूप, विश्वविद्यालय ने क्वार्टर पहले ही खाली कर दिए हैं और निम्न ब्यौरे के अनुसार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंप दिया है:

टाइप	कुल क्वार्टर	सुपुर्द किए गए
टाइप–I	160	22
टाइप–II	40	8

विश्वविद्यालय उपरोक्त निर्णय का ठीक–ठीक पालन करता रहा है और क्वार्टर में रहने वाले विश्वविद्यालय के कर्मचारी जब विश्वविद्यालय से सेवा–निवृत्त हो जाते हैं, तो ये क्वार्टर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सुपुर्द कर दिये जाते हैं।

भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा रेल इस्पात की आपूर्ति

1289. श्री सुबोध मोहिते : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा रेलवे को घटिया गुणवत्ता की रेल इस्पात की आपूर्ति के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में तथ्यात्मक स्थिति क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने इसके कारण भिलाई इस्पात संयंत्र को अपने ऑर्डर में कटौती की है; और

(घ) यदि हां, तो भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों में रेलवे से रेल पटरियों के सतह संबंधी दोषों और सिरे की सीधाई से संबंधित तीन शिकायतें प्राप्त हुई थीं। रेल पटरी की गुणवत्ता के संबंध में शिकायत के सभी मामलों में एक संयुक्त समिति, जिसमें रेलवे की प्राधिकृत निरीक्षण एजेंसी, आर डी एस ओ (लखनऊ) और भिलाई इस्पात संयंत्र के तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं, शिकायत वाली रेल पटरियों का निरीक्षण करने के लिए परिसर का दौरा करती हैं। जो रेल पटरियां रेलवे को स्वीकार्य नहीं होती हैं उन्हें वापस ले लिया जाता है।

सेल के अनुसार गुणवत्ता संबंधी शिकायत के कारण रेलवे ने रेल पटरियों की आपूर्ति करने के अपने ऑर्डर में कमी नहीं की है।

वास्तव में, 2000–2001 के दौरान रेलवे को 411,881 टन रेल पटरियां आपूर्ति की गईं जो स्थापना के समय से अब तक की सर्वाधिक हैं।

(घ) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

निर्माण कार्यों में धीमापन

1290. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण क्षेत्र को अनेक प्रोत्साहनों के बावजूद शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों की धीमी गति की सरकार को जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

चंडीगढ़ प्रशासन में अनुकम्पा के आधार पर रोजगार

1291. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ प्रशासन में सेवा काल के दौरान कितने कर्मचारियों की मृत्यु हुई;

(ख) क्या प्रत्येक मामले में प्रशासन मृत व्यक्ति के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराती है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कितने आवेदकों को नौकरी उपलब्ध कराई गई और कितने आवेदन लम्बित पड़े हैं;

(घ) इनके लम्बित होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन आवेदनों को कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :

1998	1999	2000
93	97	86

(ख) जी हां, श्रीमान। सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के कारण आर्थिक तंगी में रह गए परिवारों के आश्रितों, को अनुकम्पा के आधार पर, उपयुक्त पदों पर नियुक्त किया जाता है, बशर्ते कि वे अन्य बातों के साथ–साथ सरकार द्वारा ऐसी नियुक्तियों हेतु निर्धारित सीलिंग के अधीन हों।

(ग) से (ङ) चंडीगढ़ प्रशासन ने प्रश्नगत अवधि के दौरान अनुकम्पा के आधार पर 84 व्यक्तियों (1995 के एक मामले समेत) की नियुक्त की थी। प्रशासन के पास लंबित आवेदनों की संख्या 164 बताई जाती है। क्योंकि अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां, सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 5 प्रतिशत की सीलिंग के अध्यधीन की जाती हैं, उन उम्मीदवारों के मामले, जिनके आवेदन लंबित हैं, पर तभी विचार किया जा सकता है जब कभी भी उपयुक्त रिक्तियां उपलब्ध हों।

[हिन्दी]

पेयजल आपूर्ति हेतु कार्य योजना

1292. श्री सुरेश चन्देल : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में जरूरतमंद लोगों को पेयजल की आपूर्ति के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने उन क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का कोई आकलन किया है जहां पेयजल आजादी के बाद से उपलब्ध नहीं कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) चूंकि जल आपूर्ति राज्य का विषय है, इसलिए राज्य योजना संसाधनों से जल आपूर्ति स्कीमों की योजना बनाना, निष्पादित करना, संचालित करना, रखरखाव करना आदि राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों की प्राथमिक, जिम्मेदारी है। 1991 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम आबादी वाले छोटे कस्बों में पेय जल मुहैया कराने में राज्य सरकारों के प्रयासों को आगे बढाने के लिए यह मंत्रालय एक केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा 50 : 50 के बराबरी के अंश के आधार पर धन मुहैया कराया जाता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन ने सूचित किया है कि भारत सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम और प्रधानमंत्री की ग्रामोदय योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता मुहैया कराकर ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति सुविधाएं

मुहैया कराने के लिए राज्यों के प्रयासों को आगे बढ़ाती है। व्यक्तिगत ग्रामीण पेय जल आपूर्ति स्कीमों की योजना, मंजूरी तथा कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को ग्रामीण पेय जल घटक शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आगे सूचित किया है कि भारत सरकार के शासन के राष्ट्रीय एजेंडा में वर्ष 2004 तक सभी ग्रामीण पर्यावासों को स्वच्छ पेय जल मुहैया कराने की परिकल्पना है। राज्य सरकारों द्वारा शासन के राष्ट्रीय एजेंडा के अनुरूप तैयार की गई कार्य योजना के अनुसार यह उद्देश्य प्राप्त किया जा सकेगा, बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

(ख) और (ग) विभिन्न राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर करीब 89 प्रतिशत शहरी आबादी को जल आपूर्ति सुविधाएं प्राप्त हैं (31.3.2000 की स्थिति अनुसार)। तथापि, कई शहरी क्षेत्रों में जल की गुणवत्ता और मात्रा मानदंडों के अनुसार नहीं है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन ने सूचित किया है कि देश में कुल 14,22,664 ग्रामीण पर्यावासों में से, राज्य सरकारों द्वारा दी गई नवीनतम सूचना के अनुसार 1.4.2001 की स्थिति अनुसार 19,969 पर्यावासों को अभी पेय जल आपूर्ति सुविधाएं मुहैया कराई जानी हैं। राज्य वार ब्यौरे सलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

विवरण-I

शहरी जल आपूर्ति और सफाई की स्थिति–भारत

30.3.2000 की स्थिति अनुसार जल आपूर्ति सुविधा प्राप्त शहरी आबादी की स्थिति

(आबादी '000 में अनुमानित)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	31.3.2000 की स्थिति के अनुसार अनुमानित आबादी	इसके जरिए जल आपूर्ति* प्राप्त आबादी			
			एचएससी	पीएसपी	कुल	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश–पीएचईडी	15738	6767	4008	10775	68
	आंध्र प्रदेश–एचएमडब्ल्यूएसएस बोर्ड	3500	2640	500	3140	90
	आंध्र प्रदेश – कुल	19238	9407	4508	13915	72
2.	अरुणाचल प्रदेश	231	117	25	142	61
3.	असम	3100	600	200	800	26
4.	बिहार **	11892	4187	5327	9514	80
5.	दिल्ली	13300	9560	3740	13300	100
6.	गोवा	557	439	118	557	100
7.	गुजरात **	16810	13227	3307	16534	98
8.	हरियाणा	3705	2108	402	2510	68
9.	हिमाचल प्रदेश**	546	328	218	546	100
10.	जम्मू और कश्मीर	1378	1240	50	1290	94

1	2	3	4	5	6	7
11.	कर्नाटक–यूडब्ल्यूएस एंड डी बोर्ड	11000	5720	2420	8140	74
	कर्नाटक – बीडब्ल्यूएसएस बोर्ड	5750	3525	1175	4700	82
	कर्नाटक – कुल	16750	9245	3595	12840	77
12.	केरल	7680	3260	2764	6024	78
13.	मध्य प्रदेश	25000	16200	8800	25000	100
14.	महाराष्ट्र–एमजेपी					
	महाराष्ट्र– एमएमसी					
	महाराष्ट्र–कुल **	34309	23744	10176	33920	99
15.	मणिपुर	969	481	176	657	68
16.	मेघालय	457	221	201	422	92
17.	मिजोरम	258	63	30	93	36
18.	नागालैंड	296	232	0	232	78
19.	उड़ीसा	4877	859	2221	3080	63
20.	पंजाब	8496	5212	317	5529	65
21.	राजस्थान	12897	10318	2579	12897	100
22.	सिक्किम **	195	95	25	120	62
23.	तमिलनाडु – टीडब्ल्यूएडी बोर्ड	19515	8107	8734	16841	86
	तमिलनाडु – सीएमडब्ल्यूएसएस बोर्ड	6010	5729	117	5846	97
	तमिलनाडु – कुल	25525	13836	8851	22687	89
24.	त्रिपुरा	553	136	327	463	84
25.	उत्तर प्रदेश	33000	16100	16500	32600	99
26.	पश्चिम बंगाल – सीएमडीए					
	पश्चिम बंगाल – पीएचईडी					
	पश्चिम बंगाल –कुल **	18495	6261	9505	15766	85
	राज्यों का योग	260514	147476	83962	231438	89
संघ राज्य क्षेत्र						
1.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	109	98	9	107	98
2.	चंडीगढ़	762	610	152	762	100

1	2	3	4	5	6	7
3.	दादर नागर हवेली	15	9	5	14	93
4.	दमन व दीव	47	6	1	7	15
5.	लक्षद्वीप	30	0	20	20	67
6.	पांडिचेरी	678	598	80	678	100
	संघ प्रदेशों का योग	1641	1321	267	1588	97
	सकल योग	262155	148797	84229	233026	89

अभ्युक्ति

एचएससी – गृह कनेक्शन

पीएसपी – सार्वजनिक नल (पब्लिक स्टैंड पोस्ट)

* केवल सुलभ है। भारत सरकार के निर्धारित मानदंडों के अनुसार जल आपूर्ति का पर्याप्त व समान वितरण नहीं है।

** आंकड़े 31-3-1997 तक के दर्शाए गए हैं क्योंकि संबंधित राज्यों ने 31-3-2001 की स्थिति की सूचना नहीं भेजी है।

विवरण-II

राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों से 20.7.2001 तक प्राप्त सूचना के अनुसार 1.4.2001 की स्थिति अनुसार शामिल नहीं किए गए पर्यावासों की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शामिल नहीं किए गए पर्यावास
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	403
3.	असम	801
4.	बिहार	2
5.	छत्तीसगढ़	402
6.	गोवा	11
7.	गुजरात	255
8.	हरियाणा	0
9.	हिमाचल प्रदेश	1593
10.	जम्मू व कश्मीर	2348
11.	झारखंड	497
12.	कर्नाटक	35
13.	केरल	805
14.	मध्य प्रदेश	127
15.	महाराष्ट्र	2256
16.	मणिपुर	28
17.	मेघालय	549
18.	मिजोरम	0
19.	नागालैंड	393
20.	उड़ीसा	34
21.	पजाब	1792
22.	राजस्थान	6908
23.	सिक्किम	0
24.	तमिलनाडु	0
25.	त्रिपुरा	287
26.	उत्तर प्रदेश	32
27.	उत्तरांचल	325
28.	प. बंगाल	0
29.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	0
30.	दादर नागर हवेली	46

1	2	3
31.	दमन और दीव	0
32.	दिल्ली	0
33.	लक्षद्वीप	0
34.	पांडिचेरी	40
35.	चंडीगढ़	0
	कुल	19969

[अनुवाद]

केरल में उच्च शिक्षा के उत्कृष्टता केन्द्र

1293. श्री टी. गोविन्दन :

श्री जी. एम. बनातवाला :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने हेतु परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं और इनके लिए मांगी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर क्या कार्रवाई की गई है और इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विश्व बाल सम्मेलन

1294. श्री बसुदेव आचार्य :

श्री अबुल हसनत खां :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1990 में कोपेनहेगेन में विश्व बाल सम्मेलन के अनुसार लगभग 147 बिलियन डालर बच्चों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए निवेश हेतु सृजित किए जाने थे लेकिन आर्थिक रूप से अधिक संपन्न राष्ट्रों का अंशदान 6 बिलियन डालर से भी कम रहा है;

(ख) यदि हां, तो इतने बड़े अंतर के क्या कारण हैं; और

(ग) इससे भारतीय बच्चे किस सीमा तक लाभान्वित हुए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी नहीं। 1990 में विश्व बाल शिखर सम्मेलन न्यूयार्क में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में बच्चों के लिए राशि इकट्ठा करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया था।

(ख) और (ग) उक्त 'क' को दृष्टिगत रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

लिग्नाइट पर रॉयल्टी दर

1295. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लिग्नाइट पर रायल्टी दरों को हाल ही में संशोधित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान संशोधित दरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) संशोधन से पूर्व लिग्नाइट पर प्रति टन रायल्टी दर का ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रत्येक लिग्नाइट उत्पादक राज्य को देय रायल्टी कितनी है और इनमें से प्रत्येक राज्य को अब तक कितनी रायल्टी अदा की गई है;

(ङ) लिग्नाइट का राज्य–वार वर्तमान भंडार और उत्पादन कितना है;

(च) पी.एल.एफ. और प्रति मेगावाट लागत सहित इनमें से प्रत्येक की अद्यतन वार्षिक खपत कितनी है;

(छ) क्या कोई विद्युत संयंत्र लिग्नाइट और कोयले के मिश्रण का प्रयोग करता है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (ग) जी, हां। दिनांक 15 मार्च, 2001 से लिग्नाइट पर रायल्टी की दर 2.50 पैसे प्रति टन से संशोधित कर 50 रुपये प्रति टन कर दी गई है।

(घ) तमिलनाडु भारत में प्रमुख लिग्नाइट उत्पादक राज्य है। दिनांक 27.6.1990 से 30.6.2001 तक नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा तमिलनाडु सरकार को भुगतान की गई रायल्टी की कुल राशि 69.60 करोड़ रुपये है।

(ङ) देश में राज्य–वार लिग्नाइट का अनुमानित भंडार और उत्पादन निम्नवत् है :–

(मिलियन टन में)

क्र.सं.	राज्य	अनुमानित लिग्नाइट भंडार	उत्पादन 2000–2001
1.	गुजरात	1870.47	2.819
2	जम्मू एवं कश्मीर	127.84	–
3.	केरल	108.30	–
4.	राजस्थान	2381.55	0.09
5.	तमिलनाडु	30274.85	18.17

(च) वर्ष 2000–2001 के लिए संयंत्र लोड कारक (पी.एल. एफ.) सहित नेयवेली तापीय विद्युत गृह के संबंध में लिग्नाइट की वार्षिक खपत इस प्रकार है:–

विद्युत गृह	लिग्नाइट खपत लाख टन में	संयंत्र लोड कारक प्रतिशत में
थर्मल पावर स्टेशन–I	59.99	79.09
थर्मल पावर स्टेशन–II	113.41	81.65

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के तापीय विद्युत गृह–I विस्तार के मामले में, प्रति मै.वा. लागत 3.79 करोड़ रुपये (3/1995 आधार) तथा 3.38 करोड़ रुपये (12/2000) है।

(छ) एनएलसी के विद्युत संयंत्र केवल विद्युत के उत्पादन के लिए लिग्नाइट का प्रयोग करते हैं और कोयले के साथ कोई मिश्रण नहीं किया जाता है।

(ज) उपर्युक्त भाग (छ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

मुम्बई में मलिन बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं

1296. श्री किरीट सोमैया : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुम्बई में केन्द्र सरकार की भूमि पर बसी मलिन बस्तियों में स्वच्छता, जल, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने वहां ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में लोगों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या केन्द्र सरकार का बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार और मुम्बई को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार की भूमि पर बसी मलिन बस्तियों में स्वच्छता, जल, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के बारे में कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है। स्लम–सुधार राज्य का विषय है।

(घ) और (ङ) मुम्बई में जन–सुविधाओं के अभाव के संबंध में आम जनता से सामान्य शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों पर राज्य सरकार द्वारा ध्यान दिया जाना है।

(च) और (छ) राष्ट्रीय स्लम सुधार कार्यक्रम (एन.एस.डी.पी) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र राज्य सहित सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को धनराशि मुहैया करायी जाती है न कि नगर–वार या कस्बा–वार आधार पर। धनराशियां अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) के रूप में स्लम क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं अर्थात स्वच्छता, पानी, स्ट्रीट लाइट, वर्षा–जल की निकासी, सामुदायिक शौचालय इत्यादि के प्रावधान के लिए होती है।

इस स्कीम का एक घटक आश्रय उन्नयन या नए आवासों का निर्माण (ई. डब्ल्यू. एस. सहित) जैसी आवश्यकता हो, भी है। इस सहायता के अंतर्गत राज्यों को किए गए आबंटन के कम से कम 10 प्रतिशत का उपयोग शहरी गरीबों के लिए आवासों के निर्माण तथा/या उन्नयन हेतु किया जाएगा।

मंत्रालय में रिक्त पद

1297. श्री अमर रायप्रधान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30.6.2001 की स्थिति के अनुसार उनके मंत्रालय/विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में श्रेणी–वार कितने पद रिक्त पड़े हैं और ये पद कब से रिक्त पड़े हैं;

(ख) इन पदों को खाली रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में रिक्त पदों की संख्या इस प्रकार है :

समूह 'क'	–	108
समूह 'ख'	–	94
समूह 'ग'	–	80
समूह 'घ'	–	48

ये पद सामान्यतया एक महीने से लेकर चार वर्ष की अवधि से रिक्त हैं। विगत दो वर्ष के दौरान सरकार ने स्थापना संबंधी व्यय में किफायत बरतने के संबंध में कई अनुदेश जारी किये हैं। इन अनुदेशों के अनुपालन में इस बात का पता लगाने के लिए प्रत्येक रिक्त पद की समीक्षा की जाती है कि क्या उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए, अथवा उसे बनाए रखा जाना चाहिए और उसे भरा जाना चाहिए। विभिन्न रिक्त पदों के संबंध में समीक्षा चयन अथवा नियुक्ति आदेश जारी करने की प्रक्रिया चल रही है।

बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के बारे में शिक्षा

1298. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 जुलाई, 2001 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'इंटेक्च्युअल प्रोपर्टी राइट्स कम्पेन स्टार्ट्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वैश्वीकरण के संदर्भ में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए कोई योजनाएं चलाई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस प्रयोजनार्थ राज्य–वार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय में इस समय निम्नलिखित दो योजनाएं हैं जिनका उद्देश्य बौद्धिक सम्पदा अधिकारों तथा कापीराइट मामलों के अध्ययन को प्रोत्साहित करना है:

(i) बौद्धिक सम्पदा अधिकार अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता योजना का उद्देश्य शैक्षिक समुदाय में बौद्धिक सम्पदा संबंधी मामलों के प्रति सामान्य जागरूकता कायम करने और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संबंधित विशेषता प्राप्त पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए विश्वविद्यालयों तथा अन्य मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा सस्थाओं में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के अध्ययन को प्रोत्साहित करना है।

(ii) कापीराइट मामलों पर सेमिनार तथा कार्यशाला आयोजन योजना में प्रवर्तन कार्मिकों के प्रशिक्षण और कापीराइट संबंधी विषयों के प्रति सार्वजनिक जागरूकता कायम करने की परिकल्पना की गई है।

(घ) मंत्रालय द्वारा सीधे ही पात्र आवेदकों को इन योजनाओ के तहत सहायता प्रदान की जाती है और कोई राज्य–वार आबंटन नहीं किया जाता है।

व्यय में मितव्ययता

1299. श्री रघुनाथ झा : क्या गृह मंत्री दिनांक 9.5.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6705 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजकोष का विवेकपूर्ण और मितव्ययता पूर्ण उपयोग के बारे में समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसका क्या परिणाम निकला ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) प्रधानमंत्री ने वित्तीय अनुशासन और मितव्ययिता बरतने संबंधी दिशानिर्देशों का ईमानदारी से अनुपालन करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए 15 अक्तूबर, 1998, 28 फरवरी, 2000 तथा 23 सितंबर, 2000 को केन्द्रीय मंत्री परिषद को संबोधित किया है। दिशानिर्देशों में, अन्य बातों के साथ–साथ, सरकारी कामकाज, सरकारी आतिथ्य और निवास पर आवास/कार्यालय को सुसज्जित करने में मितव्ययिता बरतने की बात कही गई हैं। दिशानिर्देशो में सरकारी कारों, टेलीफोन, मंत्री के कार्यालय में लगाए जाने वाले निजी स्टाफ के संबंध में निर्धारित पात्रताओं का पालन करने, विदेशों के दौरे करने में मितव्ययिता बरतने और उपर्युक्त किन्हीं भी कारणों से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से किसी भी प्रकार का आतिथ्य लाभ उठाने से दूर रहने पर भी जोर दिया गया है।

केन्द्रीय मंत्रियों ने प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण के प्रति समर्थन अभिव्यक्त करते हुए और अपने संबंधित मंत्रालयों/विभागों में वांछित उपायों को लागू करने हेतु आश्वासन देते हुए अनुकूल प्रतिक्रिया दिखाई है।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र

1300. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में वर्ष 2001–2002 की प्रथम तिमाही के दौरान इस्पात के उत्पादन में वर्ष 2000–2001 की इसी अवधि के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में बढोतरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस वर्ष इस्पात उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की किसी विस्तार योजनाओं को स्वीकृति दी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) (क) से (घ) जी, हां। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में उत्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(टन)

मद	प्रथम तिमाही 2001–02	प्रथम तिमाही 2001–02	प्रतिशत वृद्धि
द्रव इस्पात	6,19,028	5,87,545	5.4
विक्रेय इस्पात	6,21,823	5,33,715	16.5

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

वेश्याओं के शोषण में पुलिस की संलिप्तता

1301. श्री सईदुज्जमा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में जी. बी. रोड पर वेश्याओं के शोषण में दलालों और कोठा मालकिनों के साथ दिल्ली पुलिस भी संलिप्त रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन कृत्यों में संलिप्त पाए गए पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ग) दिल्ली पुलिस में किया गया एक आंतरिक मूल्यांकन इस मामले मे कुछ पुलिस कर्मियों विशेष की संभव मौन सहमति के बारे मे सकेत करता है। सच्चाई का पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक औपचारिक सतर्कता जांच के आदेश दिए हैं। इसी बीच संदिग्ध पुलिस कार्मिकों को निलम्बित कर दिया गया है और उन्हें जिला पुलिस लाइन में स्थानांतरित कर दिया गया है।

राजधानी में अवैध बंग्लादेशी प्रवासी

1302. श्री राम मोहन गाड्डे :

श्री शिवाजी माने :

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

श्री हरीभाऊ शंकर महाले :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि स्थानीय कानून व्यवस्था लागू करने वाले प्राधिकारी राजधानी में बंग्लादेशी प्रवासियों के अवैध प्रवेश रोकने में पूर्णतया विफल हो गए है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने हाल ही में जिला पुलिस प्रमुखों से अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रह रहे अवैध प्रवासी लोगों की जनसंख्या की नई सिरे से रूपरेखा तैयार करने और उनको निर्वासित करने के लिए कहा है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में जिले–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष आज तक जिले–वार कितने अवैध प्रवासी निर्वासित किए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा राजधानी में इन अवैध प्रवासियों के प्रवेश को रोकने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ग) दिल्ली पुलिस के कार्मिकों को निदेश दिए गए हैं कि वे अपने–अपने इलाकों में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करें और उनके विरुद्ध आवश्यक कामूनी कार्रवाई करें।

(घ) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) सरकार द्वारा अवैध प्रवासियों के प्रवेश को रोकने के लिए किए गए उपायों में, अन्य बातों के साथ–साथ, सीमा सड़कों का निर्माण एवं सीमा पर बाड लगाना, सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त बटालियनें खडी करना, सीमा चौकियों के बीच की दूरियों को कम करना, भूमि और नदी तटीय, दोनों, सीमाओं पर गश्त को गहन करना, सीमा–बुर्जों की संख्या में बढ़ोत्तरी करना, नाईट विजन

डिवाइसिस समेत निगरानी उपकरणों का प्रावधान इत्यादि शामिल हैं। इस मामले को, समय–समय पर, विभिन्न स्तरों पर पडोसी देशों के साथ भी उठाया गया है। अवैध रूप से ठहरे हुए विदेशियों का पता लगाने और उनके निर्वासन के लिए राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को स्थायी अनुदेश दिए गए हैं।

विवरण

जिला	वापिस भेजे गए अवैध बांग्लादेशियों की सख्या			
	1998	1999	2000	2001
पूर्वी	–	33	119	79
नई दिल्ली	–	–	–	–
उत्तर–पूर्वी	–	–	90	1
केन्द्रीय	2	–	8	–
उत्तरी	23	58	49	108
उत्तरी–पश्चिमी	–	–	6	2
दक्षिणी	18	5	47	–
दक्षिणी–पश्चिमी	–	–	4	–
पश्चिमी	–	–	83	–
इ.गा.अ. हवाई अड्डा	2	–	–	–
अपराध एवं रेलवे	10	–	–	–
एफ आर आर ओ	4	14	4	2
ऑप्रेशन	–	3	1	–
कुल	59	113	411	192

डाईअमोनिया फास्फेट का आयात

1303. श्रीमती कांति सिंह : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाई–अमोनिया–फास्फेट (डीएपी) के आयातकों को लाभ पहुंचाते हुए वर्ष 1999–2000 के दौरान डाई–अमोनिया–फास्फेट के आयात पर 375 करोड रुपये की राजसहायता दी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार की डाई–अमोनिया–फास्फेट के आयातकों को राजसहायता उपलब्ध कराने की एक नीति है और देश में इसका उत्पादन करने वालों के लिए दूसरी नीति है और इस विरोधाभास से उर्वरक क्षेत्र में घोटाले हो रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो आयातकों और घरेलू विनिर्माताओं के लिए राजसहायता में अन्तर का ब्यौरा क्या है; और

(ड) इसके परिणामस्वरूप आयातकों को मिले लाभ का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, नहीं। आयातित डीएपी तथा स्वदेशी डीएपी दोनो के लिए रियायत की दर का निर्धारण क्रमशः आयात लागत एव उत्पादन लागत को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसके अतिरिक्त रियायत का जारी होना राज्य सरकारों द्वारा बिक्री के प्रमाणन पर आधारित है। 1999–2000 के दौरान 32.68 लाख मी. टन आयातित डीएपी के लिए रियायत स्कीम के अंतर्गत लगभग 882 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है।

(ग) स्वदेशी एवं आयातित डीएपी दोनों के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) सरकार निर्धारित करती है। तथापि सरकार घरेलू उत्पादित डीएपी के पक्ष में अन्तरीय रियायत को जारी रख रही है क्योंकि इसे स्वदेशी कच्चे माल/मध्यवर्तियों की अनुपलब्धता के कारण कठिनाई का सामना करना पडता है। डीएपी के प्रति मी. टन के निर्माण के लिए आवश्यक आयातित अमोनिया एवं फास्फोरिक एसिड का अवतरण लागत सामान्यतः आयातित डीएपी के अवतरण लागत से ज्यादा होता है, इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग को पूंजी संबंधी शुल्कों सहित परिवर्तन लागत खर्च करनी पड़ेगी। अतः अन्तर मुख्यतः इस कारण से उत्पन्न होता है कि कच्चे मालों, मध्यवर्तियों एवं तैयार मालों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में संबंधित मांग–आपूर्ति संतुलन द्वारा शासित होते हैं और अन्तः संबद्ध या लागत आधारित नहीं होते हैं।

(घ) 1999–2000 के दौरान क्रमशः स्वदेशी एव आयातित डीएपी के लिए निम्नांकित रियायत दरों का भुगतान किया गया था:

(रुपये/मी. टन)

अवधि	स्वदेशी डीएपी	आयातित डीएपी
प्रथम तिमाही	4150	3050
द्वितीय तिमाही	4250	3200
तृतीय तिमाही	4300	3200
चतुर्थ तिमाही	4550	3250
(1.1.2000 से 28.2.2000)	3900	1050*
(29.2.2001 से 31.3.2000)		

* चतुर्थ तिमाही में (29-2-2000–31-3-2000 की अवधि के लिए) रियायत की दर में कमी 28-2-2000 से एमआरपी मे वृद्धि के परिणामस्वरूप हुई थी।

(ङ) चूंकि इस अवधि के दौरान आयातित डीएपी के लिए रियायत की दरें स्वदेशी डीएपी से कम थी, इसलिए इस कारण से आयातको को लाभ नही हुआ है।

भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाना

1304. श्री के. येरननायडू :

श्रीमती श्यामा सिंह :

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री एन. जर्नादन रेड्डी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में जम्मू क्षेत्र में पाकिस्तान से लगी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर कंटीली बाड़ लगाने की योजना स्थगित कर दी है जैसाकि दिनांक 15 मई, 2001 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीमा पर कंटीली बाड़ लगाने के कार्य में लगे कुछ काममारों को पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा जान से मार दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा उन कामगारों के परिवारो को कितना मुआवजा दिया गया है जो पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा मारे गए हैं; और

(च) कंटीली बाड लगाने के कार्य को कब तक पुन: शुरू किए जाने और पूरा किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (च) जी नहीं, श्रीमान्। जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किए जा रहे बाड़ लगाने के कार्य में पाकिस्तान की तरफ से बाधा और क्षति पहुंचाने के प्रयासों के बावजूद, निर्माण कार्य चल रहा है और मार्च, 2003 तक पूरा हो जाने की आशा है। सीमा पार से गोलीबारी की घटनाओं में सात सीमा सुरक्षा बल कर्मी गोलियों से जख्मी हुए हैं। इन कर्मियों को मुआवजा दिया जाएगा जिसके वे हकदार हैं।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो

1305. श्री के. ई. कृष्णमर्ति : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का नियंत्रण वित्त मंत्रालय से लेकर गृह मंत्रालय को देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या गृह मत्रालय के पास ब्यूरो पर मात्र प्रशासनिक नियंत्रण करने की इच्छा रखने की बजाय स्वापक औषधों से निपटने की भी कोई युक्ति है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (घ) राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार पर मत्रियों के ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और इससे संबंधित कार्यालय, जो कि इस समय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है, को गृह मंत्रालय के अधीन रखा जाए। सरकार ने इस सिफारिश को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। दवाओं के अवैध व्यापारियों के आतंकवादियों एवं कुछ विदेशी आसूचना एजेंसियों के साथ बढते संबंधों को देखते हुए, आतंकवाद और स्वापक नियंत्रण के संबंध में कार्रवाई करने वाली आसूचना एजेंसियों के बीच गहन तालमेल की आवश्यकता है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एवं इससे संबंधित कार्यालयों को गृह मंत्रालय के अधीन कर देने से इस संबंध में बेहतर समन्वय बनाने में सुविधा होगी।

म्यांमार के नजरबंद कैदी

1306. श्री माधवराव सिंधिया :

श्री सुशील कुमार शिंदे :

श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या गृह मत्री यह बताने की कृपा करेग कि

(क) क्या 11 फरवरी, 1998 को तथाकथित 'आपरेशन लीज' के दौरान हिरासत में लिए गए म्यांमार के 36 कैदियों को बिना किसी मुकदमें के पोर्ट ब्लेयर में नजरबंद रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उनके विरुद्ध क्या आरोप हैं; और

(घ) उन पर शीघ्र मुकदमा चलाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (घ) भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं, विदेशियों विषयक अधिनियम की धारा 14, शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए छत्तीस म्यांमार के लोग (अराकंस), जिनके मामलों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो कर रही है, 23.10.1999 से न्यायालय से

जमानत पर हैं। उन्हें नज़रबंद नहीं किया गया है बल्कि उनकी गतिविधियां पोर्ट ब्लेयर की नगरपालिका सीमाओं तक प्रतिबंधित की गई हैं।

विषैले रसायनों पर प्रतिबंध

1307. श्री हन्नान मोल्लाह :

श्री बसुदेव आचार्य :

श्री अबुल हसनत खां :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक देशों ने 'दी डर्टी डजन' के नाम से मशहूर बारह अत्यधिक विषैले रसायनों, जो मानव और पशुओं में जन्म दोष, कैंसर और अन्य समस्याओं के जनक हैं; पर प्रतिबंध लगाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) क्या इस सूची में कुछ नए रसायनों को जोडा गया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में ऐसे पेस्टनाशियों/रसायनों पर प्रतिबंध लगाने हेतु क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी हां। मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के उपायों के माध्यम से सुरक्षा करने तथा बारह पी ओ पी के उत्सर्जन और स्राव को समाप्त करने के लिए हाल ही में सतत् कार्बनिक प्रदूषणकारी तत्वों (पी ओ पी) विषयक स्टॉकहोम अभिसमय नामक अंतर्राष्ट्रीय रूप में बाध्यकर एक दस्तावेज को अंगीकार किया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 93 देशों और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठनों ने इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारत ने इस अभिसमय को अंगीकार कर लिया है और अन्तिम अधिनियम पर 23 मई 2001 को हस्ताक्षर कर दिए हैं। सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

12 पी ओ पी रसायनों में से 6 रसायन (एल्ड्रीन, क्लोरडेन, एन्ड्रीन, हेप्टाक्लोर टॉक्साप्रीन, हेक्साक्लोरोबेन्जीन) पर प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि दो रसायन (डी.डी.टी. और डायएल्ड्रीन) परिसीमित प्रयोग में हैं। मायरेक्स नामक पेस्टिसाइड भारत में पंजीकृत नहीं है। पॉलीक्लोरिनेटेड बायफिनायल का हमारे देश में उत्पादन नहीं होता है। डायोक्सिन्स और फ्यूरॉन अभीष्ट उप–उत्पाद नहीं है।

आनुवंशिक रूप से तैयार खाद्य पदार्थ का अवैध प्रवेश

1308. श्री अजय चक्रवर्ती :

श्री सुरेश सम्भाव जाधव :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ग्रीन पीस कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि आनुवंशिक रूप से तैयार खाद्य पदार्थ का देश में अवैध रूप से प्रवेश हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति की स्वीकृति के बिना आनुवंशिक खाद्य पदार्थों के देश में प्रवेश की अनुमति देने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कानून के ऐसे कथित उल्लंघन की कोई जाच की गई है/की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा आनुवंशिक रूप से तैयार पदार्थों के उपयोग और बिक्री रोकने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत 'बचदा') : (क) से (ङ) यद्यपि कुछ कार्यकर्ता आनुवंशिक रूप से तैयार खाद्य पदार्थ के देश में अनधिकृत प्रवेश के आरोप लगा रहे हैं, परन्तु भारत सरकार ने अभी तक देश में किसी भी आनुवंशिक रूप से तैयार खाद्य पदार्थ को व्यवसायिक रूप में जारी करने का अनुमोदन नहीं दिया गया है। भारतीय पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अनुसार यह अनिवार्य है कि ऐसे सभी उत्पाद पर्यावरण एवं न मंत्रालय की आनुवंशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति (जी ई ए सी) का अनुमोदन प्राप्त करें। ऐसे उत्पादों को देश में उपयोग और बिक्री हेतु अनुमोदन देने से पूर्व जैवसुरक्षा (पर्यावरणीय एवं खाद्य सुरक्षा) की दृष्टि से मूल्यांकन किया जाता है। दुनिया भर में आनुवंशिक तरीके से तैयार उत्पादों को पर्याप्त सुरक्षा मूल्यांकन के बाद ही अनुमति दी जाती है। देश में इस समय उपयोग किए जा रहे जैव–सुरक्षा प्रोटोकोल खाद्य सुरक्षा के अद्यतन वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित है।

[हिन्दी]

जाली यात्रा दस्तावेज

1309. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या वर्ष 2000 और 2001 के दौरान आज तक कुछ लोगों को जाली दस्तावेजों के आधार पर विदेश जाने की कोशिश करते समय इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन और अन्य अंतराष्ट्रीय विमान पत्तनों पर पकड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और विमानपत्तन-वार अब तक उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने उन स्रोतों के बारे में जांच की है जिनसे इन लोगों ने जाली दस्तावेज प्राप्त किए; और

(घ) यदि हा, तो सरकार द्वारा इस सबंध में की गई जाच और कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली, बम्बई, कोलकाता और चेन्नै में विदेश जाने का प्रयास करते हुए, वर्ष 2000 और 2001 के दौरान भारतीय राष्ट्रिकों और विदेशियों के यात्रा दस्तावेजों में जालसाजी के पता लगे मामलों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) भारत के सविधान मे सातवी अनुसूची के अनुसार पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं। अतः अपराध को दर्ज करने, जांच-पडताल करने, पता लगाने और रोकने की जिम्मेवारी मुख्यतः राज्य सरकारों की है। तथापि, भारत सरकार दाण्डिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में सुधार लाने और अपराध को रोकने के लिए यथावश्यक उपाय करने पर अधिक ध्यान देने के लिए, समय-समय पर, राज्य सरकारों को सलाह देती रही है। यात्रा दस्तावेजों में जालसाजी का पता लगने पर, भारतीय राष्ट्रिकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाते हैं और विदेशी राष्ट्रिकों के खिलाफ उनके मूल देशों को वापस भेजने की प्रक्रिया प्रारभ की जाती है। दोषियों के खिलाफ की गई जांच और की गयी कार्रवाई के बारे में सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

विवरण

निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्टों पर पता लगे जालसाजी के मामले

वर्ष	दिल्ली		मुम्बई		कोलकाता		चेन्नै		कुल	
	भारतीय	विदेशी	भारतीय	विदेशी	भारतीय	विदेशी	भारतीय	विदेशी	भारतीय	विदेशी
2000	255	44	451	97	20	21	5	25	751	187
2001 (मई तक)	98	15	103	39	10	11	4	14	225	79
कुल	353	59	554	136	30	32	9	39	976	266

[अनुवाद]

महिलाओं की संपत्ति संबंधी कानून को युक्ति संगत बनाना

1310. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

श्रीमती कान्ति सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में महिलाओं की संपत्ति संबंधी कानून को युक्तिसंगत बनाने की अत्यधिक मांग की जा रही है;

(ख) क्या सरकार ने उनके मंत्रालय द्वारा कार्य योजना तैयार करने के संबंध में केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड के विचारों का भी आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम,

1925 और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में संशोधनों का सुझाव दिया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में सुझाये गये संशोधनों को संबंधित विभाग को आगामी कार्रवाई करने के लिए भेज दिया गया है।

इंटरनेट सेवाओं का दुरुपयोग

1311. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

श्री आर. एस. पाटिल :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी आईएसआई और इसके एजेंट इंटरनेट सेवाओं के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित बहुमूल्य जानकारी पडोसी देशों को दे रहे है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे कितने मामलों का पता चला है और इस संबंध में अब तक कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राय) : (क) और (ख) इस आशय की रिपोर्टें हैं कि आई एस आई और उसके एजेंटों तथा उग्रवादी ग्रुपों द्वारा संचार के प्रयोजनार्थ इंटरनेट/ई–मेल सेवाओं का प्रयोग किया जा रहा है।

(ग) और (घ) 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्य के विषय हैं अतः इस संबंध में आवश्यक कदम उठाना संबंधित राज्य सरकार का काम है। केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रकार के मामलों के ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं। तथापि, इंटरनेट सर्विस प्रोवाईडर्स के लिए शर्तों में जासूसी और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों से निपटने के लिए कानूनी कार्रवाई करने की व्यवस्था है।

अय्यर समिति की रिपोर्ट

1312. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने 17/18 मई, 2001 को विभिन्न राज्यों में महिला कैदियों को हिरासत के दौरान न्यायोचित व्यवहार के संबंध में अय्यर समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की जांच और उनका मूल्यांकन करने के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो अय्यर समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं, इन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है और इस पर राष्ट्रीय महिला आयोग की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) समिति की रिपोर्ट के दृष्टिगत मौजूदा कानून में क्या–क्या परिवर्तन करने की मांग की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) महिला कैदियों के बारे में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में की गयी प्रमुख सिफारिशों का सार संलग्न विवरण में दिया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार से आग्रह किया है। ये सिफारिशें समुचित कार्रवाई हेतु राज्य सरकारों व गृह मंत्रालय को भेज दी गयी हैं।

विवरण

न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर की अध्यक्षता में बनी महिला कैदियों पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित प्रमुख सिफारिशों का सार

1. नीति-निर्माण और मानीटरिंग

(क) महिलाओं को हिरासत में न्याय के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति तैयार करके अपनायी जानी चाहिए। विशेषज्ञ समिति ने नीति के प्रारूप का सुझाव दिया था।

(ख) राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने और उसकी मॉनीटरिंग करने के लिए महिलाओं को हिरासत में न्याय पर राष्ट्रीय प्राधिकरण का गठन किया जाना चाहिए।

(ग) राष्ट्रीय प्राधिकरण के एक सदस्य को भारत में महिलाओं के लिए अभिरक्षा संस्थाओं हेतु लोकायुक्त (ओमबड्समैन) के रूप में पदनामित किया जाना चाहिए।

2. न्यायिक

(क) राज्य स्तरीय प्राधिकरण और लोकायुक्त भी बनाये जाने चाहिए।

(i) महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए अलग–अलग राज्यों की अपनी–अपनी प्राथमिकता के अनुसार या तो

परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 के अंतर्गत गठित परिवार न्यायालयों के कार्यक्षेत्र को बढाया जाना चाहिए अथवा महिला न्यायालय बनाये जाने चाहिए। परन्तु, महिलाओं को न्याय दिलाने वाली एक पृथक और विशेषीकृत संस्था बनाना सभी राज्यों के लिए अनिवार्य होना चाहिए।

(ख) हिरासत में रहने वाली महिलाओं को शीघ्र न्याय दिलाने के लिये चल न्यायिक शिविरों की तरह की नारी बंदी गृह अदालतें।

3. विधायी

(क) पूरे देश में एक समान व्यापक बन्दी गृह और बन्दी अधिनियम बनाने के लिए दो अथवा दो से अधिक राज्यों की सहमति प्राप्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 को लागू किया जाना चाहिए।

(ख) सभी अभिरक्षा संस्थाओं के प्रशासन के संबंध में एक व्यापक संहिता भी तैयार की जानी चाहिए।

(ग) विधि आयोग द्वारा अभिरक्षा में रहने वाली महिलाओं की स्थिति और उनके अपराधों के संबंध में विभिन्न कानूनों की प्रभावोत्पादकता और प्रांसगिकता का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

(घ) हिरासत में रहने वाली महिलाओं की विशेष आवश्यकताओं को परिलक्षित करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, कारावास अधिनियम, 1894 और पुलिस अधिनियम, 1861 में उपयुक्त संशोधन किये जाने चाहिए।

(ङ) नए मानसिक स्वास्थ्य विधेयक में गैर–आपराधिक और आपराधिक विक्षिप्त महिलाओं की अभिरक्षा और उनके साथ व्यवहार के संबंध में समिति की विशिष्ट सिफारिशें परिलक्षित होनी चाहिए।

4. प्रशासनिक

क. कारावास

(क) कारावास सेवा का एक संवर्ग बनाया जाना चाहिए।

(ख) कारावास संवर्ग में महिलाओं का अधिक और सुरक्षित प्रतिविधित्व होना चाहिए।

(ग) महिला कैदियों से संबंधित कार्य को देखने के लिए राज्य मुख्यालय में महिला उप–पुलिस महानिरीक्षक होनी चाहिए, जो अधिमानतः कारावास सेवा की हो।

(घ) महिला जेलों की महिला अधीक्षक पूर्णतः स्वायत्त होनी चाहिए।

(ङ) स्थाई वार्डन और मैट्रन होनी चाहिए।

(च) प्रत्येक कारावास में कैदियों की परिषद बनायी जानी चाहिए।

(छ) प्रत्येक कारावास में सामाजिक–कानूनी परामर्श कक्ष बनाए जाने चाहिए।

(ज) प्रत्येक जिले में मुक्त कैदी सहायता समितियां होनी चाहिएं।

(झ) महिलाओं और उनके बच्चों के लिए जेल मे सुविधाओं का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, जो अधिमानतः जेल नियमावली के पृथक वॉल्यूम में किया जाए।

ख. पुलिस

(क) महिला पुलिस का एक संवर्ग बनाया जाना चाहिए।

(ख) महिला कैदियों के लिए प्रत्येक स्टेशन में एक अलग हवालात बनाना अनिवार्य होना चाहिए।

(ग) एक मॉडल पुलिस नियमावली तैयार की जानी चाहिए, जिसमें पुलिस अभिरक्षा में रहने वाली महिलाओं के लिए न्यूनतम स्थान और अन्य सुविधाओं के मानक निर्धारित हों।

(घ) महिला सहायता पुलिस एकक बनाये जाने चाहिए।

ग. सामाजिक कल्याण तथा मानसिक स्वास्थ्य अभिरक्षा संस्थाएं

(क) इन संस्थाओं की प्रबन्ध समिति के मार्गदर्शन के लिए एक नियमावली बनायी जानी चाहिए।

(ख) और अधिक रियायतें देने हेतु तथा निरीक्षण और मॉनीटरिंग का कड़ा तंत्र बनाया जाना चाहिए।

(ग) सामाजिक कल्याण अभिरक्षा संस्थाओं के कार्यकरण को सरल बनाने में सहायता करने के लिए एक राष्ट्रीय मूल्यांकन तंत्र बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

(घ) इन संस्थाओं में न्यायिक शिविर लगाए जाने चाहिए।

(ङ) इन संस्थाओं के सामाजिक–कानूनी परामर्श कक्ष चलाये जाने चाहिए।

(घ) इन संस्थाओं के संवासी परिषदें स्थापित की जानी चाहिए।

(छ) इन संस्थाओं में मार्ग–रक्षण सेवाएं प्रदान करने के लिए एक मार्ग–रक्षण दल बनाया जाना चाहिए, जिन्हें पुलिस की आवश्यक शक्तियां प्रदान की जाएं।

5. प्रतिभागी संरचना

(क) मान्यता प्राप्त समूहों और व्यक्तियो को अभिरक्षण संस्थाओं में जाने और इन संस्थाओं के रिकार्डों की जांच करने और संवासियों को विश्वास में लेकर उनसे बातचीत करने के पूरे अधिकार होने चाहिए।

(ख) सामाजिक–कानूनी कक्षों को विधि स्कूलों द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाना और प्रत्येक अभिरक्षा केन्द्र अथवा केन्द्रों के समूह के साथ एक समाज कार्य स्कूल कार्यस्त होना चाहिए।

गैर-सरकारी संगठन

1313. श्री अनन्त नायक : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में जनजातीय कल्याण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर–सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे प्रत्येक गैर–सरकारी संगठन द्वारा राज्य–वार, विशेषतः उडीसा, छत्तीसगढ और झारखंड में, शुरू की गई गतिविधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा इन गैर सरकारी संगठनों को आज तक प्रत्येक वर्ष, राज्य–वार और योजना–वार कितनी सहायता प्रदान की गई?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) से (ग) सूचना संकलित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कापीराइट अधिनियम में संशोधन

1314. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार डिजिटल प्रौद्योगिकी के आगमन से उत्पन्न समस्या से निपटने के लिए कापीराइट अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें किए जाने वाले प्रस्तावित अशोधनों/संशोधनों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) डिजिटल प्रौद्योगिकी सहित प्रौद्योगिकीय विकास के मद्देनजर कापीराइट अधिनियम, 1957 में पिछली बार 1999 के दौरान संशोधन किया गया था।

[हिन्दी]

जैव-उत्पाद संस्थान को विदेशी वित्तीय सहायता

1315. श्री कांतिलाल भूरिया :

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैव–उत्पाद सस्थान, महू (इंदौर), मध्य प्रदेश को विदेशी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने संबधी कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास अनुमति हेतु लंबित पडा है; और

(ख) यदि हां, तो मामले की मौजूदा स्थिति क्या है और इस संबंध में राज्य सरकार को कब तक अनुमति दिए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) और (ख) जैव–उत्पाद संस्थान, महू (इंदौर) में सुविधाओं में स्तरोन्नयन के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 23.11.2000 को एक संशोधित प्रस्ताव बायोटेक्नोलॉजी विभाग को भेजा गया है। संशोधित प्रस्ताव 1570.20 लाख रुपये की लागत का है। मध्य प्रदेश सरकार के परामर्श से यह प्रस्ताव पशु पालन और डेरी विभाग, भारत सरकार को भेज दिया गया है जो आगे की कार्रवाई के लिए नोडल विभाग है।

जैव संवर्धित फसलें

1316. डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

श्री नवल किशोर राय :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वाणिज्यिक दृष्टिकोण से जैव–संवर्धित फसलें उगाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन फसलों की खेती करने के लिए सरकार ने फसल–वार किस–किस तारीख को अनुमोदन किया;

(घ) क्या वैज्ञानिकों ने प्रत्येक फसल की खेती के प्रभाव के सबध मे रिपार्ट सौपी है;

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी संगठन–वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या पर्यावरण और वन मत्रालय ने इन फसलों की खेती के अनुमोदन के संबंध में हाल ही में खुलकर अपनी राय दी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) महोदय, सरकार ने अभी तक देश में वाणिज्यिक खेती के लिए किसी आनुवंशिक संवर्धित फसल को स्वीकृति नहीं दी है। कई पराजीनी फसलें अनुसंधान और सीमित परीक्षणों के विभिन्न स्तर पर हैं।

(ख) से (छ) उपरोक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बंग्लादेश राइफल्स द्वारा जवानों की हत्या

1317. डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीएसएफ प्राधिकारियों ने 16 जवानों की हत्या के बारे में बी.डी. आर. (बंग्लादेश राइफल्स) को कोई शिकायत दर्ज कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह शिकायत किस तारीख को दर्ज कराई गई और इसका क्या निष्कर्ष निकला;

(ग) क्या 16 बी. एस. एफ. जवानों के क्षत–विक्षत शवों के साथ उनके पूरे शस्त्र और गोला–बारूद लौटा दिए गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड) यदि नहीं, तो सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) 20 अप्रैल, 2001 को कमलपुर, बांग्लादेश में सेक्टर कमांडर स्तरीय ध्वज बैठक के दौरान बांग्लादेश राइफल्स द्वारा सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों की निर्दयतापूर्ण और अमानवीय हत्याओं के विरुद्ध सीमा सुरक्षा बल ने कडा विरोध दर्ज किया। इस बैठक में दोनों पक्ष किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके।

(ग) और (घ) 25 अप्रैल, 2001 को सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश राइफल्स के बीच कमांडर स्तरीय बैठक में बांग्लोदश राइफल्स ने सीमा सुरक्षा बल के मारे गए 16 कर्मियों के हथियार और गोलाबारूद लौटा दिए। बांग्लादेश राइफल्स ने मारे गए सीमा सुरक्षा बल कर्मियों से संबंधित ग्यारह 7.62 एस एल आर, एक– 7.62 मि.मी. एल एम जी. एक– .303 एम एम जी, 2 प्रोटोफोन सेट, 4– बुलेटप्रूफ जैकेट और गोला–बारूद वापिस किया।

(ड) उपर्युक्त (ग) और (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना

1318. श्री मनोज सिन्हा :

श्री महबूब जहेदी :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 जून, 2001 के 'द हिन्दू' में 'मेट्रो लिंक सैटेलाइट्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार पडोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश को मेट्रो सेवा उपलब्ध कराने का है;

(घ) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए कौन–कौन से स्थानों का चयन किया गया है;

(ड) क्या राजधानी को भीड़–भाड़ से बचाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के समूचे परिवहन परिदृश्य में आमूल घूल परिवर्तन लाये जाने की आवश्यकता है;

(च) यदि हां, तो सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है; और

(छ) उक्त योजना का कार्यान्वयन कब तक होने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हा।

(ख) से (घ) राज्य सरकारों के परामर्श से प्रारंभ में निम्नलिखित तीन कारीडोरों पर कार्यान्वयन के लिए प्राथमिकता दी गई है :

(i) शाहदरा –गाजियाबाद (13.8 किमी.)

(ii) साहिबाबाद–मिंटो ब्रिज (19.2 किमी.)

(iii) दयाबस्ती – गुडगांव (26 किमी.)

(ड) दिल्ली में भीड–भाड कम करने के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) मे तेज और सुगम आवागमन के लिए मौजूदा परिवहन व्यवस्था के उन्नयन और विस्तार की जरूरत है।

(च) और (छ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की परिवहन पर कार्यात्मक योजना में द्रुत जन परिवहन प्रणाली (मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) और क्षेत्र में अनेक एक्सप्रेस मार्गों का विकास जैसे विभिन्न घटक शामिल हैं। ये योजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

[अनुवाद]

सरकारी महाविद्यालयों का आधुनिकीकरण

1319. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में चिकित्सा, अभियंता और कम्प्यूटर विज्ञान पाठ्यक्रमों का संचालन करने वाले सभी सरकारी महाविद्यालयों का आधुनिकीकरण करने का निर्णय लिया है,

(ख) क्या कुछ विश्वविद्यालयों से संबद्ध और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों का भी आधुनिकीकरण किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शुल्क संरचना को पाठ्यक्रम–वार तथा संकल्प–वार सुचारु बनाए जाने संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् आधुनिकीकरण तथा पुराने उपस्करों को हटाने संबंधी एक योजना चला रही है जिसका उद्देश्य तकनीकी संस्थाओं को आधुनिक उपस्करों/आधारभूत सुविधाओं से लैस करना है ताकि चल रहे संस्थागत कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके तथा मौजूदा प्रयोगशालाओं में नई प्रौद्योगिकीयों की भी शुरूआत की जा सके। इस योजना के अंतर्गत, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् विश्वविद्यालय के विभागों, सरकारी कॉलेजों, सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा प्रत्यायित स्ववित्तपोषित कॉलेजों और जम्मू व कश्मीर तथा पूर्वोत्तर जैसे राज्यों में पांच वर्षों से चल रहे गैर–प्रत्यायित स्ववित्तपोषित कालेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। केन्द्र द्वारा वित्तपोषित तकनीकी संस्थाओं के लिए मंत्रालय भी ऐसी ही एक योजना चला रहा है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिसूचित विनियमों के अनुसार तकनीकी संस्थाओं के लिए ट्यूशन तथा अन्य शुल्कों का निर्धारण राज्य स्तरीय समितियों द्वारा किया जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, सरकारी मेडिकल कॉलेजों के आधुनिकीकरण हेतु इस समय कोई योजना या परियोजना नहीं है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में संशोधित शुल्क ढांचे के अनुसार भुगतान सीट हेतु प्रति छात्र 1.10 लाख रुपये तथा निःशुल्क/योग्यता सीट हेतु प्रति छात्र 13000/- रुपये का वार्षिक शुल्क लिया जाता है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में पेट्रो-रसायन उद्योग का विकास

1320. श्री बृज भूषण शरण सिंह : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से राज्य में पेट्रो–रसायन उद्योग के विकास संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

एन एस ए पी के तहत निधियों का आबंटन

1321. श्री अशोक ना. मोहोल :

श्री रामशेठ ठाकुर :

श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000–2001 के दौरान और आज तक राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत कितनी निधियां आबंटित की गईं;

(ख) योजना के तहत निधियों के उपयोग के संबंध में क्या दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) अभी तक राज्य–वार और योजना–वार कितनी–कितनी निधियां जारी की गई हैं/उपयोग में लाई गई हैं और कितनी निधियां अभी तक खर्च नहीं की गई हैं;

(घ) क्या सरकार ने योजना के तहत राज्यों को सहायता का न्यायोचित दावेदार घोषित करने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इन दिशा–निर्देशों के कब तक जारी होने की संभावना है;

(छ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत बहुत कम महिलाएं लाभान्वित हुई हैं;

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(झ) इन योजनाओं के तहत अधिकाधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) वर्ष 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित की गई निधियां क्रमशः 715 करोड़ रुपये और 635 करोड़ रुपये हैं।

(ख) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के दिशा निर्देशों में जिलों को दो किस्तों में सीधे ही निधियां जारी करने का प्रावधान है। पहली किस्त उन जिलों को जारी की जाती है जो पिछले वर्ष में दूसरी किस्त का दावा कर चुके होते हैं। दूसरी किस्त को उपलब्ध निधियों का कम से कम 60 प्रतिशत उपयोग दर्शाने वाले प्रस्ताव के प्राप्त होने और पिछले वर्ष में जारी की गई निधियों के संबंध में लेखा परीक्षा रिपोर्ट/उपयोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर जारी किया जाता है। यदि वित्तीय वर्ष के दिसम्बर माह तक प्रस्ताव प्राप्त नहीं होते हैं तो दूसरी किस्त पर कटौती की जाती है। वर्ष के प्रारभ में कार्यक्रम के अंतर्गत अथशेष वार्षिक आबंटन का 15 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए ऐसा न होने पर आबंटन में से आनुपातिक कटौती की जाती है।

(ग) ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) से (च) जी, हां। राज्यों को जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायतों/नगरपालिकाओं को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना दोनों के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान करने में सक्रिय भूमिका निभानी होती हैं। केन्द्रीय सहायता को सार्वजनिक बैठकों जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पडोस/मोहल्ला समितियों की बैठकों में विशेष रूप से वितरित करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(छ) से (झ) जी, नहीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान दो योजनाओं के अंतर्गत महिला लाभार्थियों का कवरेज इस प्रकार है:

वर्ष	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना
1998–99	34.75 प्रतिशत	29.30 प्रतिशत
1999–2000	27.55 प्रतिशत	30.26 प्रतिशत
2000–2001	31.02 प्रतिशत	42.53 प्रतिशत

विवरण

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

क्र.सं	राज्य	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना					राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना					राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना			
		1.4.00 को अधशेष	जारी निधियां 2000–2001	कुल उपलब्ध निधियां	सूचित व्यय	रिलीज 2000–01 (30.7 2001 को)	1.4.00 को अधशेष	जारी निधियां 2000–2001	कुल उपलब्ध निधियां	सूचित व्यय	रिलीज 2000–01 (30.7 2001 को)	1.4.00 को अधशेष	जारी निधियां 2000–2001	कुल उपलब्ध निधियां	सूचित व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आध्र प्रदेश	423.93	4360.76	4784.69	4310.01	2180.44	228.81	3013.27	3242.08	3108.97	711.77	128.81	1567.90	1696.71	1632.38
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.37	66.60	68.97	13.06	15.06	0.99	16.68	17.67	7.79	2.38	2.29	4.61	6.90	0.21
3.	असम	195.55	2344.31	2539.86	1611.71	1309.27	171.57	1098.98	1270.55	772.53	293.65	67.26	267.03	334.29	132.27
4.	बिहार	2724.97	4268.85	6993.82	4857.37	1927.67	629.32	879.99	1509.31	1482.36	286.77	486.71	398.93	885.64	733.48
5.	छत्तीसगढ	248.87	1005.13	1254.00	947.46	461.70	150.87	1003.30	1154.17	1063.48	246.98	110.15	222.76	332.91	197.66
6.	गोवा	23.45	27.94	51.39	33.62	13.98	6.68	10.69	17.37	17.28	2.15	2.51	0.00	2.51	0.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	गुजरात	315.67	370.53	686.20	411.76	181.46	48.25	1112.11	1160.36	150.28	25.39	-13.31	73.99	60.68	69.67
8	हरियाणा	46.70	450.14	496.84	265.55	200.03	8.58	45.54	54.12	36.78	11.70	20.29	33.98	54.27	27.87
9.	हिमाचल प्रदेश	35.56	200.12	235.68	233.58	101.70	12.55	23.19	35.74	32.88	53.16	12.46	10.08	22.54	17.22
10	जम्मू व कश्मीर	71.18	228.02	299.20	166.78	78.39	12.50	46.35	58.85	33.45	3.43	20.03	24.70	44.73	19.34
11	झारखंड	808.19	1250.95	2059.14	1005.61	463.22	173.16	340.82	513.98	354.00	98.66	86.34	142.98	229.32	161.14
12	कर्नाटक	305.93	2899.69	3205.62	1761.30	1412.97	70.06	628.57	698.63	391.12	152.22	61.31	361.00	422.31	233.45
13	केरल	812.23	947.96	1760.19	1083.51	484.48	69.04	319.88	388.92	289.66	80.32	24.52	88.30	112.82	99.37
14	मध्य प्रदेश	551.71	3056.14	3607.85	3756.52	1528.09	458.06	2728.72	3186.78	3099.19	666.61	156.46	437.46	593.92	379.45
15	महाराष्ट्र	1759.98	3161.48	4921.46	2559.68	1221.15	274.12	821.40	1095.52	689.97	191.95	151.04	345.55	496.59	301.46
16.	मणिपुर	33.45	251.00	284.45	199.04	163.56	9.46	47.97	57.43	41.09	16.68	4.35	38.86	43.21	29.39
17	मेघालय	52.67	297.33	350.00	239.37	150.42	7.84	63.24	71.08	53.80	18.55	9.27	32.04	41.31	23.59
18	मिजोरम	0.04	91.62	91.66	91.61	42.36	0.00	20.16	20.16	20.16	4.78	1.30	13.82	15.12	15.11
19.	नागालैंड	14.45	221.75	236.20	154.06	91.76	1.49	32.43	33.92	21.97	7.86	2.23	32.63	34.86	23.67
20.	उड़ीसा	1171.63	2962.35	4133.98	3281.49	1582.79	511.13	1201.56	1712.69	1466.12	315.82	219.84	529.28	749.12	608.95
21.	पंजाब	65.16	429.15	494.31	384.80	214.63	40.09	102.97	143.06	136.67	31.50	8.66	42.02	50.68	41.66
22.	राजस्थान	-292.86	1390.60	1097.74	2007.46	599.79	10.20	380.50	390.70	392.99	90.55	196.29	96.65	292.94	118.71
23.	सिक्किम	0.00	94.57	94.57	94.56	47.30	0.07	6.52	6.59	6.52	3.36	0.06	7.08	7.14	7.08
24.	तमिलनाडु	923.63	3086.94	4010.57	2951.70	1543.45	528.71	1704.05	2232.76	1722.33	418.70	268.78	754.65	1023.43	1008.21
25	त्रिपुरा	18.58	497.93	516.51	464.48	282.73	23.55	91.07	114.62	97.19	26.35	3.01	66.84	69.85	54.77
26.	उत्तर प्रदेश	2556.99	6629.80	9186.79	7663.10	2731.65	952.05	2060.98	3013.03	2717.81	560.13	590.77	1064.05	1654.82	1489.13
27	उत्तरांचल	161.38	385.00	546.38	424.54	181.74	54.86	202.21	257.07	232.78	53.94	26.36	59.45	85.81	74.70
28.	पश्चिम बंगाल	1542.24	2965.01	4507.25	3729.90	1426.94	306.13	721.66	1027.79	971.36	185.50	174.18	417.53	591.71	582.61
29	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	8.77	0.00	8.77	8.90	7.47	1.43	0.00	1.43	1.20	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	6.88	8.83	15.71	12.60	5.87	0.06	2.86	2.92	3.22	1.43	1.27	0.00	1.27	0.00
31.	दादर व नागर हवेली	0.02	10.62	10.64	4.01	5.31	0.43	2.58	3.01	1.95	0.67	0.89	0.24	1.13	0.92
32.	दमन व दीव	0.88	1.95	2.83	2.38	1.07	1.04	0.28	1.32	0.70	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00
33.	दिल्ली	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.80	0.00	0.80	0.11	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00
35.	पांडिचेरी	33.02	24.53	57.55	50.89	21.09	0.26	1.43	1.69	0.00	0.00	3.34	2.63	5.97	4.69
	कुल	14647.52	43987.60	58635.12	44782.52	20679.54	4770.66	18731.96	23502.62	19417.60	4563.63	2827.62	7137.04	9964.66	8088.45

[हिन्दी]

बालिका समृद्धि योजना

1322. श्री पी. आर. खुंटे : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न राज्यों को 'बालिका समृद्धि योजना' के तहत आबंटित की गई निधियों का दुरुपयोग हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) बालिका समृद्धि योजना के अंतर्गत आबंटित राशि के दुरुपयोग

का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भी ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं दी गई है।

बालिका समृद्धि योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए सामान्य दिशा–निर्देश इस प्रकार है –

(i) स्कीम के अतर्गत प्राप्त आवेदनों की शीघ्र और कडाई से जांच की जाये;

(ii) राशि की स्वीकृति शीघ्र की जाय;

(iii) बाद में समुचित लेखा–परीक्षा करवाने के लिए लेखांकन की पर्याप्त व्यवस्था की जाये;

(iv) उपयोग की गई राशि के संबंध में उपयोग प्रमाण–पत्र लेखा–परीक्षित खाते और रिपोर्टें भारत सरकार को प्रस्तुत की जायं;

(v) यह सुनिश्चित करते हुए केवल पात्र व्यक्तियों को ही लाभ मिले – लाभों के संवितरण में यदि कोई कदाचार हो तो उसे समाप्त किया जाये।

[अनुवाद]

सिमी पर प्रतिबंध

1323. श्री जी. एम. बनातवाला : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट आफ इंडिया 'सिमी' पर कानूनी प्रतिबंध लगाए जाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का सिमी पर प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में आपत्तियों और नाराजगी की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (घ) राज्य में सिमी कार्यकर्त्ताओं की विभिन्न राष्ट्र विरोधी और साम्प्रदायिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र की सरकार ने भारत सरकार से इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे की जांच करने का अनुरोध किया है। इस मामले में कोई मत बनाने से पूर्व इसके विरुद्ध ऐसे प्रस्तावों और आपत्तियों तथा नाराजगी की उपलब्ध साक्ष्य के सदर्भ में ध्यानपूर्वक जांच की जाती है।

[हिन्दी]

लिंकेज प्रणाली के अंतर्गत अलग-अलग उद्यमियों को कोयले की आपूर्ति

1324. श्री अखिलेश यादव : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों से अलग–अलग उद्यमियों को लिंकेज प्रणाली के अंतर्गत कोयले की आपूर्ति नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके परिणामस्वरूप पिछले तीन वर्षों में सरकार को कितनी राशि की हानि हुई है; और

(ग) उक्त प्रणाली के अंतर्गत अलग–अलग उद्यमियों को कोयले की आपूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स के अधीन खानों का बंद होना

1325. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय ईस्टर्न कोलफील्ड्स के अधीन राज्य–वार कितनी खानें काम कर रही हैं और कितनी खानें बंद पडी हैं;

(ख) इन खानों को बद किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या किसी अन्य देश विशेषकर चीन ने, ई. सी. एल. के पुनरुज्जीवन के लिए तकनीकी/आर्थिक सहायता देने की पेशकश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ई.सी.एल. को कितनी सहायता दिए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) ई. सी. एल. के अंतर्गत (राष्ट्रीयकरण के पश्चात्) दिनांक 1.4.2001 की स्थिति के अनुसार कार्यरत तथा बंद की गई खानों का राज्य–वार ब्यौरा निम्नानुसार है –

	पश्चिम बंगाल	झारखंड	कुल
कार्यरत खानों की संख्या	96	18	114
बंद की गई खानों की संख्या	57	08	65

(ख) खानों के बंद होने के मुख्य कारण हैं :–

(i) खनन योग्य भंडारों का समाप्त होना,

(ii) सुरक्षा के कारण,

(iii) तकनीकी–आर्थिक अव्यवहार्यता

(iv) आग/आप्लावन।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

ग्रेड-निर्धारण प्रणाली

1326. डा. अशोक पटेल :

श्री पद्मसेन चौधरी :

श्री राम मोहन गाड्डे :

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

श्री अशोक ना. मोहोल :

श्री रामशेठ ठाकुर :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में प्वाइंट ग्रेड निर्धारण प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने शिक्षा प्रणाली पर इसके प्रभाव का आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ शिक्षकों ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के इस कदम का विरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ङ) दसवीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित करने में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्तमान मूल्यांकन पद्धति में ग्रेडों और अंकों को दर्शाने की व्यवस्था है। बोर्ड ने ऐसी पद्धति का प्रस्ताव किया है जिसमें अंकों का उल्लेख किये बिना विषय–वार ग्रेड देने की व्यवस्था है। ग्रेडिंग पद्धति के उपयागे के संबंध में मीडिया में तथा अन्य हलकों में उसके पक्ष में तथा विपक्ष में विचार व्यक्त किये गये हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विभिन्न स्कूलों, शिक्षा समुदाय, शिक्षाविदों, राज्य शिक्षा बोर्डों आदि के साथ इस प्रस्ताव पर विचार–विमर्श तथा परामर्श किया है। एक उप–समिति का गठन किया गया है जिसका कार्य ऐसे मोड्यूल का सुझाव देना है जिससे विभिन्न हलकों में इस संबंध में व्यक्त चिंताओं और आशंकाओं का निवारण हो सके। इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

सेल के ग्रामीण सेवा केन्द

1327. श्री दिलीप संघाणी : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेल ने ग्रामीण बाजार में इस्पात से बनी वस्तुओं की मांग का आंकलन करने हेतु अध्ययन करने का कार्य ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनंद को सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन पर रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस्पात से बनी वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए सेल द्वारा विभिन्न राज्यों, विशेष तौर पर गुजरात में ग्रामीण सेवा केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) से (घ) ग्रामीण बाजार में संभावना की तलाश करने के लिए कार्यनीति के एक भाग के रूप में सेल ने गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों के ग्रामीण बाजारों में इस्पात सामग्री की मौजूदा मांग की प्रवृति का आंकलन करने हेतु इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, आनन्द (आई आर एम) को अध्ययन करने का कार्य सौंपा है। आई आर एम से यह भी अपेक्षा है कि वह अन्य बातों के साथ–साथ विशिष्ट विपणन कार्रवाई के संबंध में सुझाव दे तथा सेवा केन्द्रों की अवधारणा को बढाने की जरूरत का आंकलन करें।

इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेंजमैंट, आनन्द ने अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत नही की है।

हिरासत में मृत्यु

1328. मोहम्मद शहाबुद्दीन :

श्री सुशील कुमार शिंदे :

श्री राम प्रसाद सिंह :

श्री माधवराव सिंधिया :

श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पिछले तीन वर्षों मे से प्रत्येक वर्ष के दौरान हिरासत मे हुई मौतों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मानवाधिकार आयोग ने राज्य मानवाधिकार आयोगों के साथ मिलकर इस प्रकार के मामलों की जांच की है और इन जांचों के निष्कर्षों को कार्रवाई के लिए संबंधित सरकारों के पास भेज दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो मानवाधिकार आयोगों द्वारा कितने मामलों में निर्णय दिया गया; और

(घ) मानवाधिकार आयोगों द्वारा दोषी पाए गए पुलिसकर्मियों के खिलाफ राज्य सरकारों ने क्या कार्रवाई की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (घ) मानवाधिकार आयोग को सूचित किए गए, वर्ष 1998–99, 1999–2000 और 2000–2001 के दौरान हिरासत में हुई मौतों (पुलिस और न्यायिक हिरासत दोनों) के राज्य–वार और वर्ष ब्यौरों के बारे में एक विवरण संलग्न है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सभी सूचित मामलों को संज्ञान में लिया है। इस प्रकार के कुल 3416 मामले हैं। आयोग द्वारा, रिपोर्टों पर विचार करने के बाद 2000–2001 तक 593 मामलों का निपटान किया जा चुका है। इन 593 मामलों मे से, 508 मामले स्वाभाविक मृत्यु से संबंधित पाए गए और 85 मामले अस्वाभाविक मृत्यु के पाए गए। इन 85 मामलों में से आयोग ने 44 मामलों में मृतक के नजदीकी रिश्तेदारों को मुआवजे की अदायगी करने की सिफारिशें की हैं। 38 मामलों में इसने मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को मुआवजे की अदायगी और चूक करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने, दोनों ही, की सिफारिश की है और 3 मामलों में आयोग ने केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है। इसके अलावा, आयोग ने, वर्ष 2001–2002 (आज तक) में, स्वाभाविक मृत्यु वाले 608 मामलों का निपटान भी किया। शेष 2215 मामले, विभिन्न अवस्थाओं में आयोग के विचाराधीन हैं।

85 मामलों में से, जिनमें आयोग ने मुआवजा देने और चूक करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारभ करने की सिफारिश की है, संबंधित राज्य सरकारो ने 59 मामलों में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों के जवाब में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की है और शेष 26 मामले, उनके द्वारा कार्रवाई किए जाने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

विवरण

राज्य सरकारों द्वारा आयोग को सूचित, हिरासत में हुई मौतों के वर्ष–वार/राज्य–वार ब्यौरे

राज्य	1998–99			1999–2000			2000–2001		
	न्यायिक हिरासत	पुलिस हिरासत	कुल	न्यायिक हिरासत	पुलिस हिरासत	कुल	न्यायिक हिरासत	पुलिस हिरासत	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	96	25	121	73	11	84	76	2	78
अरुणाचल प्रदेश	1	2	3	0	4	4	1	1	2
असम	22	15	37	22	11	33	11	11	22
बिहार	182	10	192	155	7	162	137	2	139
गोवा	1	0	1	2	2	4	3	2	5
गुजरात	37	8	45	19	13	32	27	11	38
हरियाणा	18	4	22	24	5	29	20	4	24
हिमाचल प्रदेश	0	2	2	0	1	1	2	1	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	1	0	1
कर्नाटक	40	10	50	35	6	41	41	5	46
केरल	25	4	29	14	6	20	26	1	27
मध्य प्रदेश	99	19	118	58	13	71	37	11	48
महाराष्ट्र	98	20	118	126	30	156	104	19	123
मणिपुर	0	3	3	1	0	1	0	0	0
मेघालय	6	1	7	2	0	2	0	1	1
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	1	1
नागालैंड	0	1	1	0	0	0	0	0	0
उड़ीसा	68	0	68	45	1	46	55	2	57
पंजाब	43	12	55	42	11	53	48	13	61
राजस्थान	47	3	50	45	3	48	38	3	41
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	41	14	55	48	9	57	24	4	28
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	2	2
उत्तर प्रदेश	222	20	242	141	18	159	121	10	131
पश्चिम बंगाल	40	6	46	43	19	62	38	9	47
अ. और नि. द्वीपसमूह	2	0	2	2	1	3	2	0	2
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	2	1	3
दादर और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दमन और दीव	1	0	1	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	17	0	17	19	6	25	28	9	37
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पांडिचेरी	0	1	1	0	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	29	1	30
झारखंड	0	0	0	0	0	0	33	1	34
उत्तरांचल	0	0	0	0	0	0	6	0	6
कुल मामले	1106	180	1286	916	177	1093	910	127	1037

[हिन्दी]

बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियां

1329. श्री दानवे रावसाहेब पाटील :

श्री शिवाजी माने :

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

श्री अशोक ना. मोहोल :

श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 जुलाई, 2001 के 'दैनिक जागरण' और 'द हिन्दू' में आई. एस. आई. द्वारा बांग्लादेश से चलाई जा रही भारत विरोधी गतिविधियों के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या आपके मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार आई. एस. आई. ने अक्तूबर में होने वाले बांग्लादेश चुनावों के दौरान भारत विरोधी भावना फैलाने के लिए कोई षडयंत्र रचा है;

(ग) इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है और इस रिपोर्ट में और किन मुद्दों का उल्लेख किया गया है; और

(घ) आई. एस. आई. के इस प्रयास का मुकाबला करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) केन्द्र सरकार को पाकिस्तान की आई. एस. आई. की भारत विरोधी गतिविधियों के बारे में समय-समय पर रिपोर्टें प्राप्त होती है। आई. एस. आई. एजेंटों की गतिविधियों को विफल करने के लिए सरकार ने एक सुसमन्वित और बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमे सीमा प्रबंधन को सुदृढ करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, आई. एस. आई. के एजेंटों और उनके द्वारा प्रायोजित उग्रवादियों के खिलाफ सुसमन्वित आसूचना आधारित कार्रवाई करना, सुरक्षा बलों की सीमा चौकियां स्थापित करना और अधुनातम हथियारों और संचार प्रणाली इत्यादि के साथ सुरक्षा बलों और पुलिस का उन्नयन और आधुनिकीकरण। इस संबंध में उठाए गए कदमों से विभिन्न आई. एस. आई. मोडयूलों को पता लगा और उन्हें निष्क्रिय किया गया।

[अनुवाद]

अर्द्धसैनिक बलों का आधुनिकीकरण

1330. श्रीमती श्यामा सिंह :

श्री एन. जनार्दन रेड्डी :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार पिछले कुछ वर्षों में केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों के आधुनिकीकरण के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार धनराशि उपलब्ध कराने मे असफल रही है,

(ख) यदि हा, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उपयुक्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के आधुनिकीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है है कि केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों के आधुनिकीकरण के लिए धनराशि उपलब्ध हो?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : **(क)** से (घ) केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों (सी पी एम एफ) का आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान सरकार ने आधुनिक और अधुनातम हथियार और उपस्कर उपलब्ध करवा कर केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों की मारक क्षमता का उन्नयन करने पर विशेष ध्यान दिया है। सरकार के प्रयासों को समयबद्ध करने और बढ़ती हुई आतंकवादी और उग्रवादी गतिविधियों की चुनौती का सामना करने के लिए केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के आधुनिकीकरण के लिए एक पंचवर्षीय योजना बनाई गई है, जिसे केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों के वार्षिक बजट में निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित किया जाएगा।

हत्या के मामलों को प्राकृतिक मौत के मामलों में बदला जाना

1331. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या **गृह** मंत्री 24.4.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5601 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हत्या के मामलों को 'आत्महत्या' या 'दुर्घटना के मामले' के रूप में दर्शाए जाने की प्रक्रिया जारी है, जैसाकि क्रमशः 26 अप्रैल और 6 मई, 2001 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन मामलों की जांच की है और कोई कार्रवाई की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी दांडिक कार्रवाई करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना

1332. श्री के. मुरलीधरन :

श्री रमेश चेन्नितला :

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

डा. बलिराम :

श्री घुन्नू लाल मोहले :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना के लिए राज्य–वार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) चालू वर्ष के दौरान ए.आई.सी.टी.ई. ने कितने कॉलेजों के लिए मंजूरी दी और अनुमोदन के लिए कितने प्रस्ताव लंबित पडे हैं; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2001–2002 के लिये इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना करने संबंधी अनुमोदन पर विचार करने हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को कुल 1289 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। अखिल भारतीय तकनीकी परिषद् को प्राप्त हुए 1289 प्रस्तावों में से उसने 213 इंजीनियरिंग कॉलेजों को अनुमोदन दिया। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् शेष प्रस्तावों में पाई गई कमियों/खामियों से आवेदकों को अवगत करा रही है। प्राप्त प्रस्तावों एवं जिन प्रस्तावों को अनुमोदन दिया गया उनका राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	दिये गये अनुमोदनों की संख्या
आंध्र प्रदेश	321	51
बिहार *	15	00
चण्डीगढ़	02	00
दिल्ली	39	03
गोवा	03	01
गुजरात	20	00
हरियाणा	40	03
हिमाचल प्रदेश	07	00
कर्नाटक	114	22
केरल	60	15
मध्य प्रदेश $	30	05
महाराष्ट्र	114	14
उडीसा	15	05
पंजाब	20	03
राजस्थान	43	03
तमिलनाडु	302	55
उत्तर प्रदेश #	134	32
पश्चिम बंगाल	10	01
कुल	1289	213

* झारखड राज्य सहित

$ छत्तीसगढ राज्य सहित

\# उत्तरांचल राज्य सहित

[हिन्दी]

इस्पात क्षेत्र की उपलब्धियां

1333. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस्पात क्षेत्र में हुई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस्पात क्षेत्र की उपलब्धियों से संतुष्ट है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) से (ग) भारत विश्व में इस्पात का नौवां सबसे बडा उत्पादक है। यह अधिकाशतः सभी श्रेणियों, गुणवत्ता और आकार के इस्पात का उत्पादन कर सकता है। भारत द्वारा उत्पादित इस्पात का निर्यात विश्व के अनेक देशों को किया जाता है जिनमें यू.एस.ए., यूरोपीय संघ, जापान और कनाडा शामिल हैं। इस्पात के उत्पादन में 1998-99 में 1.92 प्रतिशत, 1999–2000 में 12.13 प्रतिशत और 2000–2001 में 11.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। भारतीय इस्पात उद्योग में वृद्धि की बहुत अधिक संभावना है। फिर भी, निम्नलिखित कारणों से इस उद्योग की वृद्धि उम्मीद से कम रही है:–

i) इस्पात की खपत करने वाले क्षेत्रों में इस्पात की मंद मांग।

ii) देश में समग्र आर्थिक मंदी।

iii) सी आई एस और अन्य देशों द्वारा परिसज्जित इस्पात का पाटन।

iv) कम कीमत पर आयात से प्रतिस्पर्धा।

v) अवसंरचना परियोजनाओं के लिए इस्पात के आयात पर रियायती शुल्क दर।

vi) भारतीय इस्पात के निर्यात के विरुद्ध यूरोपीय संघ, यू. एस. ए. और कनाडा द्वारा पाटनरोधी शुल्क/प्रतिकारी शुल्क याचिकाएं।

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक उत्पादक सरकारी उपक्रमों का निजीकरण

1334. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रसायन और उर्वरक उत्पादक सरकारी उपक्रमों के निजीकरण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अलवे स्थित प्रमुख सरकारी उपक्रम फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावणकोर लिमिटेड अपनी आयात नीति के कारण संकट का सामना कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ प्रस्तावित हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) जहां तक उर्वरक क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का संबंध है, विनिवेश आयोग की अनुशंसा पर सरकार ने नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड (एन एफ एल) में 97.65% में से 51% मद्रास फर्टिलाइजर्स (एम एफ एल) में 58.74% में से 32.74%, पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड (पीपीएल) में 100% में से 74% शेयर का विनिवेश एक लाभप्रद क्रेता के पक्ष में, प्रबन्धन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ, करने का फैसला किया है। फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावणकोर लिमिटेड (फैक्ट) एवं राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आर सी एफ) के मामले में विनिवेश पर निर्णय आस्थगित कर दिया है।

केमिकल्स एण्ड पेट्रो–केमिकल्स के संबंध में सरकार ने इंडियन पेट्रो केमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड (आईपीसीएल) के बदोदरा कम्पलैक्स को इंडियन ऑयल कार्पोरेशन (आईओसी) को बेचने एवं बचे हुए आईपीसीएल में अपने 25% शेयर का विनिवेश, प्रबन्धन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ एक लाभप्रद क्रेता के पक्ष में करने का अनुमोदन किया है। सरकार ने हिन्दुस्तान आर्गेनिक क्रेमिकल्स लिमिटेड (एचओसी) के मामले में सरकार के साम्य के कुल 58.61% में से 32.61% के विनिवेश का अनुमोदन किया है।

(ग) सरकार की आयात नीति के कारण फैक्ट संकट का सामना नहीं कर रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक को आतंकवाद-रोधी गतिविधियों के लिए धन

1335. श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने वर्ष 1998–99 से आतंकवाद–रोधी गतिविधियों पर उनके द्वारा खर्च की गयी धनराशि के लिए आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गयी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) कर्नाटक सरकार ने जून, 1999 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया

था जिसमें सीमा पुलिस स्टेशनों को सुदृढ करने और नक्सलवादियों और पीपुल्स वार ग्रुप के खतरे को कारगरता से नियंत्रित करने के लिए 6.18.51.000 रुपए की वित्तीय सहायता की मांग की गई थी। राज्य सरकार को ब्यौरे प्रस्तुत करने को कहा गया था, जो उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। तथापि, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अधीन वर्ष 1998–99, 1999–2000 और 2000–2001 के दौरान राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए कर्नाटक सरकार को क्रमश: 2.51 करोड रु., 6.21 करोड रु. और 82.25 करोड रुपए जारी किए गए थे। ये निधियां, गतिशीलता बढाने, आधुनिक हथियारों, विशेष उपस्करों, जाच मे सहायक उपकरणों, पुलिस स्टेशनों और ओ पी भवनों, विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं, पुलिस लाइंस, पुलिस प्रशिक्षण, आधुनिक संचार प्रणाली और आवास निर्माण के लिए जारी की गई थी। पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के तहत चालू वित्त वर्ष (2000–2001) के लिए प्राप्त प्रस्ताव अधूरा पाया गया और राज्य सरकार से आवश्यक ब्यौरे के साथ पूर्ण योजना भेजने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

यमुना नदी के तटवर्ती क्षेत्रों का विकास

1336. श्रीमती जस कौर मीणा :

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यमुना नदी के तटवर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों के विकास के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी और खर्च की गयी;

(घ) क्या यमुना नदी के उन तटवर्ती क्षेत्रों के अधिकांश भाग पर अतिक्रमण कर लिया गया है जिनका विकास किया जाना था;

(ड) यदि हां, तो लगभग कितने क्षेत्र पर अतिक्रमण हुआ है; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा उस क्षेत्र के विकास के लिए क्या कदम उठाये गये हैं जिस पर अतिक्रमण किया गया ?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उसने मास्टर प्लान के अनुसार यमुना नदी की आंचलिक विकास योजना तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया है, जिसमें दिल्ली की एक प्रमुख पारिस्थितिकीय विशेषता के रूप में नदी की पहचान की गई है। 42.5 हैक्टेयर भूमि पर एक स्कीम को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्षवार निम्नलिखित धनराशि मजूर की है और खर्च की है.–

(लाख रु. में)

वर्ष	मजूर की गई धनराशि	खर्च की गई राशि
1998–99	266.00	188.00
1999–2000	320.00	287.80
2000–2001	662.00	323.06

(घ) जी, हां।

(ड) 138 एकड़।

(च) यमुना पुश्ता से स्क्वेटरों को हटाने और पुनर्वास की एक स्कीम शहरी विकास मंत्रालय ने पहले ही बना ली है। इसके कार्यान्वयन का कार्य हाथ मे लिया गया है लेकिन इस कार्य में तेजी तभी आएगी जब बल्सवा–जहागीरपुर क्षेत्र, जहा स्क्वेटरों के पुनर्वास का प्रस्ताव है, में भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। न्यायालय द्वारा जारी स्थगनादेश के कारण अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। आगे भी कार्रवाई स्थगनादेश खारिज होने और भूमि का कब्जा लिए जाने के बाद की जाएगी।

नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के डीलरों के लिए केन्द्रीय स्टॉक योजना

1337. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड दो वर्षों से अपने डीलरों को केन्द्रीय स्टॉक योजना की सुविधा प्रदान कर रही है,

(ख) इस योजना के अन्तर्गत डीलरों को प्रति टन कितनी कमीशन दी जा रही है;

(ग) इसके क्या कारण हैं और डीलरों को यह सुविधा प्रदान करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या उक्त योजना की यह सुविधा सभी डीलरों को प्रदान की जा रही है और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) इस योजना के तहत डीलरों को मासिक जमा मौसमी प्रतिबद्ध बिक्री लक्ष्यों की पूर्ति पर 25 रुपये प्रति मी. टन की दर से प्रतिबद्धता छूट दी जा रही है।

(ग) व्यस्ततम और मंदी के मौसम को ध्यान में रखे बिना तथा निरन्तर आधार पर नकदी प्रवाह को ध्यान में रखते हुए पूरे वर्ष की विनियमित बिक्री को सरल बनाने के लिए उपर्युक्त छूट दी गई है।

(घ) और (ङ) एन एफ एल के सभी डीलरों को इस योजना का विकल्प चुनने का अवसर दिया गया है।

[अनुवाद]

पेयजल

1338. श्री भर्तृहरि महताब :

श्री नरेश पुगलिया :

श्री प्रभात सामन्तराय :

श्री एस.डी.एन.आर. वांडियार :

श्री सुबोध मोहिते :

श्री समर चौधरी :

श्री बसुदेव आचार्य :

श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :

श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्यवार कितने गांवों में पेयजल उपलब्ध नहीं है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक 'ग्राम समूह पेयजल' के अंतर्गत कितनी धनराशि आबंटित की गयी;

(ग) इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए क्षेत्रों का राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 2001–2002 के दौरान और आज की तिथि तक त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्लू.एस.पी.) के अंतर्गत राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गयी/जारी की गयी;

(ङ) क्या सरकार को इस योजना के अंतर्गत धनराशि में वृद्धि करने संबंधी कोई निवेदन प्राप्त हुए है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(छ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ज) सरकार ने उड़ीसा में विशेष रूप से चक्रवात प्रभावित तटवर्ती क्षेत्रों में पेयजल प्रदान करने के लिए क्या योजना तैयार की है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता बर्मा) : (क) जिन ग्रामीण बसावटों में अभी पेयजल सुविधायें मुहैया कराई जानी हैं, उनके ब्यौरे दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) और (ग) भारत सरकार द्वारा "ग्राम समूह पेयजल" नामक कोई योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

(घ) 2001–2002 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत राज्यों को आबंटित और रिलीज की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(ङ) से (छ) जी हां। पेयजल की विकट समस्या के मद्देनजर कुछ राज्यों ने अतिरिक्त निधियां देने का अनुरोध किया है। गुजरात में भूकम्प और पेयजल की कमी से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर ग्रामीण पेयजल की समस्या से निपटने के लिए वर्ष 2000–2001 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत राज्य को उनके आबंटन के अलावा 100 करोड रुपये जारी किये गये थे। इसके अलावा, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तरांचल राज्यों में पेयजल की कमी से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने एक बारगी उपाय के रूप में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम से संबंधित दिशा–निर्देशों में इस आशय की छूट दी थी कि वार्षिक आबंटन के अनुसार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत जारी की गई निधियों को इन राज्यों में पेयजल की कमी से प्रभावित क्षेत्रों में विद्यमान ग्रामीण पेयजल योजनाओं की मरम्मत, नवीकरण, पुनरुद्धार, पुन: बहाली तथा बदलने की गतिविधियों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह छूट 30.6.2001 तक लागू थी। ऐसी छूट प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना–ग्रामीण पेयजल घटक में भी दी गई थी।

(ज) जल आपूर्ति राज्य का विषय होने के कारण ग्रामीण बसावटों में पेयजल आपूर्ति की योजनायें राज्य सरकारों द्वारा अपने

स्त्रोतों से कार्यान्वित की जाती हैं। केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम और प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना–ग्रामीण पेयजल घटक के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाकर उनके प्रयासों में मदद करती है। राज्यों को ग्रामीण जल आपूर्ति योजनायें बनाने, स्वीकृत करने तथा कार्यान्वित करने की शक्तियां दी गई हैं। इस तरह भारत सरकार ने विशिष्ट रूप से उड़ीसा सहित चक्रवात से प्रभावित तटीय क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने की कोई योजना तैयार नहीं की है।

विवरण-I

20.7.2001 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार 1.4.2000 को कवर न की गई बसावटों की स्थिति।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कवर न की गई बसावटें
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	403
3.	असम	801
4.	बिहार	2
5.	छत्तीसगढ	402
6.	गोवा	11
7.	गुजरात	255
8.	हरियाणा	0
9.	हिमाचल प्रदेश	1593
10.	जम्मू व कश्मीर	2348
11.	झारखंड	497
12.	कर्नाटक	35
13.	केरल	805
14.	मध्य प्रदेश	127
15.	महाराष्ट्र	2256
16.	मणिपुर	28
17.	मेघालय	549
18.	मिजोरम	0
19.	नागालैंड	393
20.	उडीसा	34
21.	पजाब	1792
22.	राजस्थान	6908
23.	सिक्किम	0
24.	तमिलनाडु	0
25.	त्रिपुरा	287
26.	उत्तर प्रदेश	32
27.	उत्तरांचल	325
28.	पश्चिम बंगाल	0
29.	अंड. निकोबार द्वीपसमूह	0
30.	दादर नागर हवेली	46
31.	दमन और दीव	0
32.	दिल्ली	0
33.	लक्षद्वीप	0
34.	पांडिचेरी	40
35.	चंडीगढ़	0
	कुल	19969

विवरण-II

2001–2002 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार आबंटन और रिलीज का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	त्वरित ग्रामीण जलआपूर्ति कार्यक्रम	
		आबटन	रिलीज *
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	13044.00	4850.75
2.	अरुणाचल प्रदेश	4476.00	0.00
3.	असम	7561.00	3780.50
4.	बिहार	7274.00	0.00

1	2	3	4
5.	छत्तीसगढ	3877.00	1938.50
6.	गोवा	1455.00	727.50
7.	गुजरात	7837.00	3918.50
8.	हरियाणा	2200.00	1100.00
9.	हिमाचल प्रदेश	5552.00	2776.00
10.	जम्मू व कश्मीर	9896.00	4948.00
11.	झारखंड	3619.00	0.00
12.	कर्नाटक	12414.00	6207.00
13.	केरल	6331.00	3165.50
14.	मध्य प्रदेश	8877.00	4438.50
15.	महाराष्ट्र	19159.00	9579.50
16.	मणिपुर	1643.00	0.00
17.	मेघालय	1760.00	880.00
18.	मिजोरम	1257.00	628.50
19.	नागालैंड	1308.00	654.00
20.	उडीसा	6522.00	3131.78
21	पंजाब	2277.00	547.00
22.	राजस्थान	18705.00	9352.50
23.	सिक्किम	536.00	268.00
24.	तमिलनाडु	7956.00	3978.00
25.	त्रिपुरा	1559.00	779.50
26.	उत्तर प्रदेश	13269.00	0.00
27.	उत्तरांचल	3356.00	1678.00
28.	पश्चिम बंगाल	8773.00	4386.50
29.	अंड. निकोबार द्वीपसमूह	13.00	0.00
30.	दादर व नागर हवेली	7.00	0.00
31	दमन और दीव	0.00	0.00
32.	दिल्ली	5.00	0.00
33.	लक्षद्वीप	0.00	0.00
34.	पांडिचेरी	5.00	0.00
35.	चंडीगढ़	0.00	0.00
	कुल	182523.00	73714.03

* 20-7-2001 तक

[हिन्दी]

सरकारी आवासों के किराये का भुगतान

1339. श्रीमती सुशीला सरोज : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दलीय कार्यालयों, भूतपूर्व मंत्रियों और भूतपूर्व संसद सदस्यों ने वैध अथवा अन्य तरीकों से अपने कब्जे में रखे सरकारी आवासों के किराए का भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों का नामवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी आवासो के बकाया किराए की वसूली हेतु कोई कडी कार्रवाई की है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास और गरीबी ग्पशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण I, II, III, में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) मांग जारी कर दी गई है और सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम 1971 के तहत जहां कहीं आवश्यक है वसूली की कार्रवाई शुरू की गई है।

विवरण-I

सरकारी आवास रखने वाले पार्टी कार्यालयों पर बकाया दर्शाने वाला ब्यौरा

क्र.सं.	राजनीतिक पार्टी का नाम	आवास	1.7.2001 को देय बकाया राशि
1	2	3	4
1	जनता पार्टी	5, प. पत मार्ग	441092.00
2.	जनता पार्टी (समाजवादी)	16, डा. आर. पी. रोड	2660067.00
3.	जनता पार्टी (समाजवादी)	13, विंडसर प्लेस	1117142.00
4.	यूनाइटेड फ्रंट	7, अकबर रोड	428815.00
5.	जनता दल (यू)	1–बी, मौलाना आजाद रोड	96180.00
6.	लोक दल	15, विंडसर प्लेस	2771062.00
7.	लोक दल (बी)	3, पंडित पंत मार्ग	348843.00
8.	बी.एस. पी.	12, जी.आर.जी रोड	17517.00
9.	एआईसीसी (आई)	26 अकबर रोड	100115.00
10.	एआईसीसी (आई)	सी–2/109, चाणक्यपुरी	177586.00
11.	एआईसीसी (आई)	5 रायसीना रोड	2742857.00
12.	डीपीसीसी (आई)	2, ताल कटोरा रोड	2097755.00
13.	भा.ज.पा.	11, अशोका रोड	413516.00
14.	भा.ज.पा. (दिल्ली यूनिट)	14, पंडित पंत मार्ग	34208.00
15.	भा.ज.पा.	ए–234, पंडारा रोड	58216.00
16.	कांग्रेस संसदीय पार्टी	781, लक्ष्मीबाई नगर	43813.00
17.	कांग्रेस संसदीय पार्टी	401 व 402 अलबर्ट स्क्वायर	28708.00
18.	भा.ज.पा.	857, मंदिर मार्ग	40073.00
19.	भा.ज.पा.	703, बी.के. एस. मार्ग	37875.00
20.	भा.ज.पा.	65/3डी/एस–2/डीआईजैड एरिया	34478.00
21.	कांग्रेस (आई) पार्टी	एस–IV/209, आर के पुरम	3336.00
22.	कांग्रेस (आई) पार्टी	एस–IV/892, आर के पुरम	20594.00
23.	कांग्रेस (आई) पार्टी	45–ए, एस–4, डीआईजैड एरिया	4180.00
24.	कांग्रेस (आई) पार्टी	80-एच/एस–4, डीआईजैड एरिया	3178.00
25.	कांग्रेस (आई) पार्टी	87 टी, एस–4, डीआईजैड एरिया	3178.00

1	2	3	4
26.	कांग्रेस (आई) पार्टी	896 बी.के.एस. मार्ग	5113.00
27.	कांग्रेस (आई) पार्टी	एच–556 के.बी. मार्ग	4631.00
28.	कांग्रेस (आई) पार्टी	181/एस–4, आर के पुरम	19246.00
29.	भा.ज.पा.	एच–1, कालीबाडी मार्ग	10687.00
30.	सीपीआई (एम)	8 वी. पी. हाउस	46138.00
31.	सीपीआई (एम)	14 वी. पी. हाउस	67780.00
32.	भा. रा. काग्रेस	15 वी. पी. हाउस	703.00
33.	भा. रा. कांग्रेस	16 वी. पी. हाउस	1544.00
34.	भा. रा. कांग्रेस	112 वी. पी. हाउस	859.00
35.	भा. रा. कांग्रेस	416 वी. पी. हाउस	2762.00
36.	भा. रा. कांग्रेस	411 वी. पी. हाउस	1040.00
37.	भा. रा. कांग्रेस	211 वी. पी. हाउस	1454.00
38.	भा. ज. पा.	24 वी. पी. हाउस	1497.00
39.	भा. ज. पा.	104 वी. पी. हाउस	894.00
40.	भा. ज. पा.	317 वी. पी. हाउस	1974.00
41.	भा. ज. पा.	301 वी. पी. हाउस	2269.00
42.	भा. ज. पा.	302 वी. पी. हाउस	1736.00
43.	भा. ज. पा.	417 वी. पी. हाउस	1383.00
44.	भा. ज. पा.	503 वी. पी. हाउस	4741.00
45.	भा. ज. पा.	523 वी. पी. हाउस	5649.00
46.	भा. क. पा.	119 वी. पी. हाउस	40249.00
47.	भा. क. पा.	201ए वी. पी. हाउस	42048.00
48.	भा. क. पा.	309 वी. पी. हाउस	42093.00
49.	समता पार्टी	220 वी. पी. हाउस	423913.00
50.	जनता पार्टी	418 वी. पी. हाउस	54788.00
51.	जनता पार्टी	115 वी. पी. हाउस	18824.00
52.	जनता पार्टी	416 वी. पी. हाउस	19858.00
53.	जनता दल	17 वी. पी. हाउस	41322.00

1	2	3	4
54.	जनता दल	एस क्यू 43 वी. पी. हाउस	8127.00
55.	जनता दल	एम जी 1 वी. पी. हाउस	12464.00
56.	एआईएडीएमके	16 वी. पी. हाउस	47056.00
57.	एआईएडीएमके	310 वी. पी. हाउस	54859.00

विवरण-II

मकान किराये के बारे में पूर्व मंत्रियों पर बकाये का ब्यौरा

क्र.सं.	नाम सर्व/श्री	आवास	1.7.2001 को देय बकाया राशि
1.	अजय सिंह	5, सफदरजंग लेन	210212.00
2.	पी. आर. कुमार मंगलम	30, औरंगजेब रोड	251950.00
3.	अरुण नेहरू	9, तीन मूर्ति मार्ग	43183.00
4.	ए. पी. शर्मा	17, अकबर रोड	95810.00
5.	ए. ए. रहीम	7 तुगलक लेन	15195.00
6.	अशलम शेर खान	5 डा. बी. डी. मार्ग	146562.00
7.	बी. के. गाढवी	5, सफदरजंग लेन	10288.00
8.	भजामन बेहरा	1, तीन मूर्ति लेन	144934.00
9.	बबन राव धाकने	16, तुगलक रोड	12206.00
10.	भक्तचरण दास	14, तीन मूर्ति लेन	99131.00
11.	बाबागौडा पाटिल	44, लोदी एस्टेट	31934.00
12.	बी. पी. वैश्य	2, सफदरजंग लेन	25052.00
13.	सी. एस. सिंह	15, अशोका रोड	74090.00
14.	चिन्तामणी पाणिग्रही	10, डा. बी. डी. मार्ग	1663.00
15.	चतुरानन मिश्र	11, केनिंग लेन	28824.00
16.	दसई चौधरी	83, लोदी एस्टेट	48349.00
17.	दौलत राम सारण	1, एच. सी. माथुर लेन	5451.00
18.	डी. एल. बैठा	20 कोपरनिक्स लेन	18178.00
19.	दलित इझिलमलाई	4, लोदी एस्टेट	91319.00
20.	दिनेश गोस्वामी	11, रेस कोर्स रोड	61858.00
21.	हरमोहन धवन	11 तीन मूर्ति लेन	63143.00

1	2	3	4
22.	एच. के. शास्त्री	4, तीन मूर्ति लेन	9106.00
23.	एच. के. एल. भगत	34, पृथ्वी राज रोड	1833442.00
24.	जगदीप धनकर	4, डुपलेक्स लेन	133497.00
25.	जे. वी. शाह	5, बी. आर. मेहता लेन	29637.00
26.	जगन्नाथ कौशल	15, तुगलक रोड	2056.00
27.	जगननाथ पहाडिया	9, के. एम. एम. रोड	5493.00
28.	सत्यपाल सिंह यादव	19, तीन मूर्ति लेन	160661.00
29.	के. वी. थंगकाबालू	3, एच. सी. माथुर लेन	117522.00
30.	श्रीमती कृष्णा शाही	7, सफदरजंग रोड	15989.00
31.	कल्याण सिंह कल्वी	5, डा. बी. डी. रोड	23964.00
32.	कविन्द्र पुरकायस्थ	8, सफदरजंग रोड	29134.00
33.	ललित विजय सिंह	ए बी 96 शाहजहां रोड	12784.00
34.	महावीर प्रसाद	17, तीन मूर्ति मार्ग	166762.00
35.	मधु दण्डवते	10, अशोका रोड	19892.00
36.	मनुभाई कटोरिया	2, अकबर रोड	53899.00
37.	एस. एस. गुरुपदस्वामी	7, सफदरजंग रोड	59714.00
38.	एम. अरुणाचलम	5, जनपथ	106650.00
39.	मकबूल डार	15, लोदी एस्टेट	123629.00
40.	मुकुल वासनिक	7, बी. जनपथ	54869.00
41.	एम. ए. नकवी	ए. बी. 88 शाहजहां रोड	277026.00
42.	स्व. श्री दिनेश सिंह	1, त्यागराज मार्ग	1292018.00
43.	पी. वी. रंगैया नायडू	24, विलिंगडन क्रिसेंट	34394.00
44.	राम बहादुर सिंह	33, साउथ एवेन्यू	7406.00
45.	रामजी लाल सुमन	20, विलिंगडन क्रिसेंट	146320.00
46.	रामानन्द यादव	14, डा. आर.पी. रोड	6627.00
47.	श्रीमती रामदुलारी सिन्हा	ए बी 96 शाहजहां रोड	78009.00
48.	आर. डी. अधिधन	10, अशोका रोड	53209.00
49.	राम लाल राही	47, लोदी एस्टेट	43613.00

1	2	3	4
50.	श्रीमती रत्नामाला सबानूर	3, सफदरजंग रोड	15046.00
51.	श्रीमती शीला दीक्षित	1, सर्कूलर रोड	10192.00
52.	एस. पी. मलिक	9, तीन मूर्ति मार्ग	84516.00
53.	शकीलूर रहमान	1, एम. एल. एन. मार्ग	79880.00
54.	सुब्रमण्यम स्वामी	5, सफदरजंग रोड	253370.00
55.	श्रीमती उषा सिंह	6, जी. आर. जी. रोड	19151.00
56.	वी. पी. साठे	2, के. एम. रोड	697899.00
57.	श्रीमती विमला वर्मा	2, जी. आर. जी. रोड	9270.00
58.	विलास मुत्तेमवार	5, जनपथ	10207.00
59.	जेड. आर. अंसारी	9, अकबर रोड	97766.00
60.	ए. के. पटेल	20, जी. आर. जी. रोड	64058.00
61.	मुहि राम सैकिया	34, औरगंजेब रोड	41446.00
62.	श्रीमती मोहसिना किदवई	12, जनपथ	51303.00
63.	ओमाक अपांग	58, लोदी एस्टेट	59228.00
64.	श्रीकांत जैना	ए बी 14, पंडारा रोड	59890.00
		योग	7929376.00
			79.29 लाख

विवरण-III

दिनांक 1.7.2001 को भूतपूर्व संसद सदस्यों पर सामान्य पूल वास से संबंधित बकाया राशि का ब्यौरा

क्र.सं.	नाम	आवास	राशि
1.	श्रीमती जहांआरा जैपाल सिंह	6, अशोका रोड	32395.00
2.	श्रीमती रानो शैजा	2, तीन मूर्ति लेन	3531.00
3.	श्री के. बी. अस्थाना	7, तीन मूर्ति मार्ग	2774.00
4.	श्री कामेश्वर सिंह	12, तालकटोरा रोड	44181.00
5.	श्री जे. बी. थोते	4, जंतर मंतर रोड	23701.00
6.	श्री एम. आर. कृष्णा	4, कुशक रोड	1700.00
7.	श्री जे. के. पी. एन. सिंह	5, सफदरजंग रोड	46454.00
8.	श्री सतीश प्रसाद सिंह	10, अकबर रोड	2000.00

1	2	3	4
9.	श्री मगन भाई बडोत	9, त्यागराज मार्ग	16637.00
10.	श्री के. पी. तिवारी	4–ए टेलीग्राफ लेन	4908.00
11.	श्री बालेश्वर राम	9, अशोक रोड	8269.00
12.	श्री आर. सी. रथ	8, टी. एम. मार्ग 7 डुप्लेक्स लेन	39988.00
13.	श्री आर. मोहन रंगम	11, तीन मूर्ति लेन	15420.00
14.	श्री एल. के. झा	10, जनपथ	39107.00
15.	स्व. जयदीप सिंह बरिया	17, तीन मूर्ति मार्ग	21277.00
16.	श्री जे. के. जैन	7, बी. आर. एम. लेन	9181.00
17.	मौलाना सईद ए. हक	14, कापरनिक्स मार्ग	16895.00
18.	श्री आर. सी. विकाल	5, डुप्लेक्स मार्ग	26039.00
19.	श्रीमती कृष्णाकौल	1, तीन मूर्ति लेन	156121.00
20.	स्व. श्री मो. अमीन अंसारी	12, जी. आर. जी. रोड	25246.00
21.	स्व. श्री सी. पी. एन. सिंह	2, अकबर रोड	38886.00
22.	श्री भागवत झा आजाद	7, अशोका रोड	328563.00
23.	श्रीमती मनोरमा सिंह	18, आर. पी. रोड, 15 अशोक रोड	106222.00
24.	श्री दिग्विजय सिंह	4, डुप्लेक्स लेन	1181.00
25.	श्री वीर सेन	4, जे. एम. रोड	50265.00
26.	स्व. श्री तपेश्वर सिंह	6, लोदी एस्टेट	54077.00
27.	स्व. श्री जगन्नाथ राव	3, मोती लाल नेहरू पैलेस	67187.00
28.	श्रीमती एन. के. शक्तावत	154, साउथ एवेन्यू	976.00
29.	श्री रामेश्वर नीखारा	सी–1/39, पंडारा पार्क	18805.00
30.	स्व. श्री सी. माधव रेड्डी	7, रायसीना रोड	3443.00
31.	स्व. श्री जी. एम. ढिल्लो	3, त्याग राज मार्ग	135739.00
32.	श्रीमती माधुरी सिंह	11, त्याग राज मार्ग	81039.00
33.	स्व. श्री वीरेन्द्र पाटील	2, तुगलक रोड	40142.00
34.	श्री जे. एन. कौशल	15, तुगलक रोड	3317.00
35.	श्री अताउर रहमान	सी–2 बी. के. एस. मार्ग	13617.00
36.	श्री पुरुषोत्तम कौशिक	17, बीआर एम लेन 421, वीपीएच	152969.00

1	2	3	4
37.	श्री टी. एम. अंजाई	14, सी. एफ. एस. रोड	60146.00
38.	श्रीमती सुमति उरांव	3, एलेक्ट्रीक लेन	85042.00
39.	स्व. कौलाश राठी त्रिपाठी	9, जनपथ	372916.00
40.	श्री एस. वी. सिंह	सी 1/4 पडारा पार्क	20373.00
41.	श्री सी. बी. ठाकुर	बी-6 बी. के. एस. मार्ग	73965.00
42.	चौधरी राम सेवक	11–ए तीन मूर्ति मार्ग	75000.00
43.	स्व. श्री बिन्देश्वरी दूबे	21, विलिंगडन क्रिसेंट	31059.00
44.	स्व. श्री भागे गोवर्द्धन	19, बी. डी. मार्ग	207728.00
45.	स्व. श्री दरबारा सिंह	9, के. एम. मार्ग	529572.00
46.	श्री एम. पदमनाभन	7, रायसीना मार्ग	588656.00
47.	श्री एम. सी. भंडारे	3, मोतीलाल नेहरू मार्ग	34347.00
48.	स्व. श्री ओम मेहता	30, पृथ्वी राज रोड	493203.00
49.	पं. रवि शंकर	95, लोटी एस्टेट	492627.00
50.	श्री विनोद शर्मा	12, तुगलक लेन	361299.00
51.	श्री आर. के. धवन	84–85, लोधी एस्टेट	59999.00
52.	श्री सज्जन कुमार	7, अकबर रोड	156349.00
53.	श्री रशीद मसूद	7, अशोका रोड	199243.00
54.	श्रीमती एम. चन्द्रशेखर	8, अशोका रोड	49620.00
55.	श्री एस. आर. पोटदुखे	10, अशोका रोड	13122.00
56.	श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा	34, औरगंजेब रोड	2407.00
57.	श्री अमल दत्ता	एबी 2 पुराना किला रोड	14338.00
58.	श्री दलबीर सिंह	12, सफदरजंग रोड	8153.00
59.	श्री एम. एस. भट्ट	1, तालकटोरा रोड	98756.00
60.	श्री एस. बी. न्यमागोडा	9, तीन मूर्ति लेन	16256.00
61.	श्री एस. एस. कैरोन	11, तीन मूर्ति लेन	122401.00
62.	श्री हरी किशोर सिंह	9, त्याग राज मार्ग	27813.00
63.	श्री के. पी. उन्नीकृष्णन	9, सफदरजंग रोड	319520.00
64.	श्रीमती के. कमला कुमारी	बी–6 के. बी. एस. मार्ग	46731.00

1	2	3	4
65.	श्री कमलूद्दीन अहमद	9, अशोका रोड	101864.00
66.	श्रीमती संतोष चौधरी	एबी 88, शाहजहां रोड	5770.00
67.	श्री बी. शंकरानंद	8, तीस जनवरी मार्ग	135382.00
68.	श्री के जे. एस. पी. रेड्डी	10, लोधी एस्टेट	16593.00
69.	श्री वी. सी. शुक्ला	9, जनपथ	96399.00
70.	श्री एस. कृष्णा कुमार	19, तीन मूर्ति मार्ग	280286.00
71.	श्री पी. के. थुंगन	एबी 3, पंडारा रोड	192705.00
72.	श्री अरविन्द नेताम	5, बी.आर.एम. लेन	28348.00
73.	कर्नल राम सिंह	8, अशोका रोड	293580.00
74.	श्री जी. वैंकटस्वामी	2, जंतर मंतर रोड	490548.00
75.	श्री एस. पी. मालविय	5, डुप्लेक्स रोड	30630.00
76.	श्री टी. आर. अमला	90, शाहजहां रोड	36326.00
77	श्री एम. एम. हाशिम	एबी–19, तिलक मार्ग	76954.00
78.	श्री चिमनभाई मेहता	2, तुगलक रोड	90435.00
79.	कुमारी शैलजा	3, सुनहरी बाग रोड	7210.00
80.	श्री इकबाल सिंह	34, लोधी एस्टेट	41928.00
81.	श्री सुखवंश कौर भिंडर	19, सफदरजंग रोड	355436.00
82.	श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा	17, तीन मूर्ति मार्ग	141736.00
83.	श्री भीम सिंह पूर्व एमएलए	4, बी. पी. हाउस	305059.00
84.	श्री बी. एन. पाण्डे	1, लोधी एस्टेट	307642.00
85.	श्री मतंग सिंह	4, कुशक रोड़	284950.00
86	मोहम्मद यूनिस	1, तुगलक रोड	505446.00
87.	श्री एम. एल. फोतेदार	6, कुशक रोड	5971.00
88.	श्रीमती मीरा कुमार	6, के. एम. मार्ग	57582.00
89.	श्री पी. शिवशंकर	2, वि. क्रिसेंट	309929.00
90.	डा. संजय सिंह	11, सफदरजंग रोड	98508.00
91.	श्री तरीक अवर	20, वि. क्रिसेंट	4529.00
92.	श्री तरुण गोगोई (मुख्य मंत्री, असम)	13, तालकटोरा रोड	30411.00

1	2	3	4
93.	श्री आरिफ मो. खान	3, सुनहरी बाग रोड	237643.00
94.	श्री एम. एम. जैकब (अब राज्यपाल)	4, कुशक रोड	98583.00
95.	श्री सैफुद्दीन चौधरी	14, अशोका रोड	3158686.00
96.	श्री एम. रामचन्द्रन	4, साउथ एवेन्यू लेन	323515.00
97.	स्व. श्रीमती विजया राजे सिंधिया	16, तीन मूर्ति लेन	245825.00
98.	स्व. श्री कल्पनाथ राय	16, औरंगजेब रोड	400645.00
99.	श्री पी. जे. कुरियन	एबी 77, शाहजहां रोड	184110.00
100.	श्री एम. मल्लिकार्जुन	60, लोधी एस्टेट	215305.00
101.	श्री एस. नस्लीमुद्दीन	2, मोती लाल प्लेस	1026919.00
102.	श्री एम. एम. सईद	3, तुगलक लेन	476426.00
103.	प्रो. सैफुद्दीन सोज	7, तुगलक रोड	352139.00
104.	श्री के. बापी राजू	23, कैनिंग लेन	216024.00
105.	श्री एम. थम्बी दुरैई	बी–5 जाकिर हुसैन मार्ग	350033.00
106.	श्री के. एम. जर्नादनन	3, सुनहरी बाग रोड	361591.00
107.	स्व. श्री राजेश पायलट	10, अकबर रोड	559409.00
108.	स्व. श्री जितेन्द्र प्रसाद	11, तीन मूर्ति मार्ग	197468.00
109.	श्री एम. एस. सोलंकी	2–ए, मोतीलाल नेहरू मार्ग	8109.00
110.	श्री वी. हनुमन्ता राव	21, विलिंगटन क्रिसेंट	1222994.00
111.	श्री ई. बालानन्दन	8, तीन मूर्ति लेन	274263.00
112.	श्री वी. के. सी. एस. देव	49, लोधी एस्टेट	95296.00
113.	डा. जगन्नाथ मिश्रा	7, तीन मूर्ति मार्ग	178311.00
114.	स्व. श्री देवी लाल (5.6.2001 से किराया देनदारी तय की जानी है)	100, लोधी एस्टेट	628031.00
115.	श्री राजनाथ सिंह	40, अशोका रोड	121802.00
	(अब मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश 29.5.2001 से किराया देनदारी तय की जानी है)	38, अशोका रोड	71075.00
116.	श्री बाबू लाल मरांडी (मुख्य मंत्री, झारखंड)	20, तुगलक क्रिसेंट	130234.00
		कुल	21649486.00
		लगभग	2.16 करोड़ रुपये

[अनुवाद]

इतिहास का पाठ्यक्रम

1340. श्री प्रियरंजन दासमुंशी :

श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने इतिहास के पाठ्यक्रम में संशोधन करने हेतु किसी विशेषज्ञ समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त पैनल/समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिये जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

शिक्षा विकास निगम

1341. श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील :

श्री सुबोध मोहिते :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 2008 तक भारत को शिक्षा के क्षेत्र में एक महाशक्ति बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु शिक्षा विकास निगम स्थापित करने का है.

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में शिक्षा के विकास से संबंधित मुद्दों की जांच करने हेतु कोई समिति गठित की गयी है;

(घ) यदि हां, तो इस समिति ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) शिक्षा का विकास एक सतत् प्रक्रिया है। शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों मे अनेक समितियां/आयोग इत्यादि समय-समय पर गठित किये जाते रहे हैं। इन समितियों की सिफारिशें सामान्यतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और कार्य योजना, 1992 की प्रमुख सरचना के भीतर कार्यान्वित की जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसरण मे कार्यान्वयन और अपनायी गई कार्यनीतियों की कारगरता की समय-समय पर समीक्षा की जाती रही है और उपयुक्त संशोधन किये जाते रहे हैं।

ग्रामीण विकास के लिए हडको द्वारा स्वीकृत ऋण

1342. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हडको ने वर्ष 2000-2001 के दौरान ग्रामीण विकास के लिए राज्य-वार कितना ऋण स्वीकृत किया;

(ख) विशेषकर महाराष्ट्र में मलिन बस्तियों के विकास और सड़को, पुलों के विकास के लिए खर्च की गयी राशि/खर्च की जाने वाली सभावित राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में इस राशि में अब तक बनाई गई सडकों का ब्यौरा और पुलों की संख्या क्या है;

(घ) क्या राज्य में इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा राज्य में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

दिल्ली में आपराधिक मामले

1343. डा. बलिराम :

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998-99, 1999-2000, 2000-2001 और आज की तिथि तक दिल्ली मे अपराधवार और जिलावार कितने अपराधों की सूचना मिली है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने मामलों को सुलझा लिया गया/नहीं सुलझाया गया; और

(ग) सरकार द्वारा राजधानी में बढती हुई आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) अपेक्षित ब्यौरे नीचे दिए गए हैं

वर्ष	सूचित किए गए भा.द.सं. मामलों की कुल संख्या	हल किए गए मामलों की संख्या	उन मामलों की संख्या जिन्हें अभी हल किया जाना है	जांच–पडताल के लिए लम्बित पड़े मामले
1998	65161	35093	29600	468
1999	59147	35577	22384	1186
2000	56249	33861	13969	8419
2001	26692	12385	4952	9355

30/6/2001 तक

(ग) आपराधिक गतिविधियों में बढोत्तरी को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में, अन्य बातों के साथ–साथ, चल गश्त को गहन करना, सामरिक महत्व के स्थानों पर सशस्त्र टुकड़ियां तैनात करना, आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करना, अपराधियों और आतंकवादियों के छिपने के संदिग्ध ठिकानों पर कड़ी निगरानी रखना और बार–बार छापे मारना, घरेलू नौकरों के पूर्ववृत्तों का सत्यापन, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों पर निगरानी में बढोत्तरी, पडोसी राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें करना, आवासीय कल्याण संघों के सदस्यों के साथ बैठकें करना, प्रत्येक पुलिस जिले में आतंकवादी–विरोधी एककों की स्थापना और चलती बसों, बाजारों व्यापारिक स्थानों और अन्य अपराध बहुल स्थानों पर सादे कपडों में पुलिस कार्मिकों की तैनाती शामिल है।

विवरण

वर्ष 1998

जिला	डकैती	हत्या	हत्या का प्रयास	लूटपाट	दंगा	बलात्कार	चोट पहुचाना	चोरी	विविध भा.द.स.	कुल भा.द.स.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
उत्तरी	4	46	55	67	19	35	219	2225	2001	4671
उत्तर–पश्चिमी	13	119	126	119	12	72	463	5271	3460	9655
केन्द्रीय	1	34	34	79	15	24	198	2119	2290	4794
नई दिल्ली	3	10	6	32	22	9	43	2939	1094	4158
पूर्वी	13	64	51	63	20	24	236	2102	1651	4224
उत्तर–पूर्वी	14	118	116	137	18	57	508	2113	2264	5345
दक्षिणी	10	103	79	160	42	79	300	8959	3912	13644
दक्षिण–पश्चिमी	7	66	53	79	–	59	143	2997	2519	5923

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
पश्चिमी	2	86	87	67	16	85	391	4442	4491	9667
अपराध और रेलवे	1	10	5	16	0	0	17	2013	321	2383
इदिरा गाधी अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट	0	1	0	3	0	8	10	94	581	697
कुल	68	657	612	822	164	452	2528	35274	24584	65161
					वर्ष 1999					
उत्तरी	3	37	42	61	15	40	187	2051	1793	4229
उत्तर–पश्चिमी	16	157	96	122	20	75	402	5122	3586	9596
केन्द्रीय	2	35	35	47	9	34	182	2141	1366	3851
नई दिल्ली	0	6	6	27	10	4	42	2165	860	3120
पूर्वी	6	63	45	62	14	25	262	2704	1280	4461
उत्तर–पूर्वी	6	101	109	85	18	45	408	2061	1452	4285
दक्षिणी	16	83	89	139	44	73	301	7178	2788	10711
दक्षिण–पश्चिमी	7	59	45	48	43	42	139	2845	2346	5574
पश्चिमी	7	97	109	109	22	67	261	4011	3155	7838
अपराध और रेलवे	0	14	5	21	4	2	10	2161	3085	5302
इंदिरा गाधी अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट	0	2	0	6	0	1	7	62	102	180
कुल	63	654	581	727	199	408	2201	32501	21813	59147
					वर्ष 2000					
उत्तरी	3	36	32	65	18	27	175	1822	1903	4081
उत्तर–पश्चिमी	20	125	102	121	27	87	430	4390	4287	9589
केन्द्रीय	4	21	36	37	8	33	118	1920	1475	3652
नई दिल्ली	0	6	9	23	15	9	45	1745	974	2826
पूर्वी	9	58	61	78	15	18	266	2427	1560	4492
उत्तर–पूर्वी	1	89	100	101	25	49	366	1569	1656	3956
दक्षिणी	11	102	89	168	51	75	322	6965	3396	11179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
दक्षिण–पश्चिमी	13	66	46	68	38	71	154	2939	2354	5749
पश्चिमी	7	78	117	80	11	76	366	3735	3899	8369
अपराध और रेलवे	1	6	3	13	2	0	12	1525	182	1744
इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट	0	1	0	4	0	1	4	87	515	612
कुल	69	588	595	758	210	446	2258	29124	22201	56249

वर्ष 2001 (30.6.2001 तक)

उत्तरी	0	13	15	32	4	12	94	1004	953	2127
उत्तर–पश्चिमी	8	64	63	70	10	53	210	2390	2197	5065
केन्द्रीय	1	12	20	30	9	11	45	1155	597	1880
नई दिल्ली	0	5	7	8	5	4	16	753	474	1272
पूर्वी	0	32	29	16	10	9	102	1252	771	2221
उत्तर–पूर्वी	2	31	47	47	4	20	124	773	706	1754
दक्षिणी	5	44	34	64	30	30	154	3130	1627	5118
दक्षिण–पश्चिमी	4	32	28	37	18	29	84	1227	1158	2617
पश्चिमी	1	31	23	27	3	19	111	1548	1671	3434
अपराध और रेलवे	0	5	2	6	0	1	6	777	62	859
इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट	0	0	1	1	1	0	4	35	303	345
कुल	21	269	269	338	94	188	950	14044	10519	26692

[अनुवाद]

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का कार्यनिष्पादन

1344. श्री जी. जे. जावीया : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के कार्यकरण/कार्यनिष्पादन की हाल ही में समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों से तकनीकी संस्थाओं को स्थापित करने संबधी प्राप्त अधिकांश प्रस्ताव लंबित पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी राज्यवार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) स्वीकृति प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए स्वीकृति प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और

(ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद संसद अधिनियम द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय है। मंत्रालय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के कार्यकरण/कार्यनिष्पादन की समीक्षा करता है और सतत् आधार पर पूर्ण रूप से मार्गदर्शन करता है।

(ग) और (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार प्राप्त किए गए प्रस्तावों की जाच दिशानिर्देशों, मानकों और मानदण्डों के अनुसार की गई थी। दिशानिर्देशों तथा निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने वाले प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

(ङ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने तकनीकी संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान करने हेतु प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले विनियमों को अधिसूचित किया है। अनुमोदन पर अंतिम निर्णय लेने से पहले राज्यों, संबद्ध विश्वविद्यालयों/राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्डों के साथ परामर्श करने के साथ-साथ विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों पर भी विचार किया जाता है।

एच.ओ.सी.एल. का कोचीन तेलशोधक कारखाने में विलय

1345. श्री जार्ज ईडन : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अम्बालामेडू, केरल स्थित एच. ओ.सी.एल. का विलय कोचीन तेलशोधक कारखाने में करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स के मजदूर संघों से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (घ) कंपनी की कोचीन इकाई का कोचि रिफाइनरीज लि. के साथ विलय करने के लिए एच ओ सी एल कोचिन इकाई की ज्वाइंट एक्शन कांउसिल तथा अन्यों से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

कंपनी की विभिन्न कर्मचारी यूनियनों से भी कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं। इन यूनियनों के नाम तथा उनके मुख्य सुझाव संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

अभी अंतिम रूप से कोई निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि सरकार प्रबंधन नियंत्रण के साथ-साथ एच ओ सी एल में अपनी 33% शेयर धारिता किसी सामरिक भागीदार को विनिवेशित करने पर विचार कर रही है।

विवरण

एच ओ सी एल की कोचीन इकाई का कोचि रिफाइनरीज लि. के साथ विलय के प्रस्ताव के संबंध में एच ओ सी एल की विभिन्न श्रमिक यूनियनों के विचार

क्रम सं.	श्रमिक यूनियन का नाम	विचार
1	2	3
1.	एच ओ सी एल अधिकारी संघ, रसायनी	वे कोचीन इकाई का कोचि रिफाइनरीज लि. के साथ विलय संबंधी प्रस्ताव का विरोध करते हैं क्योंकि इससे रसायनी के कर्मचारियों की जिन्दगी दांव पर लग जाएगी।
2.	पातालगंगा रसायनी कामगार संगठन, रसायनी	–वही–
3.	एच ओ सी एल अधिकारी संघ, कोचीन	वे सिर्फ कोचीन इकाई का कोचि रिफाइनरीज लि. के साथ विलय चाहते हैं, क्योंकि इससे इकाई का कार्यनिष्पादन और इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता और बेहतर हो जाएगी। यदि सरकार इस बिक्री से प्राप्त धनराशि रसायनी इकाई में लगाती है, तो रसायनी इकाई की पुनर्संरचना की जा सकती है और इसे पुनः चुस्त-दुरुस्त किया जा सकता है।
4.	सेव एच ओ सी एल ज्वाइंट एक्शन कांउसिल, कोचीन	चूंकि दोनों इकाइयों का बी पी सी एल के साथ विलय का विकल्प बी पी सी एल प्रबंधन को स्वीकार्य नहीं था, इसलिए कंपनी के मामले को

1	2	3
		बी आई एफ आर को सौंपने से बचाने का एक ही रास्ता यह है कि एच ओ सी एल कोचीन इकाई के मेसर्स कोचि रिफाइनरीज लि. के साथ तत्काल विलय पर विचार किया जाए। बिक्री से प्राप्त धनराशि को रसायनी इकाई के पुनरुद्धार हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है।
5.	एच ओ सी एल कर्मचारी यूनियन, रसायनी	एच ओ सी एल का बी सी पी एल के साथ पूर्ण रूप से विलय यदि ऐसा तत्काल हो। इसके विपरीत विनिवेश प्रयोजनार्थ सामरिक भागीदारों से 'मंशाभिव्यक्ति'' आमंत्रित किए जाने के लिए विनिवेश प्रक्रिया द्रुत गति से चलनी चाहिए।

[हिन्दी]

माध्यमिक शिक्षा व्यवसायीकरण योजना

1346. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999–2000 और 2000–2001 के दौरान देश में माध्यमिक शिक्षा व्यवसायीकरण योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि आबंटित की गयी;

(ख) उक्त योजना के अन्तर्गत धनराशि के आबंटन का क्या आधार है;

(ग) वर्ष 2001–2002 के दौरान उक्त योजना के अन्तर्गत कितने बेरोजगार युवकों के लाभान्वित होने का लक्ष्य है; और

(घ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई शुल्क लिया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) वर्ष 1999–2000 के दौरान माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायोन्मुख बनाने संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत 10.50 करोड रुपए तथा 2000–01 में 35.00 करोड़ रु. था। धनराशि का आबंटन राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों तथा उनके द्वारा निधियों के उपयोग के आधार पर किया जाता है वर्ष 2001–02 के दौरान इसका लक्ष्य इस योजना के अंतर्गत +2 स्तर के 57000 छात्रों को लाभ पहुंचाना है। इस योजना के अंतर्गत कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि

1347. श्री वाई. वी. राव : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि जारी करने के लिए राज्य सरकारों की ओर से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार विशेषकर आंध्र प्रदेश के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश राज्य में चल रही भीषण सूखे की स्थिति के मद्देनजर, केन्द्र सरकार ने इस मांग पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि मंजूर/जारी की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2000–2001 के दौरान विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत, आंध्र प्रदेश सहित, राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई अतिरिक्त निधियों तथा केन्द्र सरकार द्वारा उनको रिलीज की गई निधियों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। मंत्रालय ने 2000–2001 के दौरान मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, असम तथा मिजोरम की सरकारों से इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध भी प्राप्त हुए थे जिन्हें समग्र आवास योजना के अंतर्गत समायोजित किया गया था। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने 2000–2001 के दौरान बाढ/चक्रवात से पीडित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए 2 लाख अतिरिक्त आवासों के लिए अनुरोध किया था, लेकिन इस पर सहमति नहीं हो पाई थी।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश में सूखे की स्थिति पर विचार करते हुए आंध्र प्रदेश मे 18 जिलों को जवाहर ग्राम समृद्धि रोजगार योजना के अंतर्गत 35.81 करोड राशि की अग्रिम दूसरी किस्त रिलीज की गई थी। सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तरांचल और उडीसा राज्यों को, इन राज्यों में सूखे की स्थिति के कारण अतिरिक्त सहायता जारी की गई थी।

विवरण

2000–2001 के दौरान विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई तथा उनको रिलीज की गई अतिरिक्त निधियों के ब्यौरे

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ई.ए.एस.		एन.एस.ए.पी.		अन्नपूर्णा	
		मांगी गई	रिलीज की गई	मांगी गई	रिलीज की गई	मांगी गई	रिलीज की गई
1.	आंध्र प्रदेश		70.57	11.75	10.37	10.16	3.12
2.	असम					94.00	0.00
3.	बिहार		391.38				
4.	चंडीगढ			13.00	0.00		
5.	गुजरात		1300.00	1212.00	1000.00		
6.	हिमाचल प्रदेश			95.00	0.00		
7.	झारखंड		492.49				
8.	कर्नाटक		95.06				
9.	मध्य प्रदेश		46.77				
10.	मणिपुर			167.00	0.00		
11.	मेघालय			419.00	0.00		
12.	मिजोरम			72.00	0.00		
13.	नागालैंड			390.00	0.00		
14.	उड़ीसा		13.86	468.00	468.00		
15.	पंजाब		33.22				
16.	राजस्थान		176.17			3.18	3.18
17.	तमिलनाडु			2285.00	0.00		
18.	उत्तर प्रदेश		809.28			16.16	5.18
19.	उत्तरांचल		7.20				

ई.ए.एस. –सुनिश्चित रोजगार योजना

एन.एस.ए.पी – राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

नवौषधियों के निर्माता

1348. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन दवाओ, जिन्हे देश में ही अनुसंधान और विकास के माध्यम से विकसित किया गया है, के विनिर्माताओ को मूल्य–नियंत्रण से 15 वर्ष के लिए छूट देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भेषज क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के संबंध में विनिर्माताओं के हितार्थ सरकार द्वारा आगे भी जिन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है, उनका ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) सितम्बर, 1994 में घोषित "औषध नीति में संशोधन, 1996" के अनुसार कोई नई औषध जिसका अन्यत्र उत्पादन नहीं हुआ है, यदि उसे स्वदेशी आर एंड डी के माध्यम से जिस कंपनी द्वारा विकसित किया जाता है, तो उसके पक्ष मे उसे वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से 10 वर्ष के लिए मूल्य नियंत्रण से बाहर रखा जाएगा।

(ग) देश में भेषज उद्योग की अनुसंधान और विकास क्षमता को सुदृढ बनाने के उपायों की सिफारिश करने और स्वदेशी आर एंड डी शुरू करने के लिए भारतीय भेषज कम्पनियों द्वारा अपेक्षित सहायता का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा डा. आर. ए. माशेलकर, महानिदेशक, सी एस आई आर की अध्यक्षता मे गठित भेषजीय अनुसंधान और विकास समिति ने उस दिशा में उपायों का सुझाव देते हुए सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। औषध नीति में परिवर्तन करते समय समिति की सिफारिशों सहित सभी संगत पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा।

'पीपुल्स वार ग्रुप' की गतिविधियां

1349. श्री एन. जनार्दन रेड्डी : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश के विभिन्न भागों में अपनी गतिविधियां संचालित कर रहे 'पीपुल्स वार ग्रुप' ने 'पीपुल्स गुरिल्ला आर्मी' (पी.जी.ए.) के रूप में अपना नया संघठन बनाया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पी. जी. ए. अवैध रूप से भारी रकम और अत्याधुनिक हथियार इत्यादि जमा करता रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या केंद्र सरकार देश में पी.जी.ए. की हरकतों पर रोक लगाने में विफल रही हैं; और

(ड.) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) :(क) और (ख) इस आशय की रिपोर्टें हैं कि पीपुल्स वार ग्रुप ने आन्ध्र प्रदेश में पीपुल्स गुरिल्ला आर्मी स्थापित की है और अन्य प्रभावित राज्यों मे अपने कार्यकर्ताओं के सैन्यीकरण का प्रयास कर रहा है।

(ग) माना जाता है कि सी पी एम एल–पी डब्ल्यू लूटखसोट करके विभिन्न स्रोतों से धन एकत्रित करता रहा है और साथ ही साथ अधुनातम हथियार प्राप्त करता रहा है जिनमें से कुछ शायद पी जी ए को दे दिए गए हैं।

(घ) और (ड) "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं, अतः यह संबंधित राज्य सरकारों का काम है कि वह राज्य में वामपंथी उग्रवादी गतिविधियों को रोकने के लिए विभिन्न तरीके निकाले और ठोस कदम उठाए। तथापि, कुछ राज्यों में वामपंथी उग्रवादी गतिविधियों की समग्र विस्तार को ध्यान में रखते हुए, अत्याधिकि प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को सदस्यों के रूप मे लेकर केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समन्वय केन्द्र, नियमित रूप से वामपंथी उग्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा और समन्वय करता है, प्रत्येक राज्य की कार्य योजना का प्रबोधन करता है और समस्या के विकास और सुरक्षा पहलुओं, दोनों पर अपनी सिफारिश देता है।

वामपंथी उग्रवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए केन्द्र से वित्तीय सहायता, समस्या से समग्र रूप से निपटने के लिए प्रभावित क्षेत्रों के लिए विकास योजनाएं बनाना, आसूचनाओं का आदान–प्रदान और आवश्यकता आधार पर अर्द्ध सैनिक बलों की सहायता उपलब्ध करवाना आदि जैसे कुछ महत्वपूर्ण निर्णय केन्द्र द्वारा लिए गए हैं और इन पर प्रभावशाली ढंग से अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

वामपंथी उग्रवाद से लडने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप आन्ध्र प्रदेश में 1999 की तुलना में वर्ष 2000 के दौरान तथा चालू वर्ष (30 जून तक) के दौरान वर्ष 2000 की समकालीन अवधि की तुलना में वामपंथी उग्रवादी हिंसाओं में कमी आई है।

जाति प्रमाणपत्र अधिनियम, 2000

1350. श्री चन्द्रकांत खैरे :

श्री प्रकाश वी. पाटील .

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार की ओर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विअधिसूचित जनजाति, खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग तथा विशेष पिछडा वर्ग जाति प्रमाण–पत्र अधिनियम, 2000 के संबंध में अनुमोदन प्राप्त करने हेतु कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में पावती–तिथि क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ङ) महाराष्ट्र अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, डी–नोटीफाईड जनजाति (विमुक्त जातियां), खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछडे वर्ग एवं विशेष पिछडे वर्ग जाति प्रमाण–पत्र का निर्गम एवं सत्यापन नियमित करना विधेयक, 2000 पर राष्ट्रपति जी ने 16.5.2001 को स्वीकृति प्रदान कर दी है और राज्य सरकार को तदनुसार सूचित कर दिया है।

[हिन्दी]

जिला साक्षरता समितियां

1351. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला साक्षरता समितियों को 'नवसाक्षर साहित्य' की खरीद के लिए सरकार की ओर से अनुदान राशि मिलती रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन्हें निजी प्रकाशनकर्ताओं से 'नवसाक्षरों के लिए साहित्य' खरीदने की अनुमति है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन समितियों द्वारा साहित्य की खरीद से पूर्व कोई आकलन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) सतत् शिक्षा योजना के तहत राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के माध्यम से जिला साक्षरता समितियों को नवसाक्षर साहित्य खरीदने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) एक राज्य स्तरीय समिति है जो नव–साक्षर साहित्य का चयन करती है जिन्हें बाद में जिला साक्षरता समिति द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार और साहित्य की उपयुक्तता के आधार पर खरीदा जाता है।

[अनुवाद]

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

1352. श्रीमती रेनु कुमारी : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण को 700 एकड से भी अधिक क्षेत्रफल वाली उस सरकारी भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के लिए निदेशित किया है, जिसे राजधानी में हरित–क्षेत्र के रूप में आरक्षित रखा गया था/उद्दिष्ट किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में केन्द्र सरकार व दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने जुलाई, 1974 में एक अधिसूचना जारी करके इन क्षेत्रों को हरित–पट्टी के रूप में अनुरक्षित करने को कहा था;

(घ) यदि हां, तो इस अधिसूचना पर कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का इसके लिए जिम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

एकीकृत ग्रामीण आवास योजना

1353. श्री सुबोध राय : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकीकृत ग्रामीण आवास योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस योजना को समस्त राज्यों में क्रियान्वित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) समस्त राज्यों में इस योजना का क्रियान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय समेकित ग्रामीण आवास योजना को कार्यान्वित नहीं कर रहा है। तथापि, इंदिरा आवास योजना, प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजनाः ग्रामीण आवास, ग्रामीण आवास के ऋण–सह–सब्सिडी योजना, समग्र आवास योजना, ग्रामीण निर्मित केन्द्र तथा ग्रामीण आवास एवं पर्यावास का अभिनव चरण की योजनाएं इस मत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) से (ङ) उपरोक्त (क) के मद्देनजर, प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय महिला आयोग

1354. डा. वी. सरोजा : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग को विशेषज्ञों की नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग को ऐसी अतिरिक्त शक्तियां, जिनमें जांच करने तथा अभियोग चलाने की शक्ति सम्मिलित है, दिए जाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा – 8 के अनुसार, राष्ट्रीय महिला आयोग को ऐसे विशेष मुद्दों के निपटान के लिए समितियां नियुक्त करने की शक्तियां हैं, जो आयोग द्वारा समय–समय पर उठाये जाते हैं और इस प्रकार की समितियों में आयोग अपने विवेकानुसार उपयुक्त संख्या में व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है।

(ख) से (घ) इस संबंध में अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर विचार कर उपयुक्त संशोधन संसद के समक्ष लाया जाएगा।

उपकुलपतियों के रिक्त पद

1355. श्री रामजीवन सिंह :

श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में, विश्वविद्यालयवार, कुलपतियों के कितने पद रिक्त पडे हैं;

(ख) ये पद कितने समय से रिक्त पडे हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन रिक्तियों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों नामतः पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, असम विश्वविद्यालय और बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में कुलपति के पद रिक्त हैं। इन पदों को भरने के लिए जांच समितियां पहले ही गठित की जा चुकी हैं तथा उनकी सिफारिशों पर, यदि वे उपलब्ध हैं तो कार्रवाई आरंभ की गई है।

मणिपुर में स्थिति की समीक्षा करने के लिए केन्द्रीय दल

1356. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने एन.एस.सी.एन. के साथ युद्ध विराम करने के निर्णय से मणिपुर में उठे विभिन्न मुद्दों की समीक्षा करने के लिए एक केन्द्रीय दल को वहां भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस केन्द्रीय दल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ङ) जी हां, श्रीमान्! एक केन्द्रीय दल, जिसमें श्री आई डी स्वामी, गृह राज्य मंत्री और डा. पी. डी. शेनाय, अपर सचिव (गृह) थे, ने 5 जुलाई, 2001 से 7 जुलाई, 2001 तक मणिपुर का दौरा किया। इस दल को स्थिति का मौके पर ही जायजा लेने के लिए और राजनैतिक दलों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, छात्रों के ग्रुपों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य एसोसिएशनों से मिलने के लिए भेजा गया था। इस दल ने इनसे बातचीत की और इन ग्रुपों की बात सुनी और अभ्यावेदन प्राप्त किए। दल ने वहां की वास्तविक स्थिति के बारे में गृह मंत्री को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। मणिपुर के

संसद सदस्यों और विधायकों के साथ 8.7.2001 को हुई बैठक में सरकार ने "विदआऊट टेरीटोरियल लिमिट्स" शब्द सहित संघर्ष विराम की समीक्षा करने का निर्णय लिया था। प्रधानमंत्री ने भी 6 पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मणिपुर के राज्यपाल के साथ 27 जुलाई, 2001 को एक बैठक की। पूर्वोत्तर की राज्य सरकारों और विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और संगठनों/एसोसिएशनों के विचारों पर विचार करने के बाद सरकार ने संघर्ष विराम से "विदआऊट टेरीटोरियल लिमिट्स" शब्द को हटाने का निर्णय लिया और 14.6.2001 की पूर्व स्थिति बहाल हो जाएगी।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास योजनाओं का सुधार

1357. श्रीमती जयश्री बैनर्जी :

श्री प्रभात सामन्तराय :

श्री राम नायडू दग्गुबाटि :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का वर्तमान ग्रामीण विकास योजनाओं का सुधार करने/उनके विलय करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजनावार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उसके लिए क्या मापदंड अपनाए जा रहे हैं और इन्हें कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

बैंक-धोखाधड़ी मामले के अपराधी का देश से बाहर निकल भागना

1358. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका निवासी एक अनिवासी भारतीय, जिसके विरुद्ध 9 मिलियन डॉलर के एक बैंक धोखाधडी मामले में सी. बी. आई. ने आरोप-पत्र दायर किया था, देश से निकल भागा-जैसाकि 18 मई, 2001 के 'दि इंडियन एक्सप्रेस' समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन कार्मिकों की शिनाख्त की है, जिन्होंने उसे देश से बाहर निकल भागने में मदद की;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त अनिवासी भारतीय को पकड़ने में सहायता देने के लिए 'इंटरपोल' से अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस प्रकरण में अब तक क्या प्रगति हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) मामला संख्या आर सी 1(ए)/94-एस आई यू की जांच-पड़ताल के पश्चात् केन्द्रीय जांच ब्यूरो, नई दिल्ली ने 29.12.2000 को श्री एस जी देशमुख, विशेष न्यायाधीश, मुम्बई की अदालत में सी सी नं. 97/2000, 98/2000, 99/2000 और 100/2000 के अधीन 4 आरोप पत्र दाखिल किए। सी सी नं. 97/2000 और 98/2000 में मैसर्ज पनामा सिटी रेस्टोरेंट, शिकागो के श्री संत सिंह चटवाल एक अभियुक्त है। न्यायालय मामला संख्या 98/2000 में अभियुक्त की उपस्थिति के लिए तारीख 11.4.2001 नियत की गई थी। अभियुक्त श्री चटवाल अदालत के समक्ष उपस्थित हुए और अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। उसके बाद उसने अमेरिका जाने के लिए भारत छोड़ने की अनुमति हेतु न्यायालय में आवेदन किया, जिसका सी.बी. आई. ने विरोध किया। तथापि, न्यायालय ने 15 लाख के.पी.आर. बांड और उतनी ही राशि जमा कराने के बाद उसे विदेश जाने की अनुमति दे दी। अभियोजन (सी.बी.आई.) ने 30.4.2001 को उपर्युक्त आदेश को 10 दिन के लिए स्थगित करने के लिए न्यायालय में आवेदन किया ताकि अभियोजन माननीय उच्च न्यायालय में एक पुनरीक्षा याचिका दायर कर सके। माननीय विशेष न्यायाधीश ने सहर्ष अपने आदेश, 7.5.2001 तक स्थगित कर दिए। अभियोजन द्वारा उच्च न्यायालय में एक विशेष आपराधिक रिट याचिका दायर की गई लेकिन माननीय उच्च न्यायालय में मामले पर 8.5.2001 तक सुनवाइ नहीं हो सकी, जब अभियुक्त के वकील ने आवेदन किया कि अभियुक्त 8.5.2001 को प्रातकालीन उड़ान से भारत छोड़कर न्यूयार्क चले गए हैं क्योंकि स्थगन आदेश 7.5.2001 तक था। तथापि, अभियुक्त सुनवाई की अगली तारीख, यानि 15.6.2001 को पुनः न्यायालय में उपस्थित हुआ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

(च) मामला विशेष न्यायाधीश की अदालत, मुम्बई के न्यायाधीन है।

पुरूलिया में हथियार गिराए जाने का मामला

1359. श्री रामचन्द्र पासवान : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो कई देशों में जांच के बावजूद पुरुलिया में हथियार गिराये जाने के मामले के मुख्य षडयंत्रकर्त्ता को अभी तक नहीं ढूंढ पाई है;

(ख) यदि हा, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) सी.बी.आई. द्वारा किन देशों मे जाच की गई; और

(घ) अब तक इस पर अनुमानतः कितनी राशि खर्च की जा चुकी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) इन्टरपोल मुख्यालय की सहायता से सी बी आई ने मामले में मुख्य षडयंत्रकारियों में से एक मिस्टर किम पी डेवी को 1996 में स्वीडन में, 1998 में ब्राजील में, 1998 में इक्वेडोर में, 1998 में सूडान में, 2000 में नीदरलैंड में और 2000 में डेनमार्क में ढूंढ लिया था। तथापि, जब तक कानून प्रवर्तन एजेंसियां उसे पकड़ने की कार्रवाई करती वह बच निकलता। क्योंकि वह विभिन्न पहचानों और पासपोर्ट का प्रयोग कर रहा है और एक देश से दूसरे देश में स्थान बदलता रहता है, इसलिए सी बी आई और यहां तक कि इन्टरपोल मुख्यालय के लिए भी उसे सही रूप से ढूंढ पाना कठिन हो गया है।

(ग) सी बी आई ने यू के, लातिवीया, बुल्गारिया, हांगकांग, सिंगापुर, ताईवान, डेनमार्क, स्विटजरलैंड, पाकिस्तान और बांग्लादेशों को अनुरोध पत्र भेजकर औपचारिक जाच-पड़ताल की है। अनुरोध पत्रों का यू. के., लातिविया, बुल्गारिया, हांगकांग (आंशिक रूप से) और डेनमार्क की संबंधित प्राधिकरणों द्वारा अनुपालन किया गया। अन्य देशों द्वारा सी बी आई के अनुरोध पत्रों पर अभी तक अपनी अनुपालना रिपोर्ट नहीं भेजी गई है। इन देशों के अलावा, इन्टरपोल मुख्यालय की सहायता लेकर यू एस ए, आस्ट्रेलिया, टकर्स और कैकोस द्वीपों, रूस, दक्षिणी अफ्रीका, लेबनान, क्रोसिया, स्वीडन, ब्राजील और इक्वेडोर में भी जांच पड़ताल की गई थी।

(घ) केवल इस मामले के लिए कोई अतिरिक्त बजट स्वीकृत नहीं किया गया था और सभी संसाधन सी बी आई के अपने संसाधनों से जुटाए गए थे। इसलिए केवल इस मामले में हुए वास्तविक व्यय का पता लगाना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

मुम्बई में झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वालों का पुनर्वास

1360. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुम्बई में केन्द्र सरकार की जमीन पर रह रहे झुग्गी झोपड़ी वालों के पुनर्वास हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के बडे शहरों में मलिन बस्ती क्षेत्र के लिए कोइं योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हा, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) जी, नहीं। स्लम पुनर्वास राज्य का विषय है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय स्लम सुधार कार्यक्रम (एन.एस.डी.पी.) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र राज्य सहित सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को धनराशि मुहैया करायी जाती है न कि नगर-वार/करबा-वार आधार पर। धनराशि अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में स्लम क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं अर्थात् सफाई, पानी, स्ट्रीट लाइट, वर्षा-जल की निकासी, सामुदायिक शौचालयों आदि के प्रावधान के लिए होती है।

इस स्कीम का एक घटक आश्रय उन्नयन या नए आवासों का निर्माण (ई.डब्ल्यू.एस.सहित), जैसी आवश्यकता हो, भी है। इस सहायता के अंतर्गत राज्यों को किए गए आबंटन के कम से कम 10 प्रतिशत का उपयोग शहरी गरीबों के लिए आवासों के निर्माण तथा/या उन्नयन हेतु किया जाएगा।

[अनुवाद]

केरल में स्कूलों/कॉलेजों में सूचना प्रौद्योगिक संबंधी शिक्षा

1361. श्री वी.एस. शिवकुमार :

श्री एस. अजय कुमार :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार से कोचीन में प्रौद्योगिकी पर्यावास स्थापित करने और राज्य में स्कूलों और कालेजों में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी शिक्षा देने के लिये केन्द्रीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राज्य मानवाधिकार आयोग

1362. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में मानवाधिकार आयोग का गठन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, पंजाब राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ की राज्य सरकारो ने अपने-अपने राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग गठित कर लिए हैं।

बिहार, उडीसा और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों ने भी अपने-अपने राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग गठित करने का निर्णय लिया है।

केन्द्र सरकार, संबंधित राज्य सरकारों को समय-समय पर मानवाधिकार आयोग गठित करने के लिए कहती रही है।

दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ियों को हटाया जाना

1363. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के कुछ मलिन क्षेत्रों में गत एक वर्ष के दौरान, और आज की तिथि तक झुग्गी-झोंपडियां हटाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके कारण मलिन बस्तियों में रहने वाली कुल कितनी जनसंख्या विस्थापित हुई; और

(घ) मलिन बस्तियों के निवासियों को रहने के लिये कौन से वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराये गये हैं और उनके पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली नगर निगम के स्लम व झुग्गी-झोपडी विभाग ने सूचित किया है कि पात्र निवासियों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराकर स्लम हटाने की नीति के तहत उन्होंने पुराने शहर में स्थित स्लम संपत्तियों तथा उनके एक्सटेंशनों, जो बहुत अधिक पुराने और टूटे-फूटे होने के कारण मानव वास के लिए अनुपयुक्त पाए गए थे, को हटाने की कार्यवाही की है। जिन संपत्तियों पर कार्रवाई की गई उस सूची में संपत्ति सं. 1212/VIII, 1251.54/VIII, 2093/VIII, 1748/VIII, 3074/VIII, 1310.12/X तथा 2075/VIII शामिल हैं। वैकल्पिक आवासों के लिए पात्र बेदखल व्यक्तियों को या तो विस्थापित कर दिया गया है या पात्रता पत्र जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा, स्लम क्षेत्रों में झुग्गी-झोपडी बस्तियां गिरा दी गई हैं तथा स्लम क्षेत्र गिरा दिए गए हैं तथा पुनर्वास नीति के अनुसार वैकल्पिक भूखंड उपलब्ध कराए गए हैं।

(ग) सूचित किया गया है कि वर्ष 2000-2001 के दौरान 11,345 झुग्गी परिवार हटाए गए हैं और 1582 ऐसे परिवार अप्रैल, 2001 के दौरान हटाए गए हैं।

(घ) झुग्गी परिवारों को नरेला, भलासवा, मोलर बंद और बक्करवाला में बसाया गया है। सभी पुनर्वास कालोनियों में मूलभूत सामुदायिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए गए हैं।

पाकिस्तान में बसे मलयाली लोगों को वीजा परमिट

1364. श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में पाकिस्तान में बसे मलयाली लोग भारत आने के लिये वीजा परमिट पाने की कोशिश कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार के पास उक्त पाकिस्तानी मलयाली लोगों द्वारा वीजा पाने के लिए दिए गये आवेदन पत्रों में से कितने आवेदन पत्र लबित पडे हैं; और

(घ) वीजा के लिये उनके आवेदनों पर विचार न किये जाने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

उद्यमियों के लिए जैव-प्रौद्योगिकी उद्यम पूंजी कोष

1365. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उद्यमियों के लिये 50 करोड़ रुपये का जैव-प्रौद्योगिकी उद्यम पूंजी कोष स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस कोष में धनराशि देने हेतु जैव–प्रौद्योगिकी विभाग और भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक के बीच 50:50 का अनुपात निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस कोष की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ङ) इस कोष से वित्तीय संकट का सामना कर रही नई कंपनियों को किस सीमा तक सहायता मिलने की उम्मीद है; और

(च) लघु उद्यमियों द्वारा इस कोष से धनराशि पाने हेतु क्या निबंधन और शर्तें निर्धारित की गई हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) से (च) जैव–प्रौद्योगिकी के लिए विकास कोष हेतु प्रोत्साहन एवं पुरस्कार अथवा उद्यम पूंजी के रूप में एक प्रस्ताव विचाराधीन है। भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक के परामर्श से ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं। यह कोष उद्यमी बनने के लिए अनुप्रयोग आधारित जैवप्रौद्योगिकियों में लगे कार्यशील वैज्ञानिकों को प्रवर्धित करेगा, साथ ही यह जैवप्रौद्योगिकी उत्पाद विकास में अभिरुचि रखने वाले लघु उद्यमों को प्रोत्साहित भी करेगा।

आंध्र प्रदेश/महाराष्ट्र में कोयला परियोजनायें

1366. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में कितनी कोयला परियोजनाएं चल रही हैं और उनकी तत्संबंधी लागत कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन राज्यों की कितनी कोयला परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास मंजूरी के लिये लंबित पड़ी हैं;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन राज्यों में कोयला उद्योग के विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन राज्यों में कोयला धोवनशाला स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश में चल रही कोयला परियोजनाओं (20 करोड़ रु. तथा उससे अधिक लागत की) का विवरण निम्नवत् हैं–

महाराष्ट्र

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत (करोड रुपए में)
1.	काम्पटी यू.जी.से ओ.सी.	88.39
2.	निरगुदा ओ.सी.	95.03
3.	कुंबरखानी यू.जी.	56.90
4.	सास्ती आर.ओ.यू.जी.	38.25
5.	अदासा यू.जी.	39.87

आंध्र प्रदेश

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत (करोड़ रुपए में)
1.	मेदापल्ली ओ.सी.	219.82 (97.68) *
2.	गौतमखानी ओ.सी.	415.93 (158.24) *
3.	आर. के. न्यूटेक	242.94

* संशोधित लागत अनुमान के प्रस्ताव पर सरकार के अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

(ख) सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड (आंध्र प्रदेश) के मेदापल्ली ओ.सी.पी. तथा गौतमखानी ओ. सी. पी. के संशोधित लागत अनुमान के प्रस्तावों पर सरकार के अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

(ग) कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कम्पनी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यू.सी.एल.) द्वारा महाराष्ट्र राज्य में 27 नई परियोजनाओं की शिनाख्त की गई है जो कि दसवीं योजना अवधि के दौरान शुरू की जाएगी, इनमें से 15 परियोजनाओं द्वारा लगभग 11 मिलियन टन की स्थापित क्षमता के साथ 5 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किए जाने की संभावना है। ये परियोजनाएं कार्यान्वयन/अनुमोदन के विभिन्न चरणों में हैं। महाराष्ट्र राज्य में दसवीं योजना अवधि के दौरान डब्ल्यू. सी. एल. द्वारा ऐसी परियोजनाओं में 1600 करोड रु. पूंजी निवेश का अनुमान है।

आंध्र प्रदेश राज्य में सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि. (एस.सी. सी. एल.) द्वारा 18 परियोजनाएं/स्कीमें आरम्भ की जानी हैं जिनका 36.127 मिलियन टन की तुलना में दसवीं योजना अवधि के अन्तिम वर्ष में 8.033 मिलियन टन का अंशदान होगा। दसवीं योजना के दौरान इन परियोजनाओं/स्कीमों में प्रस्तावित निवेश की राशि 699.82 करोड रुपए आंकी गई है।

(घ) और (ङ) स्कीमों के अभाव के कारण कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपनी वाशरिया स्थापित करने की स्थिति में नहीं है, फिर भी वे उपभोक्ताओं अथवा उनके एजेंटो को अपनी स्वयं की वाशरियां स्थापित करने के लिए आपसी सहमति की शर्तों के अधीन जमीन, पानी तथा बिजली, जहां कहीं उपलब्ध होगी, की आपूर्ति करके मदद करेंगे।

जैव विविधता वाले पार्कों का विकास

1367. डा. जसवंतसिंह यादव :

श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार दिल्ली में जैव विविधता वाले पार्कों का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनके कब तक विकसित किये जाने की संभावना है; और

(घ) संकटाधीन पौधों और जन्तु प्रजातियों के संरक्षण में किस सीमा तक यह सहायक होंगे ?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रसायन उद्योग पार्क की स्थापना

1368. श्री जी.एस. बसवराज :

श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक के अंकोला तालुक में अगसुर में रसायन उद्योग पार्क की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्ताव को रसायन और उर्वरक विभाग द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) उक्त प्रस्ताव को कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) ऐसी परियोजनाएं अनुमोदित करने संबंधी विभाग की कोई स्कीम नहीं है। औद्योगिक संपदाएं, राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियो द्वारा स्थापित की जाती हैं जो उद्योग की आवश्यकताओं और ऐसी संपदाओं के विकास की संभावना पर निर्भर है। इस संबंध में राज्य सरकार को उचित रीति से सूचित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

रिहायशी इकाइयों के निर्माण के लिये वित्तीय सहायता

1369. श्री राजो सिंह : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों विशेषकर बिहार सरकार ने मध्य और निम्न मध्य वर्ग के लोगों के लिए रिहायशी इकाइयों के निर्माण के लिये वित्तीय सहायता हेतु केन्द्र सरकार को नया प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार और परियोजना–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य–वार और परियोजना–वार मंजूर/अस्वीकृत/लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) लंबित प्रस्तावों के कब तक मंजूर हो जाने की संभावना है; और

(ङ) वर्ष 2001–2002 के दौरान इस संबंध में राज्य–वार कुल कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं। शहरी क्षेत्रों में मकानों के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता के लिए राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, आवास और नगर विकास निगम लिमिटेड (हडको) आवास और शहरी अवस्थापना स्कीमों के लिए राज्य सरकार और उनकी एजेंसियों को ऋण स्वीकृत करता है।

(ख) से (ङ) हडको द्वारा किया गया राज्यवार न्यूनतम आवास नियतन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण *(करोड रुपये में)*

आवास परियोजनाओं के लिए वर्ष 2001–2002 के लिए राज्य–वार न्यूनतम नियतन (50 प्रतिशत)

राज्य	ई. डब्ल्यू एस–आर	ई. डब्ल्यू एस–यू	एलआईजी	एम आईजी	एचआईजी	कुल	रेम्यूनर.	सकल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अंडमान नि. द्वीप समूह	0.04	0.03	0.08	0.06	0.05	0.26	0.09	0.35
आंध्र प्रदेश	6.34	4.22	12.67	10.56	8.45	42.25	15.05	57.31
बिहार	2.66	1.77	5.31	4.43	3.54	17.72	6.32	24.03
चंडीगढ़	0.13	0.09	0.27	0.22	0.18	0.89	0.32	1.20
छत्तीसगढ	1.77	1.16	3.55	2.96	2.37	11.83	4.22	16.05
दादर व नागर हवेली	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.06	0.02	0.08
दमन व दीव	0.01	0.01	0.03	0.02	0.02	0.09	0.03	0.12
दिल्ली	1.60	0.13	3.39	2.82	3.26	11.78	4.03	15.32
गोवा	0.21	0.14	0.41	0.34	0.27	1.37	0.49	1.86
गुजरात	5.86	3.91	11.73	9.77	7.82	39.10	13.94	53.04
हरियाणा	1.32	0.88	2.64	2.20	1.76	8.78	3.13	11.91
हिमाचल प्रदेश	0.36	0.24	0.72	0.60	0.48	2.39	0.85	3.24
जम्मू व कश्मीर	1.15	0.77	2.30	1.92	1.53	7.67	2.73	10.40
झारखंड	2.20	1.47	4.40	3.67	2.94	14.68	5.23	19.92
कर्नाटक	5.16	3.44	10.32	8.60	6.88	34.39	12.26	46.66
केरल	2.61	1.74	5.22	4.35	3.48	17.39	6.20	23.58
लक्षद्वीप	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.08	0.03	0.11
मध्य प्रदेश	5.06	3.37	10.12	8.43	6.75	33.74	12.03	45.76
महाराष्ट्र	9.54	6.36	19.08	15.90	12.72	63.59	22.67	86.25
उडीसा	2.68	1.78	5.35	4.46	3.57	17.85	6.36	24.21
पांडिचेरी	0.15	0.10	0.30	0.25	0.20	0.99	0.35	1.34
पंजाब	1.93	1.28	3.85	3.21	2.57	12.85	4.58	17.43
राजस्थान	5.41	3.60	10.81	9.01	7.21	36.04	12.85	48.90
तमिलनाडु	7.28	4.85	14.56	12.13	9.70	48.52	17.30	65.82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तर प्रदेश	7.75	5.17	15.51	12.92	10.34	51.69	18.43	70.12
उत्तरांचल	1.08	0.72	2.17	1.81	1.45	7.23	2.58	9.80
पश्चिम बंगाल	5.22	3.48	10.44	8.70	6.96	34.79	12.40	47.19
कुल	77.63	51.75	155.25	129.38	103.50	517.50	184.50	702.00
उत्तर पूर्वी राज्य								
असम	5.09	2.95	8.95	7.37	5.90	30.16	10.75	40.91
मणिपुर	0.77	0.66	1.97	1.64	1.31	6.35	2.26	8.61
मेघालय	0.79	0.40	1.19	1.00	0.80	4.18	1.49	5.67
नागालैंड	0.58	0.37	1.11	0.92	0.74	3.72	1.33	5.05
सिक्किम	0.06	0.02	0.07	0.06	0.05	0.26	0.09	0.35
त्रिपुरा	0.63	0.39	1.17	0.98	0.78	3.95	1.41	5.36
अरुणाचल प्रदेश	0.12	0.07	0.21	0.17	0.14	0.70	0.25	0.95
मिजोरम	0.58	0.89	2.68	2.23	1.79	8.18	2.92	11.10
उपयोग	8.63	5.75	17.25	14.38	11.50	67.50	20.50	78.00
सकल योग	86.26	57.50	172.50	143.76	115.50	575.00	205.00	780.00

[अनुवाद]

अर्द्धसैनिक बलों के लिये भर्ती केन्द्र की स्थापना

1370. श्री भीम दाहाल : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गंगटोक (सिक्किम) में विभिन्न अर्द्धसैनिक बलों के भर्ती केन्द्रों की स्थापना का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन्हें कब तक स्थापित कर दिया जाएगा;

(घ) क्या सरकार ने निकट भविष्य में सिक्किम के लोगों के लिये भर्ती कैम्प लगाने का कोई कार्यक्रम बनाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ग) केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों का कोई स्थायी भर्ती केन्द्र नहीं है। तथापि, ये बल देश के विभिन्न स्थानों पर भर्ती आयोजित हैं जो किसी राज्य विशेष को आबंटित रिक्तियों पर निर्भर करती हैं।

(घ) और (ङ) सिक्किम से, केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के लिए भर्ती समय-समय पर आयोजित की जाती हैं और भर्ती कार्यक्रम को इन बलों द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अंतिम रूप दिया जाता है। इस प्रकार की भर्ती के लिए संबंधित राज्यों में व्यापक प्रचार किया जाता है।

नई औषध नीति

1371. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऐसी 'बल्क ड्रग्स' की संख्या को घटाने का है जो सरकार की औषध नीति के नियंत्रणाधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो 'बल्क ड्रग्स' की सूची से कितनी औषधियों को हटाया जा रहा है;

(ग) क्या बाजार में भारतीय कंपनियों पर सरकार की इस नई औषध नीति के प्रभाव के संबंध में कोई समीक्षा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा भारतीय औषधि बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका को नियंत्रित करने हेतु क्या उपाय करने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (घ) वित्त मंत्री ने 28 फरवरी, 2001 के अपने बजट भाषण में अन्य बातों के साथ–साथ कहा था कि "यह निर्णय लिया गया है कि मूल्य नियंत्रण की समयावधि काफी कम कर दी जाएगी"।

जहां मूल्य नियंत्रण में निहित श्रम अलाभकर हो गए थे, उन्हें कम करने के उद्देश्य से वर्तमान मूल्य पुनरीक्षण नामक एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने उस दिशा में उपाय सुझाते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। औषध नीति में परिवर्तन करते समय समिति की सिफारिशों सहित सभी संगत पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा।

राज्यों में पंचायत चुनाव

1372. श्री इकबाल अहमद सरडगी :

श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :

श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अब तक किन–किन राज्यों में पंचायत चुनाव संपन्न नहीं हुए हैं;

(ख) क्या प्रधान मंत्री ने ऐसे राज्यों को ऐसी समानांतर व्यवस्था का गठन करने का निर्देश दिया है जिससे पंचायती राज संस्थाएं हाशिए पर चली गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के 24.4.1993 से लागू होने से लेकर अब तक अरुणाचल प्रदेश तथा असम राज्यों और पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में पंचायती चुनाव नहीं कराए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में अन्नपूर्णा योजना

1373. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "अन्नपूर्णा" केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल में भारतीय खाद्य निगम को चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के अंतर्गत खाद्यान्नों के वितरण हेतु प्राधिकार प्राप्त नहीं हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) 1.4.2000 से आरंभ की गई अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य उन बुजुर्ग लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है जो यद्यपि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के पात्र हैं लेकिन जिन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जा सका है। योजना के तहत प्रत्येक माह हर लाभार्थी को 10 कि.ग्रा. खाद्यान्न मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी 65 वर्ष या इससे अधिक की आयु वाले तथा बेसहारा होने चाहिए जिनके पास अपने आय स्रोत से अथवा परिवार के किसी सदस्य से वित्तीय सहायता अथवा अन्य स्रोतों के जरिए जीविका का बहुत ही कम साधन हो अथवा कोई नियमित साधन न हो। बेसहारा होने का निर्धारण करने के उद्देश्य से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू वर्तमान मानदण्ड (यदि कोई हो) को भी उपयोग में लाया जा सकता है।

(ग) और (घ) चालू वर्ष के दौरान अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत केरल राज्य को अब तक निधियां जारी नहीं की गई क्योंकि राज्य सरकार पिछले वर्ष के दौरान इसे रिलीज की गई निधियों का 75% इस्तेमाल नहीं कर सकी है। तथापि, भारतीय खाद्य निगम, तिरूअनंतपुरम सहित एफ.सी.आई. के क्षेत्रीय कार्यालयों को राज्य द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष (2000–2001) के दौरान जारी की गई निधियों में से भुगतान के आधार पर चालू वर्ष (2001–2002) के लिए खाद्यान्न जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

प्रगति संबंधी राष्ट्रीय कार्यशाला

1374. श्री राम मोहन गाड्डे :

श्री शिवाजी माने :

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

श्री हरीभाऊ शंकर महाले :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में हाल ही में सुरक्षित और टिकाऊ निर्माण के लिये कंक्रीट और निर्माण संबंधी प्रौद्योगिकी में प्रगति संबधी एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें भाग लेने वालों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सम्मेलन में भाग लेने वालों द्वारा किये गये विचार–विमर्श और सुझावों/सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या हुडको के अध्यक्ष ने इस सम्मेलन में कहा है कि दिल्ली में लगभग 60 प्रतिशत घर भूकंप झेलने के योग्य नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) भाग लेने वालों द्वारा दिये गये सुझावों पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) प्रतिनिधियों की एक विस्तृत सूची विवरण–I के रूप में संलग्न है।

(ग) कार्यशाला मुख्यतः भवनों के नियोजन में डिजाइन पद्धतियों, निर्माण पद्धतियों, कंक्रीट बनाने वाली सामग्रियों तथा सुरक्षित, टिकाऊ एवं भूकंपरोधी संरचनाओं के निर्माण के बाद प्रबंधन पर केंद्रित थी। कार्यशाला में कंक्रीट निर्माण, विशेषकर रिहायशी मकानों के निर्माण में गुणवत्ता को अच्छा (सुदृढ़) किये जाने की सिफारिश की गई।

(घ) जी, नहीं। तथापि, हडको के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने बताया कि दिल्ली में 50 प्रतिशत से अधिक घर लोगों द्वारा स्वयं निजी तौर पर बनवाए गए हैं तथा कुल आवास का 38 प्रतिशत 38 वर्गमीटर से कम है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि 38 से 50 प्रतिशत आवास, जो भूकंपीय आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उचित संरचनात्मक विश्लेषण के बाद डिजाइन नहीं किए गए हैं, भूकंप में क्षतिग्रस्त हो सकते हैं।

(ङ) जहां तक दिल्ली का प्रश्न है, वास्तुकार और संरचना इंजीनियर द्वारा अनिवार्य सत्यापन को शामिल करते हुए मौजूदा भवन उप–नियमों में उपांतरण करके तथा इस प्रभाव का एक उपयुक्त खंड जोड़कर कि नींव, चिनाई, टिम्बर, सादा कंक्रीट, पूर्व–प्रचलित कंक्रीट, पूर्व–दाबित कंक्रीट और इस्पात ढांचे का संरचनात्मक डिजाइन राष्ट्रीय भवन कोड तथा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाएगा, एक अधिसूचना सरकार द्वारा जारी की गई है। इस अधिसूचना की एक प्रतिलिपि विवरण–II के रूप में संलग्न है।

(च) आवास राज्य का विषय होने के कारण, राज्य सरकारों को घरों के सुरक्षित निर्माण के लिए भूकंपरोधी मानकों को शामिल करते हुए अपने मौजूदा भवन उप–नियमों को उपांतरित करने की सलाह दी गई है। सरकार राज्य सरकारों के साथ इस मामले को गम्भीरता से उठाती रही है।

विवरण-I

सुरक्षित और टिकाऊ निर्माण के लिए कंक्रीट और निर्माण संबंधी प्रौद्योगिकी में प्रगति संबंधी राष्ट्रीय कार्यशाला

26–27 अप्रैल, 2001 नई दिल्ली

1. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि., 311, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाराखम्भा लेन, नई दिल्ली–110001
2. श्री ए.के.बेहरा, उप प्रबंधक– ई एंड पी, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.
3. श्री ए.के.जैन, उपाध्यक्ष, ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि.
4. श्री ए.के. शर्मा, अधीक्षण अभियंता (मरम्मत एवं पुनर्वास), सेंट्रल डिजाइन्स आर्गेनाइजेशन, केलोनिवि,
5. श्री ए.के. शर्मा, इरिगेसन मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीयूट, कोटा
6. श्री ए.के. सिकरी, नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स
7. डा. ए. एन. व्यास राव, नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स
8. श्री ए.एस. करन्दीकर, वरिष्ठ महाप्रबंधक, डीसीएम लि.
9. श्री ए. श्रीनिवास, नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स
10. श्री अभय कुमार जैन, उप महाप्रबंधक, इंटर कंटीनेंटल कंसल्ट एंड टेक. प्रा. लि.
11. श्री अजय गुहर, प्रोग्राम इम्पलीमेंटेशन आफिसर, एशिया विकास बैंक (मनीला)
12. श्री अखिल कुमार गुप्ता, पुंज लॉयड लि.
13. श्री आलोक भार्गव, सहायक अभियंता (सिविल), मैहर सीमेंट

14. श्री अमित त्रिवेदी, नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स

15. श्री अनिल चौहान, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लि., मार्किटिंग एंड सेल्स डिवीजन

16. श्री अनिल कौल, संयुक्त अध्यक्ष, गुजरात अम्बुज सीमेंट लि.

17. श्री अनिल कुमार, महाप्रबंधक, नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एड बिल्डिंग मैटेरियल्स

18. श्री अरूण सूद, नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स

19. श्री आर. अरूणाचलम, उप प्रबंधक (सिविल), इंडिया सीमेंट लि.

20. श्री असरफ अली, यूनिवर्सिटी पोलीटेकनिक, अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी

21. कैप्टन ऑगस्ट वान बोर्न मिलार्ड, इंडिया कंट्री डायरेक्टर, संयुक्त राज्य अमेरिका दूतावास

22. श्री अजहर जमील, यूनिवर्सिटी पोलीटेकनिक, अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी

23. श्री बी.डी. जेठारा, सलाहकार (आई एंड एम) योजना आयोग

24. डा. बी के. मित्तल, सदस्य, केन्द्रीय जल आयोग

25. श्री बी.के. पांडे, नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स

26. श्री बी.एस. बिरादर, प्रबंधक, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लि.

27. श्री बी.एस. नंदवानी, महाप्रबंधक, नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स

28. श्री बी. श्रीधर, ए.ई.ई., आंध्र प्रदेश पॉवर जनरेशन का. लि.

29. श्री भवेश त्रिवेदी, टेक्नीकल एक्जिक्यूटिव, एल एन टी लि.

30. श्री सी. फ्रेलिन फोस्टर उप वाणिज्यिक सलाहकार, संयुक्त राज्य अमेरिका वाणिज्य विभाग, संयुक्त राज्य अमेरिका, दूतावास, अमेरिकन सेंटर

31. श्री सी. एम. गोविन्दानी, प्रबंधक (सिविल), बिरला सीमेंट वर्क्स

32. श्री सी.पी. सिंह नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स

33. श्री सी. आर. वी. सुब्रमणियम, कार्यकारी उपाध्यक्ष, एल एंड टी लि.

34. डा. सी. राजकुमार, सलाहकार, नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एड बिल्डिंग मैटेरियल्स

35. सुश्री चेतना जैन, धुरमतरू कंस्लटेंटस हैदराबाद

36. श्री डी.वी.एन. राव, महानिदेशक, नेशनल काउंसिल फॉर सीमेट एड बिल्डिंग मैटेरियल्स

37. श्री डी.के. विश्वास, अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

38. श्री डी.के महापात्र, ईई (सी) महानिदेशक सीमा सड़क, (डीएडएस सेल)

39. श्री डी.के पॉल, अध्यक्ष, भूकंप इंजीनियरिंग विभाग, रूड़की विश्वविद्यालय

40. ले. कर्नल डी. एन. शर्मा, सीमेंट मैन्यूफेक्चरर्स एसोसिएशन

41. श्री देवाशीष भट्टाचार्य, इंजीनियरिंग सलाहकार, डीएफआईडी इंडिया

42. श्री दीपक दीक्षित, सं. निदेशक, नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स

43. श्री फौजदार सिंह, नेशनल काउंसिल फार सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स

44. डा. जी.एस.आर. रवि शंकर, आर.एंड डी. प्रबंधक, फॉसराक कैमिकल (आई) लि.

45. श्री जी.वी. रामप्रसाद, एईई, आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन का. लि.

46. पंडित गौतम कौल, ए.जे., आईपीएस (सेवानिवृत्त)

47. डा. जार्ज सैमुअल, महाप्रबंधक, नेशनल काउंसिल फार सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स

48. श्री जार्ज वाटरहाऊस, हिल्टि एशिया लि. नई दिल्ली

49. डा. एच सी विवेस्वरईया, बंगलौर,

50. श्री एच.के. जुलका, नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स

51. श्री एच एम पारिख, ए.ई., गुजरात हाऊसिंग बोर्ड

52. श्री एच. वी. शाह, भावनगर–364004

53. श्री हेमंत कुमार लाभ, इंटर कंटीनेंटल कंसलटेंटस एंड टेक. प्रा., नई दिल्ली

54 श्री आई.के मिश्रा, नेशनल काउंसिल फार सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स

55. श्री आई एम वर्मा, अधीक्षण इंजीनियर एनडीएमसी

56. श्री इन्द्रजीत यादव, सीम्पलेक्स कक्रीट पाइल्स (आई) लि.

57. श्री जे.के. प्रसाद, भवन सामग्री और प्रौद्योगिकी सबर्द्धन परिषद् (बीएमटीपीसी)

58. श्री जे.के. शर्मा, महाप्रबंधक (सी), कंटीनेंटल कंस्ट्रक्शन लि.

59. श्री जे.पी. कपूर, महाप्रबंधक, सापूजी पॉलोनजी एंड कंपनी लि.

60. श्री जे. सनमुगसुन्दरम, उप निदेशक और प्रमुख, संरचना इंजीनियरी अनुसंधान केन्द्र

61 श्री जोस कुरियन, मुख्य इंजीनियर, दिल्ली परिवहन एवं पर्यटन विकास निगम लि.

62. श्री के. बालकृष्णन, निदेशक, टेक्नोलाजी कोआपरेशन एम्बेसी आफ यूएसए

63. डा. के.सी. नारंग, एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर (आर एंड डी) डालमिया सीमेंट (भारत) लि.

64. श्री के.एच बाबू, कंसल्टेंट, नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स

65. श्री के जिन्दल, पुंज लायड लि.

66. श्री के के कांगी, सीम्पलेक्स कंक्रीट पाइल्स (आई) लि.

67. श्री के के वी प्रशांत कुमार, सहायक कार्यपालक इंजीनियर, आंध्र प्रदेश पॉवर जनरेशन कारपो. लि

68 डा. के मोहन, एडीशनल डायरेक्टर, नेशनल काउंसिल फार सीमेंट एड बिल्डिंग मैटेरियल्स

69. श्री के पी भटनागर, नेशनल काउंसिल फार सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स

70. श्री के पॉल, अप्लीकेशन इंजीनियर, टोरस्टील रिसर्च फाउंडेसन इन इंडिया

71. श्री के राजकुमार, कंसल्टेंट, धुमतारू कंसल्टेंट एंड कंस्ट्रक्शन हैदराबाद

72. श्री के वी रंगास्वामी, उपाध्यक्ष, एल एंड टी लि.

73. डा. के वेंकटचलम, निदेशक, सेंट्रल सायल एंड मैटिरियल रिसर्च स्टेट, नई दिल्ली

74. श्री कमल झा, नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटरियल्स

75. श्री ख्वाजा एम साहीद, निदेशक, वाणिज्य एवं उद्योग मत्रालय

76. डा. एल एच राव, महाप्रबंधक, नेशनल काउंसिल फार सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स

77. श्री एल आर सवालिया, गुजरात हाऊसिंग बोर्ड

78. श्री लवनिश अग्रवाल, डिजाइन इंजीनियर, पंजाब इंजीनियरिंग कालेज

79. श्री एन के पंजाबी, नेशनल काउंसिल फार सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स

80. श्री एम के शर्मा, कार्यपालक इंजीनियर सेट्रल डिजाइन आर्गेनाइजेशन, सीपीडब्ल्यूडी

81. श्री एम कृष्णामूर्ति, चीफ इंजीनियर (सि.), नर्मदा हाइड्रो इलैक्ट्रीक कारपो. लि.

82. श्री एम लक्ष्मणन, संरचना इंजीनियरी अनुसंधान केन्द्र

83. श्री एम एन जोगलेकर, कार्यपालक निदेशक

84. श्री एम सुब्बाराव, सहायक कार्यपालक इंजीनियर, आंध्र प्रदेश पॉवर जनरेशन कारपो. लि.

85. डा. मदन सायाल, सलाहकार, राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान

86. श्री मयंक रावल, निदेशक तकनीकी, एशियन लेबोरेटरीज

87. मोहम्मद नसीरूद्दीन अहमद, सहायक कार्यपालक इंजीनियर आंध्र प्रदेश पॉवर जनरेशन कारपो. लि.

88. श्री एन एल मूर्ति, संयुक्त निदेशक, नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स

89. श्री एन एन बंधु, प्रबंधक, इंटर कंटीनेंटल कंसल्टेंट एंड टेक. प्रा.

90. श्री एन आर जेथवा, सिविल इंजीनियर, नर्मदा सीमेंट कंपनी लि., गुजरात

91. डा. एन राघवेन्द्र, डायरेक्टर, नेशनल काउंसिल फार सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स

92. श्री एन एस देवानंद, तकनीकी सहायक–"सि" आई एस आर ओ, तिरूवनन्तपुरम

93. श्री एन सुब्रमणियम, रेजीडेंट मैनेजर, दि इंडिया सीमेंट लि.

94. श्री एन उदय कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीय आवास बैंक

95. श्री एन वी विजय भाष्कर, सहायक कार्यपालक इंजीनियर, आंध्र प्रदेश पॉवर जनरेशन कारपो. लि.

96. श्री नवनीत कौल, लार्सन एंड टूब्रो

97. श्री नीरज अग्रवाल, डिप्टी चीफ इंजीनियर, सर्वे एंड कंस्ट, डिप्टी चीफ इंजीनियर (सि) कार्यालय

98. श्री नीतिन कपूर, आफिसर मार्किटिंग, एसोसिएटेड सीमेंट कपनी लि.

99. श्री ओ पी गरियाली, सलाहकार, नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स

100. श्री ओ पी जगेतिया, अध्यक्ष, जुआरी सीमेंट

101. डा. पी सी चौधरी, कंसल्टिंग इंजीनियर टार्सटील रिसर्च फाउंडेसन आफ इंडिया

102. श्री पी के अग्रवाल, ईई (पी) (एनडीजेड)–I, केलोनिवि

103. श्री पी के होता, उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण

104. श्री पी के शर्मा, श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स, कोटा

105. श्री पी के सिन्हा, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर–पानीपत, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपो. लि.

106. श्री पी सीताराम, एईई, आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कारपो. लि.

107. श्री पद्मनाभन, प्रबंधक डीसीएम लि., नई दिल्ली

108. श्री पंकज गुप्ता, वरिष्ठ फील्ड अधिकारी, बीएमटीपीसी

109. श्री पराग सक्सेना, प्रबंधक (सी), नर्मदा हाइड्रो इलैक्ट्रीक डेवलपमेंट कारपो. लि., भोपाल

110. श्री प्रकाश टी जॉन, तकनीकी प्रबंधक, हिल्टी इंडिया प्रा. लि., नई दिल्ली।

111. श्री प्रशांत कुमार, सहायक प्रबंधक, इंटर कंटीनेंटल कंसल्टेंट एंड टेक. प्रा. लि., नई दिल्ली

112. प्रो. प्रेम कृष्ण, रूडकी विश्वविद्यालय,

113. श्री प्रोवीर कुमार दास, डीएफआईडी इंडिया, नई दिल्ली

114. डा. (श्रीमती) प्रोतिमा बोस, प्रोफेसर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, दिल्ली कालेज आफ इंजीनियरिंग

115. श्री आर अरूणाचलम, महाप्रबंधक– टेक्निकल ऑडिट, इंडिया सीमेंट लि., चेन्नई

116. श्री आर सी वासन, महाप्रबंधक, नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स

117. श्री आर के दास, सीम्पेलेक्स कंक्रीट पाइल्स (आई) लि., नई दिल्ली

118. श्री आर के दास, गुप्ता, वरिष्ठ प्रबंधक, (परियोजना) लाफार्ज इंडिया लि., मुम्बई

119. श्री आर के मल्होत्रा, विश्वबैंक सलाहकार, नई दिल्ली

120. श्री आर एन रायकर, मुख्य संयोजक, महाराष्ट्र इंडिया चैप्टर आफ अमेरिकन कंक्रीट इंस्टी., मुम्बई

121. डा. आर नारायणन, निदेशक, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, चेन्नई

122. श्री आर पार्थसारथी, महासचिव, सीमेंट निर्माता संघ, नई दिल्ली

123. इंजीनियर आर राधाकृष्णन, मुख्य इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग, चेन्नई

124. श्री राजाराम, नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स

125. श्री राकेश कुमार बिंदल, कार्यपालक इंजीनियर, आईएचबीटी (सीएसआईआर) पालमपुर

126. श्री रतनलाल, सलाहकार, नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स

127. श्रीमती रीता भट्टाचार्य, प्रबंधक, राष्ट्रीय आवास बैंक

128. श्री एस वी सूरी, मुख्य इंजीनियर (मुख्यालय), राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली

129. श्री एस सी वासूराय, चीफ इंजीनियर, एनडीएमसी

130. डा. एस सी महिती, संयुक्त निदेशक, नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स

131. श्री एस सी रस्तोगी, महाप्रबंधक, नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स

132. श्री एस सी शर्मा, महाप्रबंधक, नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स

133. डा. एस डी शर्मा, वैज्ञानिक केन्द्रीय सड़क अनुसंधान, नई दिल्ली

134. श्री एस जे रैना, निदेशक, नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एड बिल्डिंग मैटेरियल्स

135. श्री एस जगदीशन, संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,

136. श्री एस के चौहान, वरिष्ठ प्रबंधक (सिविल), नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रीक पॉवर कारपो. लि., फरीदाबाद

137. श्री एस के डूंगाजी, साझेदार, एस्टेवॉल्स एंड कंपनी, नागपुर

138. श्री एस के घोष, कंसल्टिंग इंजीनियर टास्यटील रिसर्च फाउंडेशन इन इंडिया

139. श्री एस के जैन, निदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो

140. श्री एस के झा, नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स

141. श्री एस के मेहता, नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स

142. श्री एस के वाली, संयुक्त अध्यक्ष (आपरेशन), लक्ष्मी सीमेंट,

143. डा. (श्रीमती) एस लक्ष्मी, अपर निदेशक, नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स

144. श्री एस एन एम खान, महाप्रबंधक, नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स

145. श्री एस. एन. मेहरोत्रा, महाप्रबंधक, नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स

146 डा. एस.पी. घोष, सलाहकार, नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स

147. श्री एस पी कृष्णानी, प्रबंधक (तकनीकी), मध्य प्रदेश वित्तीय निगम, इंदौर

148. श्री एस श्रीधर, एईई, आंध्र प्रदेश पॉवर जनरेशन कारपोरेशन लि.

149. श्री सरपाल सिंह, संयुक्त निदेशक, नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स

150. श्री श्रीनिवास राव, डीएफ आई डी इंडिया, नई दिल्ली

151. श्री सुभाष यादव, सहायक प्रबंधक, डीसीएम लि., नई दिल्ली

152. श्री सुधीर कुलकर्णी, प्रबंधक, जेएनआईडीबी, हैदराबाद

153. कर्नल सुधीर तम्हाने, डीजीएम टेक्निकल, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, जयपुर

154. श्री सुदीप्तो मुकर्जी, डीएफआईडी इंडिया, नई दिल्ली

155. श्री सुनीत कुमार, सहायक प्रबंधक, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लि.

156. श्री सुनील सर्राफ, सिम्पलेक्स कंक्रीट पाइल्स (आई) लि., नई दिल्ली

157. श्री सुरेश कुमार, नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स

158. श्री सुरजीत एस मान, नई दिल्ली

159. श्री टी के मंडल, नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स

160. श्री टी के पालित, निदेशक (तकनीकी), नेशनल थर्मल पॉवर कारपो., नई दिल्ली

161. श्री टी एम एम नाम्बियार, अध्यक्ष–सीएमए, एसोसिएटेड सीमेंट कं. लि.

162. श्री टी एन गुप्ता, कार्यकारी निदेशक, बीएमटीपीसी

163. श्री टी नारायणना, एईई, आंध्र प्रदेश पॉवर जनरेशन कारपो. लि.

164. डा. थिरूवेंगदुम, प्राध्यापक, स्कूल आफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर

165. श्री यू वी माथुर, महाप्रबंधक, डीसीएम लि.

166. श्री वी भक्तवत्सल रेड्डी, एईई, आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कारपो. लि.

167. श्री वी जनानाथन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मद्रास सीमेंट लि.

168. श्री वी के अग्निहोत्री, वरिष्ठ प्रबंधक–विपणन, एसोसिएटेड सीमेंट कं. लि.

169. श्री वी के अरोड़ा, संयुक्त निदेशक, नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स

170. श्री वी के प्रसाद, कार्यपालक इंजीनियर (सिविल), मुख्यालय, महानिदेशक सीमा सड़क (डी एंड एस सेल)

171. श्री वी के सिंह, उप मुख्य इंजीनियर, आफिस ऑफ सीपीएम/आरसी

172. डा. वी पी चटर्जी, नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एड बिल्डिंग मैटेरियल्स

173. प्रो. वी एस रामामूर्ति, सचिव, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग

174. श्री वी सुरेश, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हडको

175. श्री वी वी अरोडा, नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स

176. श्री वीरेन्द्र सिंह थिंड, अधीक्षण अभियंता (सिविल), दिल्ली जल बोर्ड

177. श्री एस कंसल, कामर्शियल स्पेसलाइजर, संयुक्त राज्य अमेरिका दूतावास

178. श्री युसुफ समीउल्ला, वरिष्ठ इंजीनियरी तथा पर्यावरणीय सलाहकार, डीएफआईडी, इंडिया

विवरण-II

रजि. सं. डी. एल. 33004/99

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग II—खण्ड 3—उप—खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं.177 नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 21, 2001/फाल्गुन 30, 1922

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2001

का. आ. 248(अ) —यतः दिल्ली में बनाये जाने वाले भवनों में भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में अपेक्षित सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के लिए भवन उपनियमों में उपयुक्त प्रावधान करने का विषय सरकार के विचाराधीन रहा है।

यतः एक सार्वजनिक सूचना दिनांक 10.2.2001 को जारी और समाचार पत्रों में प्रकाशित की गयी थी, जिसमें भवन उपनियम, 1983 में केन्द्र सरकार द्वारा किये जाने वाले प्रस्तावित उपांतरण/परिवर्द्धन दिये गये हैं। जनता से कुल मिलाकर 51 आपत्तियां/सुझाव प्राप्त हुए और नगर और ग्राम नियोजन संगठन के मुख्य नियोजक की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा इनकी जांच की गयी।

यतः, रिपोर्ट पर व्यापक विचार विमर्श के पश्चात केन्द्र सरकार ने भवन उपनियम 1983 में निम्नलिखित उपांतरण/परिवर्द्धन करने का निर्णय लिया है।

यतः अब केन्द्र सरकार दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11ए की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भवन उपनियम, 1983 में निम्नलिखित उपांतरण/परिवर्द्धन करती है।

उपांतरण

(i) भवन उपनियम, 1983 के भाग III के खंड 18 (संरचनात्मक सुरक्षा और सेवायें) को इस प्रकार उपांततित किया जाएगा;

*18 "नींव, चिनाई" टिम्बर, सादा कंक्रीट, पूर्व प्रचलित कंक्रीट, पूर्व दावित कंक्रीट और इस्पात ढांचे का संरचनात्मक डिजाइन, भवनों की भूकंप सुरक्षा के लिए अनुलग्नक "क" में दिये गये भारतीय मानकों सहित भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित सभी संगत भारतीय मानकों को ध्यान में रखकर भारतीय राष्ट्रीय भवन कोटि के भाग—VI संरचनात्मक डिजाइन, धारा—1—भार, खंड—2—नींव, खंड—3—लकडी, खंड—4—चिनाई, खंड—5—कंक्रीट, खंड—6—इस्पात के अनुसार किया जाएगा।"

(टिप्पणी:—जब कभी भारतीय मानक अथवा राष्ट्रीय भवन कोटि का उल्लेख होगा, तब मानक के अद्यतन प्रावधान का अनुपालन किया जाएगा)

(ii) भवन उपनियम के खंड 6.2.9 (भवन निर्माण परमीट के लिए आवेदन के साथ लगाये जाने वाले कागजात) में एक अतिरिक्त उपखंड निम्नलिखित अनुसार जोडा जाता है :—

"(i) अनुलग्नक ख व ग में यथानिर्दिष्ट प्रमाण पत्र पर मकान मालिक, वास्तुकार और संरचना इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगें।"

(सं. के—12026/5/79—डीडी—आई ए/वी ए/आई बी/पार्ट)

एस. बनर्जी, संयुक्त सचिव

अनुलग्नक-क

आपदा सुरक्षा के लिए भारतीय मानकों/दिशा निर्देशों की सूची

भूकंप सुरक्षा के लिए

1. भारतीय मानक 1893—19844 "संरचनाओं के भूकंप रोधी डिजाइन के लिए मानदंड (चौथा संस्करण)" जून, 1986

2. भारतीय मानक : 13920–1993 "डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ रीइंफोर्सड कंक्रीट स्ट्रक्चरस सब्जेक्टीड टू सीस्मिक फोर्सेस–कोड ऑफ प्रक्टिस" नवम्बर, 1993

3. भारतीय मान 13828–1993 "भूकंप रोधी डिजाइन और भवनों का निर्माण–कोड ऑफ प्रेक्टीस (दूसरा संस्करण)" अक्तूबर, 1993

4. भारतीय मानक 13828–1993 " इम्प्रूविंग अर्थक्वेक रसिस्टेंस ऑफ लो–स्ट्रैंथ मैसनरी बिल्डिंग्स–गाइड लाइंस" अगस्त,1993

5. भारतीय मानक: 13827–1993 " इम्प्रूविंग अर्थक्वेक रसिस्टेंस ऑफ अर्दन बिल्डिंग्स–गाइडलाइन्स" अक्तूबर, 1993

6. भारतीय मानक : 13935–1993 "रिपेयर एंड सीस्मिक स्ट्रैंथनिंग ऑफ बिल्डिंग्स–गाइडलाइन्स", नवम्बर, 1993

अनुलग्नक-ख (खंड 6.2.9 के तहत)

प्रमाण पत्र : भवन निर्माण अनुमति हासिल करने के लिए नक्शा प्रस्तुत करते समय भवन नक्शों के साथ निम्नलिखित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जायें:

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुमोदन के लिए प्रस्तुत भवन नक्शे भवन उपनियम, 1983 के खंड 18 में यथा विहित सुरक्षा उपायों को पूरा करते हैं और इसमें दी गयी सूचना हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार तथ्यतः सही है।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भूमि दशाओं पर प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा सहित संरचनात्मक डिजाइन को भवन डिजाइन में विधिवत शामिल किया गया है और इन प्रावधानों का निर्माण के दौरान अनुपालन किया जाएगा।

मकान मालिक के हस्ताक्षर तारीख सहित	वास्तुकार के हस्ताक्षर व तारीख	सरचना इंजीनियर के हस्ताक्षर व तारीख (एनबीसी ऑफ इडिया में यथा परिभाषित)
नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
पता:	पता:	पता:

अनुलग्नक-ग (खंड 7.5.2 के तहत)

प्रमाण पत्र: फार्म "ड" प्राप्त करते समय या पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करते समय जो भी पहले हो निम्नलिखित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा:

1. प्रमाणित किया जाता है कि भवन (भवनों) का निर्माण, स्वीकृत नक्शा और संरचनात्मक डिजाइन किया गया है (निष्पादित संरचनात्मक नक्शे का एक सैट संलग्न है) किया गया है, जिसमें संगत प्रचलित आई.एस. कोडों/मानक/दिशा–निर्देशों मे यथा विनिर्दिष्ट संरचनात्मक सुरक्षा के प्रावधान समाहित हैं।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि निर्माण कार्य हमारे पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन में किया गया है और वह प्रस्तुत नक्शों के अनुसार है तथा हमने पर्यवेक्षण का रिकार्ड रखा है।

3. नक्शों के अनुसार निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसकी जिम्मेदारी भवन मालिक (मालिकों) की होगी।

मकान मालिक के हस्ताक्षर तारीख सहित	वास्तुकार के हस्ताक्षर व तारीख	सरचना इंजीनियर के हस्ताक्षर व तारीख (एनबीसी ऑफ इडिया में यथा परिभाषित)
नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
पता:	पता:	पता:

जनजातीय एजेन्सियों का संवर्धन/विकास

1375. श्रीमती हेमा गमांग : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उड़ीसा के आदिवासी जिलों में केन्द्र सरकार द्वारा कितनी जनजातीय एजेन्सियों की पहचान की गई है और उन्हें सहायता प्रदान की गई है तथा इस पर कितनी धनराशि व्यय हुई है;

(ख) क्या केन्द्र सराकर ने जनजातीय एजेन्सियों नामतः डोंगरिया कांधा विकास एजेंसी (डी.के.डी.ए.), लंगिया सौर विकास एजेंसी (एल.एस.डी.ए.) और उडीसा जनजातीय विकास परियोजना (ओ.टी.डी.पी.) को सहातया प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार देश के जनजातीय क्षेत्रों हेतु एक व्यापक जनजातीय विकास नीति तैयार करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) से (घ) उडीसा सरकार ने 13 पहचान किए गए आदिम जनजातीय समूहों (पी.टी.जी.) के लिए उनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु उड़ीसा के विभिन्न जनजातीय जिलों में 13 लघु जनजातीय विकास एजेंसियों की स्थापना की है। वर्ष 1998–99 के दौरान आदिम

जनजातीय समूहों के विकास के लिए एक नई केन्द्रीय क्षेत्र योजना आरंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत उडीसा सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर इन लघु जनजातीय विकास एजेंसी क्षेत्रों मे आदिम जनजातीय समूहों के कल्याणार्थ 1999–2000 में 25.72 लाख रुपये तथा 2000–2001 में 200.00 लाख रुपये निर्मुक्त किए गए। संघ सरकार ने इन एजेंसियों को सीधे वित्त पोक्षित नहीं किया है। निर्मुक्त राशि के प्रति किए गए व्यय की सूचना राज्य सरकार द्वारा नहीं दी गई है।

(ङ) और (च) योजना आयोग ने अनुसूचित जनजातियों के संरक्षक और विकास के संबंध में नीतियों तथा विधान पर 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जनजातियों को अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए अपनी संचालन समिति के एक उप–समूह का गठन किया है। इस उप–समूह ने बड़ी परियोजनाओं के कारण भूमि, वन तथा विस्थापन संबंधी विभिन्न नीतियों की सिफारिश की है। उप–समूह ने जनजातीय नीति की आवश्यकता पर भी बल दिया है। उप–समूह की सिफारिश पर 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जनजातियों को अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए योजना आयोग की संचालन समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

बजरंग दल के कार्यकर्त्ताओं को हथियारों का प्रशिक्षण

1376. श्री टी. एम. सेल्वागनपति :

श्री जी. एम. बनातवाला :

श्री प्रबोध पण्डा :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिनांक 4 जुलाई, 2001 के 'दि हिन्दू' में प्रकाशित समाचार के अनुसार बजरंग दल ने तीन लाख लडकों और लडकियों को आग्नेयास्त्रों के प्रयोग का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्यात्मक स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में साम्प्रदायिक स्थिति पर उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पर विचार किया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस मामले पर क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) विश्व हिन्दू परिषद अपने अग्रणी संगठनों बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के साथ वार्षिक ग्रीष्म प्रशिक्षण शिविर आयोजित करता है, जिनमें शारीरिक कौशल के विकास पर जोर दिया जाता है। एयर गन और मॉक वुड राइफलों के प्रशिक्षण के अलावा, आत्म रक्षा, कराटे और जूडो की कक्षाएं भी लगाई जाती हैं।

(ग) और (घ) देश में साम्प्रदायिक सौहार्द पर प्रभाव डालने वाली सभी संगठनों की गतिविधियों पर कानून प्रवर्तन एजेन्सियों द्वारा लगातार नजर रखी जाती है और जहां भी आवश्यक होता है, अपेक्षित कानूनी कार्रवाई की जाती है।

जनजातीय विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता

1377. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या **जनजातीय कार्य** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान जनजातीय विकास कार्यक्रमों के लिए किसी राज्य को कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार और वर्ष–वार ब्यौरा क्या है ?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों (1998–99, 1999–2000 तथा 2000–2001) के दौरान अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में राज्यवार और वर्ष–वार दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1998–99, 1999–2000, तथा 2000–2001 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त निधियां

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998–99	1999–2000	2000–2001
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	4036.85	3857.17	4562.18
2.	अरुणाचल प्रदेश	60.00	80.45	376.55
3.	असम	2539.31	2873.68	3687.34
4.	बिहार	865.90	5747.49	1711.06
5.	छत्तीसगढ	–	–	5257.62
6.	गुजरात	4801.50	4350.60	5539.98

1	2	3	4	5
7.	हिमाचल प्रदेश	862.35	713.09	818.59
8.	जम्मू व कश्मीर	811.84	900.50	973.06
9.	झारखंड	–	–	4842.62
10.	कर्नाटक	859.19	896.16	1476.67
11.	केरल	718.95	455.60	326.53
12.	मध्य प्रदेश	12415.27	12182.73	8500.13
13.	महाराष्ट्र	4453.58	4076.54	5294.59
14.	मणिपुर	889.92	758.18	1950.21
15.	मेघालय	166.50	221.88	1167.87
16.	मिजोरम	107.50	280.65	382.54
17.	नागालैंड	316.25	155.06	2246.94
18.	उड़ीसा	6739.14	7070.36	8962.87
19.	राजस्थान	4472.09	4061.43	4625.27
20.	सिक्किम	69.75	99.57	414.16
21.	तमिलनाडु	379.87	558.59	326.47
22.	त्रिपुरा	1485.53	1283.91	1279.25
23.	उत्तर प्रदेश	257.12	218.13*	51.44
24.	उत्तरांचल	–	74.80**	104.96
25.	पश्चिम बंगाल	2824.38	2366.89	2800.36
26.	अंड.व नि. द्वीपसमूह	133.90	255.40	233.90
27.	दमन व दीव	66.10	44.60	66.10

* इसमें से 74.84 लाख रु. की राशि उत्तरांचल को अंतरित की गई।

** उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंतरित।

जिला ग्रामीण विकास ऐजेंसियों का कार्यकरण

1378. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले :

श्री भेरूलाल मीणा :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण और सामजिक विकास के लिये अनेक केन्द्रीय योजनाओं को लागू नहीं किया जा सका क्योंकि जिला प्राधिकारी निधियों का उचित रूप से उपयोग करने में असफल रहे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के निमित्त निधियों के उचित उपयोग हेतु क्या कदम उठाए गये हैं;

(घ) क्या सरकार को कदाचार और निधियों के अन्यत्र उपयोग के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला–वार ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में दोषी पाए गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मंत्रालय ने राज्यों द्वारा निधियों का समय पर इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए निधियों की रिलीज संबंधी प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रावधान समाहित किया है:

(i) राज्यों को विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत दो किस्तों में निधियां जारी की जाती हैं। निधियों की दूसरी किस्त जारी की जाती है जब राज्य/जिले ने कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध निधियों के 60 प्रतिशत का इस्तेमाल कर लिया हो।

(ii) निधियों की रिलीज संबंधी प्रस्तावों पर कार्रवाई करते समय लेखा–परीक्षा रिपोर्ट और उपयोग प्रमाण–पत्र पर जोर दिया जाता है।

(iii) यदि दूसरी किस्त के लिए प्रस्ताव दिसम्बर के बाद देर से प्राप्त होते हैं तो रिलीज की जाने वाली निधियों में कटौती की जाती है। यदि प्रस्ताव जनवरी में प्राप्त होते हैं तो दूसरी किस्त पर 10 प्रतिशत कटौती की जाती है। यदि प्रस्ताव फरवरी में प्राप्त होते हैं तो 20 प्रतिशत कटौती की जाती है और यदि प्रस्ताव मार्च में प्राप्त होते हैं तो 30 प्रतिशत कटौती की जाती है।

(iv) एक साल से दूसरे साल में निधियों की कैरी ओवर सीमा को 1998–99 के 25 प्रतिशत से घटाकर 1999–2000 में 20 प्रतिशत कर दिया

गया है। 1.4.2000 से इसे फिर से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।

इसके अलावा, मंत्रालय स्तर पर नियमित आधार पर उपयोग की समीक्षा की जाती है। मंत्री (ग्रामीण विकास) स्वयं राज्यों का दौरा करते रहे हैं और कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करते रहे हैं। राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी निधियों का और अधिक इस्तेमाल करने और तेजी से प्रगति करने की आवश्यकता बताई जाती रही है। इसके अलावा, योजनाओं के बारे में जागरूकता सृजन, पारदर्शिता, लोगों की भागीदारी और जवाबदेही–सामाजिक लेखा परीक्षा को मिलाकर एक चार सूत्री–कार्य प्रणाली भी लागू की गई है।

(घ) जी, हां।

(ङ) चालू वर्ष के दौरान राजस्थान के, जैसलमेर और बाडमेर जिले में मरूभूमि विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अनियमितताओं तथा झारखंड राज्य के बोकारो और धनबाद जिले में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों के दुरुपयोग के मामलों को मंत्रालय के ध्यान में भी लाया गया है।

(च) निधियों का दुरुपयोग/अन्यत्र उपयोग किए जाने के संबंध में मंत्रालय को प्राप्त शिकायतों को तुरंत संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के ध्यान में लाया जाता है ताकि उनके द्वारा उपचारी कार्रवाई की जा सके।

[हिन्दी]

निजी शैक्षणिक संस्थानों को वित्तीय सहायता

1379. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निजी शैक्षणिक संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य हेतु क्या निबंधन और शर्तें निर्धारित की गई हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष देश में राज्य–वार ऐसे कितने शैक्षणिक संस्थान हैं और उन्हें कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से पात्र गैर–सरकारी संगठनों, जिनमें गैर–सरकारी शैक्षिक संस्थाएं भी शामिल हैं, को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत दिए जाने वाले ऐसे अनुदानों का ब्यौरा सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग में रखा जाता है। इस संबंध मे निबंधन व शर्तों का उल्लेख प्रत्येक योजना में कर दिया जाता है। सामान्यतया सहायता का पात्र होने के लिए किसी संगठन से अपेक्षा की जाती है कि वह पंजीकृत हो और सामान्य रूप से तीन वर्ष से अस्तित्व में हो। पात्र संगठनों को एक लाख रुपये तथा इससे अधिक के अनुदानों का ब्यौरा सामान्यतया संबंधित मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक रिपोर्टों में दिया जाता है।

[अनुवाद]

जल आपूर्ति का निजीकरण किया जाना

1380. श्री सवशीभाई मकवाना : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में जल आपूर्ति का निजीकरण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गुजरात में कौन–कौन सी जल आपूर्ति एजेंसियां कार्य कर रही हैं;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि का निवेश किया गया है और राज्यों को कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(ङ) जल की गंभीर कमी से निपटने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) जी, नहीं। चूंकि जल आपूर्ति राज्य का विषय है, अतः इन सेवाओं का निजीकरण करने का निर्णय राज्य सरकारों को ही लेना है। शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय नीति निर्धारण और इस क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव उपलब्ध कराकर निजी क्षेत्र की भागीदारी की प्रक्रिया प्रारंभ करने में राज्य सरकारों को सभी संभव सहायता दे रही है।

(ग) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में जलापूर्ति का निजीकरण नहीं किया गया है।

(घ) 20 हजार से कम आबादी वाले वाले शहरों के लिए त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) के तहत, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय ने गुजरात सरकार को

2750.15 लाख रु. लागत की 19 जलापूर्ति योजनाओं हेतु अब तक 1094.82 लाख रु. की कुल केन्द्रीय सहायता जारी की है।

(ङ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अक्टूबर, 2000 से पेयजल मास्टर प्लान कार्यान्वित कर, सरदार सरोवर जलाशय से नर्मदा का पानी लाकर, पारीज टैंक में जल भण्डारण, विभिन्न शहरी केन्द्रों में वितरण, आपातकालीन जलापूर्ति योजानाओं का कार्यान्वयन, हैंडपम्पों की स्थापना, ट्यूब–वेलों का निर्माण, पम्पिंग मशीनें बदलकर तथा टैंकरों द्वारा जल की आपूर्ति द्वारा पेयजल की कमी से निपटने हेतु पर्याप्त कदम उठाये गए हैं।

[हिन्दी]

नवसृजित राज्यों में एस जी एस वाई का क्रियान्वयन

1381. श्री पी. आर. खूंटे : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में विशेषकर छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एस जी एस वाई को क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना के अंतर्गत शुरू किये गए कार्यों संबंधी कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) और (ख) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1.4.1999 से छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोडकर) में क्रियान्वित की जा रही है। 2000–2001 के दौरान स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों का राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) अब तक योजना के कार्यान्वयन के संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है क्योंकि यह योजना दो वर्ष पूर्व ही शुरू की गई थी। परन्तु, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त मासिक आवधिक रिपोर्टों तथा वार्षिक रिपोर्टों के जरिए योजना की निगरानी की जा रही है।

विवरण

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000–2001 के दौरान लाभन्वित हुए कुल स्वरोजगारी (संख्या)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	83084
2.	अरुणाचल प्रदेश	761
3.	असम	12282
4.	बिहार	125792
5.	छत्तीसगढ़	25423
6.	गोवा	23
7.	गुजरात	29241
8.	हरियाणा	25853
9.	हिमाचल प्रदेश	11647
10.	जम्मू एव कश्मीर	9302
11	झारखंड	55038
12.	कर्नाटक	29026
13.	केरल	37926
14.	मध्यप्रदेश	71823
15.	महाराष्ट्र	87998
16.	मणिपुर	असूचित
17.	मेघालय	1671
18.	मिजोरम	1352
19.	नागालैंड	1376
20.	उडीसा	86171
21.	पंजाब	11990
22.	राजस्थान	44504
23.	सिक्किम	1873
24.	तमिलनाडु	83393

1	2	3
25.	त्रिपुरा	14640
26.	उत्तर प्रदेश	124064
27.	उत्तराचल	31555
28	प. बगाल	21230
29.	अ. नि. द्वीपसमूह	448
30.	दा.न. हवेली	0
31.	दमन व दीव	6
32.	लक्षद्वीप	20
33.	पांडिचेरी	39
	जोड	1029551

[अनुवाद]

विश्वविद्यालयों में रिक्त पद

1382. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु कितने पद आरक्षित हैं;

(ख) श्रेणी–वार ऐसे कितने पद खाली पड़े हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन पदों को भरने हेतु क्या कार्रवाई की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति

1383. श्री अखिलेश यादव : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31.5.2001 को राष्ट्रीय सहारा समाचार–पत्र में प्रकाशित दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति के संबंध में पुलिस आयुक्त द्वारा व्यक्त विचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार का अपराधियों को रोकने और राजधानी में रह रहे लोगों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) पुलिस प्रमुख द्वारा व्यक्त किये गये विचारों का लोगों पर और दिल्ली और अन्य राज्यों के पुलिस विभागों पर क्या प्रभाव पड़ने की सभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (घ) तथापि, दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि प्रश्नाधीन समाचार न तो दिल्ली पुलिस आयुक्त द्वारा दिए गए किसी साक्षात्कार पर आधारित है और न ही यह दिल्ली में अपराध स्थिति को सही ढंग से दर्शाती है। यह इस तथ्य से सिद्ध होता है कि वर्ष 1999 से दिल्ली में अपराध दर में कमी का रुख देखा गया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कानून और व्यवस्था में सुधार लाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में, चल गश्त को गहन करना, सामरिक महत्व के स्थानों पर सशस्त्र पिकटें तैनात करना, आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करना, अपराधियों और उग्रवादियों के छिपने के संदिग्ध ठिकानों पर कड़ी निगरानी और लगातार छापे मारना, घरेलू नौकरों और किरायेदारों के पूर्ववत्तों को सत्यापन, आपराधिक पृष्ठभूमि वालें व्यक्तियों पर निगरानी बढ़ाना, पड़ौसी राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें करना, आवासीय कल्याण संघों के सदस्यों के साथ बैठकें करना, प्रत्येक पुलिस जिले में उग्रवादी विरोधी एकक स्थापित करना और चलती बसों, बाजारों व्यापारिक स्थानों और अन्य अपराध बहुल स्थानों पर सादे कपडों में पुलिस कर्मी तैनात करना शामिल है।

[अनुवाद]

संगठनों पर प्रतिबंध

1384. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई.एस.आई. से संबंध रखने और गिरजाघरों में बम विस्फोट कराने हेतु जिम्मेदार और अन्य राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में शामिल रहने वाले तथा देश हित के प्रति पूर्वाग्रह रखने वाले कुछ संगठनों पर हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे संगठनो के क्या नाम हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन संगठनों के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (घ) मई–जुलाई, 2000 के दौरान आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा राज्यों में चर्चों में हुए बम विस्फोटों में, "दीनदार अंजुमन" नामक संगठन जिसके पाकिस्तान में संबंध हैं, का हाथ होना सिद्ध हुआ है और विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में उनकी संलिप्तता के कारण उक्त संगठन के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। इस संगठन को इस मंत्रालय की दिनांक 28.04.2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 373(अ) के द्वारा विधि–विरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3(1) के अंतर्गत विधि–विरुद्ध संगठन के रूप में घोषित किया गया है।

[हिन्दी]

कम्प्यूटर साक्षरता योजना

1385. श्री दानवे रावसाहेब पाटील :

श्री नरेश पुगलिया :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित और 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त "कम्प्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल्स (क्लास)" परियोजना का महाराष्ट्र में क्रियान्वयन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त "क्लास" योजना को वर्ष 1999–2001 वित्तीय वर्ष से हटा दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) महाराष्ट्र सरकार द्वारा वर्ष 1998–99 के दौरान इस योजना के क्रियान्वयन हेतु कितनी राशि की आवश्यकता है और इस उद्देश्य हेतु राज्य को केन्द्र सरकार द्वारा कितनी राशि जारी की गई;

(च) राज्य सरकार को अभी कितनी बकाया राशि का जारी किया जाना बाकी है; और

(छ) राज्य सरकार को इस धनराशि को कब तक जारी कर दिया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी, हां। स्कूल में कम्प्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन की केन्द्रीय प्रायोजित योजना (क्लास) के तहत इस योजना के कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र सरकार को 890.66 लाख रु. संस्वीकृत किये जा चुके हैं।

(ग) से (छ) 1997–98 से 'स्कूल में कम्पयूटर साक्षरता एवं अध्ययन योजना' का अपने वर्तमान रूप में संशोधन किया गया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1998–99 के लिए अनुरक्षण अनुदान के अनुरोध पर 2000–2001 के दौरान 105.03 लाख रुपये जारी किये जा चुके हैं।

[अनुवाद]

संघीय विधि प्रवर्तन एजेंसी

1386. श्री पवन कुमार बंसल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संघीय विधि–प्रवर्तन एजेंसी स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में कितनी प्रगति हुई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) संघीय विधि–प्रवर्तन एजेंसी स्थापित करने की आवश्यकता की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

कोयले की चोरी

1387. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :

श्री उत्तमराव पाटील :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000–2001 के दौरान से आज तक कंपनी–वार कोयला चोरी की कितनी घटनाओं का पता लगा;

(ख) चोरी हुए कोयले की अनुमानित मात्रा कितनी है और इसके परिणामस्वरूप वर्ष–वार एवं कंपनी–वार कितना घाटा हुआ; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में कोयले की चोरी रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) सुरक्षा कर्मियों तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आदि द्वारा मारे गए छापों के आधार पर पता लगाए गए कोयला चोरी की घटनाओं की संख्या तथा बरामद किए गए कोयले की मात्रा निम्नवत् है:–

कंपनी	2000–2001		2001–2002 (30.6.2001तक)		
	घटनाओं की संख्या	बरामद किए गए कोयले की लगभग मात्रा (टन में)	घटनाओं की सं.	बरामद किए गए कोयले की लगभग मात्रा (टन में)	
ई.सी.एल.	2169	22353	774	8718	
बी.सी.सी.एल.	17	148.54	14	18	
सी.सी.एल.	4	244.2	शून्य	65	(परित्यक्त पाया गया)
एन.सी.एल.	1	15	शून्य	शून्य	
डब्ल्यू.सी.एल.	17	265.07	2	0.9	
एस.ई.सी.एल.	9	107	6	123	
एम.सी.एल.	24	95	13	4.5	
एन.ई.सी.	शून्य	–	शून्य	शून्य	
जोड़	2241	23228	809	8929.4	

(ग) कोयले की चोरी तथा उठाईगीरी को रोकने हेतु कोल इंडिया लि. की कोयला उत्पादक अनुषंगी कंपनियों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :–

(i) अवैध कोयला डिपो तथा कोयले की अवैध गतिविधि के संबंध में आसूचना रिपोर्ट एकत्र करना तथा जिला प्रशासन को उक्त गतिविधि रोकने हेतु सूचित करना।

(ii) परिवहन संबंधी कागजातों की जांच हेतु संवेदनशील स्थानों पर चेक–पोस्ट स्थापित करना।

(iii) कोयला जमाव क्षेत्र के आसपास निगरानी टावरों का निर्माण करना तथा प्रकाश की व्यवस्था करना।

(iv) पिट हैड डिपो के आसपास कांटेदार तार/दीवार का निर्माण करना। रात के समय में सशस्त्र गार्डों के नियोजन सहित स्थायी सुरक्षा कर्मी लगाना।

(v) सशस्त्र गार्डों द्वारा लदे हुए रेकों को रेलवे वे–ब्रिज तक पहुंचाना तथा लम्बे रेलवे ट्रेक में जहां कि लूट–पाट की संभावना हो रेलवे सुरक्षा बलों के साथ संयुक्त रूप से पहरा देना।

(vi) अवैध खनन स्थलों को बंद करना।

(vii) चोरी अथवा उठाईगीरी करते हुए पकडे गए परिवहन वाहनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना।

(viii) कोयले की चोरी/उठाईगीरी में लिप्त महिलाओं तथा बच्चों को रोकने हेतु महिला सुरक्षा कर्मियों को लगाना, सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता का पुनः आकलन कर सुरक्षा शाखा को सुदृढ़ बनाना, सुरक्षा कार्य की योग्यता वाले अधिकारियों द्वारा समस्तर गतिविधि चलाना तथा कनिष्ठ, मध्य तथा वरिष्ठ स्तर पर प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों को शामिल करना।

(ix) सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण देना, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मियों का रिफ्रेशर प्रशिक्षण देना तथा नए बहाल किए गए सुरक्षा कर्मियों को आधारभूत प्रशिक्षण देना।

(x) कोयला कंपनियां राज्य सरकारों के साथ सन्निकट सम्पर्क बनाए रखते हैं।

कोयला खान दुर्घटनाओं पर जांच आयोग

1388. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :

प्रो. दुखा भगत :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान से आज तक कोयला खान दुर्घटनाओं पर कितने जांच आयोग बैठाए गए;

(ख) प्रत्येक आयोग पर कितनी राशि खर्च हुई;

(ग) उन आयोगों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने निर्धारित अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है;

(घ) इन आयोगों द्वारा कितने अधिकारियों के विरुद्ध सिफारिशें की गईं; और

(ङ) उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान उन रिपोर्टों के आधार पर कार्रवाई की गई ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान तथा अद्यतन स्थिति तक दो उच्चाधिकार प्राप्त समितियां और एक जांच न्यायालय गठित किए गए हैं। कोयला मंत्रालय द्वारा क्रमशः ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई. सी.एल.) की पारसकोल (पश्चिम) कोलियरी ओर वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यू.सी.एल.) की कावाड़ी ओपनकास्ट खान में दुर्घटना के बारे में विस्तार से पता लगाने के लिए 2 उच्चाधिकार प्राप्त समितियों को गठित किया गया था।

बागडिगी दुर्घटना के कारणों तथा परिस्थितियों का पता लगाने हेतु और दुर्घटना के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण किए जाने हेतु खान अधिनियम, 1952 की धारा 24 की उप–धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रम मंत्रालय ने रांची, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति गुरूशरण शर्मा को नियुक्त किया है।

(ख) पारसकोल (पश्चिम) कोलियरी के लिए नियुक्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति पर व्यय की गई राशि 25000 रुपए है और कावाडी ओपनकास्ट खान के लिए नियुक्त समिति पर व्यय की गई राशि 3,29,602 रुपए है बागडिगी दुर्घटना की जांच अभी चल रही है।

(ग) दोनों उच्चाधिकार प्राप्त समितियों की रिपोर्टें (पारसकोल (पश्चिम) और कावाड़ी पर) कोयला मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी गई थी। बागडिगी जांच न्यायालय का कार्य अभी प्रगति पर है।

(घ) और (ङ) पारसकोल (पश्चिम) दुर्घटना के लिए, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.सी.एल.) के चार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की सिफारिश की गई थी। यह कार्यवाही चल रही है। कावाडी ओपनकास्ट खान दुर्घटना, समिति के विचारार्थ विषयों में शामिल नहीं की गई थी। फिर भी कावाड़ी ओपनकास्ट खान दुर्घटना के संदर्भ में डी. जी. एम. एस. ने प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट, भद्रावती के न्यायालय में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यू. सी.एल.) के 9 अधिकारियों के विरुद्ध आरोप–पत्र जारी किया और मुकदमा चला दिया। बागडिगी जांच न्यायालय का कार्य प्रगति पर है।

[अनुवाद]

रेलवे द्वारा कोयले पर माल भाड़ा प्रभार

1389. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि. ने रेलवे द्वारा कोयला माल भाड़ा प्रभार को तर्क संगत बनाने के लिये सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) क्या कोल इंडिया लि. ने अपने घाटे को कम करने हेतु परिवहन के किसी वैकल्पिक साधन की खोज की है;

(ग) लाभप्रद बनाने हेतु कोल इंडिया लि. पर कम माल भाडा प्रभार लगाए जाने का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार का किस तरह से कोयला क्षेत्र का उचित संचालन सुनिश्चित करने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सी.आई.एल. द्वारा उपभोक्ताओं को कोयले की बिक्री पिट–हैड पर की जाती है। कोयले का परिवहन संबंधी विकल्प, कोयला लेने वाले उपभोक्ता का अनन्य विशेषाधिकार/ उत्तरदायित्व है। सी.आई.एल. के लाभ पर रेल भाडे का कोई सीधा प्रभाव नहीं पडता। तथापि, उपभोक्ताओं को अधिक रेल भाड़ों के कारण सी.आई.एल. का कोयला कोयला क्षेत्रों से ज्यादा दूरियों पर अपेक्षाकृत महंगा पड़ता है। उच्चतर रेल भाड़े का असर आयातित कोयले के मुकाबले सी.आई.एल. कोयले की प्रतिस्पर्द्धा–क्षमता पर भी पड़ता है।

(घ) घरेलू कोयले की प्रतिस्पर्द्धा–क्षमता को सुधारने की दृष्टि से, कोयला मंत्रालय ने रेल भाड़े को युक्तिसंगत बनाने हेतु रेल मंत्रालय को विगत में कई बार लिखा है।

[हिन्दी]

प्राथमिक विद्यालयों हेतु विश्व बैंक से सहायता

1390. श्री रामदास आठवले :

श्री जी. जे. जावीया :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में विश्व बैंक की सहायता से राज्य–वार और स्थान–वार कितने प्राथमिक विद्यालय खोले गये/खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस उद्देश्य हेतु राज्य–वार कितनी राशि प्रदान की गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सार्क पार्लियामेंट

1391. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने "सार्क पार्लियामेंट" गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर व्यापक विचार मांगा है और इस विषय पर अन्य देशों के साथ चर्चा की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) प्राप्त सूचना के अनुसार भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा कोई सार्क संसद गठित नहीं की गई है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

एम.सी.एल. के अंतर्गत सामुदायिक विकास योजना

1392. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान से आज तक उड़ीसा में सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत महानदी कोल–फील्ड्स लि. द्वारा कितनी राशि स्वीकृत हुई और व्यय की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत शुरू किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना के क्रियान्वयन में कोई वित्तीय अनियमितता सामने आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान महानदी कोलफील्ड्स लि. द्वारा उड़ीसा में सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष में किया गया व्यय निम्नवत है :–

(लाख रुपए में)

वर्ष	अनुमोदित राशि	व्यय की गई राशि
1998–99	640.00	380.00
1999–00	400.00	289.92
2000–01	558.23	310.00

(ख) विगत तीन वर्षों में सामुदायिक विकास योजना के लिए आरंभ किए गए कार्यों/परियोजनाओं की संख्या इस प्रकार है:–

योजनाओं के नाम	आरंभ की गई परियोजनाओं/ कार्यों की संख्या
सड़क निर्माण	19
शिक्षा	55
जल आपूर्ति	39
सामुदायिक केन्द्र	13
चिकित्सा	05
विविध	32

(ग) महानदी कोलफील्ड्स लि. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(घ) से (च) उपर्युक्त भाग (ग) के उनर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

विश्व भारती का संरक्षण

1393. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जहां तक टैगोर से संबंधित प्रकाशनों का संबंध है तो क्या सरकार ने विश्व भारती के संरक्षण के संबंध में अब तक कोई अंतिम निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक परिचालित किए जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) रवीन्द्र नाथ ठाकुर के प्रकाशनों में विश्व भारती का हित प्रकाशनों के अधिशासन से समबन्धित विभिन्न कानूनों, विश्व भारती अधिनियम, 1951 तथा उसके अधीन बनाए गये नियमों के तहत संरक्षित हैं।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर की रचनाओं के कापीराइट संरक्षण की स्थिति वही है और वैसी ही बनी रहेगी जैसा कि यह सभी अन्य लेखकों के मामले में है। अलग-अलग लेखकों, चाहे वे कितने भी लब्ध प्रतिष्ठ हों, के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है।

कोयले के मूल्य का पुनरीक्षण

1394. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले पर रॉयल्टी के ग्रेड-वार पिछले पुनरीक्षण के बाद से अब तक कितनी बार कोयले के मूल्य का पुनरीक्षण किया गया है;

(ख) प्रत्येक समय में प्रत्येक ग्रेड का बिक्री मूल्य क्या है और निरपेक्ष पदों मे मूल्य अंतर और इसका प्रतिशत अंतर क्या है;

(ग) क्या प्रत्येक अनुषंगी इकाइयों को कोयला बिक्री मूल्य के पुनरीक्षण की आजादी दी गई है;

(घ) यदि हां, तो पूर्व निर्धारित मूल्य और वर्तमान मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ङ) रॉयल्टी दर के पुनरीक्षण न किए जाने के क्या कारण हैं जबकि बिक्री मूल्य कई बार बढ़ाया गया है;

(च) पश्चिम बंगाल सरकार उपकर और रॉयल्टी के रूप में अनुषंगी इकाइयों/सी.आई.एल. से बिक्री मूल्य का कितना प्रतिशत संग्रह कर रही है;

(छ) क्या कोयले के रॉयल्टी दर का निर्णय मूल्यानुसार किया जाता है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) कोयले पर रॉयल्टी दरों में पिछले संशोधन के बाद से कोल इंडिया लि. द्वारा 15 अवसरों पर कोयले की ग्रेड-वार कीमतों में संशोधन किया जा चुका है। प्रत्येक बार कोयले के प्रत्येक ग्रेड का विक्रय मूल्य तथा पूर्ण रूप में और प्रतिशतता अंतर के रूप में मूल्यांतर का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) भारत सरकार द्वारा दिनांक 1.1.2000 से कोयले की कीमतों को पूरी तरह विनियंत्रित किया जा चुका है और इसलिए कोल इंडिया लि. तथा उसकी अनुषंगी कंपनियां उनके द्वारा उत्पादित कोयले की ग्रेड वार कीमतों का निर्धारण करने में सक्षम है।

(घ) कोकिंग कोयले तथा ए,बी और सी ग्रेड के नॉन-कोकिंग कोयले की कीमतों को दिनांक 22.3.1996 से विनियंत्रित कर दिया गया था। तदुपरांत, हार्ड कोक, साफ्ट कोक तथा डी ग्रेड के नॉन-कोकिंग कोयले की कीमतों को फरवरी, 1997 में विनियंत्रित कर दिया गया। कोयले की कीमतों का पूर्ण विनियंत्रण केवल 1.1.2000 को किया गया था। 1994 से अद्यतन तिथि तक कोयले की कीमतों में ग्रेड वार संशोधन जिसमें विनियंत्रण से पूर्व और बाद की अवधि शामिल है, का ब्यौरा भी संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) कोयले की कीमत का निर्धारण इसकी उत्पादन लागत, निवेश लागत में वृद्धि, निवेश पर प्रतिलाभ, बाजार की स्थितियों इत्यादि के द्वारा होता है। कोयले पर रॉयल्टी में संशोधन अक्तूबर, 1994 से नहीं किया गया है जिसके कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :- आयातित कोयले से प्रतिस्पर्धा, इस्पात, विद्युत और सीमेंट क्षेत्रों में मंदी, ऊर्जा लागतों पर प्रभाव, मुद्रा स्फीति के कारणों से कोयले की कीमतों में वृद्धि इत्यादि।

(च) पश्चिम बंगाल सरकार कोयले की पिट-हैड कीमत के 25 प्रतिशत तक कोयले पर उपकर एकत्र कर रही है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उत्पादित कोयले पर प्रभारित कोयला रॉयल्टी की दरें औसतन 5.64 रु. प्रति टन कोयला है।

(छ) और (ज) जी, नहीं।

विवरण

कुछ वर्षों के दौरान कोयले की कीमत में वृद्धि कीमत निम्न स्थिति के अनुसार आर. ओ. एम. कोयला

ईस्टर्न कोलफील्डस लि.

रानीगंज :- अनुबंध-I में सूचीबद्ध कोलियरियों में उत्पादित कोयला	29.12.95	31.3.96	वृद्धि पूर्ण रूप में	वृद्धि प्रतिशत में	22.4.96	वृद्धि पूर्ण रूप में	वृद्धि प्रतिशत में	19.10.96	वृद्धि पूर्ण रूप में	वृद्धि प्रतिशत में	31.3.97	वृद्धि पूर्ण रूप में	वृद्धि प्रतिशत में	30.9.97	वृद्धि पूर्ण रूप में	वृद्धि प्रतिशत में	21.8.98	वृद्धि पूर्ण रूप में	वृद्धि प्रतिशत में	5.1.99	वृद्धि पूर्ण रूप में	वृद्धि प्रतिशत में	20.4.2000
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ए	772.20	914	141.80	18.363	914	0.00	0.00	1017	103.00	11.27	1017	0.00	0.00	1068	51.00	5.01	1121	53.00	4.96	1180	59.00	5.26	1262
बी	710.60	827	116.40	16.381	827	0.00	0.00	920	93.00	11.25	920	0.00	0.00	966	46.00	5.00	1014	48.00	4.97	1115	101.00	9.96	1193
सी	630.00	715	84.70	13.438	715	0.00	0.00	768	53.00	7.41	768	0.00	0.00	806	38.00	4.95	846	40.00	4.96	950	104.00	12.29	1016
डी	512.60	512.60	0.00	0.00	512.60	0.00	0.00	512.60	0.00	0.00	643	130.40	25.44	643	0.00	0.00	688	45.00	7.00	770	82.00	11.92	823
लांग फ्लेम कोयला																							
ए	702	831	129.00	18.376	831	0.00	0.00	924	93.00	11.19	924	0.00	0.00	970	46.00	4.98	1019	49.00	5.05	1073	54.00	5.30	1148
बी	646	752	106.00	16.409	752	0.00	0.00	836	84.00	11.17	836	0.00	0.00	878	42.00	5.02	922	44.00	5.01	1014	92.00	9.98	1084
सी	573	650	77.00	13.438	650	0.00	0.00	698	48.00	7.38	698	0.00	0.00	733	35.00	5.01	770	37.00	5.05	865	95.00	12.34	925
डी	466	466	0.00	0.00	466	0.00	0.00	466	0.00	0.00	584	118.00	25.32	584	0.00	0.00	625	41.00	7.02	700	75.00	12.00	749
नॉन लाग फ्लेम कोयला																							
ए	642	771	129.00	20.093	771	0.00	0.00	864	93.00	12.06	864	0.00	0.00	907	43.00	4.98	952	45.00	4.96	1006	54.00	5.67	1076
बी	586	692	106.00	18.089	692	0.00	0.00	776	84.00	12.14	776	0.00	0.00	815	39.00	5.03	856	41.00	5.03	948	92.00	10.75	1014
सी	513	590	77.00	15.01	590	0.00	0.00	638	48.00	8.14	638	0.00	0.00	670	32.00	5.02	704	34.00	5.07	799	95.00	13.49	854
डी	406	406	0.00	0.00	406	0.00	0.00	406	0.00	0.00	524	118.00	29.06	524	0.00	0.00	561	37.00	7.06	636	75.00	13.37	680
ई	322	322	0.00	0.00	322	0.00	0.00	322	0.00	0.00	416	94.00	29.19	416	0.00	0.00	445	29.00	6.97	445	0.00	0.00	476
एफ	257	257	0.00	0.00	257	0.00	0.00	257	0.00	0.00	332	75.00	29.18	332	0.00	0.00	355	23.00	6.93	355	0.00	0.00	379
जी	183	183	0.00	0.00	183	0.00	0.00	183	0.00	0.00	237	54.00	29.51	237	0.00	0.00	254	17.00	7.17	254	0.00	0.00	271
सालनपुर नान-लांग फ्लेम कोयला																							
ए	642	771	129.00	20.093	771	0.00	0.00	864	93.00	12.06	864	0.00	0.00	907	43.00	4.98	952	45.00	4.96	1000	48.00	5.04	1070
बी	586	692	106.00	18.089	692	0.00	0.00	776	84.00	12.14	776	0.00	0.00	815	39.00	5.03	856	41.00	5.03	900	44.00	5.14	963
सी	513	590	77.00	15.01	590	0.00	0.00	638	48.00	8.14	638	0.00	0.00	670	32.00	5.02	704	34.00	5.07	740	36.00	5.11	791
डी	406	406	0.00	0.00	406	0.00	0.00	406	0.00	0.00	524	118.00	29.06	524	0.00	0.00	561	37.00	7.06	590	29.00	5.17	631
ई	322	322	0.00	0.00	322	0.00	0.00	322	0.00	0.00	416	94.00	29.19	416	0.00	0.00	445	29.00	6.97	445	0.00	0.00	476
एफ	257	257	0.00	0.00	257	0.00	0.00	257	0.00	0.00	332	75.00	29.18	332	0.00	0.00	355	23.00	6.93	355	0.00	0.00	379
जी	183	183	0.00	0.00	183	0.00	0.00	183	0.00	0.00	237	54.00	29.51	237	0.00	0.00	254	17.00	7.17	254	0.00	0.00	271

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
एस. पी. माइन्स :- अनुबंध-I में सूचीबद्ध कोलियरियों में उत्पादित कोयला																							
ए	772.20	914	141.80	18.3631	914	0.00	0.00	1017	103.00	11.27	1017	0.00	0.00	1068	51.00	5.01	1121	53.00	4.96	1121	0.00	0.00	1199
बी	710.60	827	116.40	16.3805	827	0.00	0.00	920	93.00	11.25	920	0.00	0.00	966	46.00	5.00	1014	48.00	4.97	1014	0.00	0.00	1084
सी	630.00	715	84.70	13.438	715	0.00	0.00	768	53.00	7.41	768	0.00	0.00	806	38.00	4.95	846	40.00	4.96	846	0.00	0.00	905
डी	512.60	512.60	0.00	0.00	512.60	0.00	0.00	512.60	0.00	0.00	643	130.40	25.44	643	0.00	0.00	688	45.00	7.00	688	0.00	0.00	736
लांग फ्लेम कोयला																							
ए	702	831	129.00	18.3761	831	0.00	0.00	924	93.00	11.19	924	0.00	0.00	970	46.00	4.98	1019	49.00	5.05	1019	0.00	0.00	1090
बी	646	752	106.00	16.4087	752	0.00	0.00	836	84.00	11.17	836	0.00	0.00	878	42.00	5.02	922	44.00	5.01	922	0.00	0.00	986
सी	573	650	77.00	13.438	650	0.00	0.00	698	48.00	7.38	698	0.00	0.00	733	35.00	5.01	770	37.00	5.05	770	0.00	0.00	823
डी	466	466	0.00	0.00	466	0.00	0.00	466	0.00	0.00	584	118.00	25.32	584	0.00	0.00	625	41.00	7.02	625	0.00	0.00	668
नॉन लांग फ्लेम कोयला																							
ए	642	771	129.00	20.0935	771	0.00	0.00	864	93.00	12.06	864	0.00	0.00	907	43.00	4.98	952	45.00	4.96	952	0.00	0.00	1018
बी	586	692	106.00	18.0887	692	0.00	0.00	776	84.00	12.14	776	0.00	0.00	815	39.00	5.03	856	41.00	5.03	856	0.00	0.00	915
सी	513	590	77.00	15.097	590	0.00	0.00	638	48.00	8.14	638	0.00	0.00	670	32.00	5.02	704	34.00	5.07	704	0.00	0.00	753
डी	406	406	0.00	0.00	406	0.00	0.00	406	0.00	0.00	524	118.00	29.06	524	0.00	0.00	561	37.00	7.06	561	0.00	0.00	600
ई	322	322	0.00	0.00	322	0.00	0.00	322	0.00	0.00	416	94.00	29.19	416	0.00	0.00	445	29.00	6.97	445	0.00	0.00	476
एफ	257	257	0.00	0.00	257	0.00	0.00	257	0.00	0.00	332	75.00	29.18	332	0.00	0.00	355	23.00	6.93	355	0.00	0.00	379
जी	183	183	0.00	0.00	183	0.00	0.00	183	0.00	0.00	237	54.00	29.51	237	0.00	0.00	254	17.00	7.17	254	0.00	0.00	271
मुग्मा लांग फ्लेम कोयला																							
ए	702	831	129.00	18.3761	831	0.00	0.00	924	93.00	11.19	924	0.00	0.00	970	46.00	4.98	1019	49.00	5.05	1019	0.00	0.00	1090
बी	646	752	106.00	16.4087	752	0.00	0.00	836	84.00	11.17	836	0.00	0.00	878	42.00	5.02	922	44.00	5.01	922	0.00	0.00	986
सी	573	650	77.00	13.438	650	0.00	0.00	698	48.00	7.38	698	0.00	0.00	733	35.00	5.01	770	37.00	5.05	770	0.00	0.00	823
डी	466	466	0.00	0.00	466	0.00	0.00	466	0.00	0.00	584	118.00	25.32	584	0.00	0.00	625	41.00	7.02	625	0.00	0.00	668
मुग्मा नॉन-लांग फ्लेम कोयला																							
ए	642	771	129.00	20.0935	771	0.00	0.00	864	93.00	12.06	864	0.00	0.00	907	43.00	4.98	952	45.00	4.96	952	0.00	0.00	1018
बी	586	692	106.00	18.0887	692	0.00	0.00	776	84.00	12.14	776	0.00	0.00	815	39.00	5.03	856	41.00	5.03	856	0.00	0.00	915
सी	513	590	77.00	15.0097	590	0.00	0.00	638	48.00	8.14	638	0.00	0.00	670	32.00	5.02	704	34.00	5.07	704	0.00	0.00	753
डी	406	406	0.00	0.00	406	0.00	0.00	406	0.00	0.00	524	118.00	29.06	524	0.00	0.00	561	37.00	7.06	561	0.00	0.00	600
ई	322	322	0.00	0.00	322	0.00	0.00	322	0.00	0.00	416	94.00	29.19	416	0.00	0.00	445	29.00	6.97	445	0.00	0.00	476
एफ	257	257	0.00	0.00	257	0.00	0.00	257	0.00	0.00	332	75.00	29.18	332	0.00	0.00	355	23.00	6.93	355	0.00	0.00	379
जी	183	183	0.00	0.00	183	0.00	0.00	183	0.00	0.00	237	54.00	29.51	237	0.00	0.00	254	17.00	7.17	254	0.00	0.00	271

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
राजमहल प्रोजेक्ट																							
लांग फ्लेम कोयला																							
डी	466	466	0.00	0.00	609	143.00	30.69	6.09	0.00	0.00	727	118.00	19.38	727	0.00	0.00	778	51.00	7.02	778	0.00	0.00	832
नॉन–लांग फ्लेम कोयला																							
ई	322	322	0.00	0.00	465	143.00	44.41	465	0.00	0.00	559	94.00	20.22	559	0.00	0.00	598	39.00	6.98	598	0.00	0.00	639
एफ	257	257	0.00	0.00	400	143.00	55.64	400	0.00	0.00	475	75.00	18.75	475	0.00	0.00	508	33.00	6.95	508	0.00	0.00	543
जी	183	183	0.00	0.00	326	143.00	78.14	326	0.00	0.00	380	54.00	16.56	380	0.00	0.00	407	27.00	7.11	407	0.00	0.00	435
कोकर कोयला :–																							
इस्पात ग्रेड–I	1048	1310	262.00	25.00	1310	0.00	0.00																
इस्पात ग्रेड–II	875	1094	219.00	25.0286	1094	0.00	0.00																
वाशरी ग्रेड–I	758	948	190.00	25.066	948	0.00	0.00	1024	76.00	8.021	1024	0.00	0.00	1024	0.00	0.00	1024	0.00	0.00	1115	91.00	8.89	1193
वाशरी ग्रेड–II	628	785	157.00	25.00	785	0.00	0.00	848	63.00	8.03	848	0.00	0.00	848	0.00	0.00	848	0.00	0.00	924	76.00	8.96	988
वाशरी ग्रेड–III	483	580	97.00	20.0828	580	0.00	0.00	627	47.00	8.10	627	0.00	0.00	627	0.00	0.00	627	0.00	0.00	683	56.00	8.93	730
वाशरी ग्रेड–IV	450	540	90.00	20.00	540	0.00	0.00	584	44.00	8.15	584	0.00	0.00	584	0.00	0.00	584	0.00	0.00	635	51.00	8.73	679
सेमी कोकिंग ग्रेड–I	758	948	190.00	25.066	948	0.00	0.00	1024	76.00	8.021	1024	0.00	0.00	1024	0.00	0.00	1024	0.00	0.00	1156	132.00	12.89	1236
सेमी कोकिंग ग्रेड–II	628	785	157.00	25.00	785	0.00	0.00	848	63.00	8.03	848	0.00	0.00	848	0.00	0.00	848	0.00	0.00	957	109.00	12.85	1024
भारत कोकिंग कोल लि.																							
लांग फ्लेम कोयला																							
ए	702	831	129.00	18.3761	924	93.00	11.191	924	0.00	0.00	924	0.00	0.00	970	46.00	4.98	1019	49.00	5.05	1121	102.00	10.01	
बी	646	752	106.00	16.4087	836	84.00	11.17	836	0.00	0.00	836	0.00	0.00	878	42.00	5.02	922	44.00	5.01	1014	92.00	9.98	
सी	573	650	77.00	13.438	698	48.00	7.38	698	0.00	0.00	698	0.00	0.00	733	35.00	5.01	770	37.00	5.05	847	77.00	10.00	
डी	466	466	0.00	0.00	466	0.00	0.00	584	118.00	25.3219	584	0.00	0.00	625	41.00	7.02	656	31.00	4.96	722	66.00	10.06	
नॉन–लांग फ्लेम कोयला																							
ए	642	771	129.00	20.0935	864	93.00	12.062	864	0.00	0.00	864	0.00	0.00	907	43.00	4.98	952	45.00	4.96	1047	95.00	9.98	
बी	586	692	106.00	18.0887	776	84.00	12.139	776	0.00	0.00	776	0.00	0.00	815	39.00	5.03	856	41.00	5.03	942	86.00	10.05	
सी	513	590	77.00	15.0097	638	48.00	8.14	638	0.00	0.00	638	0.00	0.00	670	32.00	5.02	704	34.00	5.07	774	70.00	9.94	
डी	406	406	0.00	0.00	406	0.00	0.00	524	118.00	29.064	524	0.00	0.00	561	37.00	7.06	589	28.00	4.99	648	59.00	10.02	
ई	322	322	0.00	0.00	322	0.00	0.00	416	94.00	29.1925	416	0.00	0.00	445	29.00	6.97	467	22.00	4.94	514	47.00	10.06	
एफ	257	257	0.00	0.00	257	0.00	0.00	332	75.00	29.1829	332	0.00	0.00	355	23.00	6.93	373	18.00	5.07	410	37.00	9.92	
जी	183	183	0.00	0.00	183	0.00	0.00	237	54.00	29.5082	237	0.00	0.00	254	17.00	7.17	267	13.00	5.12	294	27.00	10.11	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
कोककर कोयला:- (अनुबंध–III में सूचीबद्ध कोलियरियां)																						
इस्पात ग्रेड–I														1657			1740	83.00	5.01	1914	174.00	10.00
इस्पात ग्रेड–II														1384			1453	69.00	4.99	1598	145.00	9.98
वाशरी ग्रेड–I														1199			1259	60.00	5.00	1385	126.00	10.01
वाशरी ग्रेड–II														993			1043	50.00	5.04	1147	104.00	9.97
वाशरी ग्रेड–III														734			771	37.00	5.04	848	77.00	9.99
वाशरी ग्रेड–IV														683			717	34.00	4.98	789	72.00	10.04
सेमी कोकिंग ग्रेड–I														1156			1214	58.00	5.02	1335	121.00	9.97
सेमी कोकिंग ग्रेड–II														957			1005	48.00	5.02	1106	101.00	10.05
इस्पात ग्रेड–I	1048	1310	262.00	25.00	1468	158.00	12.061	1468	0.00	0.00	1541	73.00	4.97	1541	0.00	0.00	1541	0.00	0.00	1695	154.00	9.99
इस्पात ग्रेड–II	875	1094	219.00	25.0286	1226	132.00	12.066	1226	0.00	0.00	1287	61.00	4.98	1287	0.00	0.00	1287	0.00	0.00	1416	129.00	10.02
वाशरी ग्रेड–I	758	948	190.00	25.066	1062	114.00	12.025	1062	0.00	0.00	1115	53.00	4.99	1115	0.00	0.00	1115	0.00	0.00	1227	112.00	10.04
वाशरी ग्रेड–II	628	785	157.00	25.00	880	95.00	12.10	880	0.00	0.00	924	44.00	5.00	924	0.00	0.00	924	0.00	0.00	1016	92.00	9.96
वाशरी ग्रेड–III	483	580	97.00	20.0828	650	70.00	12.069	650	0.00	0.00	683	33.00	5.08	683	0.00	0.00	683	0.00	0.00	751	68.00	9.96
वाशरी ग्रेड–IV	450	540	90.00	20.00	605	65.00	12.037	605	0.00	0.00	635	30.00	4.96	635	0.00	0.00	635	0.00	0.00	699	64.00	10.08
सेमी–कोकिंग ग्रेड–I	758	948	190.00	25.066	1024	76.00	8.02	1024	0.00	0.00	1075	51.00	4.98	1075	0.00	0.00	1075	0.00	0.00	1183	108.00	10.05
सेमी–कोकिंग ग्रेड–II	628	785	157.00	25.00	848	63.00	8.03	848	0.00	0.00	890	42.00	4.96	890	0.00	0.00	890	0.00	0.00	979	89.00	10.00
सैंट्रल कोलफील्ड्स लि.																						
लांग फ्लेम कोयला																						
ए	702	831	129.00	18.3761	924	93.00	11.19	924	0.00	0.00	970	46.00	4.98	1019	49.00	5.05	1070	51.00	5.00	1177	107.00	10.00
बी	646	752	106.00	16.4087	836	84.00	11.17	836	0.00	0.00	878	42.00	5.02	922	44.00	5.01	968	46.00	4.99	1065	97.00	10.02
सी	573	650	77.00	13.438	698	48.00	7.38	698	0.00	0.00	733	35.00	5.01	770	37.00	5.05	809	39.00	5.06	890	81.00	10.01
डी	466	466	0.00	0.00	466	0.00	0.00	584	118.00	25.32	625	41.00	7.02	656	31.00	4.96	689	33.00	5.03	758	69.00	10.01
नॉन–लांग फ्लेम कोयला																						
ए	642	771	129.00	20.0935	864	93.00	12.06	864	0.00	0.00	907	43.00	4.98	952	45.00	4.96	1000	48.00	5.04	1100	100.00	10.00
बी	586	692	106.00	18.0887	776	84.00	12.14	776	0.00	0.00	815	39.00	5.03	856	41.00	5.03	899	43.00	5.02	989	90.00	10.01
सी	513	590	77.00	15.0097	638	48.00	8.14	638	0.00	0.00	670	32.00	5.02	704	34.00	5.07	739	35.00	4.97	813	74.00	10.01
डी	406	406	0.00	0.00	406	0.00	0.00	524	118.00	29.06	561	37.00	7.06	589	28.00	4.99	618	29.00	4.92	680	62.00	10.03
ई	322	322	0.00	0.00	322	0.00	0.00	416	94.00	29.19	445	29.00	6.97	467	22.00	4.94	490	23.00	4.93	539	49.00	10.00
एफ	257	257	0.00	0.00	257	0.00	0.00	332	75.00	29.18	355	23.00	6.93	373	18.00	5.07	392	19.00	5.09	431	39.00	9.95
जी	183	183	0.00	0.00	193	0.00	0.00	237	54.00	29.51	254	17.00	7.17	267	13.00	5.12	280	13.00	4.87	308	28.00	10.00
कोककर कोयला :–																						
इस्पात ग्रेड–I	1048	1310	262.00	25.00																		
इस्पात ग्रेड–II	875	1094	219.00	25.0286																		
वाशरी ग्रेड–I	758	948	190.00	25.066	1024	76.00	8.02	1024	0.00	0.00	1075	51.00	4.98	1115	40.00	3.72	1115	0.00	0.00	1287	172.00	15.43
वाशरी ग्रेड–II	628	785	157.00	25.00	848	63.00	8.03	848	0.00	0.00	890	42.00	4.95	924	34.00	3.82	970	46.00	4.98	1067	97.00	10.00
वाशरी ग्रेड–III	483	580	97.00	20.0828	627	47.00	8.10	627	0.00	0.00	658	31.00	4.94	683	25.00	3.80	717	34.00	4.98	789	72.00	10.04
वाशरी ग्रेड–IV	450	540	90.00	20.00	584	44.00	8.15	584	0.00	0.00	613	29.00	4.97	635	22.00	3.59	667	32.00	5.04	734	67.00	10.04
सेमी–कोकिंग ग्रेड–I	758	948	190.00	25.066	1024	76.00	8.02	1024	0.00	0.00	1075	51.00	4.98	1075	0.00	0.00	1075	0.00	0.00	1241	166.00	15.44
सेमी–कोकिंग ग्रेड–II	628	785	157.00	25.00	848	63.00	8.03	848	0.00	0.00	890	42.00	4.96	890	0.00	0.00	890	0.00	0.00	1027	137.00	15.39

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
महानदी कोलफील्डस लि.																						
लांग फ्लेम कोयला																						
ए	702	799	97.00	13.8177	888	89.00	11.14	888	0.00	0.00	932	44.00	4.95	979	47.00	5.04						
बी	646	723	77.00	11.9195	803	80.00	11.07	803	0.00	0.00	843	40.00	4.98	885	42.00	4.98						
सी	573	625	52.00	9.08	671	46.00	7.36	671	0.00	0.00	705	34.00	5.07	740	35.00	4.96						
डी	466	466	0.00	0.00	466	0.00	0.00	564	98.00	21.03	603	39.00	6.91	633	30.00	4.98						
नॉन–लांग फ्लेम कोयला																						
ए	642	739	97.00	15.109	828	89.00	12.04	828	0.00	0.00	869	41.00	4.95	912	43.00	4.95						
बी	586	663	77.00	13.1399	743	80.00	12.07	743	0.00	0.00	780	37.00	4.98	819	39.00	5.00						
सी	513	565	52.00	10.1365	611	46.00	8.14	611	0.00	0.00	642	31.00	5.07	674	32.00	4.98						
डी	406	406	0.00	0.00	406	0.00	0.00	504	98.00	24.14	539	35.00	6.94	566	27.00	5.01						
ई	322	322	0.00	0.00	322	0.00	0.00	400	78.00	24.22	428	28.00	7.00	445	17.00	3.97						
एफ	257	257	0.00	0.00	257	0.00	0.00	319	62.00	24.12	341	22.00	6.90	351	10.00	2.93						
जी	183	183	0.00	0.00	183	0.00	0.00	227	44.00	24.04	243	16.00	7.05	250	7.00	2.88						
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.																						
लांग फ्लेम कोयला																						
ए	702	702	0.00	0.00	849	147.00	20.94	996	147.00	17.31	996	0.00	0.00	996	0.00	0.00	1036	40.00	4.02	1083	47.00	4.54
बी	646	646	0.00	0.00	793	147.00	22.76	940	147.00	18.54	940	0.00	0.00	940	0.00	0.00	978	38.00	4.04	1022	44.00	4.50
सी	573	573	0.00	0.00	720	147.00	25.65	855	135.00	18.75	855	0.00	0.00	879	24.00	2.81	914	35.00	3.98	955	41.00	4.49
डी	466	644	178.00	38.20	644	0.00	0.00	644	0.00	0.00	814	170.00	26.40	814	0.00	0.00	863	49.00	6.02	902	39.00	4.52
नॉन–लांग फ्लेम कोयला																						
ए	642	642	0.00	0.00	789	147.00	22.90	936	147.00	18.63	936	0.00	0.00	936	0.00	0.00	973	37.00	3.95	1017	44.00	4.52
बी	586	586	0.00	0.00	733	147.00	25.09	880	147.00	20.05	880	0.00	0.00	880	0.00	0.00	915	35.00	3.98	956	41.00	4.48
सी	513	513	0.00	0.00	660	147.00	28.65	795	135.00	20.45	795	0.00	0.00	819	24.00	3.02	852	33.00	4.03	890	38.00	4.46
डी	406	584	178.00	43.84	584	0.00	0.00	584	0.00	0.00	754	170.00	29.11	754	0.00	0.00	799	45.00	5.97	835	36.00	4.51
ई	322	486	164.00	50.93	486	0.00	0.00	486	0.00	0.00	627	141.00	29.01	627	0.00	0.00	665	38.00	6.06	708	43.00	6.47
एफ	257	405	148.00	57.59	405	0.00	0.00	405	0.00	0.00	523	118.00	29.14	523	0.00	0.00	554	31.00	5.93	590	36.00	6.50
जी	183	305	122.00	66.67	305	0.00	0.00	305	0.00	0.00	394	89.00	29.18	394	0.00	0.00	418	24.00	6.09	445	27.00	6.46
कोकिंग कोयला																						
इस्पात ग्रेड–I	1048	1048	0.00	0.00	1310	262.00	25.00															
इस्पात ग्रेड–II	875	875	0.00	0.00	1094	219.00	25.03															
वाशरी ग्रेड–I	758	758	0.00	0.00	948	190.00	25.07	1024	76.00	8.02	1024	0.00	0.00	1024	0.00	0.00	1024	0.00	0.00	1075	51.00	4.98
वाशरी ग्रेड–II	628	628	0.00	0.00	785	157.00	25.00	848	63.00	8.03	848	0.00	0.00	848	0.00	0.00	848	0.00	0.00	890	42.00	4.95
वाशरी ग्रेड–III	483	483	0.00	0.00	580	97.00	20.08	765	185.00	31.90	765	0.00	0.00	765	0.00	0.00	765	0.00	0.00	803	38.00	4.97
वाशरी ग्रेड–IV	450	450	0.00	0.00	540	90.00	20.00	628	88.00	16.30	628	0.00	0.00	628	0.00	0.00	628	0.00	0.00	659	31.00	4.94
सेमी कोकिंग ग्रेड–I	758	758	0.00	0.00	948	190.00	25.07	1024	76.00	8.02	1024	0.00	0.00	1024	0.00	0.00	1024	0.00	0.00	1096	72.00	7.03
सेमी कोकिंग ग्रेड–II	628	628	0.00	0.00	785	157.00	25.00	848	63.00	8.03	848	0.00	0.00	848	0.00	0.00	848	0.00	0.00	907	59.00	6.96

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.																
विवरण में सूचीबद्ध कोलियारियों																
में उत्पादित कोयला	29.12.95	31.3.96			19.10.96			31.3.97			21.8.98			31.1.01		
ए	772.20	914	141.80	18.36	1017	103.00	11.27	1017	0.00	0.00	1068	51.00	5.01	1100	32.00	3.00
बी	710.60	827	116.40	16.38	920	93.00	11.25	920	0.00	0.00	966	46.00	5.00	1034	68.00	7.04
सी	630.30	715	84.70	13.44	768	53.00	7.41	768	0.00	0.00	806	38.00	4.95	862	56.00	6.95
डी	512.60	512.60	0.09	0.00	512.60	0.00	0.00	643	130.40	25.44	688	45.00	7.00	736	48.00	6.98
लांग फ्लेम कोयला																
ए	702	831	129.00	18.38	924	93.00	11.19	924	0.00	0.00	970	46.00	4.98	999	29.00	2.99
बी	646	752	106.00	16.41	836	84.00	11.17	836	0.00	0.00	878	42.00	5.02	939	61.00	6.95
सी	573	650	77.00	13.44	698	48.00	7.38	698	0.00	0.00	733	35.00	5.01	784	51.00	6.96
डी	466	466	0.00	0.00	466	0.00	0.00	584	118.00	25.32	625	41.00	7.02	669	44.00	7.04
नॉन लांग फ्लेम कोयला																
ए	642	771	129.00	20.09	864	93.00	12.06	864	0.00	0.00	907	43.00	4.98	934	27.00	2.98
बी	586	692	106.00	18.09	776	84.00	12.14	776	0.00	0.00	815	39.00	5.03	872	57.00	6.99
सी	513	590	77.00	15.01	638	48.00	8.14	638	0.00	0.00	670	32.00	5.02	717	47.00	7.01
डी	406	406	0.00	0.00	406	0.00	0.00	524	118.00	29.06	561	37.00	7.06	600	39.00	6.95
ई	322	322	0.00	0.00	322	0.00	0.00	416	94.00	29.19	445	29.00	6.97	497	52.00	11.69
एफ	257	257	0.00	0.00	257	0.00	0.00	332	75.00	29.18	355	23.00	6.93	396	41.00	11.55
जी	183	183	0.00	0.00	183	0.00	0.00	237	54.00	29.51	254	17.00	7.17	283	29.00	11.42
कोककर कोयला																
इस्पात ग्रेड–I	1048	1310	262.00	25.00												
इस्पात ग्रेड–II	875	1094	219.00	25.03												
वाशरी ग्रेड–I	758	948	190.00	25.07	1024	76.00	8.02	1024	0.00	0.00	1024	0.00	0.00	1096	72.00	7.03
वाशरी ग्रेड–II	628	785	157.00	25.00	848	63.00	8.03	848	0.00	0.00	848	0.00	0.00	907	59.00	6.96
वाशरी ग्रेड–III	483	580	97.00	20.08	627	47.00	8.10	627	0.00	0.00	627	0.00	0.00	671	44.00	7.02
वाशरी ग्रेड–IV	450	540	90.00	20.00	584	44.00	8.15	584	0.00	0.00	584	0.00	0.00	625	41.00	7.02
सेमी कोकिंग ग्रेड–I	758	948	190.00	25.07	1024	76.00	8.02	1024	0.00	0.00	1024	0.00	0.00	1096	72.00	7.03
सेमी कोकिंग ग्रेड–II	628	785	157.00	25.00	848	63.00	8.03	848	0.00	0.00	848	0.00	0.00	907	59.00	6.96

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
गार्डन कोलफील्डस लि.																			
लांग फ्लेम कोयला																			
ए	702	831	129.00	18.38	924	93.00	11.19	924	0.00	0.00	970	46.00	4.98	1028	58.00	5.98	1147	119.00	11.58
बी	646	752	106.00	16.41	836	84.00	11.17	836	0.00	0.00	878	42.00	5.02	931	53.00	6.04	1039	108.00	11.60
सी	573	650	77.00	13.44	698	48.00	7.38	698	0.00	0.00	733	35.00	5.01	777	44.00	6.00	867	90.00	11.58
डी	466	466	0.00	0.00	466	0.00	0.00	584	118.00	25.32	625	41.00	7.02	663	38.00	6.08	740	77.00	11.61
नॉन–लांग फ्लेम कोयला																			
ए	642	771	129.00	20.09	864	93.00	12.06	864	0.00	0.00	907	43.00	4.98	961	54.00	5.95	1072	111.00	11.55
बी	586	692	106.00	18.09	776	84.00	12.14	776	0.00	0.00	815	39.00	5.03	864	49.00	6.01	964	100.00	11.57
सी	513	590	77.00	15.01	638	48.00	8.14	638	0.00	0.00	670	32.00	5.02	710	40.00	5.97	792	82.00	11.55
डी	406	406	0.00	0.00	406	0.00	0.00	524	118.00	29.06	561	37.00	7.06	595	34.00	6.06	664	69.00	11.60
ई	322	322	0.00	0.00	322	0.00	0.00	416	94.00	29.19	445	29.00	6.97	472	27.00	6.07	527	55.00	11.65
एफ	257	257	0.00	0.00	257	0.00	0.00	332	75.00	29.18	355	23.00	6.93	376	21.00	5.92	420	44.00	11.70
जी	183	183	0.00	0.00	183	0.00	0.00	237	54.00	29.51	254	17.00	7.17	269	15.00	5.91	300	31.00	11.52
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स, असम																			
	10.6. 94	26.9. 97	वृद्धि पूर्णरूप	वृद्धि % में से	27.11. 00	वृद्धि पूर्णरूप	वृद्धि % में से	2.5. 2000	वृद्धि पूर्णरूप	वृद्धि % में से									
ग्रेड–ए	796	924	128.00	16.08	998	74.00	8.01	1148	150.00	15.03									
ग्रेड–बी	741	741	0.00	0.00	741	0.00	0.00	778	37.00	4.99									

कपार्ट द्वारा काली सूची में दर्ज गैर-सरकारी संगठनों को सहायता

1395. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री 24 अप्रैल, 2001 के तारांकित प्रश्न संख्या 522 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि काली सूची में दर्ज 26 स्वैच्छिक संगठनों के नाम क्या हैं और राज्यवार कितनी परियोजनाएं हैं तथा प्रत्येक मामले में संस्वीकृत/जारी की गई धनराशि कितनी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : काली सूची में डाले गये 26 स्वैच्छिक संगठनों के राज्यवार नाम और उनमें से प्रत्येक को स्वीकृत की गयी/जारी की गयी परियोजनावार राशि को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	स्वैच्छिक संगठन का नाम और पता	परियोजना का ब्यौरा	स्वीकृत राशि (रु. में)	जारी राशि (रु. में)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	तालामरला इंटीग्रेटेड रूरल	ओ बी	26,600	26,500
		डेवलपमेंट एंड सोशल	डवाकरा	1,33,275	1,33,275
		एजूकेशनल सोसाइटी, सत्य	टी एम	19,000	19,000
		सांई तालुक जि. अनंतपुर	टी एम	27,000	27,000
			ए आर डब्ल्यू एस पी	1,46,500	79,000
			आई आर डी पी	4,23,010	2,18,010
			टी एम	7,500	7,500
2.	आंध्र प्रदेश	रूरल पिपल डेवलपमेंट सोसाइटी कोयालागुडेम गाय, चाउतसेप्पल मंडल, जि. नालगोंडा	जे आर वाई	5,36,000	2,50,000
3.	नागालैंड	सेंटर फॉर रूरल अपलिफ्टमेंट, सी आर यू बिल्डिंग, कोहिमा–इम्फाल रोड, जिला कोहिमा	ए आर डब्ल्यू एस पी	3,84,125	2,07,400
			सीआर एसपी	2,20,000	शून्य
4.	नागालैंड	स्टडी एंड एक्शन फॉर कम्प्रीहेंसिव डेवलपमेंट, पो. बा. 26, दीमापुर	सी आर एस पी	9,06,400	9,06,400
5.	उत्तर प्रदेश	ग्रामोदय विलेज, टिहरी, पो. आ. देवरिया	सी आर एस पी	1,39,458	1,39,458
			टी एम	37,000	37,000
			आर एल ई जी पी	3,43,508	3,43,508
			टी एम	30,000	30,000
			ए आर डब्ल्यू एस पी	2,41,000	2,26,000
			सी आर एस पी	2,04,100	2,04,100
			डब्ल्यू एस डी	20,000	20,000
			सैट	75,000	75,000
			टी एम	4,29,000	2,14,750
			डवाकरा	1,98,750	1,30,100
			आई आर डी पी	1,70,180	83,930

1	2	3	4	5	6
			सैट	75,000	शून्य
6.	उत्तर प्रदेश	जय भारत नर्सरी स्कूल समिति गोसाई तालाब, सिविल लाइंस जिला मिर्जापुर	ए आर डब्ल्यू एस पी	1,76,650	88,325
7.	उत्तर प्रदेश	फारेस्ट्री एंड रूरल डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन, 9 स्टेट बैंक कालोनी जिला मुजफ्फर नगर	पी सी	2,20,000	1,00,000
			पी सी	53,500	48,500
8.	उत्तर प्रदेश	जन उद्योग ग्रामीण विकास कल्याण समिति, अम्बेडकर कालोनी जिला फिरोजाबाद	टी एम	15,000	15,000
			ए आर डब्ल्यू एस पी	1,38,500	72,000
			डवाकरा	95,650	82,700
			सी आर एस पी	1,04,500	49,875
			आर एल ई जी पी	3,99,000	3,99,000
9.	उत्तर प्रदेश	नूतन ग्राम विकास समिति, स्थान/पो. गौहार, जिला बिजनौर	आई आर डी पी	2,91,800	1,63,200
			ए आर डब्ल्यू एस पी	15,000	15,000
			डवाकरा	83,466	63,966
10.	तमिलनाडु	राजा एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट राजानगर, वड्डाकांगुलम, तिरूनेवेली जिला कट्टाबोमान	ए आर डब्ल्यू एस पी	2,31,350	शून्य
11.	तमिलनाडु	सेलवाम एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट 4/59, अनबू स्ट्रीट, पोन्नापंडर कालोनी जिला कन्याकुमारी	ए आर डब्ल्यू एस पी	2,31,350	1,31,350
12.	मणिपुर	तामेई एरिया ट्राइबल डेवलपमेट एसोशिएशन, तालोलांग विलेज पो. तामीम, जिला तामेंगलांग	पी सी	2,50,000	2,50,000
			आर एल ई जी पी	7,80,857	4,50,000
			सी आर एस पी	3,60,524	3,60,524
13.	मणिपुर	सेपरमीणा वूमन सोसाइटी, विलेज पो. सेपरमीणा सदरहिल्स, जिला सेनापति	जे आर वाई	6,35,864	3,76,500
			सी आर एस पी	2,40,350	2,40,350
14.	झारखंड	यूथ मोबिलाइजेशन फार नेशनल एडवांसमेंट, मार्फत रघुनाथ राय राय गोबिंद भवन, जिला देवघर	ए आर डब्ल्यू एस पी	1,23,000	1,23,000
			ए आर डब्ल्यू एस पी	4,22,500	4,22,500
			आर एल ई जी पी	7,54,125	7,54,125
			ए आर डब्ल्यू एस पी	3,83,800	2,00,000
			ए आर डब्ल्यू एस पी	15,67,500	शून्य
15.	बिहार	सामाजिक शैक्षणिक विकास केन्द्र, स्थान पो. पथरही, झंझारपुर, जिला मधुबनी	टी एम	37,000	37,000
			टी एम	19,000	19,000
			टी एम	17,000	17,000
			टी एम	17,000	17,000

1	2	3	4	5	6
			टी एम	20,000	20,000
			टी एम	7,83,825	7,83,825
			ए आर डब्ल्यू एस पी	2,40,000	2,40,000
			ओ बी	27,500	5,000
			टी एम	45,000	45,000
			सी आर एस पी	8,42,050	8,42,050
			टी एम	7,29,205	3,85,200
			सैट	41,500	41,500
			सैट	60,000	60,000
			सैट	35,000	35,000
			ए आर डब्ल्यू एस पी	4,49,089	4,10,057
			ए आर डब्ल्यू एस पी	5,89,000	5,89,000
			ए आर डब्ल्यू एस पी	60,000	60,000
			सैट	1,50,000	1,50,000
			सैट	1,26,000	1,26,000
			ए आर डब्ल्यू एस पी	9,73,381	9,73,381
			सैट	1,17,000	1,17,000
			सैट	1,49,000	1,38,952
			सैट	1,50,000	1,50,000
			सी आर एस पी	9,43,580	9,43,580
			ए आर डब्ल्यू एस पी	9,21,500	9,21,500
			सैट	1,28,750	1,28,750
			सैट	2,15,000	1,92,761
			टी एम	4,36,500	2,17,150
			सैट	2,55,000	2,55,000
			सैट	87,000	87,000
			सैट	2,55,000	2,55,000
			ए आर डब्ल्यू एस पी	5,44,500	शून्य
			सी आर एस पी	7,70,000	शून्य
			डवाकरा	2,44,600	शून्य
16.	पश्चिम बंगाल	कालीगंज ब्लॉक ग्रामीण खुदरा एंड	सी आर एस पी	1,84,140	1,84,140
		कुटीर शिल्प जन कल्याण समिति,	जे आर वाई	5,68,227	2,66,227
		स्थान दंगापारा, पो. देबाग्राम	सैट	45,000	45,000
			टी एम	7,500	7,500
17.	उड़ीसा	अबाज आदिवासी हरिजन सेवा संघ	ए आर डब्ल्यू एस पी	1,32,000	1,32,000

1	2	3	4	5	6
		स्थान सस्थाहसारा, पो, सस्थापुर,	डवाकरा	95,300	74,900
		जिला ढेंकनाल	जे आर वाई	7,37,000	4,02,000
			ओ बी	27,500	22,500
18.	दिल्ली	ललित कोशी सेवा आश्रम,	ए आर डब्ल्यू एस पी	4,00,420	2,09,110
		77 बैंक कालोनी, नदनगरी			
19.	मध्य प्रदेश	लोक कल्याण समिति,	डवाकरा	3,22,600	3,22,600
		सी–8 कौशल नगर,	टी एम	36,000	शून्य
		जिला ग्वालियर	टी एम	55,000	55,000
			ए आर डब्ल्यू एस पी	4,29,900	4,29,900
			पी सी	2,66,250	शून्य
			टी एम	15,000	15,000
			ओ बी	26,500	26,500
			सी आर एस पी	2,80,060	2,80,060
			ओ बी	27,500	शून्य
20.	मध्य प्रदेश	सतपुरा इन्टीग्रेटिड रूरल डेवलपमेंट	आई आर डी पी	3,04,600	2,00,000
		इंस्टीट्यूट, भेंसदेही, जिला बेतूल	आर एल ई जी पी	13,53,000	8,42,600
			ए आर डब्ल्यू एसपी	4,68,501	शून्य
21.	मध्य प्रदेश	प्रिया सामाजिक कल्याण सेवा समिति,	आई जी पी	1,52,000	1,49,000
		हाउस आफ लैमटे, 203, अनवर कालोनी,			
		एम आई जी, पुलिस स्टेशन के पीछे			
		इन्दौर			
22.	मध्य प्रदेश	सेल्फ इम्पलायड वूमन एसोशिएशन	सी आर एस पी	6,81,147	3,59,666
		गांधी भवन, श्यामला हिल, भोपाल	डवाकरा	3,04,400	1,77,400
			सी आर एस पी	2,07,000	शून्य
23.	हरियाणा	वूमन सोशल वेलफेयर सोसाइटी	आर एल ई जी पी	शून्य	शून्य
		798/27, मेडिकल क्रांसिग			
		माडल टाउन, जिला रोहतक			
24.	हरियाणा	सोशल वेलफेयर एंड सोसाइटी फार	पी सी	1,48,000	1,48,000
		वीकर कम्यूनिटीज, 246 भोला निवास	पी सी	5,93,400	5,93,400
		सरकुलर रोड, झज्झर, जिला रोहतक	आई आर डी पी	1,33,600	94,300
25.	हरियाणा	शहीद क्लब, विलेज व पो, संजारवास,	सी आर एस पी	6,09,224	6,09,224
		जिला भिवानी	डवाकरा	1,14,600	1,02,500
			ए आर डब्ल्यू एसपी	2,28,276	2,28,276
			ए आर डब्ल्यू एसपी	4,47,000	2,26,500
			सी आर एस पी	3,81,700	3,81,700
26.	महाराष्ट्र	सोशल इक्नोमिक असिसटेंस फार रूरल	ओ बी	27,500	27,500
		एंड सिटी हैबीटेट्स, 1/ए, प्रिंस आफ	डवाकरा	51,600	32,700
		वेल्स ड्राइव, पुणे	ओ आर पी	35,000	35,000

बच्चों के लिए काम करने वाली संस्थाएं

1396. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31 मई, 2001 की स्थिति के अनुसार बच्चों के लिए कार्य कर रही राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार संस्थाओं का ब्यौरा क्या है,

(ख) प्रत्येक संस्था का राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार कार्यकलाप क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में इन संस्थाओं का गठन करने का है जहां देश के 70 प्रतिशत बच्चे निवास करते हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत-पुर्तगाल सहयोग

1397. श्री रामशेठ ठाकुर क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2001–2002 के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र मे सहयोग करने के लिए भारत और पुर्तगाल के बीच किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में किन क्षेत्रों की पहचान की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) से (ग) भारत और पुर्तगाल के बीच पूर्व में सम्पन्न किये गये वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग के समझौते के अनुसरण में 3 जुलाई, 2001 को लिम्बन, पुर्तगाल में 2001–2002 की अवधि के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के एक कार्यक्रम (पी ओ सी) पर हस्ताक्षर किये गये। इस पी ओ सी में संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं के कार्यान्वयन, विनिमय दौरों आदि के लिए वित्तीय एवं अन्य शर्तों का उल्लेख किया गया है। पहचान किये गये सहयोग के क्षेत्रों में महासागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर साफ्टवेयर और अनुप्रयोग, कोशिकीय एवं आण्विक जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और भौतिक तथा पदार्थ विज्ञान शामिल हैं।

महाराष्ट्र जलापूर्ति और जल-मल व्ययन परियोजना चरण-II (पोशिर बांध)

1398. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार से महाराष्ट्र जलापूर्ति और जल–मल व्ययन परियोजना चरण–II (पोशिर बांध) हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा परियोजना प्रस्ताव पर 29.11.96 को विश्व बैंक सहायता के लिए सिफारिश की गई। आर्थिक कार्य विभाग ने 14.1.97 को विश्व बैंक से प्रस्ताव की सिफारिश की गयी। तथापि, विश्व बैंक ने परियोजना के वित्तपोषण के लिए कोई बचनबद्धता नहीं दी है। बाद में महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने 1389.59 करोड रु. की अनुमानित लागत वाली संशोधित प्रोजेक्ट आइडेन्टिफिकेशन रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसे इस मंत्रालय में केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एव पर्यावरणीय इंजीनियरी संगठन (सीपीएचईईओ) द्वारा 10.4.2000 को तकनीकी रूप से अनुमोदित और स्वीकृत किया गया। योजना आयोग ने भी कुछ निबंधनों और शर्तों के अधीन विश्व बैंक के समक्ष रखने के लिए प्रस्ताव 23.5.2001 को सिद्धान्ततः अनुमोदित कर दिया है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने सूचित किया है कि परियोजना प्रस्ताव पर्यावरणीय दृष्टि से अनुमोदित नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

जम्मू-कश्मीर के विस्थापित परिवारों को सुविधाएं प्रदान करना

1399. श्री बलिराम : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार जम्मू और कश्मीर के विस्थापित परिवारों पर कुल कितनी धनराशि खर्च की जा रही है और प्रत्येक परिवार को कितनी नकद राशि उपलब्ध करायी गयी है;

(ख) क्या सरकार की राय में उक्त धनराशि पर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस दिशा में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं,

(च) क्या सरकार विस्थापित विद्यार्थियों और सरकारी कर्मचारियों को कोई सुविधा उपलब्ध करा रही है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) यदि नहीं, तो क्या सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) (क) "राहत" राज्य का विषय है। जम्मू और कश्मीर सरकार प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति 600/– रुपए की नकद राहत दे रही है जिसकी अधिकतम राशि 2400/– रुपए प्रति माह है, इसके अतिरिक्त जम्मू में 15078 जरूरतमंद प्रवासी परिवारों को प्रति व्यक्ति की दर से 9 किलो चावल तथा दो किलो आटा और प्रतिमाह प्रति परिवार एक किलो चीनी राशन के रूप में दे रही है। इसी प्रकार से अपनी व्यवस्था करके रह रहे 4100 जरूरतमंद परिवारों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार भी इसी दर से राहत और कैम्पों में रह रहे 235 परिवारों को प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति 450/– रुपए की नकद राहत दे रही है जिसकी अधिकतम राशि 1800 रुपए है, इसके अलावा राशन दे रही है जिसमें 8 किलो चावल, 2.5 किलो आटा, चीनी, मिट्टी का तेल आदि शामिल है। अन्य राज्य अपने–अपने मानदण्डों के अनुसार प्रवासियों को राहत दे रहे हैं।

(ख) से (ङ) कश्मीर प्रवासियों के बारे में सरकार की नीति इस बात पर आधारित है कि जैसे ही वहां स्थिति उनके लौटने के लिए अनुकूल होगी, वे घाटी को लौट जाऐंगे। तदनुसार, घाटी से बाहर उनके स्थाई पुनर्वास पर विचार नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में, इस नीति में यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है कि उन्हें कम से कम कठिनाई और परेशानी हो और जरूरतमंद परिवारों को पर्याप्त निर्वाह सहायता राशि प्रदान की जाए। जम्मू और दिल्ली के प्रवासियों की नकद सहायता दरों को मूल सूचकांक में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 1.4.99 से संशोधित किया गया है।

(च) से (झ) विस्थापित विद्यार्थियों के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार ने 10 कैम्प स्कूल और तीन कैम्प कालेज खोले हैं। कश्मीर विश्वविद्यालय, प्रवासी विद्यार्थियों के लिए जम्मू में एक उप रजिस्ट्री चला रही है। कश्मीर विश्वविद्यालय के कैम्पस कार्यालय को अपग्रेड किया गया और अपेक्षित शक्तियों सहित यहां उप रजिस्ट्रार और परीक्षा उप नियंत्रक को रखा गया है। स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए जम्मू विश्वविद्यालय के कैम्पस में कक्षाएं चलाई जा रही हैं। प्रवासी विद्यार्थियों का पर्याप्त रूप से ध्यान रखने के लिए जम्मू में बी. एड. कालेज और स्नातकोत्तर कैम्प कक्षाओं की प्रवेश क्षमताएं बढाई गयी हैं। प्रवासी विद्यार्थियों के लिए जम्मू क्षेत्रीय में इजीनियरिंग कालेज (आर ई सी) की कैम्प कक्षाएं भी चलाई जा रही हैं। इसी प्रकार से प्रवासी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु मेडिकल के विद्यार्थियों के लाभार्थ जम्मू मेडिकल कालेज मे सीटों को 75 से बढाकर 100 कर दिया गया है। अन्य राज्य सरकारो, जहां कश्मीरी प्रवासी रह रहे हैं, ने भी प्रवासी विद्यार्थियों को विभिन्न शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं।

जहां तक प्रवासी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का संबध है, उन कर्मचारियों, जो अपने परिवारों को राज्य में या राज्य से बाहर अन्यत्र ले जाना चाहते हैं, को स्थानांतरण भत्ते और मकान किराया भत्ते जैसे विशेष प्रोत्साहन दिए गए हैं। इस प्रकार के कर्मचारियों के लिए आवास प्रबंध और सुरक्षित लाने–ले–जाने की व्यवस्था तथा खाने–पीने के प्रबन्ध/भत्ते की व्यवस्था भी की गई है। घाटी में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए विशेष प्रोत्साहनों/प्रबन्धों की समय सीमा समय–समय पर बढाई गयी है और ये इस समय 30.6.2003 तक वैध है। जहां तक राज्य सरकार के उन कर्मचारियों का प्रश्न है, जो प्रवास कर गए हैं, उन्हें जम्मू और दिल्ली में वेतन भुगतान करने के बारे में सामान्य निर्देश जारी किए गए हैं। इन कुछ कर्मचारियों को जम्मू और लद्दाख में खाली पडे पदों पर समायोजित किया गया है और इनमें से कुछ की सेवाए प्रवासी स्कूलों/कालेजों में ली जा रही हैं। राज्य सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति पेशकश भी की जाती है बशर्ते कि वे तैनाती के स्थान पर पदभार ग्रहण करें, जो कि घाटी में पदो के मामले में प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण मुश्किल हो सकती है। इन प्रस्तावों को उनके पदभार ग्रहण करने तक खुला रखा जा रहा है। सेवानिवृत्त कर्मचारियो/पेंशनरों को पदनामित अधिकारियों के माध्यम से दिल्ली और जम्मू में पेंशन का भुगतान करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। जिन मामलों में अनुग्रह राहत की राशि, पेंशन से कम है उनमें शेष राशि उन्हे राहत के रूप में दी जा रही है।

[अनुवाद]

विज्ञान की शिक्षा हेतु सहायता

1400. श्री एस.डी.एन. आर. वाडियर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे .

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा को बढावा देने के लिए केन्द्र से वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान "इम्प्रूवमेंट ऑफ साइंस एजुकेशन इन स्कूलस" नामक केन्द्र

प्रायोजित योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार को कितना धन आबंटित किया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां। कर्नाटक सरकार ने "स्कूलों में विज्ञान शिक्षा मे सुधार" हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 700.00 लाख रु. तक की वित्तीय सहायता हेतु एक प्रस्ताव किया है। प्रस्ताव की जांच करने पर यह पाया गया है कि 793 माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय इस योजना के अन्तर्गत पहले से ही दो बार शामिल किए जा चुके हैं। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह इस संबंध में स्पष्टीकरण दे तथा अतिरिक्त सूचना भेजें।

(ख) कर्नाटक राज्य सरकार को पिछले तीन वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान भी कोई धनराशि संस्वीकृत नही की गई है।

विदेशी विश्वविद्यालय

1401. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और देश में अन्यत्र चल रहे विदेशी विश्वविद्यालय राज्य–वार कौन से हैं; और

(ख) इनके संचालन का तरीका क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जनशिक्षण संस्थान

1402. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में जन शिक्षण संस्थान का कार्य क्षेत्र बढाया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए इस संशोधित योजना के कहां तक लाभकारी होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी हां।

(ख) पहले जनशिक्षण संस्थान योजना (जे एस एस) शहरी तथा अर्धशहरी औद्योगिक क्षेत्रों तक ही सीमित थी। अब इस योजना के कार्यक्षेत्र का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों सहित सम्पूर्ण जिले में कर दिया गया है। जे.एस.एस. का केन्द्र बिन्दु अब औद्योगिक कार्मिकों तथा उनके परिवारों से हटकर असंख्य नवसाक्षरो तथा अकुशल बेरोजगार युवको पर अवस्थित किया गया है। नव साक्षरों तथा सतत शिक्षा योजना के अन्य लक्षित समूहों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अब जनशिक्षण संस्थान जिला स्तरीय संसाधन सहायता एजेन्सी के रूप में कार्य करते हैं।

(ग) जन शिक्षण संस्थान रोजगार/स्व–रोजगार तथा आय–सृजन के लिए ऐसे क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछडे तथा शैक्षिक रूप से सुविधाविहीन वर्गों के लिए शैक्षिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

कृषि भूमि से अवैध निर्माणों को हटाना

1403. श्री रघुनाथ झा : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के सैनिक फार्मों में कृषि भूमि पर बने अवैध निर्माणो को हटाये जाने के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई दिल्ली नगर निगम की रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है और दिल्ली नगर निगम की उस रिपोर्ट पर माननीय न्यायालय की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या न्यायालय ने सैनिक फार्मो से अवैध निर्माणों को हटाए जाने के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और न्यायालय के निदेशों के अनुपालन हेतु दिल्ली नगर निगम द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) सैनिक फार्म में अवैध निर्माणों की कुल संख्या कितनी है; और

(ड) सैनिक फार्मो के अन्तर्गत आने वाली ग्राम सभा/न्यायगत ग्राम सभा की भूमि कितनी है और इस भूमि को खाली कराने हेतु ग्राम सभा द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ड) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में सरकारी निवास

1404. डा. जसवंतसिंह यादव :

श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों और विशिष्ट व्यक्तियों के लिए दिल्ली में उपलब्ध मौजूदा आवासों का स्थानवार, सैक्टर–वार और टाईप–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों और विशिष्ट व्यक्तियों के लिए दिल्ली में और अधिक आवासों का निर्माण करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) मौजूदा आवासों के रख–रखाव के लिए तैनात मंडलीय अभियंताओं के अन्तर्गत पूछताछ कार्यालयों की स्थानवार संख्या कितनी है ?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) दिल्ली में विभिन्न क्षेत्रों में तथा टाइप–वार उपलब्ध सामान्य पूल रिहायशी वासों के ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

(घ) विभिन्न सरकारी कालोनियों में 103 पूछताछ केन्द्र (सेवा केन्द्र) स्थित हैं जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण–III में दिए गए हैं।

विवरण-I

दिल्ली में सामान्य पूल में टाइप–ए क्वार्टर

1.	कालीबाड़ी मार्ग	289
2.	डीआईजैड एरिया (से. 4)	395
3.	पी.के. रोड़	832
4.	आरामबाग	665
5.	अलीगंज	870
6.	आर.के. पुरम (से.–I)	648
7.	मोहम्मदपुर	328
8.	सादिक नगर (से.–II)	48
9.	वंसत विहार	45
10.	राउस एवेन्यू	157
11.	एन्ड्रूजगंज	813
12.	कस्तूरबा नगर	2480
13.	प्रेम नगर	574
14.	श्रीनिवासपुरी	648
15.	मिन्टो रोड	495
16.	तिमार पुर	440
17.	आर.के.पुरम (से.–II)	1050
18.	आर.के.पुरम (से.–III)	232
19.	आर.के.पुरम (से.–V)	440
20.	आर.के.पुरम (से.–VII)	372
21.	एम.बी.रोड (से.–III)	1608
22.	एम.बी.रोड (से.–I)	390
23.	एम.बी.रोड (से.–IV)	82
24.	एम.बी.रोड (से.–VII)	675
25.	नेताजी नगर	1336
26.	किदवईनगर	1296
27.	मोती बाग	224

टाइप-II

1	आर.के.पुरम (से.–I)	288
2	आर.के.पुरम (से.–III)	216
3	आर.के.पुरम (से.–IV)	656
4	आर.के.पुरम (से.–V)	1279
5	आर.के.पुरम (से.–VII)	668
6	आर.के.पुरम (से.–VIII)	888
7	आर.के.पुरम (से.–IX)	680
8	आर.के.पुरम (से.–XII)	432
9	नौरोजी नगर	448
10	सादिक नगर	638
11	वंसत विहार	75

12	एम.बी.रोड/से.–I	932
13	एम.बी.रोड/से.–III	512
14	एम.बी.रोड/से.–IV	1300
15	एम.बी.रोड/से.–V	896
16	एम.बी.रोड/से.–VII	780
17	नेताजी नगर	928
18	नानकपुरा	798
19	श्रीनिवासपुरी	569
20	अल्बर्ट स्क्वायर	340
21	आरामबाग	772
22	बी.के.एस.मार्ग	72
23	डी.आई जैड एरिया	1782
24	हनुमान रोड	178
25	किदवई नगर	949
26	कालीबाडी मार्ग	360
27	लांसर रोड	164
28	लक्ष्मीबाई नगर	1193
29	लोधी कालोनी	520
30	एल. आर. काम्प्लेक्स	1638
31	मंदिर मार्ग "जे"	550
32	मंदिर मार्ग "डी"	105
33	मोती बाग	867
34	एन. डब्ल्यू मोती बाग	92
35	तिमारपुर (एम.एस)	550
36	तिमारपुर जैड ब्लॉक	461
37	तिमारपुर से. IV	600

टाइप-"सी"

1	सरोजिनी नगर	350
2	एम. बी. रोड से.– IV	96
3	एम.बी. रोड से.– V	105
4	एम.बी रोड से.– I	729
5	एम.बी. रोड से.–VII	216
6	लोधी कालोनी	1187
7	एन्ड्रूजगंज	380
8	वसंत विहार	675
9	हनुमान रोड	14
10	सेक्टर–1 डीआईजैड एरिया	144
11	सेक्टर–1 डीआईजैड एरिया	110
12	सेक्टर–II डीआईजैड एरिया	682
13	सेक्टर–III डीआईजैड एरिया	280
14	सेक्टर–IV डीआईजैड एरिया	230
15	बी.के.एस. मार्ग	508
16	एम.के.रोड	50
17	श्रीनिवासपुरी	20
18	लक्ष्मीबाई नगर	24
19	यू.डी.पी. नेहरू नगर	135
20	तिमारपुर	356
21	प्रोबयान रोड	64
22	आराम बाग	238
23	सादिक नगर से.–I	352
24	सादिक नगर से.–II	176
25	सादिक नगर से.–III	216
26	सी.जी. रोड	120
27	एल.आर. काम्प्लेक्स	824
28	नानकपुरा	502
29	नेताजी नगर	167
30	आर.के.पुरम से.–I	256
31	आर.के.पुरम से.–III	236

32	आर.के.पुरम से.–V	28
33	आर.के.पुरम से.–VIII	246
34	आर.के.पुरम से.–IX	204
35	आर.के.पुरम से.–XII	96
36	आर.के.पुरम, मार्केट फ्लैट	27
37	मिन्टो रोड	381
38	देव नगर	228
39	टैगोर रोड	44
40	टैगोर लेन	17
41	प्रेस रोड	02

टाइप-IV

1	पंडारा रोड	400
2	लोधी कालोनी	233
3	आर.के. पुरम	2455
4	नानकपुरा/एन.डब्ल्यू.एम.बी.	788
5	लक्ष्मीबाई नगर	756
6	नेताजी नगर	124
7	सादिक नगर	176
8	सरोजिनी नगर	188
9	एम.बी. रोड	70
10	एन्ड्रूजगंज (हडको प्लेस)	23
11	मिन्टो रोड	202
12	बंगाली मार्केट	96
13	डी.आई.जैड. एरिया	225
14	पुरानी दिल्ली	29
15	दुकानों के उपर फ्लैट	21
16	विलिंगडन क्रिसेंट	4

टाइप-IV (विशिष्ट)

1	एन्ड्रूजगंज एक्सटैंशन	256
2	आर.के. पुरम	127
3	एम.बी. रोड	102

हॉस्टल सेक्सन

1	कर्जन रोड हॉस्टल	478
2	मिन्टो रोड हॉस्टल (पुराना)	96
3	टैगोर रोड हॉस्टल (पुराना)	96
4	प्रगति विहार हॉस्टल	792
5	एशिया हाउस हॉस्टल	131
6	मिन्टो रोड हॉस्टल	184
7	आर.के. पुरम हॉस्टल	105

टाइप-V (डी II)

1	पंडारा रोड	128
2	पंडारा पार्क	39
3	शाहजहां रोड	43
4	महोदव रोड	3
5	अशोका रोड	10
6	पार्क स्ट्रीट	5
7	विनय मार्ग	148
8	नेताजी नगर	128
9	आर.के. पुरम से.–XIII	138
10	किदवई नगर (प.)	226
11	किदवई नगर (पू.)	70
12	मोती बाग	41
13	नानक पुरा	80
14	ए.जी., वी.सी.	156
15	तिलक लेन	30
16	एन्ड्रूजगंज	63
17	मीना बाग	8
18	विलिंगडन क्रिसेंट	2

19	एम.बी. रोड	40
20	आर.के. पुरम से.-III	16
21	राजा गार्डन	85
22	देव नगर	20
23	एल.आर. काम्पलेक्स	63
24	कॉर्नवालिस रोड	16
25	काका नगर	146
26	टेलीग्राफ लेन	12
27	नोर्थ एवेन्यू	2
28	ताल कटोरा लेन	2
29	पंडित पंत मार्ग	2

टाईप-V (डी I) आवास

1.	चाणक्य पुरी	152
2.	भारती नगर	85
3.	रविन्दर नगर	81
4.	एपी.पी. मार्ग	61
5.	राऊज एवेन्यू	8
6.	महादेव रोड	1
7.	एजीवीसी	1

टाईप-VI (सी IV सी I सामान्य रिहायशी वास)

1.	शाहजहां रोड	29
2.	तिलक मार्ग	39
3.	बापा नगर	78
4.	मोती बाग	98
5.	राजाजी मार्ग	2
6.	शाहजहां रोड (एम.एस.)	16
7.	बी.के.एस. मार्ग (एम.एस.)	6
8.	हुडको प्लेस, एड्रयूजगंज	59
9.	आर.के. पुरम (एम.एस.) से.13	104
10.	राऊज एवेन्यू	1
11.	चाणक्य पुरी	55
12	कोटला रोड	1
13.	पडारा पार्क	30
14.	लोधी गार्डन	11
15.	हुमायू रोड	16
16.	तिलक लेन	6
17.	लोधी एस्टेट	20
18.	डा. आर.पी. रोड	2
19.	कोपरनिकस लेन	2
20.	महादेव रोड	1
21.	विंडसर प्लेस	4
22.	केनिंग लेन	2
23.	तालकटोरा रोड	5
24.	फिरोजशाह रोड	1
25.	जी.आर.जी. रोड	4
26.	एम.एल. नेहरु मार्ग	1
27.	नार्थ एवेन्यू	1
28.	टी.एम. लेन	1
29.	बी.डी. मार्ग	1

टाईप-VII दिल्ली सामान्य पूल वास

1.	अकबर रोड	1
2.	केनिंग लेन	1
3.	बी.आर. मेहता लेन	1
4.	कोटला लेन	4
5.	लोधी एस्टेट	15
6.	मथुरा रोड	3
7.	एम.एल.एन. मार्ग	1
8.	एम.एल.एन. लेन	2

9.	पंडारा रोड	10	
10.	पं. पंत मार्ग	2	
11.	पी. किला रोड	5	
12.	राऊज एवेन्यू	1	
13.	एफदरजंग लेन	4	
14.	शाहजहां रोड	8	
15.	साऊथ एवेन्यू लेन	3	
16.	सुनहरी बाग लेन	1	
17.	तिलक मार्ग	4	
18.	टी.एम. लेन	7	
19.	टी.एम. मार्ग	3	
20.	तुगलक लेन	2	
21.	तुगलक क्रिसेंट	3	
22.	जैड.एच. मार्ग	4	
23.	विलिंग्डन क्रिसेंट	3	

टाईप-VIII दिल्ली सामान्य पूल वास

1.	अकबर रोड	15	
2.	अशोक रोड	11	
3.	औरंगजेब रोड	3	
4.	सरकुलर रोड	2	
5.	डुप्लेक्स रोड	2	
6.	डुप्लेक्स लेन	1	
7.	जनपथ	6	
8.	के.एम. मार्ग	6	
9.	कुशक रोड	3	
10.	मौलाना आजाद रोड	1	
11.	एम.एल. नेहरू मार्ग	2	
12.	एम.एल. नेहरू प्लेस	2	
13.	पृथ्वी राज रोड	3	
14.	रेसकोर्स रोड	5	
15.	पंडारा रोड	1	
16.	राजाजी मार्ग	1	
17.	रायसीना मार्ग	4	
18.	सफदरजंग रोड	11	
19.	सफदरजंग लेन	1	
20.	सुनहरी बाग रोड	3	
21.	तुगलक रोड	8	
22.	तुगलक लेन	1	
23.	त्याग राज मार्ग	3	
24.	तीस जनवरी मार्ग	1	
25.	तीन मूर्ति लेन	1	
26.	टी.एम. मार्ग	6	
27.	विलिंग्डन क्रिसेंट	1	
28.	लोधी एस्टेट	1	

विवरण-II

निर्माणाधीन/प्रस्तावित रिहायशी वास का विवरण

क्र.सं.	क्वार्टर/सूट सं.	स्थान	कार्य स्तर
1	2	3	4
1.	147 क्वार्टर	वंसत विहार	कार्य स्वीकृत और प्लानिंग स्तर पर है।
2.	200 सिंगल ट्रांजिट सूट	देव नगर	प्लानिंग स्तर पर है।
3.	संसद सदस्यों (लोक सभा) के लिए 2 ब्लाक विशेष फ्लैट	डा. बिश्म्बर दास मार्ग	प्लानिंग स्तर पर है।

1	2	3	4
4.	संसद सदस्यों (लोक सभा) के लिए 26 विशेष फ्लैट	डा. बिश्म्बर दास मार्ग	प्लानिंग स्तर पर है।
5.	32 क्वार्टर	मोती बाग	निर्माणाधीन
6.	60 सिंगल ट्रांजिट सूट	देव नगर	निर्माणाधीन
7.	क्वार्टर (संख्याओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया है)	देव नगर, माता सुन्दी रोड और एंड्रयूज गंज	प्लानिंग स्तर पर
8.	393 क्वार्टर	आर. के. पुरम	निर्माणाधीन (आंशिक रूप से सौंपा गया)
9.	613	एंड्रयूज गंज	निर्माणाधीन
10.	105 सिंगल ट्रांजिट सूट	आर. के. पुरम	निर्माणाधीन

विवरण-III

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग सेवा केन्द्रों का स्थान

1. फिरोजशाह रोड
2. सुनहरी बाग लेन
3. नार्थ एवेन्यू
4. साऊथ एवेन्यू
5. एम.एस. फ्लैट, बी.के.एस./बी.डी. मार्ग
6. विट्ठल भाई पटेल
7. कुशक रोड
8. कर्जन रोड
9. कृष्णा मेनन लेन
10. पटियाला हाऊस
11. बापा नगर/काका नगर
12. एम.एस. अपार्टमेंट, के.जी. मार्ग
13. रविन्द्रा नगर
14. शाहजहां रोड
15. पंडारा रोड
16. भारती नगर
17. कर्जन रोड बैरेक्स
18. एशिया हाऊस
19. वजिराबाद रोड
20. पुराना सचिवालय, तिमारपुर
21. बुद्ध बाजार तिमार पुर
22. माल रोड
23. बालक राम हॉस्पिटल, तिमारपुर
24. रिंग रोड, तिमारपुर
25. मन्दिर मार्ग
26. हैवलॉक स्क्वेयर
27. पेशवा रोड
28. पं. पंत मार्ग
29. सै–II डी.आई.जैड. एरिया
30-31. पंचकुइयां रोड

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग सेवा केन्द्रों का स्थान

32. मिन्टो रोड कम्पलेक्स
33-34. प्रेस रोड
35. टेलीग्राफ लेन
36. बाराखम्बा लेन
37. सैक्टर–IV, डी.आई. जैड. एरिया
38. आराम बाग
39. चित्रगुप्त रोड

40. आर.के. पुरम सै. -I
41. आर.के. पुरम सै. -II
42. आर.के. पुरम सै. -III
43. आर.के. पुरम सै. -IV
44. आर.के. पुरम सै. -V
45. आर.के. पुरम सै. -VII
46. आर.के. पुरम सै. -VIII
47. आर.के. पुरम सै. -IX
48. आर.के. पुरम सै. -XII
49. आर.के. पुरम सै. -XIII
50. आर.के. पुरम वेस्ट ब्लॉक-I
51. आर.के. पुरम वेस्ट ब्लॉक-VI
52. आर.के. पुरम सेवा भवन
53. आर.के. पुरम, ईस्ट ब्लाक
54. मोहम्मद पुर
55. विज्ञान सदन
56. विनय मार्ग, चाणक्य पुरी
57. नेताजी नगर
58. मोती बाग
59. नार्थ वेस्ट मोती बाग
60. बापू धाम
61. नानक पुरा
62. वसंत विहार
63. किदवई नगर ईस्ट
64. लोधी कालोनी
65. सरोजिनी नगर
66. सरोजिनी नगर जी और आई ब्लॉक
67. नौरोजी नगर
68. लोधी रोड कम्पलैक्स
69. सी.जी.ओ. कम्पलैक्स ब्लॉक–ए
70. सी.जी.ओ. कम्पलैक्स ब्लॉक II
71. लोधी रोड, आई.एम.डी. एरिया
72. सी.जी.ओ. कम्पलैक्स, ब्लॉक–13
73. डी.ओ.ई. बिल्डिंग, लोधी रोड कम्पलैक्स
74. प्रगति विहार होस्टल
75. आई.ए.आर.आई. पूसा कम्पलैक्स
76. आई.ए.आर.आई. पूसा कम्पलैक्स
77. आई.ए.आर.आई. पूसा कम्पलैक्स
78. आई.ए.आर.आई. पूसा कम्पलैक्स
79. पीतम पुरा इन्कमटैक्स कॉलोनी
80. मायापुरी
81. मायापुरी
82. हरि नगर
83. देव नगर
84. श्रीनिवासपुरी
85. सादिक नगर
86. एंड्रयूजगंज
87. एंड्रयूजगंज एक्स.
88. नेहरु नगर
89. आर.ए.के. कॉलेज
90. एन.सी.ई.आर.टी
91. डी.एस.टी. कैम्पस
92. ओल्ड जे.एन.यू. कैम्पस
93. खेल गांव
94. हुडको कम्पलैक्स, खेल गांव मार्ग
95. डी.डी.ए. फ्लैट कालकाजी
96. कृषि विहार
97. पुष्प विहार सै.–1

98. पुष्प विहार सै.–3

99. पुष्प विहार सै.–4

100. पुष्प विहार सै.–5

101. पुष्प विहार सै.–7

102. कस्तूरबा नगर

103. त्यागराज नगर

निजी क्षेत्र को वित्तीय रियायत

1405. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आवासीय क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को आकर्षित करने के लिए ग्रुप हाउसिंग सोसाइटिज/ विनिर्माताओं आदि को भूमि आदि के पंजीकरण में कुछ वित्तीय रियायत प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा आवासीय क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के लिए निवेश का क्या लाभ निर्धारित किया गया है और इसे प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) इस समय इस मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।

(घ) योजना आयोग के नौंवी योजना दस्तावेज में यथा उल्लिखित अनुसार प्रत्येक वर्ष 7 लाख शहरी मकानों के निर्माण के लिए, शहरी आवास में विशेष कार्य योजना के लिए 16,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। सरकार आवास के लिए वित्तीय रियायतों, इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए बाजार से धन जुटाने के लिए हडकों को इक्विटी सपोर्ट, कम लागत धनराशि प्रावधान आदि, आवास सहकारिताओं आदि को प्रोत्साहन के जरिए इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी कदम उठा रही है।

बांग्लादेश सीमा पर सीमा स्तंभों को उखाड़ा जाना

1406. श्री इकबाल अहमद सरडगी :

श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांग्लादेश राइफल्स के सीमा प्रबन्धन ने करीमपुर उपमंडल में अनेक सीमा स्तंभों को उखाड डाला है;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से कुछ स्तंभ बांग्लादेश द्वारा कब्जा किए गए भारतीय भू–भाग पर लगे हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार हाल में बांग्लादेश राईफल्स ने करीमगंज सब–डिवीजन में सीमा स्तंभों को नहीं उखाड़ा है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सीमा सुरक्षा बल के जवानों की हत्या

1407. श्री जी.एस. बसवराज :

श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :

श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में बांग्लादेश राइफल्स द्वारा सीमा सुरक्षा बल के जवानों की हत्या पर बांग्लादेश के गृह मंत्री की चुप्पी पर आपत्ति प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मुद्दे पर अपनी अप्रसन्नता से बांग्लादेश को सूचित कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर बांग्लादेश की क्या प्रतिक्रिया रही और गलतफहमी को किस सीमा तक दूर कर लिया गया है;

(घ) क्या सीमा पर होने वाली झड़पों को लेकर दोनों सरकारों के मध्य किसी समझौते पर अंतिम रूप से सहमति हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) बांग्लादेश राइफल्स द्वारा सीमा सुरक्षा बल के जवानों की हाल में की गयी हत्या के बारे में सरकार के विचार और भावनाऐं उपयुक्त रूप से बांग्लादेश की सरकार को सूचित कर दी गयी है। उस सरकार ने यह सूचित किया है कि इसके सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस घटना की पूरी जांच–पंड़ताल की जाएगी।

(घ) और (ङ) 13 जून, 2001 को दो भारत–बांग्लादेश संयुक्त सीमा कार्य ग्रुपों का गठन किया गया। पहला संयुक्त सीमा कार्य ग्रुप, भारत–बांग्लादेश भू–सीमा की लगभग 6.5 कि.मी. लम्बी असीमांकित भूमि का सीमांकन करेगा, दूसरा, संयुक्त सीमा कार्य ग्रुप इन्क्लेवों और प्रतिकूल कब्जों वाले क्षेत्रों की अदला–बदली का काम देखेगा। संयुक्त सीमा कार्य ग्रुपों की पहली बैठक 2–4 जुलाई, 2001 को ढाका, बांग्लादेश में हुई।

माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण

1408. श्रीमती हेमा गमांग : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1992–93 से अभी तक माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत राज्यवार कितने विद्यालयों को सहायता दी गई है;

(ख) उक्त योजना के अन्तर्गत अब तक उडीसा और अन्य राज्यों में राज्यवार कितने गैर–सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दी गई है;

(ग) क्या सरकार द्वारा हाल के वर्षों में देश के आदिवासी बहुल जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर उड़ीसा के कोरापुट, रायगडा, कालाहांडी, बोलनगीर, कांडामल, मयूरभंज जिलों में व्यवसायमुखी शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायोन्मुख बनाने संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत 1992–93 से 2900 विद्यालय संस्वीकृत किए गए हैं और इन विद्यालयों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) उड़ीसा तथा अन्य राज्यों में अभी तक सहायता प्राप्त गैर–सरकारी संगठनों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु योजनागत बजट का आठ प्रतिशत अंश जनजातीय क्षेत्रों के लिए उदिदष्ट किया जाता है। इस वर्ष उड़ीसा को अर्द्धशहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित 50 विद्यालयों में कंप्यूटर तकनीक को एक व्यावसायिक विषय के रूप में शुरू करने हेतु व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 2.84 करोड़ रु. की राशि संस्वीकृत की गई है। विभिन्न जिलों में निधियों के उपयोग के संबंध में निर्णय राज्य सरकारों के हाथ में होता है।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 1992–93 से संस्वीकृत किए गए स्कूलों की संख्या तथा विभिन्न राज्यों में अब तक सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठनों की संख्या

क.सं.	राज्यों के नाम	संस्वीकृत किए गए स्कूलों की संख्या	अभी तक सहायता पहुंचाई गई गैर–सरकारी संगठनों की संख्या
1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	85	2
2	अरुणाचल प्रदेश	–	–
3	असम	100	2
4	बिहार	100	53
5	गोवा	17	–
6	गुजरात	73	–
7	हरियाणा	20	2
8	हिमाचल प्रदेश	–	–
9	जम्मू व कश्मीर	254	1
10	कर्नाटक	265	6
11	केरल	286	5
12	मध्यप्रदेश	195	18
13	महाराष्ट्र	687	5
14	मणिपुर	47	4
15	मेघालय	–	1
16	मिजोरम	21	–
17	नागालैण्ड	–	28
18	उड़ीसा	100	3
19	पंजाब	90	1
20	राजस्थान	10	3

1	2	3	4
21	सिक्किम	2	1
22	तमिलनाडु	200	1
23	त्रिपुरा	12	–
24	उत्तर प्रदेश	300	20
25	पश्चिम बंगाल	–	4
26	अंड. व निकोबार द्वीप समूह	–	1
27	चंडीगढ़	9	–
28	दादर व नागर हवेली	–	–
29	दमन व दीव	2	–
30	दिल्ली	25	8
31	लक्षद्वीप	–	–
32	पांडिचेरी	–	–
	कुल	2900	169

कोयले का उत्पादन

1409. श्री टी. एम. सेल्वागनपति :

श्री उत्तमराव पाटील :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दसवीं योजना के दौरान कोयला उत्पादन में कमी होने और उसके क्षमता संवर्धन से भारी अंतर उत्पन्न हो सकता है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोयला खनन में निवेश अपर्याप्त है और उन्नत प्रौद्योगिकी का अभाव है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड़) सरकार द्वारा कोयले के उत्पादन और इसकी उपलब्धता के बीच उत्पन्न भारी अंतर को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (ड) सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने हेतु कोयले तथा लिग्नाइट के सम्बन्ध में एक कार्यदल का गठन किया है। उत्पादन में कमी, क्षमता में वृद्धि, निवेश तथा अंतर को कम करने के उपायों से सम्बन्धित मुददों की जांच दसवीं योजना हेतु कोयले तथा लिग्नाइट से संबंधित कार्यदल द्वारा की जा रही है। कार्यदल की रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

[हिन्दी]

रोजगार आश्वासन योजना

1410. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तिथि के अनुसार, रोजगार आश्वासन योजना के अर्न्तगत राज्यवार कितने व्यक्ति लांभान्वित हुए हैं;

(ख) क्या इस योजना के अन्तर्गत आबंटित निधियों का उपयोग राज्यों द्वारा कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई हैं;

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) वर्ष 1999–2000, 2000–2001 तथा 2001–2002 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत सृजित श्रम दिवसों की संख्या को दर्शाने वाली वास्तविक प्रगति का ब्यौरा क्रमशः विवरण I, II और III के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) 1999–2000 तथा 2000–2001 के दौरान रिलीज की गई केन्द्रीय सहायता और उपयोग की गई निधियों को दर्शाने वाले ब्यौरे भी क्रमशः विवरण IV और V के रूप में संलग्न है। 1999–2000 के दौरान निधियों का उपयोग 74.99 प्रतिशत था और 2000–2001 के दौरान यह 81.79 प्रतिशत था। 2001–2002 के दौरान वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद ही निधियों के उपयोग की स्थिति उपलब्ध हो पाएगी।

(घ) से (च) जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उन्हें आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित राज्यों को भेजा जाता है।

विवरण-I

1999–2000 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत वास्तविक प्रगति

(लाख श्रम दिन)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	माह सूचित कोड	सृजित किए जाने वाले मजदूरी रोजगार/लक्ष्य	सृजित श्रम दिन						कार्यों की संख्या	
				अनु. जाति	अनु.ज. जाति	अन्य	कुल	महिलाएं	भूमिहीन	पूर्ण (संख्या)	चालू (संख्या)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	3	301.60	69.44	33.84	72.35	175.63	58.59	58.75	17716	8549
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	7.47	0.00	26.25	0.00	26.25	8.60	0.00	1041	375
3.	असम	3	135.37	28.21	45.10	75.21	148.52	14.22	50.20	6046	2575
4.	बिहार	3	645.23	165.53	58.89	160.21	384.62	101.89	238.68	10228	12683
5.	गोवा	3	0.49	0.00	0.00	1.05	1.05	0.45	0.00	58	147
6.	गुजरात	3	59.97	6.69	23.84	17.96	48.49	12.97	16.43	3934	2886
7.	हरियाणा	3	32.84	13.63	0.00	9.02	22.65	5.29	21.14	2749	1237
8.	हिमाचल प्रदेश	3	16.47	10.01	3.26	12.38	25.65	1.22	0.02	5537	2958
9.	जम्मू व कश्मीर	3	25.79	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	26.27	एन.आर.	एन.आर.	7171	10871
10.	कर्नाटक	3	194.58	50.31	21.20	114.44	185.95	55.33	73.86	15396	5442
11.	केरल	3	67.35	13.51	1.53	27.90	42.94	14.65	3.64	2834	2883
12.	मध्य प्रदेश	3	418.69	77.25	106.76	104.89	288.90	97.09	102.11	9302	9530
13.	महाराष्ट्र	3	571.53	62.97	55.78	115.92	234.67	84.01	82.22	15591	20793
14.	मणिपुर	3	7.86	0.37	7.24	2.09	9.70	2.76	1.78	1465	353
15.	मेघालय	12	9.79,	0.09	7.58	0.00	7.67	2.93	1.46	492	212
16.	मिजोरम	3	1.73	0.00	4.95	0.00	4.95	1.68	0.00	1436	26
17.	नागालैंड	3	9.21	0.00	22.92	0.00	22.92	6.90	0.18	2896	850
18.	उड़ीसा	3	335.48	71.35	69.27	74.80	215.42	62.41	47.66	15424	15138
19.	पंजाब	3	14.49	11.08	0.00	5.73	16.81	0.58	11.37	1119	1195
20.	राजस्थान	3	177.51	30.57	25.83	35.49	91.89	33.31	14.69	4028	5480
21.	सिक्किम	3	2.15	1.41	2.07	1.86	5.34	1.60	0.41	730	162
22.	तमिलनाडु	3	227.29	72.64	8.53	85.62	166.79	53.06	152.68	5165	3106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	त्रिपुरा	3	16.90	3.69	8.58	5.64	17.91	5.27	8.92	1766	एन.आर.
24.	उत्तर प्रदेश	3	593.38	254.06	1.49	230.18	485.73	72.47	111.49	14572	5236
25.	पश्चिम बंगाल	3	214.88	47.29	21.31	59.10	127.70	29.16	66.83	9756	3752
26.	अंडमान व निकोबार	3	1.41	0.00	0.07	0.32	0.39	0.05	0.14	2	26
27.	दा. व न. हवेली	3	1.04	0.00	0.21	0.00	0.21	0.15	0.00	12	17
28.	दमन व दीव	3	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
29.	लक्षद्वीप	3	0.09	0.00	0.87	0.00	0.87	0.18	0.00	16	16
30.	पांडिचेरी	3	1.00	0.20	0.00	0.09	0.29	0.11	0.04	58	5
	अखिल भारत		4091.63	990.29	557.37	1212.24	2786.17	726.92	1064.69	156540	116503

* एन.आर. – असूचित

विवरण-II

2000–2001 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत वास्तविक प्रगति

(लाख श्रम दिन)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सूचित माह कोड	सृजित किए जाने वाले मजदूरी रोजगार/लक्ष्य	सृजित श्रम दिन				महिलाएं	भूमिहीन	कार्यों की संख्या	
				अनु. जाति	अनु.ज. जाति	अन्य	कुल			पूर्ण (संख्या)	चालू
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	3	152.47	30.90	18.39	62.03	111.32	42.51	66.32	10419	6948
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	13.44	0.00	20.10	0.00	20.10	4.88	0.00	1120	380
3.	असम	3	242.89	13.03	25.08	39.93	78.04	11.99	59.13	3542	1473
4.	बिहार	3	252.40	101.76	10.41	99.48	211.65	49.94	163.22	7071	7382
5.	छत्तीसगढ़	3	66.62	16.20	30.56	36.56	83.32	26.49	11.88	4743	3056
6.	गोवा	3	0.31	0.00	0.00	0.86	0.86	0.37	0.00	25	122
7.	गुजरात	3	32.02	15.14	24.51	40.35	80.00	22.13	29.41	3690	3317
8.	हरियाणा	3	18.30	12.46	0.00	7.73	20.19	4.85	18.33	3653	366
9.	हिमाचल प्रदेश	2	9.15	4.99	1.33	5.19	11.51	0.67	0.00	3294	1907

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	जम्मू व कश्मीर	3	16.50				24.56			6071	7948
11.	झारखंड	12	160.52	14.87	25.53	20.08	60.48	24.59	21.58	2065	3396
12.	कर्नाटक	3	113.34	27.66	12.83	63.07	103.56	32.40	40.70	6511	6141
13.	केरल	3	41.88	8.77	0.69	21.03	30.49	9.02	2.27	1767	1997
14.	मध्य प्रदेश	3	129.06	41.61	66.65	51.11	159.37	57.23	71.36	5434	5140
15.	महाराष्ट्र	3	324.88	52.21	55.97	108.64	216.82	71.95	77.02	11289	11111
16.	मणिपुर	7	11.65	0.02	2.09	0.20	2.31	0.39	0.15	664	580
17.	मेघालय	3	17.20	0.34	5.53	0.00	5.87	1.96	0.18	614	97
18.	मिजोरम	3	3.10	0.00	5.97	0.00	5.97	2.06	0.00	1254	192
19.	नागालैंड	2	16.52	0.00	17.40	0.00	17.40	5.26	0.00	791	654
20.	उड़ीसा	3	190.85	56.48	65.72	73.00	195.20	57.40	38.64	15691	15914
21.	पंजाब	3	9.28	12.57	0.00	3.15	15.72	0.54	15.04	1358	751
22.	राजस्थान	3	89.70	24.71	25.58	26.09	76.38	28.68	16.05	9501	2172
23.	सिक्किम	3	3.87	2.24	3.58	3.33	9.15	3.00	0.73	951	59
24.	तमिलनाडु	3	138.32	55.22	2.12	53.04	110.38	36.89	98.47	10331	707
25.	त्रिपुरा	3	30.31	4.47	10.33	4.73	19.53	6.05	8.23	2305	1183
26.	उत्तर प्रदेश	3	352.42	191.70	0.20	141.12	333.02	50.45	100.33	10686	5992
27.	उत्तरांचल	3	23.48	6.48	0.99	3.60	11.07	4.42	1.92	2628	1074
28.	पश्चिम बंगाल	3	132.56	43.97	19.29	53.01	116.27	27.13	50.47	7232	2346
29.	अंडमान व निकोबार	3	0.39	0.00	0.07	0.27	0.34	0.08	0.25	18	33
30.	दा. व न. हवेली	3	0.50				0.00				
31.	दमन व दीप	3	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
32.	लक्षद्वीप	10	0.04	0.00	0.34	0.0	0.34	0.10	0.00	11	17
33.	पांडिचेरी	3	0.48	0.54	0.00	0.22	0.76	0.21	0.30	68	18
	अखिल भारत		2594.47	738.34	451.26	917.82	2131.98	583.64	891.98	134797	92473

विवरण-III

2001–2002 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत वास्तविक प्रगति

(लाख श्रम दिन)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सूचित माह कोड	सृजित किए जाने वाले मजदूरी रोजगार/लक्ष्य	सृजित श्रम दिन						कार्यों की संख्या	
				अनु. जाति	अनु.ज. जाति	अन्य	कुल	महिलाएं	भूमिहीन	पूर्ण	चालू (संख्या)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश		127.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	5	7.68	0.00	0.34	0.00	0.34	0.11	0.00	5	380
3.	असम	5	215.42	0.63	1.01	2.31	3.95	0.45	2.28	118	684
4.	बिहार		264.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
5.	छत्तीसगढ़	4	58.73	0.20	0.60	0.52	1.32	0.35	0.28	225	3071
6.	गोवा	5	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	122
7.	गुजरात	5	27.96	1.41	1.78	5.06	8.25	2.24	4.39	206	3348
8.	हरियाणा	5	19.18	0.16	0.00	0.05	0.21	0.04	0.19	77	263
9.	हिमाचल प्रदेश		9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
10.	जम्मू व कश्मीर		17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
11.	झारखंड		168.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
12.	कर्नाटक	5	117.86	1.72	0.72	4.14	6.58	2.08	3.13	435	2247
13.	केरल	5	31.45	0.27	0.04	0.68	0.99	0.52	0.21	130	1813
14.	मध्य प्रदेश	5	113.79	4.49	6.25	5.92	16.66	6.29	6.05	982	4300
15.	महाराष्ट्र	4	211.57	0.95	1.40	3.15	5.50	1.46	1.18	671	8184
16.	मणिपुर		10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
17.	मेघालय	4	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
18.	मिजोरम	4	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
19.	नागालैंड		14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
20.	उड़ीसा	5	149.95	3.39	3.96	4.41	11.76	3.23	1.09	1570	9923
21.	पंजाब	5	9.72	0.27	0.00	0.04	0.31	0.02	0.31	105	367

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	राजस्थान	5	68.34	2.01	1.53	2.27	5.81	5.06	1.06	417	2902
23.	सिक्किम		3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
24.	तमिलनाडु	5	144.90	0.36	0.00	0.31	0.67	0.32	0.49	389	1406
25.	त्रिपुरा	5	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
26.	उत्तर प्रदेश		361.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
27.	उत्तरांचल	5	24.10	0.32	0.01	0.24	0.57	0.17	0.29	76	757
28.	पश्चिम बंगाल		133.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
29.	अंडमान निकोबार	5	0.41	0.00	0.002	0.009	0.01	0.00	0.008	31	0
30.	दा. व न. हवेली		0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
31.	दमन व द्वीप	4	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
32.	लक्षद्वीप		0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
33.	पांडिचेरी		0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	अखिल भारत		2351.48	16.18	17.64	29.11	62.93	22.34	20.96	5437	39767

विवरण-IV

1999–2000 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत वास्तविक प्रगति रिपोर्ट

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सूचित माह कोड	अथशेष 1.4.2000 तक	निधियों का केन्द्रीय आबंटन	राज्य का सदृश अंश	कुल आबंटन	रिलीज की गई केन्द्रीय निधियां	रिलीज की गई राज्य अंश	कुल (केन्द्र और राज्य)	कुल उपलब्ध निधियां	खर्च	कुल निधियों की तुलना में खर्च का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	3	3240.56	10288.76	3429.24	13718.00	10288.76	3429.24	13718.00	16958.56	14595.07	86.06
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	1225.72	226.21	75.40	301.61	719.27	239.73	959.00	2184.72	1360.57	62.28
3.	असम	3	3600.72	5877.72	1959.04	7836.76	4701.11	2000.00	6701.11	10301.83	9369.98	90.95
4.	बिहार	3	10894.88	33704.77	11233.80	44938.57	25388.02	8461.83	33849.85	44744.73	32467.49	72.56
5.	गोवा	3	22.95	23.72	7.91	31.63	55.00	18.33	73.33	96.28	102.07	106.01
6.	गुजरात	3	2395.67	3872.86	1290.82	5163.68	4301.49	1433.69	5735.18	8130.85	4652.86	57.22
7.	हरियाणा	3	2126.24	2278.48	759.42	3037.90	1981.53	660.44	2641.97	4768.21	3974.75	83.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	हिमाचल प्रदेश	3	1314 .08	959 .56	319 .82	1279 .38	945 .06	314 .99	1260 .05	2574 .13	2163.69	84 .06
9	जम्मू व कश्मीर	3	63.78	1187 .58	395 .82	1583 .40	2755 .00	918 .24	3673.24	3737 .02	2203 .56	58 .97
10	कर्नाटक	3	2004 .40	7769 .46	2589 .56	10359 .02	6670 .05	2223 .13	8893 .18	10897 .58	10090 .82	92 .60
11	केरल	3	1870 .77	3486 .13	1161 .93	4648 .06	3486 .12	1236 .37	4722 .49	6593 .26	4688 .09	71 .10
12	मध्य प्रदेश	3	3588 .09	17084 .06	5694 .12	22778 .18	17464 .11	5820 .79	23284 .90	26872 .99	24019 .00	89 .38
13	महाराष्ट्र	3	4068 .86	15358 .33	5118 .93	20477 .26	11002 .98	3667.29	14670 .27	18739 .13	13258 .20	70 .75
14	मणिपुर	3	426 .95	394 .04	131 .33	525 .37	307 .87	102 .61	410 .48	837 .43	766 .44	91 .52
15	मेघालय	12	460 .57	441 .47	147 .14	588 .61	220 .74	73.57	294 .31	754 .88	465 .47	61 .66
16	मिजोरम	3	24 .35	102 .16	34 .05	136 .21	402 .16	234 .70	636.86	661 .21	354 .90	53 .67
17	नागालैंड	3	330 .96	302 .82	100 .93	403 .75	276 .09	156 .53	432 62	763 .58	748 .31	98 .00
18	उड़ीसा	3	2299 .23	11768 .22	3922 .35	15690 .57	17621 .12	5873 .12	23494 .24	25793 .47	14028 .60	54 .39
19	पंजाब	3	2342 .49	1107 .32	369 .07	1476 .39	813 .98	672 .47	1486 .45	3828 .94	2289 .88	59 .80
20	राजस्थान	3	2266 .54	5899 .60	1966 .34	7865 .94	6888 .13	2295 .81	9183 .94	11450 .48	7300 .22	63.75
21	सिक्किम	3	15 .02	113 .10	37 .70	150 .80	313 .10	244 .00	557 .10	572 .12	361 .33	63 .16
22	तमिलनाडु	3	249 .12	9097 .5	3032 .20	12129 .70	10597 .49	3532 .14	14129 .63	14378 .75	14164 .47	98 .51
23	त्रिपुरा	3	0.00	711 .47	237 .13	948 .60	711 .46	490 .00	1201 .46	1201 .46	1201 .46	100 .00
24	उत्तर प्रदेश	3	5581 .50	37092 .40	12362 .90	49455 .30	36155 .49	12050 .62	48206 .11	53787 .61	40846 .19	75 .94
25	पश्चिम बंगाल	3	7510 .02	13078 .02	4358 .90	17436 .92	9483 .71	3160 .92	12644 .63	20154 .65	12626 .39	62.65
26	अंड. व निकोबार	3	35.78	54 .73		54 .73	27 .36	0 00	27 .36	63.14	37 .64	59 .93
27	दा. व न. हवेली	3	7.45	54 .73		54 .73	27 .36	0.00	27 .36	34 .81	24 .19	69.49
28	दमन व दीप	3	0.61	1 .82		1 .82	0.91	0.00	0.91	1.52	0.91	59 .87
29	लक्षद्वीप	3	104 .99	3.65		3.65	1 .82	0.00	1 .82	106 .81	49 .84	46.66
30	पांडिचेरी	3	42 .10	69 .32		69 .32	34 .66	0.00	34 .66	76 .76	47 .89	62 .39
	अखिल भारत		58114 .40	182410 .01	60735 .85	243145 .86	173641 .95	59310 .58	232952 .53	291066 .93	218260 .45	74 .99

विवरण-V

2000–2001 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रगति

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	सूचित माह कोड	अथशेष 1.4.00 तक	निधियों का केन्द्रीय आबंटन	राज्य का सदृश अंश	कुल आबंटन	रिलीज की गई केन्द्रीय निधियां	रिलीज की जानेवाली राज्य का सदृश अंश	रिलीज की गई वास्तविक राज्य अंश	कुल (केन्द्र+ राज्य)	अन्य प्राप्ति	कुल उपलब्ध निधियां	उपयोग की गई निधियां	कुल निधियों की तुलना में खर्च का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	आंध्र प्रदेश	3	2150.46	658659	2195.53	8782.12	648322	2161.07	1188.84	767206	90.43	9912.95	816813	82.40
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	201.63	406.80	135.60	542.40	812.95	270.98	259.54	1072.49	29.77	130389	106419	81.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	असम	3	1771.29	10546.62	3515.54	14062.16	5273.31	1757.77	1042.00	6315.31		8086.60	5880.31	72.72
4.	बिहार	3	9681.23	13184.87	4394.96	17579.83	9714.15	323805	3407.02	13121.17		22802.40	18443.72	80.88
5.	छत्तीसगढ	3	2398.86	3725.40	1241.80	4967.20	3725.40	1241.80	1243.27	4968.67	36527	7732.80	7242.62	93.66
6.	गोवा	3	0.02	15.18	5.06	20.24	15.18	5.06	45.00	60.18		60.20	56.12	93.22
7.	गुजरात	3	2786.45	2479.32	826.44	3305.76	3779.32	1259.77	1298.16	5077.48		7863.93	6398.65	81.37
8.	हरियाणा	3	558.19	1458.62	486.21	1944.83	2007.25	669.08	663.94	2671.19	158.81	3388.19	3256.93	96.13
9.	हिमाचल प्रदेश	2	786.90	614.28	204.76	819.04	429.28	143.09	160.13	589.41		1376.31	1117.42	81.19
10.	जम्मू व कश्मीर	3	80.12	760.26	253.42	1013.68	2251.46	750.49	280.83	2532.29	16.76	2629.17	2085.13	79.31
11.	झारखंड	12	3077.38	8385.06	2795.02	11180.08	6870.60	2290.20	0.00	6870.60		9947.98	5271.84	52.99
12.	कर्नाटक	3	1089.96	4973.80	1657.93	6631.73	5577.10	1859.03	1827.33	7404.43		8494.39	7282.76	85.74
13.	केरल	3	1266.81	2231.73	743.91	2975.64	2200.90	733.63	733.63	2934.53		4201.34	3458.67	82.32
14.	मध्य प्रदेश	3	2984.73	7217.24	2405.75	9622.99	7711.15	2570.38	2403.69	10114.84	422.52	13522.09	12748.41	94.28
15.	महाराष्ट्र	3	6244.05	9832.00	3277.33	13109.33	7285.68	2428.56	2064.38	9350.06	1157.39	16751.50	13662.39	81.56
16.	मणिपुर	7	107.48	707.18	235.73	942.91	478.58	159.53	0.00	478.58		586.06	126.38	21.56
17.	मेघालय	3	223.30	792.68	264.23	1056.91	500.88	166.96	12.45	513.33	6.86	743.49	420.90	56.61
18.	मिजोरम	3	307.81	183.36	61.12	244.48	183.36	61.12	61.12	244.48	1.48	553.77	517.00	93.36
19.	नागालैंड	2	4.42	543.30	181.10	724.40	403.52	134.51	558.00	961.52		965.94	639.74	66.23
20.	उड़ीसा	3	3035.08	7533.70	2511.23	10044.93	10866.23	3622.08	3288.85	14155.08		17190.16	13931.81	81.05
21.	पंजाब	3	1409.98	708.88	236.29	945.17	615.60	205.20	268.92	884.52		2294.50	2150.64	93.73
22.	राजस्थान	3	4411.15	3776.78	1258.93	5035.71	3509.96	1169.99	1441.38	4951.34		9362.49	8512.45	90.92
23.	सिक्किम	3	11.66	203.84	67.95	271.79	403.84	134.61	210.00	613.84	2.57	628.07	625.09	99.53
24.	तमिलनाडु	3	304.45	5824.00	1941.33	7765.33	7324.00	2441.33	2441.34	8765.34	241.94	10311.73	9931.65	96.31
25.	त्रिपुरा	3	0.00	1276.22	425.41	1701.63	1276.22	425.41	340.08	1616.30		1616.30	1401.74	86.73
26.	उत्तर प्रदेश	3	14720.90	22258.95	7419.65	29678.60	18544.23	6181.41	6616.43	25160.66	903.96	40785.52	33312.44	81.68
27.	उत्तरांचल	3	830.93	1483.15	494.38	1977.53	1135.06	378.35	588.71	1723.77	8.59	2563.29	1890.83	73.77
28.	पश्चिम बंगाल	3	7360.11	8372.22	2790.74	11162.96	6631.13	2210.38	2086.42	8717.55	350.37	16428.03	12091.41	73.60
29.	अंडमान निकोबार	3	62.87	35.04	0.00	35.04	0.00			0.00	0.23	63.10	29.54	46.81
30.	दा. व न. हवेली	NR		35.04	0.00	35.04	17.52			17.52		17.52		
31.	दमन व द्वीव	3	1.62	1.17	0.00	1.17	0.00			0.00		1.62		0.00
32.	लक्षद्वीप	10	26.47	2.34	0.00	2.34	0.00			0.00		26.47	23.62	89.23
33.	पांडिचेरी	3	89.00	44.38	0.00	44.38	0.00			0.00		89.00	72.12	81.03
	अखिल भारत		67985.31	126200.00	42027.34	168227.34	116027.08	38669.85	34531.46	150558.54	3756.95	222300.80	181814.65	81.79

अरुणाचल प्रदेश द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 1999-2000 में 500 लाख रु. की राशि अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में रिलीज की गई थी किन्तु संबंधित जिलों द्वारा इसे 2000-2001 के दौरान प्राप्त किया गया था। हरियाणा राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 1999&-2000 में 597.84 लाख रु. की राशि अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में रिलीज की गई थी किंतु संबंधित जिलों द्वारा इसे 2000-2001 के दौरान प्राप्त किया था।

जम्मू और कश्मीर राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 1999-2000 में 1500 लाख रु. की राशि अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में रिलीज की गई थी संबंधित जिलों द्वारा इस 2000-2001 के दौरान प्राप्त किया था। सिक्किम राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 1999-2000 में 200 लाख रु. की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में रिलीज की गई थी किन्तु संबंधित जिलों द्वारा इसे 2000-2001 के दौरान प्राप्त किया गया था। तमिलनाडु राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 1999-2000 मे 1500 लाख रु. की राशि अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप मे रिलीज की गई थी किन्तु संबंधित जिलो द्वारा इसे 2000-2001 के दौरान प्राप्त किया गया था।

एन.आर. –असूचित

पुलिस अधिनियम, 1861

1411. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने पुलिस अधिनियम, 1861 में संशोधन करने की सिफारिश की है;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने स्वयं के पुलिस अधिनियमों को अधिनियमित किया है;

(ग) क्या राज्य सरकारों को अपने स्वयं के अधिनियमों को अधिनियमित करने की शक्तियां प्राप्त हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी हां। राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने पुलिस अधिनियम, 1861 के प्रतिस्थापन की सिफारिश की है।

(ख) से (ङ) भारत के संविधान के अनुसार "पुलिस" राज्य का विषय है। अतः अपने स्वयं के पुलिस अधिनियमों को अधिनियमित करने का काम राज्य सरकारों का है। कुछेक राज्यों ने पहले ही ऐसा कर लिया है।

[अनुवाद]

तहलका डॉट कॉम के प्रधान सम्पादक की हत्या का षडयंत्र

1412. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेबसाइट तहलका डॉटकॉम के प्रधान सम्पादक की हत्या के षड़यंत्र में संलिप्त कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके द्वारा, विशेषकर आई.एस.आई. की संलिप्तता के संबंध में खुलासा किए गए तथ्य क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान 5 मई, 2001 को छह खूंखार अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ ही श्री तरूण तेजपाल को खत्म करने की पाकिस्तान आई एस आई की साजिश का भंडाभोड़ हुआ। उनसे भारी मात्रा में हथियार और गोला–बारूद, नकली मुद्रा, इत्यादि बरामद की गई। लोदी कालोनी पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 154/2001 दर्ज की गई है और मामलों की जांच शुरू की गई है।

[हिन्दी]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत-ब्राजील सहयोग

1413. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 जुलाई, 2001 के हिन्दी दैनिक "दैनिक जागरण" में "ब्राजील–भारत के बीच विज्ञान व प्रौद्योगिकी सहयोग का समझौता" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समझौते की प्रमुख बातें क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जुलाई, 2001 के प्रथम सप्ताह में एक प्रतिनिधि मण्डल के ब्राजील दौरे के दौरान भारत गणराज्य के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा ब्राजील संघीय गणराज्य के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग सम्बन्धी एक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) को अंतिम रूप दिया गया। इस सहयोग कार्यक्रम में जो विषयगत क्षेत्र शामिल हैं, वे हैं – कृषि तथा मानव स्वास्थ्य के लिए जैव प्रौद्योगिकी, जैविक आसूचना, रसायन, जलवायु संबंधी अनुसंधान, समुद्र विज्ञान, नवीन सामग्रियां, गणित, भौतिक विज्ञान, नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष तथा उद्योग अनुसंधान साझेदारियां। इस कार्यक्रम में एक संयुक्त प्रबन्धन बोर्ड के सहयोग की परिकल्पना की गई है।

मलिन बस्तियों में वृद्धि

1414. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में झुग्गी बस्तियों में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इसमें सभी संबंधित विभागों के अधिकारी संलिप्त हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड़) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा झुग्गियों की हो रही भरमार की जांच करवाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी हां।

(ख) झुग्गी बस्तियों में वृद्धि होने का संबंध वर्तमान में क्षेत्रीय आर्थिक असमानताओं से है जिनके रहते महानगरों में निरंतर प्रवासियों का आगमन हो रहा है जिससे झुग्गी और अनधिकृत बस्तियों की भरमार हो गई है।

(ग) से (छ) ऐसी कोई मिलीभगत अब तक नजर नहीं आई है। अतः कोई जांच करवाने का विचार नहीं है।

[अनुवाद]

कोयला क्षेत्र में निजी भागीदारी

1415. प्रो. उम्मारेड्डी वैंकटेस्वरलु : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को देश में कोयले की खोज के लिए निजी कंपनियों से अब तक राज्यवार कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) अब तक राज्य–वार कितने आवेदनों को स्वीकृति दी गई है और कितने लंबित हैं;

(ग) उनके लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उन्हें स्वीकृति देने और कोयला क्षेत्र को सरल–सुगम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (घ) वर्तमान में सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की कम्पनियों को गृहीत आधार पर लोहे और इस्पात के निर्माण, विद्युत उत्पादन तथा सीमेंट के उत्पादन के लिए आबंटन हेतु कोयला खनन ब्लाकों की पहचान कोल इंडिया लिमिटेड तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड द्वारा अपने–अपने बोर्डो के अनुमोदन से किया गया है। ब्लाकों के आबंटन हेतु विभिन्न पार्टियों द्वारा प्राप्त आवेदनों पर कोयला मंत्रालय के अपर सचिव की अध्यक्षता में बनी स्क्रीनिंग समिति द्वारा विचार किया जाता है। स्क्रीनिंग समिति की पहली बैठक जुलाई, 1993 तथा अंतिम बैठक मई, 2001 में हुई थी। 10.7.2001 की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त वर्णित गृहीत उपयोगों के लिए विभिन्न सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की कम्पनियों को संलग्न विवरण में दिये गये ब्यौरे के अनुसार 27 कोयला खनन ब्लाक आबंटित किये गये हैं।

स्क्रीनिंग समिति की 31.5.2001 को हुई अंतिम बैठक के पश्चात् विनिर्दिष्ट अन्य प्रयोग के लिए कोयला खनन ब्लाकों के आबंटन हेतु विभिन्न पार्टियों से प्राप्त आवेदनों पर जो प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं पूरी करते हैं, स्क्रीनिंग समिति की अगली बैठक में विचार किया जाएगा।

विवरण

10.7.2001 की स्थिति के अनुसार आबंटित गृहीत खनन ब्लाकों का विवरण

क्र.सं.	पार्टी का नाम	आबंटित ब्लाक	राज्य	अंतिम उपयोगकर्त्ता
1	2	3	4	5
1.	मेसर्स आरपीजी इंडस्ट्रीज/सीईएससी लि.	सरीसाटोली	पश्चिम बंगाल	विद्युत उत्पादन
2.	मेसर्स कलिंगा पावर	उत्कल–ए	उड़ीसा	विद्युत उत्पादन
3.	मेसर्स इन्डालको	तलाबीरा–1	उड़ीसा	विद्युत उत्पादन
4.	मेसर्स डब्ल्यूबीएसईबी	तारा (ईस्ट)	पश्चिम बंगाल	विद्युत उत्पादन

1	2	3	4	5
5.	मेसर्स सेल	तसरा	झारखंड	इस्पात उत्पादन
6.	मेसर्स डब्ल्यूबीपीडीसीएल	तारा (वेस्ट)	पश्चिम बंगाल	विद्युत उत्पादन
7.	मेसर्स तालचर माइनिंग प्रा. लि./वीपीएल	उत्कल–बी 1	उड़ीसा	विद्युत उत्पादन
8.	मेसर्स बीएलए इंडस्ट्रीज	गोतीतोरिया (ईस्ट)	मध्य प्रदेश	विद्युत उत्पादन
9.	मेसर्स बीएलए इंडस्ट्रीज	गोतीतोरिया (वेस्ट)	मध्य प्रदेश	विद्युत उत्पादन
10.	मेसर्स जिन्दल स्ट्रीप्स लि.	गारे–पालमा–4/1	छत्तीसगढ़	स्पांज आयरन उत्पादन
11.	मेसर्स मोन्नेट इस्पात लि.	गारे–पालमा 4/5	छत्तीसगढ़	स्पांज आयरन उत्पादन
12.	मेसर्स लायड्स मेटल्स एंड इंजीनियर्स लि.	तकली-जेना-बेल्लोरा(नार्थ)	महाराष्ट्र	स्पांज आयरन उत्पादन
13.	मेसर्स ए. सी. सी.	बिसरार	छत्तीसगढ़	सीमेंट उत्पादन
14.	मेसर्स सेंट्रल कोलियरीज कंपनी	तकली-जेना-बेल्लोरा (सा.)	महाराष्ट्र	विद्युत उत्पादन
15.	मेसर्स जिन्दल पावर लि.	गारे–पालमा 4/2	छत्तीसगढ़	विद्युत उत्पादन
16.	मेसर्स जिन्दल पावर लि.	गारे–पालमा 4/3	छत्तीसगढ़	विद्युत उत्पादन
17.	मेसर्स उत्कल कोल लि.	उत्कल–सी	उड़ीसा	विद्युत उत्पादन
18.	मेसर्स जयसवाल निको. लि.	गारे पालमा 4/4	छत्तीसगढ़	स्पांज आयरन उत्पादन
19.	मेसर्स मोन्नेट इस्पात	उत्कल–बी2	उड़ीसा	स्पांज आयरन उत्पादन
20.	मेसर्स गरूदा क्लेस लि.	उमरिया का पश्चिम (अनंतिम)	छत्तीसगढ़	सीमेंट उत्पादन
21.	मेसर्स जयसवाल निको. लि.	चौरीटांड–तिलैय्या (अनंतिम)	झारखंड	इस्पात उत्पादन/गृहीत विद्युत संयंत्र
22.	मेसर्स जयसवाल निको. लि.	जोगेश्वर (अनंतिम)	झारखंड	इस्पात उत्पादन/गृहीत विद्युत संयंत्र
23.	मेसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लि.	छोतिया (अनंतिम)	छत्तीसगढ़	स्पांज आयरन उत्पादन
24.	मेसर्स रायपुर अलायस एंड स्टील लि.	गारे–पालमा 4/7	छत्तीसगढ़	स्पांज आयरन उत्पादन/गृहीत विद्युत संयंत्र
25.	मेसर्स बी. एस. इस्पात	मारकी–मंगली	महाराष्ट्र	स्पांज आयरन उत्पादन
26.	मेसर्स इंडिया माइनिंग कारपोरेशन लि.	उत्कल–डी	उड़ीसा	विद्युत उत्पादन
27.	मेसर्स पंजाब स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड	पछवाडा (अनंतिम–सब ब्लाकिंग की शर्त पर–सब ब्लाकिंग प्रतीक्षित)	झारखंड	विद्युत उत्पादन

केरल में बी.एड. की सीटों में कटौती

1416. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन. सी. टी. ई. ने केरल में बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए सीटों में कटौती की है;

(ख) क्या केरल सरकार ने इन सीटों की बहाली के लिए कोई अभ्यावेदन दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) ने वर्ष 2000–2001 में केरल के 17 बी.एड. कालेजों में छात्रों की संख्या में कमी की है। ताकि उनके विनियमों में निर्धारित शिक्षक–शिष्य अनुपात सुनिश्चित हो सके। केरल सरकार ने दिनांक 17.2.2000 के अपने पत्र द्वारा परिषद से अनुरोध किया था कि वह 1:10 के शिक्षक शिष्य अनुपात पर बल न दे। कुछ प्रभावित संस्थाओं ने केरल उच्च न्यायालय में याचिका दायर की तथा उन्हें राज्य सरकार द्वारा यथा संस्वीकृत मूल संख्या बरकरार रखने संबंधी अन्तरिम आदेश प्राप्त हुए हैं।

भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा शिक्षा कार्यक्रमों के विस्तार के लिए निधियां

1417. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न विश्वविद्यालयों को अपने–अपने शिक्षा कार्यक्रमों के विस्तार में सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद निधियां उपलब्ध कराता है;

(ख) वर्ष 2000–2001 के दौरान भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद से किन–किन संस्थानों/विश्वविद्यालयों ने निधियां प्राप्त कीं;

(ग) सरकार द्वारा पूरे देश में समाज विज्ञान में अनुसंधान करने वाले संस्थानों की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) ऐसी सहायता के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ऐसी कोई निधि नहीं दी गई है।

(ख) और (ग) सरकार ने भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद के लिए बजट आबंटनों को आठवीं योजना परिव्यय में 18.55 करोड़ रुपये से बढ़ाकर नौवीं योजना में 50.40 करोड़ रुपये करके उनमें पर्याप्त वृद्धि की है। इस प्रकार परिषद के लिए बजट आबंटनों में 171.69 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद देश भर में स्थित अपने 27 अनुसंधान संस्थानो को निधियां देती हैं।

(घ) भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा जिन मानदण्डों के आधार पर विकास तथा अनुरक्षण अनुदान दिया जाता है, उनका उल्लेख संलग्न विवरण में किया गया है।

विवरण

भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा विकास तथा अनुरक्षण अनुदान देने संबंधी मानदण्ड नीचे लिखे अनुसार हैं :–

(i) अनुदान प्राप्त करने वाला अनुसंधान संस्थान इस अर्थ में अखिल भारतीय स्वरूप का होना चाहिए कि उसके द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं देश के सभी भागों में रह रहे छात्रों और समाज वैज्ञानिकों के लिए उपलब्ध हो और उसके संकाय का चयन अखिल भारतीय आधार पर किया जाता हो;

(ii) वह कम से कम पांच वर्ष से अस्तित्व में हो। इसमें वे मामले शामिल नहीं हैं जिनमें भारत सरकार और किसी राज्य सरकार ने किसी नये अनुसंधान संस्थान की स्थापना अथवा इस योजना के तहत विकास और वित्तीय सहायता हेतु किसी मौजूदा अनुसंधान संस्थान के चयन के लिए सहमति व्यक्त की हो।

(iii) वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता पाने का पात्र नहीं होना चाहिए।

(iv) वह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीकृत हो अथवा उसकी स्थापना राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा की गई हो; और

(v) उसके स्टाफ का स्तर तथा व्यावसायिक सक्षमता, उसके द्वारा किये जा रहे अनुसंधान के परिमाण और गुणवत्ता, उसके प्रकाशनों एवं इस पेशे में उसके दर्जे के आधार पर परिषद द्वारा उसे समाज विज्ञानों के क्षेत्र में उत्कृष्ट अनुसंधान संस्थान माना जाना चाहिए।

दिल्ली किराया अधिनियम, 1995

1418. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली किराया अधिनियम, 1995 संसद में संशोधन के लिए लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस अधिनियम में किए जा रहे संशोधनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन संशोधनों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) दिल्ली किराया (संशोधन) विधेयक, 1997 को दिल्ली किराया अधिनियम, 1995 को संशोधित करने के लिए राज्य सभा में पेश किया गया था। उसके पश्चात विधेयक को जांच के लिए शहरी और ग्रामीण विकास की संसदीय स्थायी समिति को सौंपा गया था। समिति ने समय-समय पर विधेयक की विस्तार से जांच की और दिसम्बर, 2000 में अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की जिसमें संशोधन विधेयक में कुछ परिवर्तनों का सुझाव दिया। ये परिवर्तन निम्नलिखित से संबंधित हैं:-

(i) किसी एकल किरायेदार की मृत्यु होने की स्थिति में गैर रिहायशी परिसरों की किरायेदारी के बारे में उत्तराधिकारिता अवधि को तीन वर्ष से पांच वर्ष करना बशर्ते कि कुछ शर्तें पूरी होती हों

(ii) किराया करार के लिए प्रपत्र और प्रक्रिया मुहैया करना।

(iii) अधिनियम की एप्लिकेबिलिटी के प्रयोजन के लिए 3500/- रु. से 7500/- रु. तक देय मासिक किराया सीमा में वृद्धि।

(घ) संसद के दोनों सदनों द्वारा दिल्ली किराया अधिनियम, 1995 को संशोधनों सहित पारित किए जाने पर तथा राष्ट्रपति द्वारा इसे स्वीकृति दिए जाने पर इसे उस तारीख से लागू किया जायेगा जो प्रयोजन के लिए अधिसूचित होगी।

स्कूलों और कॉलेजों में विज्ञान प्रयोगशालाएं

1419. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के स्कूलों तथा कॉलेजों में अलग-अलग विज्ञान प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान किन स्कूलों तथा कॉलेजों में विज्ञान प्रयोगशालाओं का उन्नयन किया गया है और चालू वर्ष के दौरान किन-किन स्कूलों तथा कॉलेजों का उन्नयन किये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

1420. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने अभी अपना लक्ष्य प्राप्त करना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसे अभी तक देश के सभी जिलों में प्रारम्भ नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उन जिलों विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के उन जिलों के क्या नाम हैं जिन्हें मिशन के अन्तर्गत अभी तक शामिल नहीं किया गया है; और

(ङ) देश के सभी जिलों को मिशन के अन्तर्गत शामिल करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य 2005 तक 75 प्रतिशत साक्षरता दर की पोषणक्षम प्रभाव सीमा प्राप्त करना है। यह मिशन इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 15-35 आयु वर्ग के नव-साक्षरों को कार्य साधक साक्षरता प्रदान करेगा।

जनगणना 2001 (अनन्तिम कुल जनसंख्या) के अनुसार भारत में साक्षरता दर में 13.17 प्रतिशत बिन्दुओं की वृद्धि दर्ज की गई है जो 1991 की 52.21 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 65.38 प्रतिशत हो गई है। आजादी के बाद किसी दशक में यह उच्चतम वृद्धि दर है।

(ग) जी, हां।

(घ) मिशन के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश के सभी जिलों को शमिल किया गया है। शेष भारत में केवल 27 जिलों में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यक्रम अभी प्रारंभ करना बाकी है।

(ङ) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे शामिल नहीं किए गए जिलों में साक्षरता अभियान आरंभ करने के लिए कदम उठाए और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुमोदनार्थ परियोजना प्रस्ताव भेजें।

रूसी भूकम्प संबंधी उपकरणों की खरीद

1421. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उन भूकम्प निगरानी केन्द्रों जिन्हें स्थापित किया जा रहा है, के राष्ट्रीय नेटवर्क को सुसज्जित करने हेतु बडी संख्या में रूसी भूकम्प संबंधी उपकरणों को खरीदने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय शिष्टमण्डल ने सौदा तय करने के लिए हाल ही में रूस का दौरा किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ङ) इन उपकरणों को खरीदने में कुल कितनी लागत आई है

(च) क्या इस संबंध में कोई प्रदर्शन किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो भूकम्प की पूर्व चेतावनी देने में इन उपकरणों के कहां तक सहायक होने की सम्भावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) से (च) श्रीमान, फिलहाल रूसी भूकम्पीय उपकरणों की भारी मात्रा में खरीद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, डिजाइन ब्यूरो फार जियोफिजिकल इन्स्ट्रूमेंटेशन (डी बी जी) रूसी सरकार से भारत को भूकम्पीय अनुश्रवण प्रणालियों की आपूर्ति करने सम्बन्धी प्रस्ताव मिलने पर एक भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने उस देश में भूकम्पीय यंत्रीकरण के क्षेत्र में किये गये विकास कार्यों का यथास्थान मूल्यांकन करने के लिए 26 से 31 मार्च, 2001 तक रूस का दौरा किया तथा इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए सहयोगात्मक एवं सहयोजनात्मक सम्भाव्यताओं पर विचार–विमर्श किया। भूकम्पीयता प्रणालियों को भ्रमणकारी भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के समक्ष प्रदर्शित किया गया। प्रतिनिधिमण्डल ने प्रयोगात्मक कार्यों के लिए दो भूकम्पीयतामापकों (एक स्थायी व दूसरा सुवाह्य) के प्रापण का प्रस्ताव किया ताकि इन प्रणालियों का भारतीय मौसम की परिस्थितियों के अंतर्गत कार्यात्मकता सम्बन्धी मूल्यांकन किया जा सके। दो उपकरणों की कुल लागत 47,200 अमरीकी डालर है।

(छ) हालांकि भूकम्पीयतामापी उपकरण भारत में भूकम्प सम्बन्धी गतिविधियों का बेहतर ढंग से अनुश्रवण करने में सहायक सिद्ध होंगे परन्तु ये पूर्व चेतावनी देने में समक्ष नहीं हैं क्योंकि पूरे विश्व में इस तरह की कोई भी प्रणाली या तकनीक या उपकरण मौजूद नहीं है।

बांग्लादेश के साथ सीमा संबंधी मुठभेड़ें

1422. श्री जी.एस. बसवराज : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दीनाजपुर के फुलवारी में और राजसाही जिले के निकट जोयपुरहाट में बांग्लादेश सेना द्वारा अपनी पोजीशन लिए जाने की खुफिया रिपोर्टों से सतर्क होकर सीमा सुरक्षा बल ने पं. बंगाल में सभी सीमा चौकियों पर अपने जवानों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो स्थिति से निपटने और बांग्लादेश सीमा की चौकसी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं/ उठाये जा रहे हैं;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान बांग्लादेश के साथ सीमा के सभी क्षेत्रों में सीमा–मुठभेड़ों की कितनी घटनाएं हुई;

(घ) क्या 24 अप्रैल, 2001 को बांग्लादेश सीमा पर सेना द्वारा नई घुसपैठ को नाकाम कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) अप्रैल, 2001 में भारत बांग्लादेश सीमा के साथ मेघालय के पूर्वी खासी पर्वतीय जिले, परिदिवाह में बांग्लादेशी राइफल्स द्वारा अकारण और अनुचित घुसपैठ करने के पश्चात, सीमा सुरक्षा बल को भारत बांग्लादेश सीमा के साथ उच्च सतर्कता बनाए रखने के अनुदेश दिए गए हैं। फील्ड फॉर्मेशन्स को सुदृढ किया जा रहा है और बेहतर संचार प्रणालियों के साथ उचित रूप से सुसज्जित किया जा रहा है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, गत एक वर्ष के दौरान भारत–बांग्लादेश सीमा पर सीमा–मुठभेड़ों की पांच घटनाएं हुई हैं।

(घ) से (ङ) चूंकि भारत–बांग्लादेश सीमा पर भारतीय सेना तैनात नहीं की जाती है, इसलिए प्रश्न नहीं उठते हैं।

[हिन्दी]

तेरह प्रमुख इंजीनियरिंग कालेजों को विश्वविद्यालय का दर्जा देना

1423. डा. जसवंतसिंह यादव :

श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने तेरह प्रमुख इंजीनियरिंग कालेजों को विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(ग) विश्वविद्यालय का स्तर प्रदान किए जाने के पश्चात क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं; और

(घ) इससे शिक्षा के स्तर में कहां तक सुधार आने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) 14 क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों को समविश्वविद्यालय का दर्जा देने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी सिफारिश मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्तुत की है। इन सिफारिशों की जांच करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सामाजिक लेखापरीक्षा

1424. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी ग्राम सभाओं को अपने क्षेत्राधिकार के भीतर सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सामाजिक लेखा परीक्षा करने के लिए प्राधिकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और कार्यों की वास्तविक तथा पक्षपातविहीन सामाजिक लेखा परीक्षा करने के लिए ग्राम सभाओं को क्या प्रशिक्षण दिए जाने की संभावना है;

(ग) सरकार द्वारा सभी ग्राम सभाओं की सामाजिक लेखा परीक्षा की सुरक्षित योजना तैयार करने और लागू करने का प्रस्ताव हैं;

(घ) ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उन्हें कब तक लागू किए जाने की संभावना हैं;

(ङ) क्या सरकार का ग्रामीण विकास योजनाओं को लागू करने में और ऐसे कार्यक्रमों के लिए वित्तीय आबंटन में पारदर्शिता पर जोर देने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ऐसे कार्यों में ग्राम सभाओं अथवा पंचायतों को किस प्रकार शामिल किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) जी, हां। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से यह अनुरोध किया गया है कि वे सभी ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए ग्राम सभा द्वारा की जाने वाली सामाजिक लेखा परीक्षा को अनिवार्य बनाए।

(ख) से (घ) चूंकि पंचायती राज राज्यों का विषय है, इसलिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अपेक्षा है कि वे क्षमता निर्माण तथा जागरूकता सर्जक कार्यक्रमों के लिए योजना तैयार करें ताकि सामाजिक लेखा परीक्षा को सफल बनाया जा सके तथा ग्राम सभाओं द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए उनकी जरूरतों के अनुसार विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए जा सकें।

(ङ) और (च) जी, हां। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से पंचायतों की कार्यविधि में पारदर्शिता तथा जवाबदेही को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित चार–सूत्री कार्यनीति अपनाने का अनुरोध किया गया है:

(क) प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिकी मीडिया के जरिए जागरूकता तथा पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा कार्यकर्त्ताओं के लिए प्रशिक्षण/कार्यशालाएं।

(ख) आवश्यकता आधारित कार्य योजना को तैयार करने, इसके निष्पादन तथा निगरानी में ग्रामीण समुदायों की भागीदारी।

(ग) पंचायतों द्वारा शुरू किए गए कार्यों के आकलन, निधियों की उपलब्धता और उन पर हुए खर्च इत्यादि के संबंध में सभी संबंधित सूचनाओं को बिल–बोर्ड पर लगाकर पारदर्शिता।

(घ) ग्राम सभा द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

1425. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लचीलापन तथा सुग्राह्यता को शुरू करने के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के दिशानिर्देशों में संशोधन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन आयोजित किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने सामाजिक क्षेत्र के विकास में मदद करने के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूह को एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं; और

(च) उनसे ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक क्षेत्र के विकास में कहां तक मदद मिलने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) और (ख) लचीलापन और सुग्राहयता मुहैया कराने को ध्यान में रखकर स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस. जी. एस. वाई.) के दिशा–निर्देशों में जब जैसी आवश्यकता हो संशोधन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर गरीबों के सामाजिक जुटाव में गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी हेतु अतिरिक्त दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं तथा स्वरोजगारी आदि के लिए मुफ्त प्रशिक्षण रखा गया है।

(ग) देश में ''स्व–सहायता समूह'' तथा स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना संबंधी एक राष्ट्रीय सम्मेलन राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एन आई आर डी) में 23–24 जून, 2001 को आयोजित किया गया था ताकि कार्यक्रम से संबंधित सभी भागीदारों को सुग्राही बनाने के लिए कार्यक्रम के कार्यान्वयन की जानकारी प्राप्त की जा सकें तथा इसके बेहतर कार्यान्वयन के लिए एक नीति बनाई जा सके।

(घ) जी, हां।

(ङ) 2004 तक प्रत्येक बसावट में कम से कम एक स्व सहायता समूह गठित करना।

(च) इससे ग्रामीण गरीबों को संगठित करने, उनकी क्षमता बढ़ाने, आत्मविश्वासी बनाने, अपनी बात को मुखर करने, प्रेरक बनाने में मदद मिलेगी तथा इससे उन्हें स्थायी स्वरोजगार तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में सहायता मिलेगी।

भारतीय इतिहास का पुनर्लेखन

1426. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इतिहास के कतिपय भागों को पुनः लिखे जाने का प्रयास किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इतिहास की किन अवधियों को पुनः लिखे जाने की मांग की जा रही है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए किसी समिति का गठन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन–कौन हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् ने सूचित किया है कि भारतीय इतिहास के कतिपय भागों को पुनः लिखने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

सीमा क्षेत्रों के साथ रहने वाले लोग

1427. श्री जी.एस. बसवराज : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'बांग्ला देश राइफल्स' सीमा पार से अपराधियों को फसल, पशु तथा घरेलू सामान चुराने के लिए प्रोत्साहित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा भारत–बांग्लादेश सीमा क्षेत्र के साथ रहने वाले लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए क्या कदम उठाये गए है; और

(घ) इन कदमों से लोगों को इस क्षेत्र में रहने में कहां तक मदद मिली है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (घ) भारत–बांग्लादेश की लम्बी और सुभेद्य सीमा पर, समय–समय पर, सीमा–पार से अपराधों की सूचना मिलती रहती है। सरकार द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं, जिनमें सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त बटालियनें खड़ी करना, सीमा–चौकियों के बीच की दूरियों को कम करना, भूमि और नदीतटीय दोनों, सीमाओं पर गश्त को गहन करना, सीमा सड़कों के निर्माण और बाड़ लगाने के कार्यक्रम में तेजी लाना, सीमा–बुर्जों की संख्या में बढ़ोत्तरी करना, निगरानी उपकरणों का प्रावधान इत्यादि शामिल हैं। भारत और बांग्लादेश की सरकार विभिन्न स्तरों पर सीमा–पार से अपराधों को नियंत्रित करने के प्रति अपने संयुक्त संकल्प को दोहराती रही है। भारत–बांग्लादेश सीमा के साथ लगे गांवों से भारतीय लोगों का कोई पलायन नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

पनधारा विकास योजना

1428. प्रो. दुखा भगत : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक उत्तरांचल, झारखंड और छत्तीसगढ जैसे नवसृजित राज्यों में पनधारा विकास योजना को कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) वर्ष 2000–2001 के दौरान अब तक राज्य–वार कितने धन का आबंटन किया गया/जारी किया गया?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ग) उत्तरांचल, झारखण्ड तथा छत्तीसगढ़ के नवसृजित राज्यों में वाटरशेड विकास योजनाएं नामतः समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम तथा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम पहले से ही कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

(घ) उपर्युक्त योजनाओं के तहत निधियां विभिन्न राज्य सरकारों को आबंटित नहीं की जाती हैं, बल्कि ये चल रही वाटरशेड विकास परियोजनाओं की प्रगति तथा वर्ष के दौरन स्वीकृत की गई नई परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए जिला परिषदों/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को जारी की जाती हैं। वर्ष 2000–2001 तथा 2001–2002 के दौरान इन तीन राज्यों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2000–01 तथा 2001–02 के दौरान वाटरशेड विकास योजनाओं के तहत नवसृजित राज्यों को जारी की गई निधियां।

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	कार्यक्रम	राज्य	2000–2001	1.4.2001 से 27.7.2001 तक
1.	समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम	उत्तरांचल	3.27	शून्य
		झारखंड	0.74	शून्य
		छत्तीसगढ़	3.22	0.92
2.	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	उत्तरांचल	6.81	शून्य
		झारखंड	6.87	शून्य
		छत्तीसगढ़	3.24	शून्य

[अनुवाद]

काम्पैक्ट विश्वविद्यालय

1429. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) ने देश के विभिन्न भागों में तीन काम्पैक्ट विश्वविद्यालयों की स्थापना की मंजूरी प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौर क्या है;

(ग) क्या शैक्षणिक विभागों की संख्या के संबंध में काम्पैक्ट विश्वविद्यालयों के लिए कोई मानदंड निर्धारित किये गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे काम्पैक्ट विश्वविद्यालयों में छात्रों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आयोग ने देश के किसी भी भाग में काम्पैक्ट विश्वविद्यालयों की स्थापना को अनुमोदित नहीं किया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

अनौपचारिक शिक्षा का लोकप्रिय और सार्वभौमिक शिक्षा के साथ विलय

1430. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी :

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार के अनौपचारिक शिक्षा को मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और सार्वभौमिक शिक्षा गारंटी योजना के साथ विलय के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) इस आशय की स्वीकृति के संबंध में राज्य को इस संबंध में स्वीकृति कब तक प्रदान किये जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी, नहीं। राज्य सरकार ने राज्य सरकार योजना के तहत गठित शिक्षा गारंटी योजना केन्द्रों के वित्त पोषण हेतु एक प्रस्ताव भेजा था।

उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति, केन्द्रीय प्रायोजित शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा के पारामीटर के आधार पर की जाएगी।

समेकित बाल विकास योजना (आई. सी. डी. एस.) के अंतर्गत खाद्य की आपूर्ति

1431. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा समेकित बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.) के अंतर्गत आपूर्ति की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत पूरक पोषण कार्यक्रम घटक हेतु बजट की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। लेकिन, वर्ष 2000–2001 से प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के पोषाहार घटक के अंतर्गत राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी गई है। पूरक पोषाहार हेतु कुछ राज्यों को विश्व खाद्य कार्यक्रम तथा को–आपरेटिव फॉर असिस्टैंस एंड रिलीफ एवरीव्हेयर (केयर) के माध्यम से खाद्य सहायता प्रदान की जाती है। भारत सरकार गेहूं–आधारित पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी आवश्यकता के अनुसार खाद्यान्नों का आबंटन करती है। इस संबंध में समीक्षा का कार्य नियमित रूप से किया जाता है।

[अनुवाद]

पाक द्वारा हिमालयी पर्वत श्रृंखला का पिघलाया जाना

1432. मोहम्मद शहाबुद्दीन :

श्री राम प्रसाद सिंह :

डा. एस. वेणुगोपाल :

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि पाकिस्तान हिमालयी पर्वत श्रृंखलाओं में बलूरा हिमनद में ऊपर से बड़ी मात्रा में राख गिरा रहा है जिससे सिंधु नदी का बहाव अत्यधिक हो रहा है और हिमालयी पर्वत श्रृंखला का नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र कुप्रभावित हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मुद्दे को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का विचार इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) से (ङ) पाकिस्तान में हिमनदी को कृत्रिम तरीके से पिघलाने के प्रयासों के बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। पश्चिमोत्तर हिमालय के पाकिस्तान वाले हिस्से के ग्लेशियर पर इस तरह के प्रयोग किए जाने पर पाकिस्तान द्वारा विचार किए जाने के संबंध में समाचार माध्यमों में कुछ संदिग्ध तथा अपुष्ट रिपोर्टें देखी गई हैं। कुछ देशों द्वारा वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए इस तरह के प्रयोग किए जाने के बारे में जानकारी तो है। जानकारी की मौजूदा स्थिति यह संकेत देती है कि इस तरह के प्रयोगों से गलत प्रक्रिया पर किसी प्रकार का उल्लेखनीय व वृहद् स्तर पर प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि इस तरह की प्रक्रिया कई जटिल कारकों से प्रभावित होती है।

अपुष्ट तथा अप्रामाणिक प्रकृति के समाचारों को देखते हुए यह जरूरी नहीं समझा गया है कि इस मामले को इसी अवस्था में पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया जाए। सरकार इसके बारे में चौकन्नी है और जरूरत पडने पर सरकार एक समुचित प्रत्युत्तर तैयार करने में सक्षम है।

दमा के लिए नई औषधियां

1433. श्रीमती डी. एम. विजया कुमारी :

श्री जी. गंगा रेड्डी :

श्री बी. वेंकटेस्वरलु :

डा. रामचन्द्र डोम :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के वैज्ञानिकों ने दमा के उपचार हेतु विश्व की पहली औषधि विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो उस अनुसंधान संस्थान का नाम क्या है जिसने उक्त औषधि विकसित की है और औषधि का नाम और उसका मूल्य क्या है;

(ग) क्या उक्त औषधि का पूर्ण परीक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त औषधि का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया है और यह औषधि देशभर में सस्ती दर पर उपलब्ध है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में स्थिति क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

दमन और दीव में अकृषियोग्य और ऊंची-नीची भूमि

1434. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र में अकृषियोग्य और ऊंची–नीची भूमि का क्षेत्र कितना है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी किसी भूमि को खेती के तहत नहीं लाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि प्रदान किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में अकृषि योग्य तथा ऊंची–नीची भूमि का क्षेत्रफल 1051 हैक्टेयर है।

(ख) और (ग) अकृषि योग्य तथा ऊंची–नीची भूमि की स्थलाकृति तथा विशेष प्रकार की मृदा होने के कारण इन क्षेत्रों को खेती के तहत लाना संभव नहीं हुआ है।

कृषि-योग्य परती भूमि का वितरण

1435. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :

श्री वीरेन्द्र कुमार :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य–वार अप्रयुक्त भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ख) भूमिहीन लोगों में विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों में अब तक राज्य–वार कितनी कृषि योग्य भूमि और अप्रयुक्त भूमि का वितरण किया गया और वितरण किए जाने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा गरीब भूमिहीन कृषि कामगारों की सहायतार्थ क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) अप्रयुक्त भूमि सहित देश में बंजरभूमि का कुल क्षेत्रफल 63.85 मिलियन हैक्टेयर है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) भूमि राज्य का विषय है और बंजरभूमि का वितरण, भूमि की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। मार्च, 2000 तक समग्र देश में वितरित की गई बंजरभूमि का कुल क्षेत्रफल 147.47 लाख एकड़ है। राज्य–वार वितरण को संलग्न विवरण–II में दिखाया गया है।

(ग) भूमि वितरित करते समय सरकार द्वारा गरीब भूमिहीन कृषि श्रमिकों के हित को हमेशा ध्यान में रखा जाता है।

विवरण-I

देश में राज्य–वार बंजरभूमि

क्र.सं.	राज्य	क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	51750.19
2.	अरुणाचल प्रदेश	18326.25
3.	असम	20019.17
4.	बिहार	20997.55
5.	गोवा	613.27
6.	गुजरात	43021.28
7.	हरियाणा	3733.98
8.	हिमाचल प्रदेश	31659.00
9.	जम्मू और कश्मीर	65444.24
10.	कर्नाटक	20839.28
11.	केरल	1448.18
12.	मध्य प्रदेश	69713.75
13.	महाराष्ट्र	53489.08
14.	मणिपुर	12948.62
15.	मेघालय	9904.38
16.	मिजोरम	4071.68
17.	नागालैंड	8404.10
18.	उड़ीसा	21341.71
19.	पंजाब	2228.40
20.	राजस्थान	105639.11
21.	सिक्किम	3569.58
22.	त्रिपुरा	1276.03
23.	तमिलनाडु	23013.90
24.	उत्तर प्रदेश	38772.80
25.	पश्चिम बंगाल	5718.48
1	2	3
26.	संघ राज्य क्षेत्र	574.30
	योग	638518.31 वर्ग किलोमीटर या 63.85 मिलियन हैक्टयेर

विवरण-II

मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार सरकारी बंजरभूमि का वितरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वितरित किया गया क्षेत्र (लाख एकड़ में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	42.02
2.	असम	5.89
3.	बिहार	13.21
4.	गुजरात	13.81
5.	हरियाणा	0.00
6.	हिमाचल प्रदेश	0.17
7.	कर्नाटक	13.72
8.	केरल	4.57
9.	मध्य प्रदेश	0.79
10.	महाराष्ट्र	10.23
11.	मणिपुर	0.32
12.	पंजाब	1.10
13.	उड़ीसा	7.26
14.	तमिलनाडु	2.07
15.	त्रिपुरा	1.32
16.	उत्तर प्रदेश	24.89
17.	पश्चिम बंगाल	4.32
18.	गोवा	0.05
19.	मिजोरम	0.74
20.	राजस्थान	0.93
21.	दिल्ली	0.06
	योग	147.47

पनधारा विकास कार्यक्रमों हेतु संशोधित दिशानिदेश

1436. श्री सुकदेव पासवान :

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) क्या सरकार का विचार अप्रैल, 1995 में जारी की गई पनधारा विकास संबंधी दिशानिदेशों को संशोधित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ कोई परामर्श किया है और या इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (घ) वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों को 1.4.1995 से लागू किया गया था और लगभग छः वर्षों की अवधि से इन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है। इस अवधि के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वाटरशेड विकास परियोजनाओं को इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के उपबंधों के अंतर्गत कार्यान्वित करने के बारे में राज्य सरकारों, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों के साथ विचार–विमर्श किया है। वाटरशेड विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में सुधार लाने की दृष्टि से मार्गदर्शी सिद्धांतों को संशेधित करने हेतु सुझाव भी प्राप्त हुए थे। संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों (प्रेषणाधीन) में अधिक लचीलापन, पंचायती राज संस्थाओं के लिए लक्ष्यबद्ध भूमिका, दो प्रकार के दृष्टिकोण, एग्जिट प्रोतोकॉल तथा परियोजना के कार्यान्वयन और परियोजना पूरी होने के पश्चात इसके रखरखाव मे अधिक सामुदायिक भागीदारी, आदि की व्यवस्था की गई है।

साक्षरता कार्यक्रमों में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका

1437. श्री चन्दनाथ सिंह :

श्रीमती जस कौर मीणा :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जन भागीदारी कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा का प्रसार करने के लिए राज्यवार कितनी राशि जारी की गई है;

(ख) उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम और प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम में कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान अभी तक इन संगठनों को सरकार द्वारा कितनी राशि दी गई;

(घ) . क्या सरकार को इन गैर सरकारी संगठनों द्वारा धन के उपयोग में अनियमितता बरते जाने के संबंध में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन शिकायतों पर और धन का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) ऐसा कोई साक्षरता कार्यक्रम नहीं है। तथापि, 'प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों को सहयोग देने की योजना', के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों को राशि जारी की जाती है। गैर सरकारी संगठनों को राज्यवार जारी राशि संलग्न विवरण में देखी जा सकती है।

(घ) किसी भी गैर सरकारी संगठन के संबंध में पिछले 3 वर्षों के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

2000–2001 और 2001–2002 के दौरान स्वयंसेवी एजेंसियों को जारी धन की राज्यवार सूची

क्र.सं.	गैर सरकारी संगठनों के नाम	2000–2001	2001–2002
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश			
1.	ए. पी. ओपन स्कूल सोसाइटी–ओपन बेसिक एजुकेशन स्कीम, हैदराबाद	40,87,500	–
2.	नवोदय इंटीग्रेशन कल्चरल सोशल एजूकेशन एंड वालंटरी एक्शन, 3–92–31 टीचर कालोनी, ढोणे, कुर्नूल आंध्र प्रदेश	3,84,900	–

1	2	3	4
असम			
3.	ज्ञान विज्ञान समिति, असम, नौजन रोड, उजन बाजार, गुवाहाटी	4,52,400	–
4.	स्टेट रिसोर्स सेंटर, असम, माण्डवी अपार्टमेंटस, यूनिट सी एड डी, प्रथम तल, जी एन बी रोड, आमबारी, गुवाहाटी–781001	36,00,000	15,00,000
5.	सदाऊ असम ग्राम्य पुथीभरल सांधा, टेलियापट्टी चांदमारी पथ, पो. हैबरगांव पिन–782002	–	2,00,000
बिहार			
6.	ए. डी. आर. आई. अरबन स्लम प्रोजेक्ट, बोरिंग रोड, पटना	17,15,000	5,00,000
7.	ए. डी. आर. आई., बी. एस. आई. डी. सी. कालोनी, बोरिंग पाटलिपुत्र रोड, पटना	63,25,312	20,00,000
8.	एस. आर. सी. दीपायतन, बुद्ध कालोनी, पटना, बिहार–800001	38,55,696	20,00,000
9.	अदिति 2/30, स्टेट बैंक कालोनी–II, बेली रोड, पटना, बिहार–800014	–	80,000
दिल्ली			
10.	एस. आर. सी., जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया नगर, नई दिल्ली	36,10,000	15,00,000
11.	निरंतर, बी–64 सर्वोदय एंकलेव दूसरा तल, दिल्ली	3,89,880	–
12.	सेंटर फार इन्फारमेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन डी–332, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली	1,68,000	–
13.	वालन्टरी आर्गेनाइजेशन इन इन्टेरेस्ट आफ कन्जयूमर एजुकेशन (वायस), एफ–71, लाजपत नगर–II, नई दिल्ली–24	1,92,450	–
14.	मीडिया इनिशिएटिव फार सोशल कन्सर्न एस–18, ग्रेटर कैलाश–II, नई दिल्ली–48 (गृह पत्रिका, हिन्दी)	4,91,400	–
15.	मीडिया इनिशिएटिव फार सोशल कन्सर्न एस–18, ग्रेटर कैलाश–II, नई दिल्ली–48 (गृह पत्रिका, अंग्रेजी)	4,21,800	–
16.	सचिव, बी. जी. वी. एस., आर. के. पुरम, नई दिल्ली	59,88,500	–
17.	जागोरी, सी–54, टॉप फ्लोर साउथ एक्सटेंशन पार्ट–II, नई दिल्ली	3,89,880	2,00,000
18.	टैगोर एजुकेशन सोसाइटी, 24 रिंग रोड, जी. पी. लाजपत नगर, नई दिल्ली–110024	5,00,000	–
19.	साई डवलपमेंट कन्सल्टेन्सी सर्विस, आया नगर, दिल्ली	6,20,000	–
20.	ग्रामीण स्वाभिमान, कैम्प आफिस 5, तुगलक लेन, नई दिल्ली	10,00,000	–
21.	वूमेन एक्शन फॉर डेवलपमेंट, नई दिल्ली	4,85,049	
22.	एक्जीक्यूटिव डारेक्टर, दी ओएसिस सोसाइटी, बी–2/145, तीसरा तल, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली–29	–	2,95,000

1	2	3	4
23.	हिम्मत ग्रामीण युवा क्लब, 302, तीसरा तल, 16–ए, उदय पार्क नई दिल्ली–49	–	4,00,000
24.	इण्डियन एडल्ट एजुकेशन एसोशिएशन 17–बी आई. पी. एस्टेट नई दिल्ली–110002	–	1,63,500
25.	पटेल एजुकेशन सोसाइटी, दिल्ली विद्यालय साक्षरता परियोजना, द्वारा स्प्रिंग डेल्स स्कूल, धौला कुआं, नई दिल्ली	–	26,226
26.	प्रेसीडेन्ट (साक्षी) सेंटर फॉर इनफारमेशन एजुकेशन एंड कम्यूनिकेशन डी–332, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली–24	–	1,00,000
गुजरात			
27.	भारतीय प्रबंध संस्थान, वस्त्रपुर, अहमदाबाद–380015	7,25,000	–
28.	स्टेट रिसोर्स सेंटर फार एडल्ट एजूकेशन, गुजरात विद्यापीठ आश्रम रोड, अहमदाबाद– 380014 (गुजरात)	22,00,000	15,00,000
29.	एस. आर. सी. सर्च 42/29, चाणक्यपुरी, शीला सिनेमा के पीछे रोहतक, हरियाणा	23,27,081	15,00,000
30.	सेंटर फॉर इलेक्ट्रानिक्स डिजाइन एंड टेक्नालाजी आफ इंडिया, पो.बा. सं. 10 ए–34, इंडस्ट्रीयल एरिया फेज–VIII एस. ए. एस. नगर, मोहाली, चंडीगढ–160059	12,09,000	–
हिमाचल प्रदेश			
31.	स्टेट रिसोर्स सेंटर, राज्य ज्ञान विज्ञान केन्द्र, शिवालिक सदन, इंजन घर, सजौली, शिमला –171006 (हिमाचल प्रदेश)	25,49,587	15,00,000
जम्मू और कश्मीर			
32.	जे. एंड के. इंस्टीट्यूट आफ हैन्डीकैप्ड वेलफेयर एसोसिएशन धावा कालोनी पलौरा जम्मू–181121	23,40,000	10,00,000
33.	हिलाल इन्स्टीट्यूट, जम्मू और कश्मीर	5,00,000	–
34.	स्टेट रिसोर्स सेंटर, जम्मू और कश्मीर, कश्मीर विश्वविद्यालय 1/17, नसीम बाग कैम्पस, हजरतबल, श्रीनगर–190006 जम्मू और कश्मीर	13,00,000	15,00,000
35.	सोशल वेलफेयर आफ इण्डियन आरगेनाइजेशन, जम्मू और कश्मीर एच न. 143, विधाता नगर, नरवाल, जम्मू और कश्मीर	5,72,660	–
कर्नाटक			
36.	एस. आर. सी., मैसूर, के. एस. ए. ई. सी., ओल्ड एच. डी. कोटे रोड, मैसूर –570008	38,00,000	15,30,000

1	2	3	4
केरल			
37.	एस. आर. सी., केरल, टैगोर नगर, वेजूया कौड	31,00,000	15,00,000
मध्य प्रदेश			
38.	ग्राम भारती संस्थान, एम–54, दर्पण कालोनी, थातीपुर जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश	1,92,450	–
39.	एस. आर. सी. अभिव्यक्ति (भोपाल) ई–4/12, अरेरा कालोनी, भोपाल-462116	38,82,637	15,00,000
40.	एस. आर. सी. इन्दौर, भारतीय ग्रामीण महिला संघ, स्कीम नं. 71, सेक्टर–डी इन्दौर–452002	46,00,000	20,00,000
41.	एम. पी. ग्रामीण विकास मंडल, अंगेर भवन, मोती नगर, वार्ड नं. 32, बालाघाट–781001	–	8,55,500
महाराष्ट्र			
42.	स्टेट रिसोर्स सेंटर, पुणे, जे. पी. नायक पथ, 128/2 कोठरुड, पुणे–411029	40,73,303	20,00,000
43.	स्टेट रिसोर्स सेंटर, महाराष्ट्र स्टेट इंस्टीटयूट ऑफ एडलट एजुकेशन, स्टेशन रोड, औरंगाबाद–431005	34,97,243	15,00,000
मणिपुर			
44.	वांगजिंग वूमेन एंड गर्ल्स सोसायटी (डब्लयू डब्लयू ए जी एस) रूरल डवलपमेंट सर्विस वांगजिंग बाजार, वांगजिंग–795148	2,25,810	–
45.	मणिपुर अनुसूचित जाति कल्याण संघ, बाबूपारा, जिला इम्फाल, मणिपुर	35,393	–
मेघालय			
46.	स्टेट रिसोर्स सेंटर, उत्तर पूर्वीय विश्वविद्यालय, बिजनी काम्पलैक्स, लायतूमुखरा, शिलांग–793003 (मेघालय)	18,00,000	15,00,000
उड़ीसा			
47.	भारत ज्ञान विज्ञान समिति, उड़ीसा	57,750	–
48.	स्टेट रिसोर्स सेंटर उड़ीसा, जनशिक्षा भवन, यूनिट–5 भुवनेश्वर–751001	40,00,000	15,00,000
49.	यूथ एंड सोशल जस्टीस एंड नेशनल एक्शन (योजना), भुवनेश्वर, उड़ीसा	6,20,000	–
पंजाब			
50.	डायरेक्टर, आरआरसी, चंडीगढ़, पंजाब विश्वविद्यालय	39,93,321	15,00,000
राजस्थान			
51.	स्टेट रिसोर्स सेंटर, राजस्थान प्रौढ़ शिक्षा संघ, 7–ए झलाना डूंगरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर–302004	45,00,000	20,00,000

1	2	3	4
तमिलनाडु			
52.	स्टेट रिसोर्स सेंटर, चेन्नई, 20 प्रथमगली वेंकटरत्नम नगर एक्सटेंशन, अड्यार, चेन्नई–20	48,99,690	20,00,000
53.	कम्यूनिटी आरगेनाईजेशन एंड रूरल एनलाइटेनमेंठ (कोर), उलागारेचकरपुरम, थीरूवनमबला पुरम–627130, तिरूनेलवेली जिला तमिलनाडु	–	74,000
त्रिपुरा			
54.	स्टेट रिसोर्स सेंटर, भारत ज्ञान विज्ञान समिति, त्रिपुरा, ऑफिस लेन, अगरतला–799001	23,00,000	15,00,000
उत्तर प्रदेश			
55.	न्यू पब्लिक स्कूल समिति, 504/21 डी–कृष्णा भवन, टैगोर मार्ग, लखनऊ	5,13,500	–
56.	दारागंज ग्रामोद्योग विकास संस्थान, 109 टैगोर टाउन, इलाहाबाद	1,43,850	–
57.	अशोक संस्थान, कुंडेसर गाजीपुर, उत्तर प्रदेश	8,00,000	–
58.	महिला उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद	2,52,000	–
59.	सुमन तकनीकी संस्थान, जिला एटा, उत्तर प्रदेश	1,81,000	–
60.	स्टेट रिसोर्स सेंटर, लखनऊ साक्षरता भवन, पोस्ट मानस नगर कानपुर रोड	55,00,000	22,38,165
61.	पी एस यू फाउन्डेशन, लखनऊ	1,85,080	–
उत्तराचंल			
62.	आर. एल. ई. के. 68/1, सूर्य लोक कालोनी, राजपुर रोड, देहरादून	6,54,105	4,00,000
63.	पहल, गोला बैराज रोड काठगोदाम, नैनीताल–263126	3,12,900	1,40,000
64.	स्टेट रिसोर्स सेंटर, रूरल लिटिगेशन एंड एनटाइटलमेंट केन्द्र 68/1, सूर्यलोक राजपुर रोड	31,03,873	15,00,000
पश्चिम बंगाल			
65.	भारतीय प्रबंधन संस्थान कलकत्ता, जोका, डी. एम. रोड, पो.बा. सं. 16757, कलकत्ता–700027	1,25,000	–
66.	विश्व भारती विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल	7,50,000	–
67.	स्टेट रिसोर्स सेंटर फार एडल्ट एजुकेशन, पश्चिम बंगाल, 50, बेलियाघाटा मैन रोड, कोलकाता–700010	35,00,000	–
	कुल	11,00,00,000	4,12,02,391

[हिन्दी]

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना संबंधी अध्ययन

1438. प्रो. दुखा भगत : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष हैं;

(ग) क्या अध्ययन से पता चला है कि कुछ ग्राम पंचायतों ने योजना के तहत प्रदान की गई राशि का उपयोग नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

महिलाओं के खिलाफ अपराध

1439. श्री वरकला राधाकृष्णन :

डा. वी. सरोजा :

श्री चन्द्र भूषण सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध, विशेष तौर पर हत्या, बलात्कार दिनों दिन बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस संबंध में सरकार से कानून बनाए जाने के लिए और कार्य स्थलों पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए अनुरोध किया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) वर्ष 1997 से वर्ष 2000 तक देश में महिलाओं के साथ हुए अपराधों की संख्या के संबंध में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संकलित सांख्यिकीय आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) आयोग को दिए गए अधिदेश के अनुसार, उसने महिलाओं से संबंधित मौजूदा कानूनों की समीक्षा की है और नए कानून बनाने का प्रस्ताव रखा है।

(घ) सरकार महिलाओं के संबंध में कानूनी उपबंधों के कारगर कार्यान्वयन के द्वारा जिनमें मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना, राज्य सरकारों के साथ विचार–विमर्श करना और इन उपबंधों के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करना शामिल हैं, महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के निवारण हेतु अनेक उपाय कर रही है।

विवरण

वर्ष 1997 से वर्ष 2000 तक (उपलब्ध माह तक) महिलाओं के साथ किए गए अपराधों की घटनाएं

क्र.सं.	अपराध शीर्ष	वर्ष			
		1997	1998	1999	2000*
1	2	3	4	5	6
1.	बलात्कार	15330	15151	15468	14866
2.	अपहरण और भगाकर ले जाना	15617	16351	15962	15360
3.	दहेज मृत्यु	6006	6975	6699	6679
4.	उत्पीड़न	36592	41376	43823	38652
5.	छेडछाड़	30764	30959	32311	30227
6.	यौन–उत्पीड़न	5796	8054	8858	13261

1	2	3	4	5	6
7	लडकियों को बाहर से लाना	78	146	1	130
8.	सती निवारण अधिनियम	1	0	0	1
9.	अनैतिक पणन (निवारण) अधिनियम	8323	8695	9363	8228
10.	स्त्री अशिष्ट निरूपण (निषेध) अधिनियम, 1986	73	190	222	2574
11.	दहेज निषेध अधिनियम	2685	3578	3064	1786
	कुल	121265	131475	135771	131764

स्रोत : 1997-1999- भारत में अपराध

2000मासिक अपराध सांख्यिकी

* गुजरात, उडीसा, उत्तर प्रदेश और दादरा तथा नगर हवेली से कुछ महीनों के आंकडे उपलब्ध न होने के कारण वर्ष 2000के पूरे आंकडे उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए, वर्ष 1997-1999के आंकडों की वर्ष 2000के आंकडों से तुलना नहीं की जा सकती।

[हिन्दी]

शिक्षकों की भर्ती

1440. श्री राधा मोहन सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985–86 के सत्र के दौरान केन्द्रीय विद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती संबंधी आवेदनों की छंटनी के लिए अपनाए गए मूल्यांकन संबंधी मानदंडों का ग्रेडवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन मूल्यांकन मानदंडों को किस–किस तारीख को संशोधित किया गया और हर बार किए गए संशोधनों की अधिसूचना और उनका ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में अध्यापकों के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार हेतु आवेदकों की छंटनी मूल्यांकन मानदंड के आधार पर की जाती है। परंतु वर्ष 1999 से भर्ती प्रणाली में लिखित परीक्षा के पश्चात् साक्षात्कार आरंभ करके महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। पहले से चल रहा मूल्यांकन मानदंड अब प्रांसगिक नहीं है।

केन्द्रीय/नवोदय विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं

1441. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार मे किन–किन स्थानों पर केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय चल रहे हैं;

(ख) क्या इन सभी विद्यालयों में आवश्यक बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और वहां बुनियादी सुविधाएं कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) बिहार में जिन स्थानों पर केन्द्रीय विद्यालय तथा नवोदय विद्यालय चलाए जा रहे हैं उनके नाम सलंग्न विवरण में दिए गए हैं। उन स्थानों पर स्थित जिन विद्यालयों में शिक्षण कक्ष, फर्नीचर, पेयजल, शौचालय आदि बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है, वहां पर इनकी व्यवस्था करना तथा इनमें सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है। इन सभी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा इनमें सुधार करने हेतु संबंधित प्राधिकरणों/प्रायोजक एजेंसियों द्वारा सभी प्रयास किए जाते हैं।

विवरण

बिहार में उन स्थानों के नाम जहां केन्द्रीय/नवोदय विद्यालय कार्य कर रहे हैं

क्र.सं.	केन्द्रीय विद्यालय	नवोदय विद्यालय
1	2	3
1.	एवाम	अररिया
2.	अमझोर	औरंगाबाद
3.	बरौनी (2 स्कूल)	बांका
4.	बिहटा	बेगुसराय
5.	दानापुर कैंट	भभुआ

1	2	3
6.	दरभंगा	भागलपुर
7.	गडहरा	भोजपुर
8.	गया (2 स्कूल)	बक्सर
9.	जमालपुर	दरभंगा
10.	जवाहरनगर	मधुबनी
11.	कहलगांव	गया
12.	कटिहार	गोपालगंज
13.	खगड़िया	जमुई
14.	खगोल	जहानबाद
15.	किशनगंज	कटिहार
16.	लखीसराय	खगाड़िया
17.	मोकामाघाट	किशनगंज
18.	मुजफ्फरपुर	मधेपुरा
19.	पटना (2 स्कूल)	मोतीहारी
20.	पूसा–राऊ	मुंगेर
21.	सहरसा	मुजफ्फरपुर
22.	समस्तीपुर	नालंदा
23.	सोनपुर	नवादा
24.	–	पटना
25.	–	पुर्णिया
26.	–	सहरसा
27.	–	समस्तीपुर
28.	–	सारण
29.	–	शेखपुरा
30.	–	सीतामढ़ी
31.	–	सीवान
32.	–	सुपौल
33.	–	वैशाली
34.	–	पश्चिमी चम्पारन

सरकारी कार्यालयों में विनायक दामोदर सावरकर की मूर्ति

1442. श्री वाई. जी. महाजन : क्या **गृह** मंत्री 24 अप्रैल, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5522 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में सूचना एकत्र कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में उचित और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ङ) शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सरकारी कार्यालयों में विनायक दामोदर सावरकर की मूर्ति स्थापित करने के बारे में श्री वाई. जी. महाजन, संसद सदस्य से ही एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। इस प्रकार के सभी अनुरोधों की जांच के लिए शहरी विकास मंत्रालय द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा विचार किया जाना है।

ऐसे अनुरोधों पर अंतिम निर्णय लेने के लिए कोई विशिष्ट समय–सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

श्रमिक विद्यापीठ

1443. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिक विद्यापीठों द्वारा कोई प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान की दी जायेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) श्रमिक विद्यापीठ का नाम बदलकर अब जन शिक्षण संस्थान कर दिया गया है। 2001–2002 के दौरान जन शिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) अध्ययन के पश्चात उचित पाये गये प्रस्तावों को 2001–2002 के दौरान उपलब्ध रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए अनुमोदनार्थ विचार किया जायेगा।

विवरण

2001–2002 के दौरान जन शिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	27
2.	असम	01
3.	बिहार	07
4.	छत्तीसगढ़	01
5.	गुजरात	04
6.	हरियाणा	10
7.	हिमाचल प्रदेश	04
8.	जम्मू और कश्मीर	03
9.	झारखंड	01
10.	कर्नाटक	09
11.	केरल	03
12.	मध्य प्रदेश	07
13.	महाराष्ट्र	21
14.	मणिपुर	03
15.	मेघालय	01
16.	नागालैंड	01
17.	उड़ीसा	38
18.	पंजाब	04
19.	राजस्थान	01
20.	तमिलनाडु	11
21.	त्रिपुरा	01
22.	उत्तर प्रदेश	64
23.	उत्तरांचल	03
24.	पश्चिम बंगाल	05
	कुल	230

साक्षरता परियोजनाएं

1444. श्री जी. जे. जावीया : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान साक्षरता परियोजनाओं के लिए स्वयंसेवी एजेंसियों को एजेंसीवार कितनी धनराशि प्रदान की गयी;

(ख) क्या इन एजेंसियों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की गयी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ये एजेंसियां निरक्षरता समाप्त करने के नाम पर धन ऐंठ रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो इन एजेंसियों द्वारा निरक्षरता समाप्त करने में कितनी सफलता प्राप्त की गई है; और

(च) धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान स्वैच्छिक एजेंसियों को दी गई राशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) इन एजेंसियों के कार्य निष्पादन की समीक्षा तिमाही प्रगति रिपोर्टों, गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्टों के माध्यम से की जाती हैं। गैर सरकारी संगठनों के लेखाओं की लेखा परीक्षा सनदी लेखापाल द्वारा की जाती है और

उसकी महालेखाकार द्वारा संवीक्षा की जा सकती है। सरकार द्वारा नियुक्त बाह्य एजेंसियों द्वारा समवर्ती और बाह्य मूल्यांकन किया जाता है।

(घ) पिछले 3 वर्षों के दौरान ऐसा कोई भी मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ड) गैर सरकारी संगठनों सहित सभी क्षेत्रों के समवेत प्रभाव से, राष्ट्रीय साक्षरता दर में 13.17 प्रतिशत बिन्दुओं की वृद्धि दर्ज की गई है अर्थात् वर्ष 1991 में 52.21 प्रतिशत की तुलना में 2001 में यह दर 65.38 प्रतिशत हो गई है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही स्वैच्छिक एजेंसियों की सूची

क्र.सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम और पता	वर्षों के दौरान अनुदान/वित्तीय सहायता (रु. में) की राशि		
		1998–99	1999–2000	2000–2001
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश				
1.	एस.आर.सी. आंध्र महिला सभा कालेज परिसर, हैदराबाद–7	34,19,806	35,70,262	–
2.	ए. पी. ओपन स्कूल सोसाइटी, सैफाबाद एस.सी.ई.आर.टी. परिसर, हैदराबाद–2	–	1,19,09,129	40,87,500
3.	नवोदय इंटीग्रेशन कल्चरल सोशल एजूकेशन एंड वालंटरी एक्शन, 3–92–31 टीचर कालोनी ढोणे, कुर्नूल आंध्र प्रदेश	–	–	3,84,900
असम				
4.	एस. आर. सी. ज्ञान विज्ञान समिति, उज्जैन बाजार, गुवाहाटी	23,65,264	20,91,620	36,00,000
5.	ज्ञान विज्ञान समिति, असम, गुवाहाटी	–	69,92,000	4,52,400
6.	जलुगुटी अग्रगामी महिला समिति मोरीगांव, असम	–	2,00,000	–
बिहार				
7.	एस. आर सी. (ए.डी.आर.आई.) बी.एस.आई.डी.सी. कालोनी, पटना	41,33,801	38,00,000	63,25,312
8.	एस. आर. सी. दीपायतन, बुद्ध कालोनी, पटना	39,60,677	35,62,531	38,55,696
9.	ए.डी.आर. आई. अर्बन स्लम प्रोजेक्ट बोरिंग रोड, पटना	–	–	17,15,000
दिल्ली				
10.	एस. आर. सी. जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	23,18,519	30,00,000	36,10,000
11.	पटेल शिक्षा सोसाइटी, धौला कुआं, नई दिल्ली	2,50,000	1,52,300	–
12.	भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ, नई दिल्ली	1,10,541	11,81,642	–

1	2	3	4	5
13.	सदभावना न्यास, निरतर बी–64, सदभावना एंकलेव, दूसरा तल, दिल्ली	–	–	3,89,880
14.	जागौरी, साऊथ एक्सटेंशन–II, नई दिल्ली	2,07,955	–	3,89,880
15.	एन.आई.ए.ई., नई दिल्ली	33,675	–	–
16.	एन. बी. टी., नई दिल्ली	–	52,098	–
17.	उत्तर रेलवे भारत और स्काउट और गाईड, नई दिल्ली	–	50,000	–
18.	हिम्मत ग्रामीण युवा क्लब, नई दिल्ली	–	5,50,000	–
19.	गुरू तेग बहादुर, तीसरा तल, सेंट पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली	–	6,60,000	–
20.	टैगोर एजुकेशन सोसाइटी, नई दिल्ली	–	6,30,000	5,00,000
21.	लक्ष्मण पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली	–	5,44,000	–
22.	सेंटर फार इन्फारमेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, डी–332, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली	–	–	1,68,000
23.	वालन्टरी आरगेनाइजेशन इन इन्टेरेस्ट आफ कन्ज्यूमर एजुकेशन (वायस) एफ–71, लाजपत नगर–II, नई दिल्ली–24	–	–	1,92,450
24.	मीडिया इंस्टीट्यूट फार सोशल कन्सर्न, एस–18, ग्रेटर कैलाश–II, नई दिल्ली–48 (गृह पत्रिका, हिन्दी)	–	–	4,91,400
25.	मीडिया इंस्टीट्यूट फार सोशल कन्सर्न, एस–18, ग्रेटर कैलाश–II, नई दिल्ली–48 (गृह पत्रिका, अंग्रेजी)	–	–	4,21,800
26.	सचिव, बी. जी. वी. एस., आर के पुरम, नई दिल्ली	–	–	59,88,500
27.	साई डेवलपमेंट कन्सल्टेन्सी सर्विस, आया नगर, दिल्ली	–	–	6,20,000
28.	ग्रामीण स्वाभिमान, कैम्प आफिस 5, तुगलक लेन, नई दिल्ली	–	–	10,00,000
29.	वीमेन एक्शन फॉर डेवलपमेंट, नई दिल्ली	–	–	4,85,049
गुजरात				
30.	स्टेट रिसोर्स सेंटर फार एडल्ट एजूकेशन, गुजरात विद्यापीठ, आश्रम रोड, अहमदाबाद	19,71,001	18,57,856	22,00,000
31.	भारतीय प्रबंध संस्थान वस्त्रपुर, अहमदाबाद–380015	1,25,000	10,25,000	7,25,000
32.	श्रीमती बी.के. बाल जोशी शिक्षा न्यास, मेहसाना	88,700	–	–
हरियाणा				
33.	एस. आर. सी. सर्च, चाणक्यपुरी, रोहतक	9,58,327	9,96,600	23,27,081

1	2	3	4	5
34.	सेंटर फार इलेक्ट्रानिक्स डिजाइन एंड टेक्नालाजी आफ इंडिया, पो.बा. सं. 10 ए–35, इंडस्ट्रीयल एरिया फेज–VIII एस. ए. एस. नगर, मोहाली, चंडीगढ	–	–	12,09,000
	हिमाचल प्रदेश			
35.	स्टेट रिसोर्स सेंटर, राज्य ज्ञान विज्ञान केन्द्र, शिमला	9,57,188	10,00,000	25,49,587
	जम्मू और कश्मीर			
36.	स्टेट रिसोर्स सेंटर, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर	18,14,434	25,00,000	13,00,000
37.	जे. एंड के. इंस्टीटयूट आफ हैन्डीकैप्ड वेलफेयर एसोसिएशन तहसील रामनगर, उधमपुर	–	19,00,000	23,40,000
38.	हिलाल इन्स्टीट्यूट अनंतनाग, कश्मीर	–	6,25,000	5,00,000
39.	सोशल वेलफेयर आफ इण्डियन आरगेनाइजेशन जम्मू और कश्मीर एच न. 143, विधाता नगर, नरवाल, जम्मू और कश्मीर	–	–	5,72,660
	कर्नाटक			
40.	एस. आर. सी., मैसूर, के. एस. ए. ई. सी., ओल्ड एच. डी. कोटे रोड, मैसूर–570008	24,31,368	24,99,893	38,00,000
	केरल			
41.	एस. आर. सी., टैगोर नगर, तिरूवन्नतपुरम	34,33,691	24,58,581	31,00,000
	मध्य प्रदेश			
42.	एस. आर. सी. अभिव्यक्ति जन शिक्षा एवं संस्कृति समिति, भोपाल	29,61,077	20,50,000	38,82,637
43.	एस. आर. सी., भारतीय ग्रामीण महिला संघ, इन्दौर	30,10,000	35,92,641	46,00,000
44.	ग्राम भारती संस्थान, एम–54, दर्पण कालोनी, थातीपुर जिला ग्वालियर	–	–	1,92,450
	महाराष्ट्र			
45.	आर. आर. सी. महाराष्ट्र राज्य प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, औरंगाबाद	48,13,358	22,69,091	34,97,243
46.	एस.आर.सी., भारतीय शिक्षा संस्थान, पुणे	36,23,750	18,00,000	40,73,303
47.	टाटा, सामाजिक विज्ञान संस्थान, बम्बई	752	–	–
	मेघालय			
48.	एस. आर. सी. उत्तर–पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग	16,00,000	12,50,000	18,00,000

1	2	3	4	5
मणिपुर				
49.	वाजिंग महिला एंड गर्ल्स सोसायटी, मणिपुर	7,52,500	7,00,000	2,25,810
50.	ग्रामीण विकास सोसाइटी वांजिग बाजार, मणिपुर	2,12,900	10,66,130	–
51.	मणिपुर अनुसूचित जाति कल्याण संघ, बाबूपुरा, जिला इम्फाल, मणिपुर	–	–	35,393
उड़ीसा				
52.	प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केन्द्र, भुवनेश्वर	24,00,000	19,00,000	40,00,000
53.	बी.जी.वी.एस. उड़ीसा, भुवनेश्वर	–	–	57,750
54.	युवा और सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय कार्य (योजना) भुवनेश्वर उड़ीसा	–	–	6,20,000
पंजाब				
55.	प्रौढ और सतत् शिक्षा के लिए आर. आर. आर. सी. पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	21,07,646	12,50,000	39,93,321
राजस्थान				
56.	स्टेट रिसोर्स सेंटर, राजस्थान प्रौढ़ शिक्षा संघ, जयपुर	31,68,872	35,90,122	45,00,000
तमिलनाडु				
57.	स्टेट रिसोर्स सेंटर, तमिलनाडु सतत् शिक्षा बोर्ड, चेन्नई	38,63,397	35,73,108	48,99,690
त्रिपुरा				
58.	एस. आर. सी. बी. जीवीएस मेलारमथ, अगरतला, पश्चिमी त्रिपुरा	6,32,000	12,63,400	23,00,000
उत्तर प्रदेश				
59.	ग्रामीण विकास समिति, इलाहाबाद	–	1,74,440	–
60.	गिरी विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ	1,25,000	–	–
61.	ग्रामीण समाज कल्याण समिति, सहारनपुर	9,942	–	–
62.	स्टेट रिसोर्स सेंटर, साक्षरता भवन, लखनऊ	40,29,661	36,00,000	55,00,000
63.	एस.आर.सी. शिक्षा प्रसार विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, इलाहाबाद	3,82,500	5,00,000	–
64.	श्री रामशरण स्मारक सेवा संस्थान, बदायूं	29,725	–	–
65.	सुमन तकनीकी संस्थान, जिला एटा, उत्तर प्रदेश	–	1,81,000	1,81,000
66.	अशोक संस्थान, गाजीपुर जिला	44,175	10,81,500	8,00,000

1	2	3	4	5
67.	महिला उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद	–	2,93,497	2,52,000
68.	ग्रामीण सेवा मंडल, सराय मंसूर, इलाहाबाद	85,424	23,856	–
69.	देवी ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, कहल कबीरा, जिला नैनीताल	41,648	–	–
70.	समाज उत्थान एवं अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद	–	31,146	–
71.	कनकपुर ग्राम विकास सेवा संस्थान, जिला इलाहाबाद	–	1,93,060	–
72.	न्यू पब्लिक स्कूल समिति, लखनऊ	–	–	5,13,500
73.	निशात शिक्षा समिति, हल्द्वानी नैनीताल	84,588	–	–
74.	दारागंज ग्रामोद्योग विकास संस्थान, इलाहाबाद	–	66,058	1,43,850
75.	संजय अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद	1,24,587	–	–
76.	गन्तव्य हिमादरी ब्रेचटियन मिरर, नोएडा	1,47,200	1,47,200	–
77.	भारतीय सेवा शिक्षा संस्थान, बडौत, इलाहाबाद	2,23,984	–	–
78.	मदर टेरेसा मार्डन चिल्ड्रन स्कूल, वाराणसी	–	28,183	–
79.	अभियान लाधू टोहोक, बांदा	–	7,451	–
80.	पी एस यू संघ, लखनऊ	–	2,64,400	1,85,080
81.	महिला विद्या प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद	1,69,120	–	–
उत्तराचंल				
82.	रूरल लिटिगेशन एंड इंटाटिलमेन्ट केन्द्र, देहरादून	73,500	6,93,205	6,54,105
83.	एस.आर.सी., देहरादून	–	5,00,000	31,03,873
84.	पहल, गोला बैराज रोड काठगोदाम, नैनीताल	–	–	3,12,900
पश्चिम बंगाल				
85.	प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केन्द्र, कलकत्ता	32,10,792	36,00,000	35,00,000
86.	भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता	–	1,25,000	1,25,000
87.	विश्व भारती विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल	–	–	7,50,000
88.	बंगाल, समाज सेवा लीग, कलकत्ता	–	3,77,000	–
	कुल	6,65,18,145	9,00,00,000	11,00,00,000

ग्रामीण विकास योजनाओं संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन

1445. श्री नरेश पुगलिया : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 2001 में हैदराबाद में देश के गरीबी उपशमन कार्यक्रम तथा रोजगार सृजन कार्यक्रम और स्वर्णजंयती ग्राम स्वरोजगार योजना की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के नाम क्या हैं;

(घ) इसमें योजनावार किन विषयों पर चर्चा की गयी और योजनावार इनका क्या परिणाम निकला है; और

(ङ) सरकार ने इन निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाये ?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद में दिनांक 23–24 जून, 2001 को देश में स्व–सहायता समूह आन्दोलन और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री चन्द्रबाबू नायडू, मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री दिग्विजय सिंह, महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री श्री विलास राव देशमुख, त्रिपुरा के मुख्य मंत्री श्री मानिक सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री राजनाथ सिंह के अलावा अन्य जिन लोगों ने सम्मेलन में भाग लिया वे थे – संघ के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, राज्यों के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, उप राज्यपाल, गैर सरकारी संगठन, ग्रामीण विकास से संबंधित वरिष्ठ अधिकारी और क्षेत्र स्तरीय कार्यकर्त्ता, महानिदेशक, रा. ग्रा. वि. संस्थान, महानिदेशक, लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कपार्ट), भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गर्वनर, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के अध्यक्ष, अन्य बैंक और स्व सहायता समूह के नेतागण और सदस्य।

सम्मेलन के प्रधान लक्ष्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन संबंधी फीडबैक को प्राप्त करना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से संबंधित सभी सहभागियों को जानकारी देना और इसके बेहतर कार्यान्वयन के लिए कार्यनीति बनाना था।

सरकार द्वारा सम्मेलन की सिफारिशों की जांच की जा रही हैं।

[हिन्दी]

कोयले की रॉयल्टी-दर

1446. श्री ताराचंद भगोरा : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले की रॉयल्टी–दर की समीक्षा/इसमें संशोधन कब से नहीं किया गया है;

(ख) इसके कारण राज्य सरकारों को राज्यवार कितना नुकसान हुआ है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए कोई प्रबंध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) कोयले की रायल्टी दरें पिछली बार 11.10.1994 को संशोधित की गयी थीं।

(ख) और (ग) रायल्टी की देय राशि का भुगतान संबंधित राज्यों को किया जा रहा है। अतः किसी राज्य सरकार को कोई हानि नहीं होती है।

(घ) उपर्युक्त (ख) और (ग) भाग में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

पनधारा कार्यक्रम के अंतर्गत इकाई-लागत में वृद्धि

1447. श्री वाई. वी. राय : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को पनधारा कार्यक्रम के अंतर्गत इकाई–लागत में वृद्धि करने के आशय के कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ग) जी, हां। वाटरशेड विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इकाई लागत में वृद्धि करने के संबंध में कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं। लागत मानदंड को मौजूदा लागत मानदंड से बढ़ाकर 6000/– रुपये प्रति हैक्टेयर करने के बारे में विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालय

1448. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा मौजूदा केन्द्रीय विद्यालयों में सीटों की संख्या में वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं

1449. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार से सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि को रोकने हेतु योजना तैयार करने के लिए कहा था और इसके लिए अगस्त, 1998 तक तीन माह का समय भी दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

नवोदय विद्यालय समिति द्वारा पेंशन लाभ देना

1450. श्री राजैया मल्याला : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवोदय विद्यालय समिति ने अपने सेवारत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद केन्द्रीय विद्यालय संगठन में सेवारत कर्मचारियों की तरह ही पेंशन लाभ देना आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कब से आरंभ किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस सुविधा को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मामला अभी केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के दिल्ली बेंच के समक्ष निर्णयाधीन है।

निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा

1451. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

श्री सुशील कुमार शिंदे :

श्रीमती रेणूका चौधरी :

श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संसद में 83वां संविधान संशोधन विधेयक लाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के प्रमुख कारण क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने संबंधी अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने हेतु संविधान (83वां संशोधन) विधेयक, 1997, 28 जुलाई, 1997 को राज्य सभा में पेश किया गया।

संसदीय स्थायी समिति की जांच तथा भारत के विधि आयोग की 165वीं रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के प्राप्त होने के पश्चात् केन्द्रीय मंत्रिमंडल के विचारार्थ एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंत्रियों के एक समूह के पास भेजा है, जहां यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

विदेशों में स्कूलों में अध्यापकों की तैनाती

1452. श्री राजैया मल्याला : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने विदेशों में खोले जाने वाली प्रस्तावित स्कूलों में तैनाती हेतु चयन करने के लिए अपने अध्यापकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या चयन कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) विदेशो में किन स्थानों पर ये विद्यालय खोले जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) विदेशों में केन्द्रीय विद्यालय खोलने संबंधी प्रस्ताव को अभी तक मूर्तरूप नहीं दिया गया है। इस उद्देश्य हेतु शिक्षकों का चयन समय रहते ही कर लिया गया था ताकि अल्प सूचना पर उन्हें भेजा जा सके।

भारतीय बच्चों में कुपोषण

1453. श्री सुशील कुमार शिंदे :

श्रीमती रेणूका चौधरी :

श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम से कम 53 प्रतिशत बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं;

(ख) कुपोषण के विभिन्न मापदंडों की स्थिति के अनुसार वजन, आयु के अनुसार कद और कद के अनुसार वजन में कुपोषित बच्चों का प्रतिशत कितना है;

(ग) संख्या और प्रतिशत के संबंध में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुपोषण को समाप्त तथा कम करने के लिए क्या लक्ष्य हैं और दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तावित और अनुमानित लक्ष्य क्या हैं, और

(घ) पाकिस्तान और बांग्लादेश की तुलना में भारत में कुपोषित बच्चों की वर्तमान स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं। 53 प्रतिशत भारतीय बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित नहीं हैं।

(ख) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–2 (1998–99) के अनुसार 0–3 वर्ष के आयु वर्ग के कुपोषित बच्चों का प्रतिशत, विभिन्न मापदंडों की दृष्टि से निम्नानुसार हैं :

	–2 एस.डी से कम प्रतिशत (अल्प व गंभीर)	–3 एस.डी. से कम प्रतिशत (गंभीर)
आयु के अनुसार वजन	47.0 प्रतिशत	18.0 प्रतिशत
आयु के अनुसार कद	45.5 प्रतिशत	23.0 प्रतिशत
कद के अनुसार वजन	15.5 प्रतिशत	2.8 प्रतिशत

(ग) पोषण क्षेत्र के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य निम्नलिखित हैं :–

(i) खाद्य उत्पादन में वृद्धि करके, वितरण प्रणाली को कारगर बनाकर, लोगों की क्रय शक्ति में सुधार करके भूख से निजात दिलाना;

(ii) आई.सी.डी.एस. के सर्व–सुलभीकरण, जोखिम समूहों के अभिनिर्धारण, वृद्धि मॉनीटरिंग, समुचित लक्ष्य निर्धारण, बारीकी से मॉनीटरिंग तथा कारगर अंतर–क्षेत्रीय समन्वयन के माध्यम से अल्प पोषण व स्वास्थ्य पर पडने वाले उसके दुप्रभावों में कमी लाना;

(iii) अल्प–पोषक तत्वों की कमियों और उनसे होने वाली बीमारियों की रोकथाम, उनका शीघ्र पता लगाना तथा प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करना;

दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों की सिफारिश करने का प्रस्ताव है:–

– स्कूल, पूर्व बच्चों में गंभीर (ग्रेड–III एवं ग्रेड–IV) कुपोषण को वर्ष 2005 तक पूर्ण रूप से समाप्त करना।

– स्कूल पूर्व बच्चों में ग्रेड–I व ग्रेड–II कुपोषण को वर्ष 2007 तक समाप्त करना।

– महिलाओं एवं बच्चों में रक्ताल्पता के मामले को वर्ष 2007 तक घटाकर आधा कर देना।

(घ) पाकिस्तान और बांग्लादेश की तुलना में भारतीय बच्चों में कुपोषण का ब्यौरा निम्नानुसार है:

	आयु के अनुसार वजन (कम वजनी) प्रतिशत	आयु के अनुसार कद (अवरुद्ध) प्रतिशत	कद के अनुसार वजन (दुर्बलता) प्रतिशत
* भारत	47	45.5	15.5
** पाकिस्तान	26	23	11
** बांग्लादेश	56	55	18

स्रोत :

* 0–3 वर्ष के बच्चों के संबंध में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–2 (1998–99)

** 0.5 वर्ष के बच्चों के लिए वर्ष 1995-2000 के दौरान 'दि स्टेट आफ दि यल्डर्स चिल्ड्रन, 2001'। निश्चित वर्ष के बारे में जानकारी नहीं है।

किशोरी शक्ति योजना

1454. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने किशोरी शक्ति योजना का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने किशोरी शक्ति योजना लागू की है;

(घ) यदि नहीं, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस योजना के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी निधियां जारी की गईं; और

(च) सरकार द्वारा सभी राज्यों में इस योजना को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) किशोरी शक्ति योजना का अनुमोदन वर्ष 2000 में किया गया और इस योजना को आई. सी. डी. एस. स्कीम के अंतर्गत आने वाले 2000 विकास खंडों में स्वीकृति प्रदान की गई। यह स्कीम राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन के अलग–अलग चरणों में हैं।

(ङ) चालू वित्त वर्ष के दौरान पहली किस्त के रूप में 1.10 लाख रुपये प्रति परियोजना की दर से 30 प्रतिशत राशि निर्मुक्त की जा चुकी है। राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) स्कीम के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सरकारों को विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गए हैं।

विवरण

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं	वर्ष 2001–02 के दौरान प्रथम किस्त के रूप में निर्मुक्त राशि (कुल वार्षिक पात्रता का 30 प्रतिशत)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	63	20.79
2.	अरुणाचल प्रदेश	21	6.93
3.	असम	62	20.46
4.	बिहार	159	52.47
5.	गोवा	1	0.33
6.	गुजरात	40	13.2
7.	हरियाणा	85	28.05
8.	हिमाचल प्रदेश	15	4.95
9.	जम्मू व कश्मीर	2	0.66
10.	कर्नाटक	38	12.54
11.	केरल	13	4.29
12.	मध्य प्रदेश	234	77.22
13.	महाराष्ट्र	98	32.34
14.	मणिपुर	14	4.62
15.	मेघालय	23	7.59
16.	मिजोरम	22	7.26
17.	नागालैंड	41	13.53
18.	उड़ीसा	112	36.96
19.	पंजाब	47	15.51
20.	राजस्थान	165	54.45
21.	सिक्किम	1	0.33
22.	तमिलनाडु	37	12.21
23.	त्रिपुरा	16	5.28
24.	उत्तर प्रदेश	423	139.59
25.	पश्चिम बंगाल	57	18.81
26.	छत्तीसगढ़	96	31.68
27.	झारखंड	66	21.78
28.	उत्तरांचल	40	13.2

1	2	3	4
	संघ राज्य क्षेत्र		
1.	दिल्ली	3	0.99
2.	पांडिचेरी	1	0.33
3.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1	0.33
4.	चंडीगढ	1	0.33
5.	दादरा एवं नगर हवेली	1	0.33
16.	दमन एवं दीव	1	0.33
7.	लक्षद्वीप	1	0.33
	कुल	2000	660.00

सरकारी क्षेत्र के कोयला उपक्रमों में मितव्ययता उपाय

1455. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कोयला उत्पादन में लगे सरकारी उपक्रमों को अपनी मूल स्थिति सुधारने और निरर्थक खर्चों को रोकने के लिए नए मितव्ययता उपायों को अपनाने हेतु निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी क्षेत्र के कोयला उपक्रमों में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) सरकारी क्षेत्र के कोयला उपक्रमों के कार्य निष्पादन में किस सीमा तक सुधार किया गया है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) दिनांक 22.11.2000 को कोयला मंत्रालय द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड, नेयवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड और सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड को व्यय प्रबंधन सादगी के उपायों पर दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। 20 प्रतिशत की इक्विटी अथवा कर पश्चात लाभ का 20 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो उस पर न्यूनतम लाभांश की घोषणा करना सरकार को बोनस जारी करना, सेवा लागत की वसूली करना, समय और लागत आधिक्य का निवारण करना, जनशक्ति युक्तिसंगत बनाना, गैर योजना व्यय में अनिवार्य रूप से कटौती करना, गाडियों के प्रयोग में किफायत करना और गाड़ियों की खरीद पर प्रतिबंध लगाना, पदों में 10 प्रतिशत की कटौती करना इत्यादि दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषतायें हैं।

(ग) कोयला कम्पनियों के सतर्कता विभाग निवारक सतर्कता हेतु संयुक्त प्रयास करते हैं, भ्रष्टाचार गतिविधि प्रवण क्षेत्रों में अचानक छापा मारकर ऐसा किया जाता है। जब कभी भी कार्य–पद्धति में दोष अथवा कमी पायी जाती है जिसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश हो, उसके निवारण तत्काल हेतु कदम उठाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, कोयला कम्पनियों द्वारा अधिकारियों तथा कर्मचारियों का संवेदनशील विभाग से नियमित अंतराल से स्थानांतरण किया जाता है।

(घ) कम्पनी का कार्य निष्पादन विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड कोयला उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की है :

वर्ष	उत्पादन (मिलियन टनों में)
1998–99	256.48
1999–2000	260.58
2000–2001	268. 26 (अनंतिम)
2001–2002	279.00 (लक्ष्य)

पिछले तीन वर्षों में कोल इंडिया लिमिटेड में श्रमशक्ति में भी उल्लेखनीय कमी आई है।

दिनांक	कर्मचारियों की संख्या
1.4.1999	586882
1.4.2000	562071
1.4.2001	542051

एस. सी. सी. एल. ने प्ले डे/सवेतन अवकाश दिवस तथा समयोपति भत्ते में कटौती करके 27 करोड़ रुपये की बचत की है।

ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा

1456. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वविद्यालय शिक्षा की पहुंच लोगों तक बढ़ाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों द्वारा "काम्पेक्ट अथवा गांधीयन यूनिवर्सिटी" के आदर्श विचार और धारणा का अध्ययन करने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति गठित की गई है;

(ख) इस समिति का गठन और विचारार्थ विषयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए क्या समय–सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) इस विचारधारा के प्रवर्तकों के साथ चर्चा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ऐसी कोई विशेषज्ञ समिति गठित नहीं की गई है। तथापि, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों के लिए अनेक अध्ययन केंद्र खोले गए हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली में अवैध निर्माण

1457. श्री राधा मोहन सिंह : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री 17 अप्रैल, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4412 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त सूचना कब तक एकत्रित कर लिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोयला क्षेत्र संबंधी रिपोर्ट

1458. श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला क्षेत्र में सुधार संबंधी रिपोर्ट की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रमुख सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (ग) कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने भारत में कोयला उद्योग के नियामक ढांचे की समीक्षा के लिए टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट (टी.ई.आर.आई.) इंडिया और मेसर्स इंटरनेशनल माइनिंग कन्सल्टेन्ट्स लिमिटेड (आई.एम.सी.एल.) यू.के. को संयुक्त रूप में परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्त किया था। परामर्शदाताओं ने अपनी रिपोर्ट इस मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट में नियामक ढांचे में व्यापक सुधारों की सिफारिश की गई है जो खनन अधिकारों /भू–तल अधिकारों, पूर्वेक्षण/खनन कार्यों, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, वित्तीय एवं राजस्व संबंधी मामलों, पर्यावरणीय मुद्दों पुनर्स्थापन और पुनर्वास, विपणन इत्यादि जैसे मामलों को संचालित करती है। मुख्य सिफारिशों में अन्य विषयों सहित ये शामिल हैं –

(i) निजी क्षेत्र की भागीदारी भूमि को अधिग्रहण तथा पूर्वेक्षण एवं खनन लाइसेंस प्रदान करने, निजी क्षेत्र को अपने परिचालनों आदि में मितव्ययता लाने के लिए उन्हें बड़े कोयला ब्लाक प्रस्तुत करने हेतु कानून बनाना।

(ii) अन्य बातों के साथ–साथ निजी क्षेत्र की व्यापक सहभागिता होने तक निजी क्षेत्र की कम्पनियों के लिए सीमित अवधि के लिए भूमि अधिकारों के अधिग्रहण संबंधी व्यवस्था हेतु कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण) अधिनियम में संशोधन करना।

(iii) दीर्घावधि ऊर्जा नीति बनाना जिसमें ऊर्जा के सभी रूपों और सम्बन्धित प्रौद्योगिकी पर विचार किया जाए।

(iv) सीधे विदेशी निवेश को स्वीकृत करने के लिए खनन अधिकारों हेतु पात्रता से संबंधित वर्तमान प्रतिबंधों को दूर करना।

(v) कोयला क्षेत्र में ठेके पर श्रम के उपयोग पर लगे वैधानिक या संविदात्मक, दोनों प्रकार के प्रतिबंधों को समाप्त करना।

(vi) पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी प्रक्रिया में राज्य द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना।

(vii) किसी परियोजना से प्रभावित लोगों के पुनर्स्थापन के लिए एक आधार की व्यवस्था करने हेतु एक राष्ट्रीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति पर विचार करना।

(viii) कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000 को समाप्त करना।

(ix) पूर्ण रूप से उदार कोयला क्षेत्र संबंधी कार्रवाई के दौरान सरकार की सहायता के लिए एक स्वतंत्र नियामक निकाय स्थापित करना और

(x) सी. एम. पी. डी. आई. एल. से व्यावसायिक स्टाफ लेकर कोयला क्षेत्र को संचालित करने के लिए तकनीकी क्षमता को और सुदृढ करने के लिए एक नई इकाई का सृजन करना।

रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

भू-संसाधन प्रबंधन नीति

1459. श्रीमती कान्ति सिंह :

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भू–संसाधन प्रबंधन नीति को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रमुख विशेषताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) नीति को कब तक घोषित कर दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या राज्य सरकारों से इस संबंध में विचार–विमर्श किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (च) भू–संसाधन प्रबंधन नीति राज्य सरकारों तथा कुछेक अन्य संगठनों के साथ परामर्श से भूमि संसाधन विभाग में तैयार की जा रही है। इसमें अन्य बातों के साथ–साथ सक्रिय संरक्षण, सतत सम्पोषणीय विकास और सरकार के प्रयासों से होने वालों लाभों के समान रूप से वितरण को इसके मुख्य उद्देश्यों के रूप में शामिल करना परिकल्पित है।

[हिन्दी]

सिंगरेनी कोयला खदान में विस्फोट

1460. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंगरेनी कोयला खान में हाल में हुये विस्फोटों के क्या कारण हैं;

(ख) इस विस्फोट में कितने लोग मारे गये और कितना नुकसान हुआ;

(ग) क्या विस्फोट के कारणों का पता लगाने हेतु कोई जांच कराई गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) एस. सी. सी. एल. के प्रबंधन द्वारा यह रिपोर्ट दी गई है कि हाल में सिंगरेनी कोयले की खान में कोई विस्फोट नहीं हुआ था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

दिल्ली में प्रदूषणकारी इकाइयों का प्रचालन

1461. श्री राधा मोहन सिंह : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री दिनांक 17 अप्रैल, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4420 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसके कब तक एकत्रित कर लिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (घ) जी, नहीं। दिल्ली सरकार से उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार हाल ही में बंद की गई प्रदूषणकारी इकाईयों का औचक निरीक्षण करने तथा तत्काल सर्वेक्षण करवाने का अनुरोध किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उनमें से कुछ अभी भी चल रही हैं। उपर्युक्त अभी प्रतीक्षित है।

ग्रामीण विकास नियोजन में पंचायतों/ग्राम सभाओं की सहभागिता

1462. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्राम सभाओं की सक्रिय सहभागिता के द्वारा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के नियोजन और क्रियान्वयन में लोगों को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का ग्राम सभाओं/पचायतों की सूचना और उनके द्वारा लिये गये फैसलों को किस तरीके से एकत्रित करने और बनाये रखने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या प्रायोगिक परियोजना आधार पर इस प्रकृति की कोई कार्रवाई की गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) और (ख) जी हां। ग्राम सभा से अपेक्षा है कि वे उनकी आवश्यकता के अनुसार विकास कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करें तथा ग्राम पंचायत की वार्षिक योजना भी अनुमोदित करें। भारत सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदेश जारी किए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि ग्राम पंचायत द्वारा शुरू किए गए कार्यों की प्रगति की ग्राम सभा में चर्चा की जाए तथा ग्राम सभा द्वारा इन कार्यों की सामाजिक लेखा परीक्षा की जाए।

(ग) पंचायती राज राज्य का विषय होने के नाते यह उचित नहीं है कि केन्द्र सरकार के पास इस तरह की सूचना को एकत्र करने और रखने का कोई तंत्र हो।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिये कोष आबंटन

1463. **श्री पी. डी. एलानगोवन** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवीं योजना के दौरान देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिये और अधिक कोष आबंटित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और लागू की गई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने तमिलनाडु में ऐसे विकास कार्यक्रमों के लिये अतिरिक्त वित्तीय सहायता आबंटित की है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी हां। विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) क्षेत्र के लिए विभिन्न पंचवर्षीय योजना अवधियों के लिए योजना आबंटनो में तेजी से वृद्धि हुई है। देश में एस एंड टी अवसंरचनात्मक विकास के लिए एस एंड टी क्षेत्र हेतु योजना आबंटन सातवीं योजना के लिए 8,264 करोड़ रु. की तुलना में बढ़कर नौवीं योजना में 25,529 करोड़ रुपये हो गए। उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार प्रायोजित अनुसंधान तथा विकास (आर एंड टी) परियोजनाओं को वित्तपोषित कर विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा बड़ी संख्या में कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं। वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान विभिन्न राज्यों में ऐसी विधिकृत आर एंड डी परियोजनाओं की संख्या 1795, 1780 और 2050 थी जिनकी अनुमोदित लागत क्रमशः 186.48 करोड रुपये, 218.57 करोड़ रु. तथा 349.85 करोड रु. थी। अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं का राज्यवार विवरण तथा इन तीन वर्षों के लिए इनकी अनुमोदित लागत से संबंधित एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) जी, हा। उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु में ऐसी वित्तपोषित आर एंड डी परियोजनाओं की संख्या 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के लिए 184, 189 और 210 हैं जिनकी अनुमोदित लागत क्रमशः 12.55 करोड़ रु., 13.34 करोड़ रु. तथा 27.33 करोड़ रु. हैं।

विवरण

राज्यवार प्रायोजित अनुसंधान तथा विकास परियोजनाएं

(रु. लाख में)

राज्य	1997-97		1997-98		1998-99	
	परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित लागत	परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित लागत	परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित लागत
1	2	3	4	5	6	7
अंडमान और निकोबार	1	5.70	4	42.22	5	78.16

1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	182	1952.85	130	1696.13	125	2113.57
अरुणाचल प्रदेश	7	41.71	8	39.93	1	17.84
असम	22	283.34	33	286.56	87	292.21
बिहार	55	463.68	47	1132.47	56	4807.95
चडीगढ	44	416.78	29	272.67	35	499.95
दिल्ली	170	2031.61	187	3119.75	183	2818.30
गोवा	7	67.57	16	210.16	16	319.68
गुजरात	38	240.27	55	492.90	47	555.57
हरियाणा	13	311.17	31	490.37	17	577.25
हिमाचल प्रदेश	17	127.95	15	126.99	18	282.76
जम्मू एवं कश्मीर	8	59.30	8	40.33	10	170.78
कर्नाटक	193	1872.54	163	1724.49	188	4065.87
केरल	71	677.28	74	919.72	56	616.78
लक्षद्वीप	–	–	2	16.97	–	–
मध्य प्रदेश	59	571.64	47	800.99	54	514.59
महाराष्ट्र	166	2315.58	172	3710.45	266	7072.90
मणिपुर	6	43.87	16	155.52	24	115.45
मेघालय	4	43.59	10	70.17	10	67.57
मिजोरम	1	4.37	–	–	2	14.66
नागालैंड	–	–	1	8.46	3	8.51
उडीसा	24	195.72	22	160.56	53	430.88
पांडिचेरी	13	88.50	8	35.02	11	90.18
पंजाब	30	147.71	34	287.52	31	1008.84
राजस्थान	50	329.45	42	503.58	45	731.16
सिक्किम	1	5.00	5	86.34	15	325.06
तमिलनाडु	184	1254.87	189	1334.02	210	2732.93
त्रिपुरा	2	13.72	6	31.99	5	17.75
उत्तर प्रदेश	231	1853.97	249	2294.19	265	2498.35

1	2	3	4	5	6	7
पश्चिम बंगाल	196	3228.46	177	1766.14	212	2139.04
छत्तीसगढ़ *						
झारखंड *						
उत्तरांचल *						
कुल	1795	18648.20	1780	21856.61	2050	34984.54

* इन राज्यों के आंकडों को क्रमशः मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के आंकडों में शामिल किया गया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य निष्पादन

1464. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उनके मंत्रालय के अधीन विशेषकर रसायन विभाग के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य निष्पादन की हाल ही में समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र का उपक्रम–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उपर्युक्त समीक्षा के आधार पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बेहतर विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) (क) से (ग) रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम (सी पी एस यू) 8 हैं, जिनके नाम इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि. (आई पी सी एल), हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि. (एच ओ सी एल), हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लि. (एल आई एल), बंगाल इम्युनिटी लि. (बी आई एल), इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (आई डी पी एल), हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लि. (एच ए एल), और स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि. (एस एस पी एल) हैं।

इन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में केवल आई पी सी एल ही लाभ अर्जित करने वाला केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है। 31.3.2001 को समाप्त अवधि तक आई पी सी एल के छः महीनों के कार्य निष्पादन की पुनरीक्षा 1.6.2001 को की गई थी। एच ओ सी एल और एच आई एल के कार्य निष्पादन की पुनरीक्षा प्रत्येक तिमाही में की जाती है। जनवरी–मार्च, 2001 तक की तिमाही और पूरे वित्तीय वर्ष 2000–2001 के लिए पुनरीक्षा 29.5.2001 को की गई थी। शेष पांच केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की कंपनियां रुग्ण हैं और इनके मामले बी आई एफ आर को संदर्भित हैं। बी आई एल, एस एस पी एल और आई डी पी एल के लिए अनुमोदित पुनरुद्धार पैकेज बी आई एफ आर द्वारा असफल घोषित किए जा चुके हैं। बी सी पी एल के लिए पुनरुद्धार योजना क्रियान्वित की जा रही है और एच ए एल की पुनरुद्धार योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इन कंपनियों का भविष्य बी आई एफ आर की कार्यवाहियों और अन्तिम निर्णय पर निर्भर है।

उर्वरक विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के 9 उपक्रम हैं, जिनके नाम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लि. (एफ ए सी टी), पारादीप फास्फेट्स लि. (पी पी एल), मद्रास फर्टिलाइर्जस लि. (एम एफ एल), पाइराइट्स फास्फेट्स एंड केमिकल्स लि. (पी पी सी एल), फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लि. (एफ सी आई), हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि. (एच एफ सी), राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि. (आर सी एफ), नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एन एफ एल), और प्रोजेक्टस एंड डवलपमेंट इंडिया लि. (पी डी आई एल) हैं। इनमें से एच एफ सी, एफ सी आई और पी डी आई एल को बी आई एफ आर द्वारा 1992 में और पी पी सी एल को 2000 में रुग्ण घोषित किया गया था। एन एफ एल और आर सी एफ लाभ अर्जित कर रही हैं और पी पी एल, एम एफ एल और एफ ए सी टी को घाटा हो रहा है।

इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मार्च 2001 को समाप्त तिमाही और वर्ष 2000–01 के कार्य निष्पादन की पुनरीक्षा मई 2001 में की गई थी।

सरकार ने, जहां भी आवश्यक समझा, इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्वस्थ प्रगति के लिए समुचित उपायों की पहल करने हेतु सलाह एवं निर्देश दिए हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।

*(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)*

.....*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.01 बजे

(इस समय श्री सुरेश पासी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

.....*(व्यवधान)* *

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने–अपने स्थान पर वापस जाइए।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। आप अपनी जगह पर बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सभी से अपने–अपने स्थान पर वापस जाने का अनुरोध कर रहा हूं।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

.....*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी जगहों पर बैठिए।

.....*(व्यवधान)*

* यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : हर रोज ऐसा करना ठीक नहीं है। यह डिसिप्लिन नहीं है।

.....*(व्यवधान)* *

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय गृह मंत्री जी वक्तव्य देने जा रहे हैं। यह सब क्या हैं? कृपया अपनी जगह पर वापस जाइए।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

अपराह्न 2.03 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 3839/2001]

(3) (एक) आल इंडिया काउन्सिल फार टैक्निकल एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आल इंडिया काउन्सिल फार टैक्निकल एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 3840/2001]

(5) (एक) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 3841/2001]

(7) (एक) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा के वर्ष 1998–1999 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 3842/2001]

(9) (एक) हिमाचल प्रदेश प्राइमरी एजुकेशन सोसाइटी, शिमला के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हिमाचल प्रदेश प्राइमरी एजुकेशन सोसाइटी, शिमला के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 3843/2001]

(11) (एक) गुजरात काउन्सिल आफ प्राइमरी एजुकेशन, गांधीनगर के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गुजरात काउन्सिल आफ प्राइमरी एजुकेशन, गांधीनगर के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 3844/2001]

(13) (एक) असम प्राथमिक शिक्षा अचानी परिषद्, गुवाहाटी के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) असम प्राथमिक शिक्षा अचानी परिषद्, गुवाहाटी के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 3845/2001]

(15) (एक) विश्वभारती, शान्तिनिकेतन के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्वभारती, शान्तिनिकेतन के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 3846/2001]

(17) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 3847/2001]

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): महोदय, मैं नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड और कोयला मंत्रालय के बीच वर्ष 2001–2002 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3848/2001]

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : महोदय, मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38

की उप–धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(1) अधिसूचना सख्या 39/2001–के.उ.शु. जो जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय गुजरात राज्य में कच्छ जिले में स्थित कारखानों द्वारा विनिर्मित माल को उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। यह छूट तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों, उन वस्तुओं जिन पर विशेष उत्पाद शुल्क लगता है तथा कुछ अन्य विनिर्दिष्ट वस्तुओं को छोड़कर सभी वस्तुओं पर लागू है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3849/2001]

(2) अधिसूचना संख्या 40/2001–के.उ.शु. जो 31 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय 1 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या 8/2001–के.उ.शु. 9/2001–के.उ.शु. तथा 30 अप्रैल, 2001 की अधिसूचना संख्या 24/2001–के.उ.शु. मे इस आशय का संशोधन करना है कि अधिसूचना सख्या 39/2001–के.उ.शु. के अतर्गत छूट प्राप्त कर रही इकाइयां साथ–साथ लघु उद्योग उत्पाद शुल्क छूट स्कीम'' के लिए हकदार नहीं होंगी।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 3850/2001]

(3) सेनवैट क्रेडिट संशोधन नियम, 2001 जो 31 जुलाई, 2001 के भारत के राज–पत्र में अधिसूचना संख्या 58/2001 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 3851/2001]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हू :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1999–2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 3852/2001]

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) के बीच वर्ष 2001– 2002 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3853/2001]

(दो) हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमीकल्स लिमिटेड तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2001–2002 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3854/2001]

अपराह्न 2.04 बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

अध्ययन दौरे संबंधी प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित अध्ययन दौरे संबंधी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

1. न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड; और
2. ओरिएन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड तथा नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड

अपराह्न 2.05 बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

एक सौ सातवां, एक सौ आठवां, एक सौ नौवां और एक सौ दसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर) : महोदय मैं, मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले

बच्चों की समस्या संबंधी 71वां प्रतिवेदन, आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हीयरिंग, मैसूर संबंधी 55वां प्रतिवेदन, प्रौढ़ शिक्षा संबंधी 72वा प्रतिवेदन, और व्यवसायिक शिक्षा संबंधी 74वां प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही के बारे में क्रमशः 107वें, 108वें, 109वें और 110वें प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 2.05½ बजे

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति की-गई-कार्यवाही संबंधी छठा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा. बी. बी. रमैया (एलूरू) : महोदय, मैं संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय – 'संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के बारे में दिशानिर्देशों में संशोधन करने के प्रस्ताव' संबंधी पहले प्रतिवेदन पर की–गई–कार्यवाही संबंधी छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 2.06 बजे

याचिका का प्रस्तुतीकरण

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : मैं निजीकरण और विदेशी कम्पनियों के लिए बीमा क्षेत्र को खोले जाने की समीक्षा का अनुरोध करने के बारे में नई दिल्ली के श्री आर. पी. मनचन्दा और अन्य द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 3855/2001]

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप गृह मंत्री जी का वक्तव्य नहीं सुनना चाहते? कृपया अपने–अपने स्थान पर जाइये। गृह मंत्री जी वक्तव्य देने वाले हैं।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप उनका वक्तव्य नहीं सुनना चाहते तो वह इसे सभा पटल पर रख सकते हैं?

.....(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : मैं अपना वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 2.07 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य - सभा पटल पर रखा गया *

श्रीमती फूलन देवी, संसद सदस्य की नृशंस हत्या

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : 25 जुलाई, 2001 को सदन के सदस्यों को निस्संदेह उस समय आघात पहुंचा था, जब उन्होंने उस भयकर घटना के बारे में सुना जिसमें श्रीमती फूलन देवी, संसद सदस्य की उनके निवास के बाहर बर्बरतापूर्ण हत्या कर दी गयी थी।

प्रारंभिक जांच–पडताल से पता चला कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, वह शारीरिक चिकित्सा जांच के लिए संसदीय सौध डिस्पेंसरी गयी थी, जिसके बाद उन्हें और उनके वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारी श्री बलविन्दर सिंह को उन्हीं की पार्टी के एक सदस्य श्री रघुराज सिंह शाक्य, जो संसद सदस्य भी है, ने अपनी कार में उनके निवास स्थान 44, अशोका रोड, नई दिल्ली पर छोडा। वह और उनका वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारी अपराह्न लगभग 1.20 बजे कार से उनके निवास के बाहर उतरे और जैसे ही वे प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहे थे तो नकाबपोश हमलावरों ने उन पर गोलिया चला दीं। वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारी ने गोलियों का जवाब दिया। श्रीमती फूलन देवी को नजदीक से 6 गोलिया लगी। उन्हें तत्काल नजदीक के डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें "मृत लाया" घोषित किया गया। उनका वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारी गोलियों से गंभीर रूप से जख्मी हो गया और 26 जुलाई, 2001 को उनका आपरेशन किया गया। डाक्टरों द्वारा इस बात की पुष्टि करने के बाद कि वह बयान देने के योग्य है, तो 28 और 29 जुलाई, 2001 को पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया।

बताया गया है कि नकाबपोश हमलावर अपनी कार से भाग गए जिसे उन्होंने घटनास्थल से थोडी दूर छोड दिया और एक ऑटोरिक्शा से भाग गए। रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया और हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा तत्काल गहन अभियान शुरू किया गया। उस ड्राइवर को भी ढूंढ निकाला गया और उससे पूछताछ की गई जिसके ऑटोरिक्शा में हमलावर बचकर भागे थे। छोडी गई कार की जांच की गई और उससे कुछ सुराग मिले

* ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3856/2001

जिनमें दो रिवाल्वर और कुछ जिन्दा और कुछेक खाली कारतूस थे।

हत्या के ही दिन की गई जांच–पड़ताल से शेर सिंह राणा का मुख्य अभियुक्त होने का सकेत मिलता है। वह उसी दिन सुबह श्रीमती उमा कश्यप और उसके पति के साथ श्रीमती फूलन देवी के निवास पर आया था। इसी व्यक्ति ने श्रीमती फूलन देवी को इसी कार से, जिसका भागने के लिए इस्तेमाल किया गया था, उनके निवास से संसद भवन परिसर के बाहर तक छोड़ा था। इस सुराग पर पुरजोर कार्रवाई की गई। श्रीमती उमा कश्यप और उसके पति से विस्तृत पूछताछ की गई। विशेष पुलिस दल गठित किए गए और उन्हें शेर सिंह राणा के देहरादून, हरिद्वार और रूडकी में छिपने के सम्भावित ठिकानों पर छापे मारने के लिए तैनात किया गया। उसके अनेक नजदीकी रिश्तेदारों और अन्य जान–पहचान वालों से पूछताछ की गई। ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस द्वारा बनाए गए दबाव के कारण शेर सिंह राणा को सामने आना पडा। बताया जाता है कि उसने उत्तरांचल पुलिस के सम्मुख यह दावा किया कि उसने बहमई हत्याकांड का बदला लेने के लिए श्रीमती फूलन देवी की हत्या की। शेर सिंह राणा को बाद में दिल्ली लाया गया और न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया जिसने उसे 10 दिन के लिए पुलिस रिमाड पर भेज दिया।

दिल्ली पुलिस द्वारा शेर सिंह की पूछताछ के दौरान, उसने अपराध में कथित रूप से संलिप्त तीन अन्य व्यक्तियों नामतः शेखर ठाकुर, राजेन्द्र और राजबीर गुज्जर के नाम बताए। इन सभी तीनों तथाकथित सहापराधियों को कल सहारनपुर में गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच–पडताल से आगे यह पता चला है कि अपराध को अंजाम देने के लिए दो कारें इस्तेमाल की गई थीं। ये दोनों कारें शेर सिंह राणा की थीं। शेर सिंह राणा ने यह भी प्रकट किया कि उसने अपराध स्थल के नजदीक देश में ही निर्मित दो हथियार फेंक दिए थे। इन्हें ढूंढ लिया गया और जब्त कर लिया गया है। इस मामले में आगे और जांच–पडताल तेजी से और तत्काल आधार पर की जा रही है।

कुछेक लोगों द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि श्रीमती फूलन देवी को प्रदान की गई व्यक्तिगत सुरक्षा सरकार द्वारा कम कर दी गई थी। मैं इस आरोप का जोरदार ढंग से खंडन करता हूं। जुलाई, 1994 में, उन्हें तीन शिफ्टों में चौबीसों घंटे सादे कपड़ों में तीन व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी उपलब्ध कराए गए थे। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनकी सुरक्षा हेतु एक सशस्त्र पुलिस कर्मी उपलब्ध कराया था। यह प्रबंध आखिर तक जारी रहे।

जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने 26 जुलाई, 2001 को संसद में अपने शोक प्रस्ताव में कहा कि श्रीमती फूलन देवी का जीवन समकालीन भारत की सामाजिक वास्तविकताओं को दर्शाता है। लेकिन उनका जीवन एक ऐसी महिला के जीवन के अंतः संघर्ष को भी दर्शाता है जो अपने विगत को भुलाकर आगे बढ़ना चाहती थी।

श्रीमती फूलन देवी की नृशंस हत्या ने एक बार फिर राजनीति के अपराधीकरण के उस नासूर को उजागर कर दिया है, जिसने भारतीय लोकतंत्र को आहत किया है। प्रत्येक आपराधिक कृत्य का एक लक्ष्य होता है और राजनीति के अपराधीकरण का लक्ष्य, हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली ही है। अपराध की प्रत्येक घटना इस प्रणाली को आघात पहुंचाती है और इसे कमजोर करती है। प्रत्येक हत्या, चाहे उसका शिकार किसी भी दल का व्यक्ति हुआ हो, पूरे के पूरे राजनैतिक वर्ग के सम्मान, साख और सक्रियता का क्षरण करती है। अतः मैं, गंभीरतापूर्वक प्रत्येक राजनैतिक दल से अनुरोध करता हूं कि न तो आपराधिक तत्वों के साथ किसी प्रकार के संबंधों को, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रोत्साहित करें और न ही जब कभी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती है तो उससे किसी प्रकार का राजनैतिक लाभ उठाने की कोशिश करने के प्रलोभन में पड़े।

हमारी संसद ने राजनीति के अपराधीकरण के मुद्दे पर विगत में कई बार चर्चा की है। अब समय आ गया है कि हम अपनी सामूहिक चिंता का एक सशक्त सर्वदलीय सम्मति और इस खतरनाक प्रवृत्ति के एक कारगर प्रतिकारक के रूप में बदलें।

अपराह्न 2.08 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मनमाड-दौंड-अहमदनगर-मुम्बई के बीच एक एक्सप्रैस रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर) : अध्यक्ष महोदय, दौंड–मनमाड रेल लाईन पर अहमदनगर एक बड़ा स्टेशन है। यह "व्हि.आर.डी.ई." रक्षा मंत्रालय का वाहन जांच केन्द्र है। भारत के सबसे बडे धार्मिक एवं पर्यटक स्थल शिर्डी, शनि–शिंगणापुर तथा मेहेराबाद अहमदनगर के नजदीक है। अहमदनगर के नजदीक अकोलनेर गांव में भारत पेट्रोलियम का एक बड़ा टर्मिनल है। रेलवे के अहमदनगर से हर दिन करीबन दो–ढाई लाख रुपयों की आमदनी होती है। सन् 2003 में नासिक में कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है, वहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। कुंभ मेले में पावन स्नान करने के बाद वही श्रद्धालु शनि शिंगणापुर दर्शन हेतु पधारेंगे। इसलिए सरकार द्वारा अभी से अपेक्षित कदम उठाने की आवश्यकता है।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि शिर्डी, शिंगणापुर में आने वाले पर्यटको की बडी संख्या को देखते हुए मनमाड–दौंड–अहमदनगर–मुंबई एक फास्ट ट्रेन "साई एक्सप्रेस" नाम से चलाने की आवश्यकता है, भले ही यह ट्रेन आने वाली दीपावली के समय ट्रायल बेसिस पर चला कर देखें। उसमें अगर रेल को राजस्व में बढोत्तरी हुई तो यह ट्रेन "समर–स्पेशल" बना कर आने वाले छुट्टी के दिनों में रोजाना तथा उसकी आमदनी देख कर यह रेलगाड़ी आने वाले वित्तीय वर्ष में रेगुलर फास्ट ट्रेन "साई एक्सप्रेस" नाम पर चलाई जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन शेष मामले* सभा पटल पर रखे गये माने जायें।

(दो) मध्य प्रदेश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : मध्य प्रदेश में अभूतपूर्व बिजली संकट व्याप्त है। प्रदेश के शहरों में दिन में कई बार बिजली की कटौती की जाती है, किंतु ग्रामीण अंचलों में दो हफ्ते में घंटे दो घंटे को बिजली कभी–कभार उपलब्ध हो पाती है। समूचे राज्य के अधिकांश ग्रामों में बिजली की लाइने हैं किंतु विद्युत प्रदाय गत एक वर्ष से लगभग ठप्प हो चुका है। इससे कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है। तथा राज्य भर के उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं।

अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि मध्य प्रदेश मे विद्युत उत्पादन हेतु राज्य की मदद करें तथा पडोसी राज्यों से बिजली का बकाया दिलाने में मदद करें।

(तीन) उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में और अधिक रेल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : रूरा, कानपुर देहात 15000 की आबादी वाली टाउन एरिया है। यहां का मुख्यालय माती है तथा रनिया एवं जैनपुर इंडस्ट्रियल स्टेट है। यहां से प्रातः कानपुर जाने के लिए कानपुर इटावा शटल ट्रेन चलती है जो 11 बजे से पहले कानपुर नहीं पहुंचती है जबकि भारी संख्या में यात्रियों को 9.30 बजे पहुंचना अनिवार्य होता है। इसलिए यहां के नागरिक विगत 10 वर्षों से मूरी एक्सप्रेस रोकने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अतः यात्रियों एवं अन्य नागरिकों की सुविधा हेतु निम्न व्यवस्था की जाए।

1. रूरा स्टेशन पर मूरी एक्सप्रेस रोकी जाए।
2. रूरा स्टेशन का समुचित विकास कराया जाए।

कानपुर देहात का मुख्यालय के रूप में यहां सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं साथ ही केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जनहित में पनकी स्टेशन को कानपुर महानगर का उपनगरीय स्टेशन घोषित किया जाए, कानपुर सेंट्रल स्टेशन से लखनऊ जाने वाली एमयूओ गाडियां पनकी से चलायी जाएं, पनकी में कम्प्यूटर आरक्षण केन्द्र खोला जाए, हावडा और दिल्ली जाने वाली कुछ गाडियों को रोका जाए तथा पनकी एवं उन्नाव के मध्य एक लोकल ट्रेन चलायी जाये।

(चार) बेतूल से अमरावती महाराष्ट्र के बीच के मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री विजय कुमार खण्डेलवाल (बेतूल) : मेरे संसदीय क्षेत्र बैतूल से अमरावती (महाराष्ट्र) तक के मार्ग को केन्द्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करे। इस मार्ग के राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित होने से यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–69 जो औबेदुल्लागंज, मध्य प्रदेश से सावनेर, महाराष्ट्र तक है, से जुड़ जाएगा तथा अमरावती से हैदराबाद जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग से भी जुड़ जायेगा। इससे मेरे आदिवासी बाहुल्य संसदीय क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा, लोगों की आवागमन की सुविधायें बढ़ेंगी तथा इंदौर से आने वाले वाहनों को दक्षिण क्षेत्र में जाने के लिए भोपाल जाने के बजाय इस मार्ग से जाने पर लगभग 84 कि.मी. की दूरी कम होगी जिससे ईंधन की बचत होगी तथा समय भी कम लगेगा।

(पांच) उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री रामपाल सिंह (डुमरियागंज) : हमारा संसदीय जनपद सिद्धार्थनगर नेपाल सीमा से लगा होने के कारण बहुत पिछडा है। भारत सरकार के सर्वेक्षण के अनुसार यह 100 सबसे गरीब जनपदों में से एक है। यहां लोगों की रोजी रोटी हेतु कोई उद्योग धंधा नहीं है, जिसके कारण इन्हें रोजी रोटी के लिए यहां से बाहर जाना पड़ता है।

अतः मेरी सरकार से मांग है कि इस जनपद में उद्योग धंधे लगाए जायें, जिससे इस जनपद की गरीबी और पिछडापन दूर हो सके।

[अनुवाद]

(छह) राज्य व्यापार निगम के माध्यम से गुजरात के लिए पामोलीन के लाने-ले-जाने हेतु सड़क भाड़े की प्रतिपूर्ति दर में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा) : भारत सरकार ने 1.4.1984 से गुजरात के लिए पामोलीन की सड़क द्वारा ढुलाई

* नियम 377 के अधीन शेष मामले सभा पटल पर रखे माने गये।

किए जाने के लिए 145 रुपये प्रति टन की दर से सडक भाडा प्रतिपूर्ति मंजूर की है। पिछले 15 वर्षों में पेट्रोलियम उत्पादों की दरों में समय–समय पर की गई वृद्धि के कारण ढुलाई प्रभार की दरें भी बढाई गई हैं। इस बात पर विचार करते हुए भारत सरकार द्वारा आबंटित पामोलीन की राज्य व्यापार निगम के माध्यम से सडक द्वारा माल की ढुलाई 550 रुपये पी. एम. टी. की दर से बढाना आवश्यक है।

(सात) किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी, कर्नाटक को राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा (हसन) : कर्नाटक सरकार ने 1970 में सोसाइटी को अपने नियंत्रण में ले लिया। इस संस्थान ने 1973 के दौरान कार्य करना शुरू किया तथा इसमें रोगियों के लिए 50 बिस्तर थे। जनवरी, 1980 में इसे "स्वायत्तशासी दर्जा" दिया गया। यह संस्थान क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान और उपचार केन्द्र बन गया। पिछले दो दशक के दौरान संस्थान में तेजी से विकास हुआ। वर्ष 1980 में 4,201 नए रोगी भर्ती हुए और वर्ष 2000 में यह संख्या बढकर 12,358 हो गई। वर्ष 1999 में कुल 1.80 लाख रोगियों की अनुवर्ती जांच की गई। इस संस्थान में आरभ में 50 रोगी शय्या थी और अब यह संख्या 375 हो गई है। यह एक रैफरल सस्थान के रूप मे कार्य कर रहा है।

संस्थान ने कैंसर ड्रग फाउंडेशन, केयर अंगेस्ट ट्यूमर (कैट), कर्नाटक कैंसर कंट्रोल एंड डिस्ट्रिक्ट कैंसर कंट्रोल प्रोग्रामस तम्बाकू रोधी प्रकोष्ठ, इत्यादि जैसी योजनाएं विकसित की हैं। के.एम.आई. ओ. में अनेक स्नातक तथा स्नातकोत्तर शैक्षणिक पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं जहां अनुसंधान कार्यकलापों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

मैं, माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे तत्काल इस विशिष्ट केन्द्र को राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के रूप में घोषित करें और भारत सरकार इसकी पूर्ण सहायता तथा वित्तपोषण करे।

(आठ) कर्नाटक में अंकोला और हुबली के बीच बड़ी रेल लाइन का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार (मैसूर) : अंकोला और हुबली के बीच 160 कि.मी. की बडी लाइन के निर्माण करने में अत्यधिक विलंब हो रहा है। यह कर्नाटक राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण लाइन है, क्योंकि इससे करवर तथा बेलीकेरी पत्तन के पीछे उपयोग हेतु विशाल अहाता मिल सकेगा। इसके निर्माण से कर्नाटक राज्य के लोह अयस्क भंडार का निर्यात पड़ोसी राज्यों के पत्तनों वाले लम्बे मार्ग के माध्यम से करने की बजाय पश्चिमी तट पर बने इन पत्तनों के माध्यम से करने में सहायता मिलेगी। इन राज्यों की भीडभाड की समस्या कम होने के अतिरिक्त इससे राज्य को हास्पैट क्षेत्रों में बन रहे विद्युत तथा इस्पात संयंत्रों के लिए कच्ची सामग्री भी मिलेगी। राज्य सरकार इस संबंध में रेल इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन (कर्नाटक) के साथ समझौता कर चुकी है।

परियोजना को पूरा किए जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे अंकोला–हुबली लाइन का शीघ्र निर्माण करने हेतु पर्याप्त निधि स्वीकृत करें।

(नौ) असम के धुबरी जिले में गुवाहाटी और बागडोगरा के बीच स्थित रूपशी हवाई अड्डे को पुनः चालू किए जाने की आवश्यकता

श्री अब्दुल हमीद (धूबरी) : असम के गुवाहाटी और बागडोगरा के बीच धुबरी जिले में स्थित रूपसी विमानपत्तन 1985 से बंद पड़ा है। यह विमानपत्तन ब्रिटिश शासन काल से पूर्वोत्तर राज्यों के सबसे पुराने विमानपत्तनों में से एक है। इस विमानपत्तन में अच्छी आधारभूत सुविधाएं मौजूद हैं जिसमें बढिया हवाई पट्टी, एयर टॉवर्स, वाणिज्यिक भवन आदि शामिल है तथा इसमें काफी अतिरिक्त भूमि है। जिसका और अधिक विस्तार किया जा सकता है। यही ऐसा विमानपत्तन है। जो मेघालय तथा पश्चिम बंगाल सहित समग्र निचले असम को विमान सुविधाएं उपलब्ध कराता है।

असम और उत्तरी बंगाल की लंबे समय से मांग है कि रूपसी विमानपत्तन पुनः चालू किया जाए। वर्ष 1998 के दौरान तत्कालीन नागर विमानन मंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के संसद सदस्यों को आश्वस्त किया था कि वे रूपसी विमानपत्तन को पुनः चालू करवाएंगे लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आर्थिक उदारीकरण के पश्चात् समग्र देश निजी विमानों का लाभ उठा रहा है लेकिन यहां के लोग विमानपत्तन के अभाव में इस सुविधा से वंचित हैं। मैं, केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे रूपसी विमानपत्तन पुनः चालू करने हेतु आवश्यक कदम उठाए।

(दस) कोंकण रेलवे को दक्षिण कन्नड़ के लोगों के लिए और अधिक यात्री सुलभ बनाए जाने की आवश्यकता

श्री विनय कुमार सोराके (उदुपी) : कोंकण रेलवे खंड चालू होने से दक्षिण कन्नड के तटीय क्षेत्रों के लोगों में आशा जगी थी। दक्षिण से मुम्बई तथा अन्य उत्तरी राज्यों तक इस मार्ग से यात्रा करने से अधिक समय बचता है तथा लागत भी कम आती है। दक्षिण कन्नड़ में अधिकांश स्टेशन जैसे कनकानादी तथा उदुपी मध्यवर्ती स्टेशन हैं और इसलिए उन्हें अधिक महत्व नहीं दिया गया है। उदुपी तथा कनकानादी में अधिकांश रेलगाड़ियों के प्रस्थान तथा आगमन का समय स्थानीय यात्रियों के लिए सुविधाजनक नहीं

है। और यात्रियों को घर जाने के लिए आधी रात से लेकर सुबह तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कोंकण मार्ग पर अधिकांश स्टेशनों में प्रतीक्षा कक्ष, पार्किंग स्थल, जलपान गृह तथा प्लेटफार्म दुकानों जैसी सुविधाएं नहीं हैं। दक्षिण कन्नड के लोगों को कोंकण रेलवे से उतना फायदा नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। दक्षिण कन्नड़ के लोगों ने भूमि अधिग्रहण, श्रम आदि में सहायता की लेकिन यात्रा सुविधाओं तथा के. आर. सी. में रोजगार के अवसर के रूप में उन्हें अपेक्षित लाभ नहीं मिलता है।

मैं, रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे कोंकण रेलवे को दक्षिण कन्नड़ के लोगों के लिए अधिक यात्रियों आरक्षण सुविधाओं तथा रोजगार अवसरों की दृष्टि से अधिक लाभकारी बनाएं।

(ग्यारह) पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी में अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुड़ी) : जलपाईगुडी कस्बा जलपाईगुडी मंडल का मुख्यालय है जिनके अंतर्गत उत्तर में सिक्किम सहित समग्र उत्तरी बंगाल, भूटान तथा नेपाल और दक्षिण में बांग्लादेश आता है। यह जिला पूर्वोत्तर क्षेत्र का मुख्यद्वार है और सिलिगुडी में एक चाय बिक्री केन्द्र है और दूसरा केन्द्र जलपाईगुडी में बनाने का प्रस्ताव है।

पहले इस जिले में अम्बारी तथा पांगा में दो विमान क्षेत्र थे लेकिन वर्षों से ये दोनों परित्यक्त हैं। इस क्षेत्र को विमान सेवाएं बडोगरा के विमानपत्तन से ही प्राप्त होती है जो वायु सेना का विमानपत्तन है और सुरक्षा कारणों से संभवतः इस पत्तन से नागर विमानन को अनुमति नहीं दी जाती है।

अतः वाणिज्यिक तथा पर्यटन को बढ़ावा देने दोनों ही कारणों से एक अतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन बनाए जाने की अत्यधिक आवश्यकता है।

मैं, सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का निर्माण कराये।

(बारह) आंध्र प्रदेश सरकार के 'सेंटर फार गुड गवर्नेंस' स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रशासन में सुधार करने के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है। इस प्रयोजन के लिए सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस स्थापित किए जाने का विचार है। वह उन क्षेत्रों का पता लगाएगी जहां सुधार किए जाने की आवश्यकता है और इनके क्रियान्वयन में सहायता करेंगे। केन्द्र आरंभ में हैदराबाद के डा. एम. सी. आर. एच, आर. डी. संस्थान से कार्य शुरू करेगा। ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग जिसकी अपनी शासन सुधार कार्यसूची हैं, ने इस कार्य में भाग लेने का प्रस्ताव किया है। डी. एफ. आई. डी. के एशिया प्रभाग के निदेशक सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस की परामर्शदात्री लागत तथा इसे चलाने की लागत का एक भाग देंगे।

ब्रिटेन का डी. एफ. आई. डी. इस परियोजना में 59 मिलियन पाउंड खर्च करने के लिए सहमत हो गया है। इस संबंध में आर्थिक कार्य विभाग से स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है।

अतः, मैं माननीय वित्त मंत्री से अपील करता हूं कि वे प्रस्ताव पर कार्यवाही शुरू करवाएं और यथाशीघ्र आवश्यक स्वीकृति दें ताकि केन्द्र इस पर कार्यवाही शुरू कर सके।

(तेरह) किसानों विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के किसानों की दशा में सुधार के लिए सिंचाई प्रणाली को सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता

श्री रामजी लाल सुमन (फिरोजाबाद) देश का सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र 32.80 लाख वर्ग किलोमीटर है जिसमें से 30.50 लाख वर्ग किलोमीटर सभी छोटी बडी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में आ जाता है। देश में 13 बड़े, 45 मध्यम और 55 लघु जल ग्रहण क्षेत्र माने जाते हैं किंतु जहां एक ओर देश में जल की पर्याप्त उपलब्धता बताई जा रही है, वहीं दूसरी ओर जल के अभाव की हालत नजर आती है। यह अवस्था उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देती है। एक ओर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जल के अभाव के कारण भूमिगत जल स्तर गिरता जा रहा है तो दूसरी ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश में जल के अति प्रवाह के कारण बाढ़ की समस्या बनी है। सरकार ने देश के समुचित विकास न हो पाने के लिए मूलभूत सुविधाओं की कमी को दोषी ठहराया है। इसलिए उसने सड़क, बन्दरगाह, यातायात, बिजली, पेट्रोलियम, स्टील, सीमेंट आदि को शामिल कर एक नया वृहद ढाचा तैयार किया है। सिंचाई जो खेती का प्राण है, उसे इस मूलभूत सुविधाओं के ढाचे में शामिल नहीं किया है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि सिंचाई व्यवस्था को इस ढांचे में प्रमुखता दी जाये ताकि देश की सम्पूर्ण कृषि भूमि को सिंचित बनाने के लिए एक समय–सीमा तय की जाये जिससे खेती के विकास के साथ ही देश का सर्वांगीण विकास संभव हो।

(चौदह) गोरखपुर-हावड़ा एक्सप्रेस को उत्तर प्रदेश में मऊ रेलवे स्टेशन से होकर चलाए जाने की आवश्यकता

श्री बालकृष्ण चौहान (घोसी) : मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र घोसी, उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालय मऊ से होकर गुजरने वाली ट्रेन गोरखपुर–हावड़ा एक्सप्रेस 5049/5050 की ओर दिलाना चाहता हूं। मऊ से हावड़ा जाने के लिए सप्ताह में एक

दिन की यह इकलौती ट्रेन थी, जिसका रास्ता बदलकर मऊ जनपद के अंतर्गत ही इन्दारा स्टेशन से वाया बलिया होकर हावड़ा के लिए कर दिया गया जबकि मऊ देश विदेश में अपने साड़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इन्दारा से मऊ की दूरी मात्र 7 किलोमीटर है। ज्ञातव्य है कि अपने रेल बजट के भाषण में माननीय रेल मंत्री ने उक्त ट्रेन का नाम चालन विस्तार में दिया है जबकि उसका रास्ता बदल दिया गया है। जनता की मांग है कि इन्दारा के बजाय मऊ जंक्शन तक उक्त ट्रेन को लाया जाये और पुनः वापिस बलिया के लिए मोड़ा जाये।

मेरी सरकार से मांग है कि उक्त ट्रेन को इन्दारा से आगे 7 कि.मी. तक ले जायें क्योंकि इन्दारा में भी इंजन का रुख बदलना पडेगा और इन्दारा में टैक्निकल स्टाफ भी नहीं है जबकि मऊ में रेल की जांच हेतु टैक्निकल स्टाफ है।

(पन्द्रह) हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में रोड़धार में कम शक्ति वाला टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता

कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य (शिमला) : मैं आपका ध्यान हिमाचल प्रदेश में शिमला संसदीय क्षेत्र के दूर–दराज के पिछडे क्षेत्रों की दूरदर्शन की सुविधाओं से संबंधित समस्याओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

मान्यवर, इस विषय में जिला शिमला की तहसील चिडगांव विशेषकर प्रभावित है। इस क्षेत्र में शिमला दूरदर्शन केन्द्र द्वारा प्रसारित कार्यक्रम का अवलोकन इसलिए सभव नहीं है क्योंकि शिमला केन्द्र का अभी तक पूर्ण रूप से आधुनिकीकरण नहीं हो सका है। इसका सीधा प्रभाव यहां की भोली–भाली जनता पर, कृषक बागवान वर्ग पर पड़ा है और उन्हें आधुनिक दूरदर्शन की सुविधाओं से आज के युग में वंचित रहना पड रहा है।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं केन्द्रीय सरकार और विशेषकर सूचना एवं प्रसारण मंत्री महोदया से प्रार्थना करूंगा कि शिमला दूरदर्शन केन्द्र के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाये और जिला शिमला में सीमा बडियारा के बीच रोडाधार पर दूरदर्शन का एक लघु शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने की शीघ्र स्वीकृति दिलायें ताकि इस क्षेत्र के लोग दूरदर्शन की सुविधाओं का पूर्ण लाभ उठा सकें।

(सोलह) मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिलों में कम शक्ति वाले और अधिक ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सूचना व प्रसारण मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में दूरदर्शन व आकाशवाणी के प्रसारण को लोक व्यापी बनाने की दृष्टि से प्रायः प्रत्येक जिले में अल्पशक्ति या अत्याल्प शक्ति के प्रसारण या रिले केन्द्रों को प्रारंभ किया गया है तथा इन्हें शेष ऐसे स्थानों में खोला जाना है जहां वर्तमान केन्द्रों से लाभ नहीं मिल रहा है।

मध्य प्रदेश के मंदसौर व नीमच जिलों में यद्यपि एक दो स्थानों पर दूरदर्शन के अल्पशक्ति या अत्याल्पशक्ति प्रसारण केन्द्र हैं, किंतु उनके सुदूरवर्ती स्थानों को लाभ नहीं मिल रहा है, वे वंचित हैं।

अतः इन वंचित सुदूरवर्ती क्षेत्रों को भी लाभ मिले, इस दृष्टि से नये केन्द्रों की स्थापना की मांग बार–बार की जा रही है, इनमें मंदसौर जिले के सुवासरा तथा गाधी सागर तथा नीमच जिले जावद व सिंगोली हैं। इन स्थानों पर उक्त केन्द्रों की स्थापना की उपादेयता भी है और आवश्यकता भी। जिसे नये केन्द्रों की स्थापना कर पूरा किया जा सकता है।

अतः मेरा माननीया सूचना प्रसारण मंत्री से अनुरोध है कि उक्त सुवासरा, गांधी सागर, जावद व सिंगोली क्षेत्रों को भी प्रसारण सुविधा का लाभ मिले व वे भी देश विदेश की गतिविधियों व अन्यान्य कार्यक्रमों का लाभ ले सकें। एतदर्थ इन उक्त स्थानों पर दूरदर्शन प्रसारण केन्द्रों की स्थापना हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करें।

(सत्रह) पंजाब में पटियाला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती प्रनीत कौर (पटियाला) : मैं, हिमालय में हुई अत्याधिक वर्षा से आई बाढ़ का मामला उठाना चाहती हूं जिसके कारण पंजाब में मेरे निर्वाचन क्षेत्र पटियाला के अधिकांश हिस्सों में घग्गर नदी तथा अन्य नदियों में बाढ़ आ गई है।

बाढ़ हर वर्ष आती है जिससे फसलों, जानवरों, घरों को नुकसान पहुंचता है और लोगों की जानें जाती हैं। इस वर्ष जुलाई में घनौर, डकला, शतराना, लहरा और बनूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ आई।

मैं, केन्द्र सरकार से अनुरोध करती हूं कि वे प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल रा.. पहुंचाएं और पंजाब की प्रमुख पांच नदियों में से 240 कि.मी. लम्बी घग्गर नदी, जिसमें से 160 कि.मी. मेरे निर्वाचन क्षेत्र पटियाला से बहती है, के पानी को रोक उसका उपयोग करने हेतु स्थायी समाधान के लिए यह मामला पंजाब सरकार के साथ उठाएं।

(अठारह) केरल के कन्नूर जिले में तलई में नया मत्स्यन पत्तन स्थापित करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

प्रो. ए. के. प्रेमाजम (बडागरा) : कन्नूर जिले में थल्लई में एक नए मत्स्यन बंदरगाह की परियोजना रिपोर्ट 15.11.1999 को भारत सरकार को प्रस्तुत की गई थी। परियोजना की अनुमानित लागत 1370 लाख रुपये है। जब आरंभ में परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तो भारत सरकार ने कहा कि नमूना अध्ययन के बिना परियोजना पर विचार नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, परियोजना का नमूना अध्ययन कार्य तिरूअनंतपुरम के पर्यावरण और विकास केन्द्र को सौंपा गया। यह केन्द्र अध्ययन पूरा कर चुका है और परियोजना रिपोर्ट को नमूना अध्ययन के आधार पर संशोधित किया गया है। परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व परियोजना रिपोर्ट की जांच बंगलौर के इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरी (सी.आई.सी.ई.एफ.) द्वारा की जानी है। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि सी. आई. सी. ई. एफ. द्वारा अभी तक परियोजना रिपोर्ट की संवीक्षा नहीं की गई है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि संवीक्षा शीघ्र करायें और कन्नौर जिलें में थलाई में मत्स्यन बंदरगाह के लिए परियोजना को यथाशीघ्र प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करे।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी जगह पर जाइये।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी जगह पर जाइये।

.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह रोजाना हाउस में क्या हो रहा है ?

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस तरह हाउस कैसे चलेगा।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर आपको कोई मेटर रेज़ करना है तो अपनी सीट पर जाकर रेज़ करिए, यहां से नहीं।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप पहले अपनी सीट पर जाकर बैठिए और वहां से रेज करिए। आप क्या कर रहे हैं?

अपराह्न 2.09 बजे

(इस समय कुमारी मायावती आईं और सभा पटल के निकट खड़ी हो गईं)

अध्यक्ष महोदय : मैडम, आपको अपनी सीट पर जाकर मैटर रेज़ करना है, यहां से नहीं। आप पोडियम से कैसे बात करेंगी? आप अपनी सीट पर जाकर रेज़ करिए। आप पहले अपने मेम्बर्स को बता दें कि उधर बैठना है, तब आपको बोलने का मौका मिलेगा। आपको यहां कोई मैटर रेज़ नहीं करना है।

.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपने–अपने स्थान पर वापस जाइये।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मैं आपसे अपील करता हूं। कृपया अपने–अपने स्थानों पर जाइये। आपको जो कोई मुद्दा उठाना है, आप उसे अपनी–अपनी जगह से उठा सकते हैं, न कि अध्यक्षपीठ के पास आकर।

.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी सीट पर जाकर अपनी बात रेज करें।

.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.10 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 1 अगस्त, 2001/10 श्रावण, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत
प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।